खण्ड-226, अंक-10
गुरूवार, 25 कार्तिक, शक संवत् 1883
(16 नवम्बर, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 226 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १६ नवम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवर्रासिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री,
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एट)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह [illegible], श्री
जवाहरल[illegible] श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री

पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री

राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री

शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी, वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १६ नवम्बर, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्राविन्शियल मेडिकल सर्विस के रिक्त स्थानों के लिये विज्ञापन

**१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि प्रदेशीय पी० एम० एस० (प्रथम) के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये सरकार ने गत जून या जुलाई, १९६१ को अपने विज्ञापन में आवश्यकीय योग्यता एम० डी० या एम० एस० रक्खी थी ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—राज्य सरकार के अनुरोध करने पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने १७ अस्थाई पदों पर जो 'specialities' में हैं, चुनाव के लिए सम्बन्धित विज्ञापन जारी किया था जिसमें इन पदों के लिये निम्नलिखित योग्यता रखी गयी थी :—

(१) लखनऊ या आगरा विश्वविद्यालय के एम० बी० बी० एस० तथा (२) (क) के लिए एम० डी० (मेडिसिन), (ख) के लिये एम० एस० (सर्जरी), (ग) के लिये एम० एस० (आर्थोपीडिक्स), (घ) के लिये एम० एस० (ई० एन० टी०), तथा (ङ) के लिए एम० डी० (टी० बी०)। संख्या १ की टैक्निकल योग्यता की प्राप्ति पर प्रादेशिक प्रतिबन्ध असाधारण अवस्थाओं में शिथिल किया जा सकेगा।

वरीयान : रेजिडेन्ट आफिसर के रूप में या ऐसे अन्य पदों पर अनुभव।

**२—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इसी विज्ञापन में सितम्बर, १९६१ को एक संशोधन-पत्र द्वारा आवश्यकीय योग्यता केवल एम० बी० बी० एस० ही कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, उत्तर प्रदेश मेडिकल सर्विसेज (मैन्स ब्रांच) रूल्स, १९४५ के रूल १० में पी० एम० एस० (प्रथम) में नियुक्ति के लिये आवश्यक योग्यता यह है कि अभ्यर्थी लखनऊ या आगरा विश्वविद्यालय का एम० बी० बी० एस० हो, जो किसी एक वर्ष में पहले २० सफल अभ्यर्थियों में से हो या इंडियन मेडिकल कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पोस्ट-ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन रखता हो। जो विज्ञापन लोक सेवा आयोग ने जुलाई, सन् १९६१ में जारी किया था वह उपरोक्त रूल्स के प्रसंग में ठीक नहीं था। अतः शासन के अनुरोध पर आयोग ने उसमें संशोधन जारी किया जो निम्न प्रकार है :

संख्या (१) की अनिवार्य योग्यता अब इस प्रकार है—लखनऊ या आगरा विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० की डिग्री या इंडियन मेडिकल कौंसिल द्वारा मान्य समकक्ष विदेशी योग्यता ।

उपरोक्त संशोधन के अनुसार अब अनिवार्य योग्यता (१) रूल १० के अनुसार, और अनिवार्य योग्यता (२) जिसमें स्पेशलिटीज में पोस्ट-ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मांगी गयी है, कोई तब्दीली नहीं है।

**३—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त विज्ञापन में डाक्टरों की आवश्यकीय योग्यता केवल एम० बी० बी० एस० (M. B. B. S.) करते समय एम० डी० या एम० एस० या पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमाज को तर्जीह (preference) देने में सरकार को क्या दिक्कत थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश रिक्त स्थानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जैसा उचित समझेंगे करेंगे।

ग्राम समाज, पखनपुर की बंजर-भूमि के वितरण के लिये प्रार्थना

**४—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मुख्य मंत्री को सितम्बर, १९६१ के प्रथम सप्ताह में सहारनपुर जिला स्थित ग्राम समाज, पखनपुर की बंजर भूमि को नाजायज कब्जे से मुक्त कराने व मजदूरों में वितरण करने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जी हां। सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि यह प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, सहारनपुर के नाम था तथा उसकी प्रतिलिपि सरकार को भेजी गई थी और यह आशा की गई कि जिलाधीश उस प्रार्थना-पत्र पर उचित कार्यवाही स्वयं करेंगे।

उद्योग निदेशक कार्यालय द्वारा स्वीकृत टेण्डरों के सम्बन्ध में शिकायत की जांच

**५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक २ नवम्बर, १९६१ ई० का लिखा हुआ, जो उद्योग निदेशक कार्यालय के अन्तर्गत स्टोर परचेज विभाग के नोटीफिकेशन नम्बर १६८ के २५ फरवरी, १९६१ ई० के गजट में और नोटीफिकेशन नम्बर ३८, दिनांक ५ अगस्त, १९६१ के गजट में प्रकाशित होने से सम्बन्धित एक ही मेकर की भिन्न-भिन्न कीमतों के टेण्डरों के स्वीकृत किये जाने के विषय में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित विषयों की जांच-पड़ताल की गई है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)—जी हां। पत्र में उल्लिखित विषयों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं?

श्री रऊफ जाफरी—अभी यह डायरेक्टर के पास भेजी गयी है। इसके मुताल्लिक उनसे रिपोर्ट मांगी गयी है। उसके बाद जैसी जरूरत होगी वैसा किया जायगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—चूंकि विधान सभा का अधिवेशन सम्भवतः अब नहीं होगा, इसलिए क्या माननीय मुख्य मंत्री जांच का परिणाम प्रश्नकर्ता को सूचित करने की कृपा करेंगे?

श्री रऊफ जाफरी—जरूर।

लखनऊ पोलीटेक्निक स्कूल के विद्यार्थियों में झगड़ा

**६—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गत ८ या ९ अगस्त को लखनऊ राजकीय टेक्निकल स्कूल व पोलीटेक्निक स्कूल में द्वितीय वर्षीय विद्यार्थियों द्वारा प्रथम वर्षीय विद्यार्थियों के साथ प्रथम मुलाकात की आड़ में अभद्र व्यवहार किया गया और उसमें कुछ विद्यार्थियों को चोटें पहुंचाई गईं?

श्री रऊफ जाफरी—राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ (जो अब राजकीय पोलीटेकनिक, लखनऊ के नाम से विदित है) व राजकीय पोलीटेक्निक, लखनऊ (जो अब राजकीय इन्डस्ट्रियल व टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के नाम से विदित है) में गत ८ या ९ अगस्त को कोई ऐसी घटना नहीं हुई।

**७—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह सही है कि उक्त घटनाओं के सिलसिले में होस्टल सुपरिन्टेंडेंट के साथ भी अपमानजनक तथा अशिष्ट व्यवहार किया गया था? यदि हां, तो उक्त कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार की ओर से क्या कार्य किये जा रहे हैं?

श्री रऊफ जाफरी—प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार बतायेगी कि मारने की घटना जो ८, ९, १० अगस्त को या उसके करीब हुई, लखनऊ में, किसी अन्य इंजीनियरिंग कालेज में घटना घटित हुई है?

श्री रऊफ जाफरी—यह जो घटना हुई है वह एक हिन्दू एजूकेशनल सोसाइटी का स्कूल है जो लखनऊ पोलीटेक्निक के नाम से मशहूर है, वहां हुई थी। असल में कुछ पुराने और नये लड़कों में झगड़ा हुआ। उसमें यह भी हुआ कि पुलिस को बुलाने की जरूरत पड़ी और स्कूल कुछ दिनों के लिये बन्द हो गया। ४ सितम्बर से स्कूल खुल गया है और चल रहा है। अब कोई शिकायत नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान देते हुए कि अभी १४ तारीख को इसी प्रकार के प्रश्न के सिलसिले में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जो यह अभद्र व्यवहार प्रथम वर्षीय विद्यार्थियों के साथ होता है, उसके सिलसिले में आदेश देंगे, उसको निगाह में रखते हुए इसके ऊपर वह सोचेंगे कि वह आदेश शीघ्र ही भेज दिये जायं?

श्री रऊफ जाफरी---यह तो सरकार की नीति है ही कि इस किस्म के झगड़े स्कूलों में न हों और उसके लिये मुनासिब कार्यवाही की जाय । यह स्कूल गवर्नमेंट का नहीं है, यह एडेड स्कूल है और वहां की डिसिप्लिन और उसकी बातों का ताल्लुक मैनेजमेंट कमेटी से है । बहरसूरत, ऐसी घटनाएं न हों इसके लिये कोशिश की जायगी ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पुराने और नये लड़कों में झगड़ा क्यों हुआ और कौन-सी परिस्थिति आ गयी थी जिससे पुलिस को बुलाना पड़ गया ?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा कि झगड़ा पुराने और नये लड़कों में होता है, वही हुआ । वह कुछ बढ़ा, प्रिंसिपल ने पुलिस बुला ली । उसका ज्यादा ब्योरा मेरे पास नहीं है ।

रानीपुर में सोवियत सहयोग से खुलने वाले कारखाने के लिये सर्वेक्षण

८---श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सोवियत सहयोग से बिजली के बड़े औजारों का जो कारखाना हमारे प्रदेश के रानीपुर में स्थापित हो रहा है उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कथित कारखाने के लिये भूमि की व्यवस्था की जा रही है तथा विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन (detailed project report) तैयार करने के लिये एवं फैक्टरी भवन के निर्माण हेतु निश्चित् स्थान निर्धारित करने के लिये भूमि-भार सहन शक्ति (earth bearing capacity) का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

बाढ़ तथा वर्षा पीड़ितों को सहायता

९---श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६१ के मध्य एवं तीसरे तथा चौथे सप्ताह में बाढ़ एवं अति वर्षा का जो दूसरा सिलसिला प्रदेश के अनेक अंचलों में चला, उसकी चपेट में कौन-कौन जिले आये और उनमें प्रत्येक में कितनी जन-धन की हानि हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अपेक्षित सूचना दिनांक १३-११-१९६१ को सदन की मेज पर प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र १ में सम्मिलित है ।

१०---श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस आपत्ति काल में राज्य सरकार की ओर से जनता को किस प्रकार की कितनी सहायता दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अपेक्षित सूचना दिनांक १३-११-१९६१ को सदन की मेज पर प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र २ में सम्मिलित है ।

मार्टिन कम्पनी को बिजली की दर बढ़ाने की आज्ञा न देना

११---श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मार्टिन कम्पनी (बिजली) ने बिजली किराया बढ़ाने की सूचना हाल ही में राज्य सरकार को दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । अगस्त, १९६१ में नोटिस दी थी कि वह आगरा इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी में, ३ अक्तूबर, १९६१ से बिजली की दरें बढ़ा देंगे ।

१२---श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रस्तावित किराया वृद्धि का आधार क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--निम्नलिखित कारणों से कम्पनी ने दरें बढ़ाने का प्रस्ताव किया था :--

(क) खराब कोयला इस्तेमाल करने की वजह से कम्पनी को अधिक खर्चा करना पड़ रहा है ।

(ख) जेनेरेटिंग प्लांट की क्षमता सीमित होने के कारण नये कनेक्शनों का पर्याप्त विस्तार नहीं हो सका है ।

१३--श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसकी ओर से इसकी रोक हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सर्वश्री मार्टिन बर्न लि० को उक्त स्थानों पर दरें बढ़ाने से रोक दिया गया है ।

मऊरानीपुर को परगनाधीश का हेडक्वार्टर बनाने का आश्वासन

१४--श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मऊरानीपुर गरौठा (झांसी) तहसीलों की जनता के चालीस मील दूर जिले के सदर मुकाम झांसी आने-जाने की असुविधा आदि तथा मऊरानीपुर प्रदेश की बड़ी अच्छी मंडी के विचार से मऊरानीपुर में वहां के एस० डी० ओ० के सदर मुकाम को पुनः स्थापना का जो मामला अदालत के लिये इमारत के अभाव के संबंध में उसके विचाराधीन था, उसकी उसने क्या व्यवस्था की और क्या सरकार का विचार मऊरानीपुर में नार्मल स्कूल के ललितपुर स्थानान्तरित हो जाने के कारण उसकी खाली इमारत को उक्त उपयोग में लाने का है ?

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--कृषि विभाग की इमारत अभी तक नहीं मिल पाई क्योंकि उसमें भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र कायम है । इमारत का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

नार्मल स्कूल की जो इमारत है वह एस० डी० ओ० के सदर मुकाम के लिये उपयुक्त नहीं समझी जाती है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि मऊरानीपुर से एस० डी० ओ० का सदर मुकाम महज इसलिये झांसी तब्दील किया गया था कि उस वक्त वहां पर उनके बच्चों को पढ़ने के लिये कोई हाई स्कूल नहीं था और अब वहां पर दो दो इंटर कालेज हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--यह तो बहुत पुरानी बात है । ऐसी कोई सूचना तो हमारे पास है नहीं । लेकिन यह सही है कि वहां से झांसी दूर है और अब जल्दी से जल्दी इन्तजाम हो रहा है कि वहां उसका हेडक्वार्टर बना दिया जाय ।

बेरीनाग--बाड़ेछीना मार्ग के सर्वेक्षण की योजना

१५--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह सही है कि सरकार पिथौरागढ़ की सीमावर्ती मोटर सड़क बेरीनाग-बाड़ेछीना का सर्वे करा रही है ? अगर हां, तो इस पर कब तक काम आरम्भ हो जायगा और यह सड़क कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--भारत सरकार ने बेरीनाग-बाड़ेछीना मोटर मार्ग के सर्वेक्षण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेश दिये जा रहे हैं कि वे इस मार्ग का सर्वेक्षण शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ कर दें । सड़क बनाने के प्रश्न पर सर्वेक्षण के बाद विचार हो सकेगा । सड़क पूरी हो जाने के बारे में अभी कोई समय निश्चित करना सम्भव नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा और क्या सर्वेक्षण सारे मार्ग का कराया जा रहा है या आधे रास्ते का ही कराया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--यह कहना तो अभी संभव नहीं कि कितना समय लगेगा लेकिन आदेश जारी हो गये हैं पूरे मार्ग का एस्टीमेट बनाने के लिये, और जिस वक्त सर्वेक्षण पूरा हो जायगा उस वक्त इसके बनाने का कार्य भी चालू कर दिया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि यह बार्डर की रोड है और बार्डर जिले के लिये इस वर्ष जो रुपया रखा गया है उसमें से अधिकांश की संभावना लैप्स होने की है, यह देखते हुए क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ रुपया इसमें डाइवर्ट करके काम इस साल शुरू कर दिया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जब तक सर्वे न हो तब तक सड़क बनना कैसे संभव है ? लेकिन जैसा मैंने कहा, यह आदेश जारी हो गये हैं और जितना रुपया सर्वे के लिये उन्होंने मांगा वह रुपया उनको दे दिया गया है । सर्वे हो जाने पर उसके बनाने का कार्य भी प्रारम्भ हो जायगा ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि बार्डर जिले बने डेढ़ साल से भी अधिक हो गए और सारी बार्डर की सड़कों का सर्वे होकर उनका निर्माण होना प्रारम्भ हो गया है, तो क्या कारण है कि इस सड़क का बार्डर रोड होने के बावजूद भी अभी तक सर्वे भी सरकार नहीं करा पायी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--बार्डर में बहुत-सी सड़कें हैं और वह प्राथमिकता के हिसाब से पहले और बाद में बनायी जा रही हैं । सड़के सभी बनेंगी और जो पहले बननी थीं वह बन गई हैं । यह भी बन जायगी ।

श्री अध्यक्ष--एक सवाल उनका यह था गोविन्दसिंह विष्ट जी का, क्या आपने उसको मंजूर कर लिया है कि अगर यह इस साल न बनी तो रुपया लैप्स हो जायगा ? उन्होंने यह प्रश्न में कहा था ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--यह बात तो मैंने कही नहीं । न इसका जवाब दिया ।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहा, आप चुप रहे, खामोश रहे । तो इसका मतलब यह समझा जायगा कि लैप्स हो सकता है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--उन्होंने शायद यह कहा था कि किसी और मद में रुपया लैप्स होने वाला है और वह इसमें डाइवर्ट कर दिया जाय तो ऐसा संभव नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--यह माननीय हुकुम सिंह विसेन को ज्ञात नहीं है । रुपया बहुत लैप्स हो रहा है और कल को संशोधित उत्तर देना पड़ेगा ।

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री चद्रभानु गुप्त, मुख्य मंत्री जी ने कृपा करके एक साल पहले एक आश्वासन दिया था कि १ करोड़ ८६ लाख जो बार्डर का रुपया है उसमें से वह इसको बनाने पर विचार कर रहे हैं तो एक साल बीत गया, मेरे पास तीन पेज की उनकी चिट्ठी रखी हुई है .....

श्री अध्यक्ष--तो उनको यह कैसे मालूम होगा ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--वह जवाब उनका चूंकि वही दे रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष--आपके पास है कोई इन्फारमेशन ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जी नहीं ।

सगड़ी तहसील में हैजे की रोक थाम के कार्य

१६--श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार का ध्यान कतिपय समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है कि आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र में बड़े जोरों में बीमारियां फैल रही हैं और चिकित्सकों और दवाइयों के अभाव में लोग नीम हकीमों से मुहमांगे दामों पर दवाइयां खरीदने पर विवश हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस ओर क्या कार्यवाही की ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)--सरकार का ध्यान ऐसे किसी समाचार पर आकृष्ट नहीं किया गया । किन्तु सरकार को यह विदित है कि तहसील सगढ़ी के तीन ग्रामों में हैजा फैला था, तथा उससे १३ रोग ग्रस्त हुए और ६ मृत्युएं हुईं । इन ग्रामों में स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बीमारी की रोकथाम की पूरी कोशिश की और अब बीमारी बिलकुल काबू में है । ७५८ हैजे के टीके भी इन ग्रामों में लगाये गये । जिले की डिस्पेन्सरियों में दवाईयों तथा स्टाफ की कोई कमी नहीं है ।

झांसी जिले में वर्षा पीड़ित किसानों को सहायता

१७--श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में वर्षा का क्या औसत है और इस वर्ष अब तक वहां कितनी वर्षा हुई तथा उसके दुष्परिणाम स्वरूप किस-किस तहसील में फसल की कितनी-कितनी क्षति हुई, वहां के किसानों की क्या-क्या और कितनी-कितनी सहायता की गई ?

राजस्व उप मन्त्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)--झांसी जिले में वर्षा का वार्षिक औसत ३५.०० इंच है । इस वर्ष ३१ अक्तूबर, १९६१ तक वास्तविक औसत वर्षा ५२.५ इंच हुई है ।

इसके कारण झांसी तहसील में ४ आना से १२ आना तक, मोठ तहसील में ४ आना से १६ आना तक और महरौनी तहसील में ४ आना से १२ आना तक खरीफ की फसल को अनुमानित हानि पहुंची है ।

किसानों की सहायता के लिये अभी तक ९०० रुपये अहेतुक सहायता के रूप में बांटा जा चुका है । प्रभावित क्षेत्रों में लगान व मालगुजारी में नियमानुसार छूट भी दी जायगी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--इस वर्ष असाधारण वर्षा के परिणाम स्वरूप जिले में १२ से १६ आने तक बरबादी के बावजूद सरकार ने किसानों की सहायता के लिये केवल ९०० रुपया मंजूर किया है । क्या न्याय मंत्री अपनी दरियादिली के मुताबिक उस रकम को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२ हजार रुपया मंजूर किया गया था और अभी तक बटा ९०० रुपया क्योंकि मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि ३१ हजार रुपया मैंने तकावी के लिये दिया है और कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी है कि वहां के लोग तकावी लेने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की जो बुन्देलखंड डिवीजन के लिये उपेक्षा की नीति थी, उसी के परिणामस्वरूप इतने बड़े पैमाने पर क्षति हुई है ? झांसी में तो सरकार इस बात को देखते हुये कि यह गरीब जिला है, तकावी नहीं ले सकता है, उस नीति को सरकार बदलेगी और अहेतुक सहायता की रकम को बढ़ायेगी ताकि किसानों को सही माने में सहायता दी जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कलेक्टर जितनी जरूरत के मुताबिक रकम लेते हैं उतनी हम दिया करते हैं । हम यहां से तखमीना नहीं करते हैं । जैसा मैंने अभी कहा, झांसी जिले के लोगों में इतना आत्मगौरव है कि तकावी उनको दी गई लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह तकावी न लेने का कारण यह भी है कि किसान जानता है कि तकावी लेने के बाद ठीक दूसरे साल ही बड़ी सख्ती के साथ पाई-पाई वसूल करली जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसको न लेने का आत्मगौरव ही कारण है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह ९०० रुपया जो बटा है वह उनको बटा है जो बचे हैं या जो मर गये हैं उनको बांटा गया है इस अतिवृष्टि के समय ?

श्री अध्यक्ष--क्या वहां पर कोई मरा भी है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--इस बहिया में वहां पर लोग मरे हैं ।

श्री अध्यक्ष--तो उसको रेफर आपको करना चाहिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि हर एक जिले में कितनी क्षति हुई और कितना उनको पैसा मिला ? इसकी तालिका को देखते हुए यह जो ९०० रुपया वहां लोगों को दिया गया वह जिन्दा लोगों को पर्याप्त नहीं हो सकता तो क्या वह जो मर गये उनके लिये काफी होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कफन का दाम हम नहीं देते नहीं तो पहाड़ में भी दिया होता ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिलों से अधिक रुपये की मांग आई और फिर सरकार ने नहीं भेजी और यहां से अंतिम आदेश दिया गया कि हिसाब से ही रकम मांगी जाय इस कारण रुपया नहीं मांगा गया है और वहां रुपया इसी कारण नहीं मिल रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--झांसी को कोई ऐसा आदेश नहीं भेजा गया है ।

बहराइच जिले में बाढ़ तथा वर्षा पीड़ितों को सहायता

**१८--श्री बुद्धीलाल (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में तहसील बहराइच कैसरगंज, नानपारा में सन् १९६० तथा १९६१ में अधिक वर्षा तथा बाढ़ से कितनी फसल, मनुष्यों, पशुधन एवं मकानों को नुकसान हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९६० तथा १९६१ में जिले की तहसील बहराइच, कैसरगंज व नानपारा में अधिक वर्षा तथा बाढ़ से कुल ५,०७,२६८ एकड़ क्षेत्र की फसल, २४ मनुष्यों, १६,५०७ मकानों व २५० पशुधन की क्षति हुई ।

**१९--श्री बुद्धीलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले की तीनों तहसीलों में अलग-अलग सन् १९६० और १९६१ में कितनी सहायता (gratuity) मुहताजों के लिये दी गई है तथा कितनी-कितनी सहायता बीज तकावी एवं मकान निर्माण तकाबी के रूप में दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दी गई सहायता का विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नथी 'क' आगे पृष्ठ १०५६ पर)

****२०---श्री बुद्धीलाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बाढ़ से गिरे हुए मकानों के पुर्ननिर्माण के लिये जंगल विभाग से लकड़ी मूल्य लेकर अथवा बिना मूल्य दिलाने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिले में जंगल से लगे हुए गांव के निवासियों को खर, फूस, कोरो व बल्लियां जंगल से मुफ्त मे सालाना मिल जाती हैं।

शिकोहाबाद--फर्रुखाबाद लाइन पर ट्रेन दुर्घटना में हताहत

****२१---श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६ अक्तूबर, १९६१ ई० को मैनपुरी जिले में ब्रांच लाइन शिकोहाबाद से फर्रुखाबाद पर रेल दुर्घटना हो जाने से जिन लोगों की मृत्यु हो गई है और जो बहुत से लोग जख्मी पड़े हुए हैं उनको राज्य सरकार ने क्या तात्कालिक सहायता की है ?

गृह उप मन्त्री (श्री नवलकिशोर)---दुर्घटना में घायल व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता देने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। जहां तक चिकित्सा सम्बन्धी सहायता का प्रश्न है घायल व्यक्तियों का उचित उपचार सिविल सर्जन, मैनपुरी, सिविल अस्पताल, मैनपुरी के चिकित्सकों तथा आगरा मेडिकल कालेज के सर्जनों द्वारा किया गया।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रेलवे दुर्घटना में जो लोग जख्मी हुये उनमें कितने लोग इलाज के लिये मैनपुरी के अस्पताल में गये और वहां कितने लोगों की मृत्यु हो गई ?

श्री नवलकिशोर---२६ तारीख को दुर्घटना हुई और ३० को सुबह जब डाक्टर पहुंचे तो उस समय ५१ व्यक्ति जख्मी थे वहां पर। १८ व्यक्ति मर चुके थे। डाक्टरों के पहुंचने के पहले १ व्यक्ति और मर चुका था। उनके पहुंचने के बाद एक की मृत्यु और हो गयी। इस तरह से २० व्यक्ति मर गये। ४६ व्यक्तियों को डाक्टरों ने फर्स्ट ऐड दी। उनमें से दो आदमी वहीं डिस्चार्ज हो गये, २७ आदमियों को पट्टी बांध दी गयी और जो सीरियस केसेज थे उनको आगरा मेडिकल कालेज भेज दिया गया।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है उनके पास जो रुपया और सामान आदि था उसकी तादाद क्या है और क्या उसकी कोई लिस्ट है ?

श्री अध्यक्ष---लिस्ट तो वह नहीं बतला सकते, लेकिन कितनी कीमत की चीजें थीं यह अगर मालूम हो तो बतला दें ।

श्री नवलकिशोर---इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो २० व्यक्ति मरे और ५१ घायल हुए हैं यह प्रदेश के नागरिक हैं ? क्या प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से उनके परिवारों को तात्कालिक सहायता देने के लिये लिखा पढ़ी कर रही है ?

श्री नवलकिशोर---मेरे पास जो सूचना है उसमें इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि कोई लिखा पड़ी हुई है। लेकिन मेरी जो मालूमात है उन के अनुसार जब इस प्रकार की मृत्युएं होती हैं तो केन्द्रीय सरकार का रेलवे बोर्ड इस प्रकार की सहायता करता है।

श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो लोग इस दुर्घटना में मरे हैं उनमें दूसरे देशों के कितने थे, अपने देश के कितने थे और इस प्रदेश के कितने थे ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जो मरे हैं उनमें १६ बौद्ध भिक्षुओं की लाशें पायी गयीं जो आगरा मेडिकल कालेज में दो दिन तक रखी रहीं और ३१ तारीख को चार्टर्ड प्लेन से उनको सीलोन भेज दिया गया।

श्री अध्यक्ष---यू० पी० और अन्य प्रदेशों के कितने हैं ?

श्री नवलकिशोर---इसका कोई ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या इस सरकार के पास इस बात की सूचना है कि लंका के जो लोग मर गये हैं, उनकी लाशें जब वहां पहुंची तो वहां से कहा गया कि दो लाशें हमारे यहां की नहीं हैं ? यदि यह सत्य है तो वह लाशें किन की हैं और उनका क्या किया गया ?

श्री नवलकिशोर---ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है और यह बात मैं पहली बार सुन रहा हूं।

करौता-कल्याणी ड्रेनेज योजना सम्बन्धी सर्वेक्षण रिपोर्ट

२२---श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---क्या सिंचाई मंत्री दिनांक ३ मई, १९६० के प्रश्न संख्या १३२ के उत्तर के क्रम में बतलायेंगे कि करौता-भैलानी ड्रेनेज तहसील सलेमपुर जिला देवरिया का सर्वेक्षण १९५१ के सर्वेक्षण के बाद भी हुआ है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि क्या सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राममूर्ति)---देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में करौता कल्याणी ड्रेन सन् १९५२ में बन चुकी है। इसका सर्वेक्षण योजना कार्यान्वित करने के पूर्व सन् १९५१ में किया गया था। कोई दूसरा सर्वेक्षण उसके लिये बाद में नहीं हुआ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि उन्होंने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि करौतामैलानी ड्रेनेज का सर्वे कराया जायगा और उसके अनुसार सर्वे के आदेश भी गये थे ? उसकी रिपोर्ट यहां आयी या नहीं ?

श्री राम मूर्ति---मुझे इस के बारे में कतई मालूमात नहीं हैं कि मैंने यहां क्या कहा था। कागजात में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे मालूम हो कि मैंने ऐसे आदेश दिये हैं।

श्री उग्रसेन---इस बात को देखते हुए कि करौता-भैलानी ड्रेनेज में काफी सिल्ट हो गया है, माननीय मंत्री जी उसका सर्वेक्षण करा कर उस के लिये कोई स्कीम लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामभूर्ति---यह बात सही है कि उस एक मील ६ फर्लांग के ड्रेनेज में कहीं कहीं मिट्टी के ढेर इकट्ठा हो गये थे, लेकिन सालाना सफाई के मौके पर उसको साफ कर दिया गया है और अब वह ठीक है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, वह ठीक नहीं है, इसीलिये मैं यह चाहता हूं कि वे अपने टैक्निकल लोगों से उसकी जांच करवा लें। मैं भी साथ रहूंगा। किन्तु अपने आदमियों से वे इसकी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष---आप डिटेल में मन्त्री जी को सूचना दे दें।

श्री उग्रसेन---मैं तो लिख कर देता रहा हूं, मैं जानता हूं कि वह अभी ठीक नहीं हुआ है।

श्री राम मूर्ति---अध्यक्ष महोदय, उग्रसेन जी मेरे पास लिख कर भेज दें। मैं उसको इंजीनियर साहब क पास मुआयने के लिये भिजवा दूंगा।

तारांकित प्रश्न

[१४ नवम्बर, १९६१ का श्री अध्यक्ष द्वारा स्थगित किया गया तारांकित प्रश्न १२]

गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन कार्यालय कोटद्वार में झगड़ा

*१२—**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि विगत ४ अगस्त, १९५९ को कोटद्वार, जिला गढ़वाल में गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन के कार्यालय के अन्दर घुसकर गुण्डों की एक भारी भीड़ ने अन्तरिम जिला परिषद्, जिला गढ़वाल के कुछ सदस्यों पर हमला किया तथा भारी मारपीट की ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में सम्बन्धित गुण्डों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)—ऐसी किसी घटना की सूचना सरकार के पास नहीं है। अन्तरिम जिला परिषद् के एक सदस्य का यूनियन के कुछ कार्यकर्त्ताओं से मामूली झगड़ा अवश्य हुआ। दोनों पार्टियों ने रिपोर्ट कोटद्वार थाने पर लिखाई किन्तु मामला non-cognizable होने के कारण पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

* * * *

[१५ नवम्बर, १९६१ के अध्यक्ष द्वारा स्थगित किये गये तारांकित प्रश्न १८–२०।]

हरिजन बस्तियां

*१८–२०—**श्री अमर नाथ** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कहां-कहां हरिजन बस्ती बनायी जा रही है ?

*१९—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त हरिजन बस्तियों पर अलग-अलग कितना धन व्यय होगा और उसमें कितना केन्द्रीय सरकार तथा कितना प्रदेशीय सरकार व्यय कर रही है ?

*२०—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हरिजन विभाग को सरकार ने सन् १९६०–६१ ई० में अनुदान के रूप में तथा कर्जे के रूप में कितना-कितना धन दिया और विभाग ने अब तक कितना धन व्यय कर दिया ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—†सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। श्रीमन्, आपके आदेशानुसार उत्तर आज दे दिया गया है, किन्तु चूंकि जल्दी में इसको तैयार किया गया है, हो सकता है कहीं कोई गलती रह गयी हो, वैसे जहां तक सम्भव हुआ है पूरी सूचना दे दी गयी है।

श्री अमरनाथ—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब अभी मुझे यहां मिला है और मैं उसको देख भी नहीं पाया हूं। इसमें काफी लम्बी लिस्ट नत्थी है। बिना उसको पढ़े कोई सवाल कर सकना सम्भव भी नहीं होगा। अतः इसे कल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है इसको कल ले लिया जायेगा।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—कल मेरे काउन्सिल में भी प्रश्न हैं...

श्री अध्यक्ष—तो यह आप दूसरे के सुपुर्द कर दें, दूसरे मंत्री को दे सकते हैं।

[तारांकित प्रश्न १८–२०, १७ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

श्रम विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*१—**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)—क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग में काम करने वाले ऐसे कितने नान-गजटेड कर्मचारी, हेड क्लर्क, क्लर्क, टाइपिस्ट, चपरासी हैं जिनको सेवा करते हुए दस या इससे अधिक वर्ष गुजर गये हैं, परन्तु उन्हें अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया है ?

†सूचना छापी नहीं गई।

श्रम उपमन्त्री (श्री वसी नकवी)--श्रम विभाग के अन्तर्गत ४७ ऐसे नान-गजटेड कर्मचारी, हेडक्लर्क, क्लर्क, टाइपिस्ट, चपरासी हैं जिनको सेवायें करते हुए १० साल या इससे अधिक वर्ष गुजर गये हैं परन्तु अभी तक, उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया है।

श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लोग परमानेन्ट नेचर का काम १० वर्ष से कर रहे हैं उनको इस समय तक मुस्तकिल न करने के कारण क्या हैं ?

श्री वसी नकवी--बात यह है कि इनमें १९ कर्मचारी ऐसे हैं जिनमें १३ जमादार, आर्डरली, आफिस पियून्स, चौकीदार, स्वीपर, दफ्तरी या माली हैं और बाकी ६ और हैं, तो यह १९ कर्मचारी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में काम कर रहे थे। ५७ में स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर तीन रीजनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल कायम हुए तो इनमें वह कर्मचारी लगा दिये गये। ये ट्रिब्युनल्स अब तक टेम्पोरेरी थे, अब मोर आर लेस परमानेन्ट होने जा रहे हैं, तो उनके साथ इनको भी परमानेन्ट कर दिया जायगा। इसी तरह से इम्पलायमेंट ट्रेनिंग विभाग में दो हेडक्लर्क्स, सात क्लर्क्स और चार चपरासी थे जिनमें से कुछ की रिपोर्ट सैटिस्फैक्टरी नहीं थी, कुछ का मामला अन्डर कन्सीडरेशन है। जहां तक पियून्स का मामला है, गवर्नमेंट की नयी पालिसी के मातहत कुछ थोड़े से बेकार हो गये हैं, जबतक उनको जगह न मिल जाय तब तक इनका कन्फर्मेशन रोक दिया गया है। जब उनको जगह मिल जायगी तब इनको भी कन्फर्म कर दिया जायगा। इसी तरह से लेबर कमिश्नर के दफ्तर में एक हेडक्लर्क, एक क्लर्क और १३ चपरासी थे, उनमें से एक फैक्ट्री सेक्शन में यहां काम कर रहे थे। लेकिन कन्फर्मेशन के लिये रिपोर्ट दे दी गई है। इसी तरह से कुछ इन्डिविजुअल केसेज हैं जिनके कुछ न कुछ कारण थे और सरकार उनको टेकअप कर रही है।

श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि भले ही कुछ लोग ट्रिब्युनल से आये लेकिन लेबर आफिस में मुस्तकिल तौर से १० साल से काम कर रहे हैं परमानेन्ट नेचर का उनके लिये कोई निश्चित समय निर्धारित करेंगे कि एक, दो या तीन साल में मुस्तकिल कर दिया जाय ?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--४७ जो केसेज हैं वह सभी केसेज देखे जा रहे हैं। कुछ केसेज के कन्फर्मेशन आर्डर्स करीब-करीब तैयार हैं, कुछ इन्डिविजुअल केसेज में नुक्स हैं इसलिये दिक्कत आ रही है। पियून्स के मुताल्लिक बताया गया कि रिसेन्टली जो जी० ओ० निकला है उसके मातहत जो सर्प्लस माने गये वह जबतक एब्जार्ब न हों तबतक सब का कन्फर्मेशन रुका हुआ है। अब सब एब्जार्ब हो गये हैं, उम्मीद है कि आहिस्ता-आहिस्ता उनका कन्फर्मेशन हो जायगा। ट्रिब्युनल के बारे में बताया गया कि वह पहले टेम्पोरेरी नेचर का था, अब वह परमानेन्ट हो गया है तो कर्मचारी भी परमानेन्ट हो जायंगे, उसकी कार्यवाही हो रही है।

श्री उग्रसेन--प्रदेशीय सरकार की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी कमेटी, १९५४ की सिफारिशों के अनुसार तथा मुख्य सचिव द्वारा सन् ५६ में दिये गये विशिष्ट आदेश के अनुसार कि यदि विभाग परमानेन्ट हो तो तीन साल तक काम कर चुकने वाले कर्मचारियों को परमानेन्ट कर दिया जाय, क्या इसी के अनुसार श्रम विभाग में कर्मचारी परमानेन्ट किये गये और यदि किये गये तो ४७ आदमियों के परमानेन्ट न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--अभी बताया गया कि जो डिपार्टमेंट अभी तक, टेम्पोरेरी था उसके आदमी परमानेन्ट नहीं हो सकते थे। साधारण तौर से एक-तिहाई आदमियों को हर साल परमानेन्ट करने की कोशिश करते हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि चपरासियों को नयी घोषित नीति के अनुसार परमानेन्ट नहीं किया है, तो सरकार की यह नयी नीति तो ४ माह पहले ही शुरू हुई है लेकिन ये लोग पिछले ६ सालों से परमानेन्ट नहीं किये गये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---पिछले वर्षों में क्यों नहीं किया गया, इसकी इस समय की सरकार की क्या जिम्मेदारी हो सकती है ?

चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य का बकाया

*२---**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा **श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---क्या मुख्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश की ऐसी चीनी मिलें कौन हैं जिनके जिम्मे गन्ना का मूल्य १९६०-६१ सीजन का दस प्रतिशत या इससे अधिक बाकी है और कितना प्रतिशत बाकी है ?

श्री रऊफ जाफरी---१ अक्तूबर, १९६१ को इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर १९६०-६१ सीजन के गन्ना के मूल्य की कुल देय धनराशि का दस प्रतिशत या उससे अधिक बकाया था और जितना प्रतिशत बाकी था, उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०६० पर।)

*३---**श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त जो रकम मूल्य की बाकी है उसके पाने वालों की संख्या कितनी है ?

श्री रऊफ जाफरी---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो धनराशि बकाया है, उसकी वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर को लिखा गया है, जिनके द्वारा यह रुपया वसूल किया जाता है । उम्मीद की जाती है कि इस माह के खत्म होने तक या दिसम्बर के शुरू तक यह कुल रुपया बेबाक हो जायगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इसमें से कुल रकम कितनी बकाया है और जब से ये आदेश हुए हैं तब से उसमें से कितनी रकम वसूल हो गयी है ?

श्री रऊफ जाफरी---महज इन फैक्टरियों के सिलसिले में कुल रकम कितनी है, उसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन जिस वक्त ये फिगर्स दी गयीं थीं उस वक्त कुल बकाया तमाम फैक्टरियों पर दो करोड़ छत्तीस लाख तिरासी हजार था जो अब घटकर, अक्तूबर आखिर तक डेढ़ करोड़ रह गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस लिस्ट में निशोली शुगर फैक्ट्री और बरेली शुगर फैक्ट्री का नाम क्यों नहीं है जिनके ऊपर २५ प्रतिशत से अधिक बकाया है तराई भावर और हल्द्वानी के एसोसियेशन्स का ?

श्री रऊफ जाफरी---किसी खास फैक्ट्री पर कितने प्रतिशत का बकाया है, इसकी मेरे पास फिगर्स नहीं हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि तराई भावर केन एसोसियेशन का करीब ४० प्रतिशत नियोली शुगर फैक्ट्रों पर बकाया है, उसका अभी तक पूरा पेमेंट क्यों नहीं हो सका है ?

श्री रऊफ जाफरी---यह तो मालूम नहीं है कि कितना बकाया है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही सारा रुपया पेमेन्ट हो जाय।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद और नोटिस पीरियड पूरा हो जाने के बाद जिन मिल मालिकों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है उनके खिलाफ गिरफ्तारी वगैरह की कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा कि मैंने अभी फीगर दिया है, करीब ६१ करोड़ के रुपये बकाया थे जिनमें से अब सिर्फ डेढ़ करोड़ रुपये बाकी रह गये हैं। यह चीज खुद बतलाती है कि काफी रुपये वसूल हो गये हैं और जो डेढ़ करोड़ रुपये बाकी हैं उनको भी जल्दी से जल्दी वसूल करने की कोशिश की जा रही है। अदायगी में देरी होने का कारण यह था कि बहुत सी फैक्टरियों के गोदामों में काफी चीनी पड़ी रही और अभी भी कुछ फैक्टरियों के गोदामों में ३०-४० प्रतिशत चीनी बाकी है। इस हालत को देखते हुये यह कोशिश की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी अदायगी हो। मुझे यकीन है कि इस महीने के अन्त तक या दिसम्बर के शुरू तक कुल रकम बेबाक हो जायगी और यदि इसकी सम्भावना हुई कि किसी फैक्टरी से अदायगी नहीं हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक जो रामकोला और जरवन रोड की फैक्टरियों ने सारी कीमत का २३ प्रतिशत अदा नहीं किया है, तो इन फैक्टरियों के खिलाफ वे कोई स्पेशल रिकवरी आदेश जारी करने जा रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---जो पीरियड हमने वसूली का मुकर्रर किया है, अगर उसके अन्दर उन्होंने रुपया अदा नहीं किया तो इसकी जरूरत महसूस होने पर जरूर ऐसा आदेश जारी करेंगे और जहां तक हो सकेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री मदन पांडेय---अब की बार हमारे प्रदेश के सभी जिलों में बाढ़ आई थी और ये फैक्टरियां करीब ३६ जिलों में फैली हुई हैं, इस बात को देखते हुये क्या सरकार अपने किसी मद से उनको डेढ़ करोड़ रुपये का कर्ज देकर किसानों का रुपया दिलवाने की कोशिश करेगी? यानी अपनी तरफ से सरकार इसे देने पर विचार करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम इन को कर्जा देकर अदा करायें लेकिन पूरा इरादा है कि सब रुपये की अदायगी करा दी जाय और वह करा दी जायगी ।

हिलवाड़ी तथा बड़का ग्रामों से बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था के लिये प्रार्थना

*४---आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---क्या नियोजन मन्त्री को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग की ओर से पिछले दो वर्षों से ग्राम हिलवाड़ी और बड़का (जिला मेरठ) में बरसाती पानी की निकासी के लिये अलावलपुर नाला (जिला मेरठ) की खुदाई एवं नये नालों के निर्माण की योजना निश्चित कर दी गई थी ?

श्री वसी लकवी---जी हां।

*५---आचार्य दीपंकर---क्या यह सही है कि इन नालों के न खोदे जाने एवं बरसाती पानी के न निकल पाने के कारण हिलवाड़ी ग्राम इस समय पानी में डूबा हुआ है ?

श्री वसी नकवी--हिलवाड़ी ग्राम की करीब २० एकड़ भूमि अगस्त, १९६१ में पानी में डूबी हुई थी ।

*६--**आचार्य दीपंकर**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये नाले कब तक खुद कर तयार हो जायेंगे ?

श्री वसी नकवी--यदि बड़का ड्रेन के लिये जमीन नवम्बर-दिसम्बर, १९६१ तक उपलब्ध हो गई तो आशा है कि यह नाला सन् १९६२ तक तैयार हो जायगा ।

श्री आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तहसील बागपत में चकबन्दी की स्कीम चालू है और चकबन्दी विभाग इस नाले के लिये जमीन छोड़ने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो फिर सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो एक्वीजिशन आफ लैंड वह करने जा रही है, उसे चकबन्दी विभाग को सौंप दे और उसी को वह जमीन दे दें ?

श्री रऊफ जाफरी--इस पर विचार करेंगे।

आचार्य दीपंकर--क्या यह भी सही है कि पिछले ९-१० वर्ष से लगातार इस नाले के खोदने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है और प्रति वर्ष उसकी तरफ से आश्वासन दिया गया ? यदि हां, तो ९ वर्ष बीत गये और अब तक इस काम को न करने का क्या कारण था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--९-१० वर्ष की बात तो मैं नहीं जानती लेकिन दो, तीन साल से इसकी खबर मेरे पास है। उस सम्बन्ध में मुझे पता चला है कि जो जमीन हम एक्वायर करना चाहते हैं वहां कुछ बिल्डिंग्स खड़ी हैं और इसीलिये उसके एक्वायर करने में दिक्कत पहुंची। हमने इन्जीनियर को लिखा है कि वे इसको जल्दी एक्वायर करने की कोशिश करें और यदि वह एक्वायर नहीं हुई तो रूरल डेवलपमेंट ऐक्ट में रिक्वीजिशन करने की कोशिश करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो हिलवाड़ी और बड़का ग्राम के बीच में बरसाती नाला खोदने की बात है, जिसमें काफी जमीन ली जायगी, वह नहर विभाग को जायगी या नियोजन विभाग को जायगी ?

श्री वसी नकवी--अभी तो स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर के द्वारा कार्यवाही हो रही है।

सेनेटरी इन्स्पेक्टरों की प्रतियोगिता परीक्षा

*७--**आचार्य दीपंकर**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९६० के अन्तिम महीनों में सैनिटरी इंस्पेक्टरों के ५० पदों के लिये कोई परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में उत्तीर्ण १०० अभ्यर्थियों की सूची बनाई गई थी तथा यह विचार किया गया कि आगे आवश्यकता पड़ने पर उसी सूची में से नियुक्ति कर ली जायेगी ?

चिकित्सा उपमन्त्री (श्री धर्मसिंह)--सैनेटरी इंसपेक्टरों के पदों पर नियुक्ति के लिये कोई परीक्षा नहीं होती है परन्तु उनके प्रशिक्षण कक्षा में भर्ती करने के हेतु प्रतियोगिता परीक्षा होती है। अक्तूबर, १९६० में ऐसी एक प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी। इस प्रतियोगिता के फलस्वरूप १५८ प्रतियोगियों की एक सूची उनकी दक्षता के क्रमानुसार चालू सत्र के लिये तथा यदि आवश्यक हो तो एक द्वितीय कक्षा (Second Shift) के लिये बना ली गई थी। उपरोक्त अभ्यर्थियों मे से ५४ अभ्यर्थी चालू सत्र के लिये ले लिये गये तथा द्वितीय कक्षा (Second Shift) चालू नहीं की गई ।

*८--आचार्य दीपंकर--क्या यह सही है कि इस पद के लिये फिर से विज्ञापन किया गया है? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार उक्त १०० व्यक्तियों की सूची में से ही नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री धर्मसिंह---इस वर्ष की सैनेटरी इंसपेक्टर प्रशिक्षण कक्षा के लिये योग्य अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के हेतु प्रार्थना-पत्र मांगे गए थे। ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा साधारणतया वर्ष में एक बार ली जाती है और उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची उसी वर्ष के चालू सत्र (regular session) और आवश्यकता होने पर द्वितीय कक्षा (second shift) में प्रशिक्षण के हेतु मान्य होती है। अतएव सन् १९६० की प्रतियोगिता परीक्षा की सूची के आधार पर इस वर्ष की परीक्षण कक्षा में भर्ती करने का प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य दीपंकर---यह देखते हुये कि २ विभक्तियों में जो परीक्षा ली जाती है उससे अभ्यर्थियों को आशा होती है कि उनका नम्बर इसी वर्ष आ जायगा और उनको एक धारणा हो जाती है, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जिस वर्ष जितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकती हो उतनों को ही उसमें बुलाया जाय और ज्यादा को न बुलाया जाय?

श्री धर्मसिंह--इसमें कुछ गलतफहमी है, इसके लिये रिटिन काम्पीटिटिव टेस्ट होता है और उसमें जितनी वेकेन्सीज होती हैं उससे दुगुने तिगुने केन्डीडेट्स मेरिट के हिसाब से छांट लिये जाते हैं। जैसे मान लीजिये कि वेकेन्सी ५४ की है कि ५४ लेंगे, तो उन ५४ में से कोई न आयें या और लेने हों तो बाद में दिक्कत होती है, इसी भावना को लेकर सेकेन्ड शिफ्ट बना लेते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने बताया, इसके पहले भी ऐसा हुआ करता था या इधर ही ऐसा किया गया है?

श्री धर्मसिंह---जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही होता है, दोनों तरीके से होता है और जिस तरह से निवेदन किया गया उस कारण ऐसा किया जाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह--मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष---आप फिर पूछ लीजियेगा।

आचार्य दीपंकर---जितने स्थान रिक्त होते हैं उसके अनुसार अभ्यर्थी बुलाये जाते हैं तो क्या सरकार विचार कर रही है कि रिक्तियों के अनुसार ही अभ्यर्थी बुलाये जायें और उन को प्रशिक्षण दिया जाय?

श्री धर्मसिंह--इसमें बुलाने का कोई प्रश्न नहीं है, जहां जितनी वेकेन्सी होती हैं उससे ज्यादा केन्डीडेट्स छांटे जाते हैं, रिटिन टेस्ट होता है, बुलाने का प्रश्न नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या इन सेनिटरी इंस्पेक्टरों की कोई एप्रूव्ड लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के पास रहती है जो स्थानीय निकायों को जाती है?

श्री धर्मसिंह---कमीशन में समय लगता है इसीलिये शुरू में तो डिपार्टमेंटल टेस्ट से लोग रखे जाते हैं और बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफर किये जाते हैं।

श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में जो अभ्यर्थी प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों में परीक्षा में बैठे हैं उनका परीक्षाफल और सूची कब तक प्रकाशित हो जायगी?

श्री धर्मसिंह---कापियां इत्यादि जंच रही हैं और शीघ्रातिशीघ्र कोशिश की जा रही है।

अकबरपुर तहसील में लगान व सिंचाई कर की अनियमित वसूली की शिकायत

*६--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला के अन्तर्गत तहसील अकबरपुर के क्षेत्र रूरा के किसानों से सन् १३६२ से सन् १३६६ फसली तक का लगान व आबपाशी वहां के तहसील अधिकारियों द्वारा दोबारा दिनांक २१ अगस्त, १६६१ ई० से वसूल करना आरम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस अनुचित वसूली के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र वहां के किसानों का न्याय मन्त्री को २२ अगस्त, १६६१ को प्राप्त हुआ है ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल--इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के २२-८-६१ के पत्र के साथ ही शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। लेकिन अब तक की जांच द्वारा किसी किसान से १३६२ से १३६६ फसली के लगान व आबपाशी की दुबारा वसूली किया जाना सिद्ध नहीं हुआ।

*१०--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह सही है कि तत्कालीन अमीन ने अनेकों किसानों को जाली व गलत रसीदें देकर रुपया ले लिया और बकाया जमाबन्दी में नहीं दिखाया तथा जब हाल ही में आडिट हुआ तो गबन का रहस्य खुला ? यदि हां, तो इस प्रकार कितनी रकम का गबन आडिट को मिला ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल--अभी तक तत्कालीन अमीन द्वारा दी गई कथित जाली व गलत रसीदें प्रमाण स्वरूप किसी किसान द्वारा पेश नहीं की गई। अतएव बकाया जमाबन्दी में उन रसीदों की धनराशि को न दिखाने का प्रश्न नहीं उठता। आडिट रिपोर्ट से जमाबन्दी में गलत इन्दराज करना जरूर पाया गया लेकिन किसी रकम का गबन किया जाना नहीं मालूम होता। जांच अभी जारी है।

*११--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह सही है कि जिलाधीश कानपुर से किसानों की ओर से इस तथ्य का निवेदन १३ अगस्त, १६६१ को किया गया और इसके फलस्वरूप तहसीलदार अकबरपुर व एस० डी० एम० अकबरपुर ने अविलम्ब उक्त धन को दो बार किसानों से वसूल करने का उपर्युक्त प्रयत्न किया ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल--कथित प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, कानपुर को अवश्य प्राप्त हुआ। किसानों से दुबारा वसूली न की जा कर केवल उनके जिम्मे बकाया की ही वसूली आरम्भ की गई है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रश्न ११ के उत्तर में जो उन्होंने कहा कि बकाया की वसूली की जा रही है, तो वह किस सन् से की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन बकाया हम वसूल कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--प्रश्न तो श्रीमन्, यह था कि बकाया वसूल हो रहा है, यह हमारी शिकायत है, और माननीय मन्त्री जी अब नोटिस मांग रहे हैं। तो क्या यह सही है कि बकाया जो वसूल किया जा रहा है वह १३६२ से १३६६ फसली तक का है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसा सम्भव हो सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--प्रश्न १० के उत्तर से सम्बन्धित। क्या मन्त्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जमाबन्दी में गलत इन्दराज से उनका तात्पर्य क्या है, किस बात का गलत इन्दराज पाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बकाया को उसमें कम दिखाया गया, वसूलयाबी बेहतर दिखाने के लिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब जमाबन्दी में बकाया कम दिखाया गया तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की ? और अगर की तो किस अधिकारी के द्वारा की, और जो बकाया कम दिखाया गया है तो जो वसूलयाबी हुई वह कहां गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कलेक्शन नायब तहसीलदार जांच कर रहे हैं। अभी जांच मुकम्मल नहीं हुई है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, बकाया कम और वसूलयाबी अगर जायद हुई है, तो वह किस प्रकार से ज्यादा हो गई है और सरकार ने उसके लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वही सब इंक्वायरी हो रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मन्त्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब मेरी शिकायत गई थी और किसानों की शिकायत गई थी और जब यह वाकया मालूम हुआ कि किसान पैसा दे चुके थे, अमीन ने ठीक तरह से इन्दराज नहीं किया क्योंकि जाली रसीदें दीं, तो उसके बाद, जब कि हाकिम परगना और तहसीलदार के विरुद्ध जबर्दस्ती वसूल करने की शिकायत है, तो नायब तहसीलदार से जांच क्यों कराई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कलेक्शन नायब तहसीलदार बड़ा सूटेबिल आदमी होता है। वह कलैक्शन के काम में माहिर होता है। इसलिये उससे कराई गई।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इसकी जांच जिलाधीश से करवायें और जो किसानों से १३६२ से १३६६ फसली तक की बकाया की वसूलयाबी हो रही है उसको रोक दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं चाहता हूं कि किसान रसीद तो उसको दाखिल करें। रसीद कोई पेश नहीं करता, कैसे मान लें ? जबानी कहते हैं कि हमने दिया, वह नहीं मान सकते। रसीद पेश करें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जांच अभी मुकम्मल नहीं हुई है और किसान कहता है कि दुबारा वसूलयाबी हो रही है, तो जब तक जांच मुकम्मल न हो जाय तब तक के लिये वसूलयाबी मुल्तवी करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब कोई वसूली करने के लिये जाय तो वह रसीद दिखा दे तो मुल्तवी हो जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि इस बात का औचित्य क्या है कि जब ६२ से ६६ तक की फसल गुजर गई तो बकाया वसूली उन दिनों में क्यों नहीं की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--औचित्य मैं नहीं बतला सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री इस बात पर विचार करेंगे कि ६२ से ६६ तक वसूली नहीं की गई और किसानों को बकाया का पता नहीं दिया गया, तो अब एकदम से उस वसूली को स्थगित करके जांच करा ली जाय कि आया यह धन गबन हुआ या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं पहले ही बतला चुका हूं कि वसूली करने के लिये जो कोई अमीन या अहलकार जाय और वह सबूत देंगे कि हम अदा कर चुके हैं तो उन्हें कोई दिक नहीं करेगा।

किच्छा फैक्टरी चालू करने में विलम्ब

*१२--श्री बाबूराम (जिला बरेली) तथा श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि क्या किच्छा गन्ना फैक्टरी इस वर्ष नहीं चालू हो सकेगी ? यदि नहीं चालू हो सकेगी तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी--किच्छा फैक्टरी को इस वर्ष (१९६१-६२) में चालू करने की चेष्टा की जा रही है।

*१३--श्री बाबूराम तथा श्री नत्थूसिंह--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस फैक्टरी का काम कब से जारी हुआ और अब तक कितना रुपया खर्चा हो चुका है तथा इसमें सरकार ने कितना रुपया दिया है ?

श्री रऊफ जाफरी--इस फैक्टरी का काम सन् ५५ से जारी हुआ और प्राप्त सूचनानुसार अब तक लगभग ८० लाख रुपये खर्च हो चुके हैं जिसमें सरकार द्वारा दिया गया ४० लाख रुपये का ऋण भी सम्मिलित है।

श्री बाबूराम--क्या माननीय मन्त्री बतलावेंगे कि इस फैक्टरी का काम जब सन् ५५ में शुरू हुआ तो अब तक खत्म न होने का कारण क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी--बहुत सी दिक्कतें थीं। अव्वल तो यह कि कुछ फारेन एक्सचेंज की दिक्कत थी। लाइसेंस मिलने की दिक्कत थी और कुछ उनके पास रुपये की भी कमी थी जिसके कारण देर हुई।

श्री बाबूराम--क्या सरकार बतलायेगी कि यह फैक्टरी सन् ६२ में कब तक चालू हो जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी--इसका जवाब दिया जा चुका है कि कोशिश की जा रही है कि इस साल चालू हो जाय।

श्री नत्थूसिंह--क्या सरकार बतलायेगी कि जिन दिक्कतों का वर्णन सरकार ने किया वे सब दूर हो गईं ?

श्री अध्यक्ष--स्पष्ट नहीं हुआ आपका सवाल।

श्री नत्थूसिंह--क्योंकि फैक्टरी अब तक नहीं चल सकी तो मशीनरी की तथा सब दिक्कतें दूर हो गयीं और मशीनरी अब तक आ गयी ?

श्री रऊफ जाफरी--सब दिक्कतें अभी दूर नहीं हुई हैं। बिल्डिंग तैयार हो गई है। मशीनें आ गई हैं, ब्वायलर मौजूद नहीं है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि वह चालू हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री को याद है कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि मोदी साहब से बातचीत चल रही है और यह फैक्टरी इस वर्ष चल जायगी, तो जो मोदी साहब से बातचीत चल रही है रुपये के संबंध में वह पूरी हो गयी या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी--वह बातचीत चल रही थी और अभी खत्म नहीं हुई है, चल रही है। लेकिन उसमें वह यह चाहते हैं कि गन्ने के दाम में उनको तीन आने छूट दी जाय तब वह रुपये लगायेंगे इसलिये उसमें रुकावट पड़ रही है। कुछ और पार्टीज से गुफ्तगू हो रही है। इसलिये सरकार इसको मुनासिब नहीं समझती कि गन्ने के दाम में कमी करे और कमी करने के लिये केन्द्रीय सरकार से इजाजत भी लेनी पड़ेगी, वह भी दिक्कत तलब है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा कर देने से कि किच्छा की फैक्टरी इस साल चालू हो जायगी वहां के आसपास के किसानों ने गन्ना लगा लिया ? लेकिन अब कोई इन्तजाम नहीं है उसे पेरे जाने का तो उस आश्वासन को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार उस गन्ने को पिरवाने का कोई इन्तजाम करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी---अव्वल तो उम्मीद यह की जा रही है कि इस साल चालू हो जायगी और जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वह भी दूर हो जायगी और अगर यह नहीं हुआ तो माननीय सदस्य इस बात का इत्मीनान रखें कि वहां के गन्ने की पेराई का इन्तजाम किया जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय---जिन दिक्कतों को माननीय मंत्री ने बतलाया है मिल के चालू होने के संबंध में उनमें एक यही दिक्कत रह गयी है कि मिल मालिक रुपये को लगाना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि सरकार उस मिल को ले ले और अपने हाथ से उसका इन्तजाम करे ?

श्री रऊफ जाफरी---अभी यह रिपोर्ट सरकार के सामने नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने मिल मालिकों को ४० लाख रुपया कर्जा दिया था और चूंकि वह कम पड़ गया है, काम नहीं चल रहा है और उस गन्ने को जल्दी पेरने के लिये मंत्री जी चिन्तित भी हैं तो क्या और कर्जा देंगे ताकि मिल जल्दी लग जाय?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं । इस वक्त उनको कर्जा देने का बिचार नहीं किया जा रहा है बल्कि यह कोशिश की जा रही है कि किसी और से रुपया उनको दिला दिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले वर्ष भूतपूर्व मुख्य मंत्री, डाक्टर संपूर्णानन्द ने इस मिल के लिये रुपया दिये जाने की व्यवस्था कर दी थी और आदेश भी जारी कर दिये थे, तो उसका पालन अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये मुझे सूचना की जरूरत है ।

फरदहन रेल सेंटर पर गन्ना यार्ड की मरम्मत

*१४---**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके रानीखेत के निर्वाचन से कुछ दिनों पूर्व गोला जाते समय फरदहन रेलवे स्टेशन के गन्ना यार्ड पर किसानों के अपार जनसमूह ने मुख्य मंत्री को रोक कर यार्ड में फंसे हुए पशु और गाड़ियां उन्हें दिखाई थीं ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । गत वर्ष सीजन १९६०-६१ में फरदहन रेल सेंटर पर गन्ने के यार्ड के अन्दर गोलों तथा कटे हुए स्थानों की आवश्यक मरम्मत हरगांव चीनी मिल द्वारा करवा दी गई थी ।

हाथ से कपड़ा छापने के उद्योग को सहायता देने की प्रार्थना

*१५---**श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि हाथ से कपड़ा छापने के कुटीर उद्योग के लिये इस वर्ष (चालू वर्ष) में दी जाने वाली सहायता और ऋण की राशि क्या है ?

श्री वसी नकवी---हाथ से कपड़ा छापने के उद्योग हेतु, ऋण तथा अनुदान की कोई धनराशि अलग से निर्धारित नहीं की गई है।

श्री रामकुमार वैद्य---क्या सरकार बतायेगी कि इस महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग के लिये कोई भी राशि नियत न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी––हर उद्योग के लिये अलग-अलग धनराशि मुकर्रर नहीं की जाती है बल्कि कुछ रुपया रख दिया जाता है जिससे उनको कर्जा दिया जाता है और अनुदान दिया जाता है। जिसकी दरख्वास्त आती है और जो चाहता है उसको उससे ही रुपया दिया जाता है।

श्री रामकुमार वैद्य––क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जब इस कुटीर उद्योग में काम करने वाले लोग आवेदन-पत्र देते हैं डायरेक्टर के यहां या दूसरी एजेन्सी को तो उन्हें जवाब मिलता है कि इस संबंध में, विशेष रूप से इस उद्योग के लिये, कोई राशि नहीं है इसलिये मजबूर हैं ? यदि हां, तो उसका सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री रऊफ जाफरी––जहां तक मुझे मालूम है, यह बात सही नहीं है, इसलिये कि लोन और ग्रान्ट कमेटी से उनको कर्जा दिया गया है।

श्री रामायणराय––गत वर्ष इस उद्योग के लिये कितना पैसा दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी––इसके आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

औरैया-फफूंद सड़क पर सेंगर नदी के पुल की आवश्यकता

*१––**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)––क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत जो सड़क औरैया से फफूंद को गई है उस पर शेरपुर सोया कपाल पढ़ीन के निकट सेंगर नदी पर पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––जी हां, मगर निर्धारित मात्रा में जनता का चन्दा उपलब्ध न होने के कारण निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

निर्माण-कार्य आरम्भ करने के विषय में उस समय विचार किया जा सकता है जब वांछित मात्रा में जनता का चन्दा उपलब्ध हो जाये।

*२––**श्री भजनलाल**––क्या यह सही है कि उपर्युक्त पुल के निर्माण हेतु ब्लाक भाग्य नगर के अधिकारियों ने जनता से २५ हजार रुपया आज से दो साल पूर्व चन्दा के रूप में एकत्रित किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––विकास क्षेत्र अधिकारियों द्वारा कोई चन्दा एकत्रित नहीं किया गया। पुल निर्माण समिति ने ४ हजार रुपया चन्दा में एकत्रित किया था।

*३––**श्री भजनलाल**––यदि हां, तो वह रुपया किस स्थान पर जमा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––उपरोक्त धनराशि जिला सहकारी बैन्क, इटावा में जमा है।

[१६ नवम्बर, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२––**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**––[हटा दिये गये।]

*३-४––**श्री झारखंडेराय**––[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ में परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र

*५––**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**––क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में भारत सरकार की सहायता से प्रदेश में परिवार नियोजन हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये

नोट––तारांकित प्रश्न १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जाने की योजना रही है? यदि हां, तो यह प्रशिक्षण केन्द्र दिनांक, ३१ जनवरी, १९६१ तक क्या किसी स्थान पर स्थापित किया जा चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, ऐसा केन्द्र सितम्बर, १९६० से लखनऊ में स्थापित किया जा चुका है ।

आगरा कमिश्नरी की कलेक्टरियों में बेंत लगाने की सजा

*६—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा कमिश्नरी के जिलों में सन् १९६० में कलेक्टरी की अदालतों में बेंत लगाने की सजा कुल कितने अपराधियों को दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बेंत लगाने की सजा किसी को नहीं दी गई ।

तांबा, पीतल कारीगर गृह उद्योग समिति, अल्मोड़ा को कोटा

*७—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने अल्मोड़ा नगर की तांबा, पीतल कारीगर गृह उद्योग समिति को १९५९-६० व १९६०-६१ में तांबे का कितना-कितना कोटा दिया ? क्या उपर्युक्त कोटे के गलत ढंग से दिये जाने व वितरण किये जाने के संबंध में कोई शिकायत जिला उद्योग अधिकारी, अल्मोड़ा को मिली है ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) १९५९-६० में ७.८९ टन तथा १९६०-६१ में ६.९० टन ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

*८—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—[२३ अगस्त, १९६१ को प्रश्न ३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

शोहरतगढ़ में महिला चिकित्सालय स्थापित करने की योजना

*९—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या शोहरतगढ़ (बस्ती) में महिला चिकित्सालय बनवाने हेतु पच्चासी हजार रुपये की धनराशि सरकार स्वीकृत कर चुकी है और उसके निर्माण हेतु स्थान का दो-दो बार सर्वे होकर नक्शा भी बन चुका है तथा सरकार ग्राम प्रधान से उक्त चिकित्सालय तक पक्का मार्ग बनवाने का लिखित आश्वासन ले चुकी है ? यदि हां, तो अब तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । परन्तु जहां तक शासन को ज्ञात है ग्राम प्रधान से चिकित्सालय भवन तक पक्का मार्ग बनवाने के लिये कोई लिखित आश्वासन नहीं लिया गया है। नक्शे तथा तखमीने शासन को प्राप्त हो चुके हैं और उन पर प्रशासकीय स्वीकृति देने हेतु उचित कार्यवाही की जा रही है । तत्पश्चात् निर्माण-कार्य आरम्भ किया जायगा ।

लाइम स्टोन लेबर यूनियन, देहरादून का स्मृति-पत्र

*१०—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून जिले में कहां पर तथा कितनी चूने के पत्थरों की खानें (lime stone quarries) हैं तथा उनमें कितने मजदूरों को काम मिलता है? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उनम मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है। इन खानों के मजदूरों के लिये कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०६१ पर)

*११—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार ने मई, सन् १९६० में लाइम स्टोन क्वैरीज ऐडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें भेजीं या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। उक्त समिति की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं।

*१२—**श्री मदन पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री को उक्त ऐडवाइजरी कमेटी के संबंध में लाइम ऐन्ड लाइम स्टोन लेबर यूनियन, देहरादून द्वारा भेजा गया स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्मृति-पत्र की मुख्य-मुख्य, बातें सदन में बताने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त यूनियन के स्मृति-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०६२ पर)

*१३-१४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[२३ अगस्त, १९६१ को प्रश्न ४-५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

स्वरूप रानी अस्पताल, इलाहाबाद पर व्यय

*१५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में जो अस्पताल स्वरूप रानी नाम का मलाका जेल की जमीन पर बनाया गया है उस पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है और कितने धन के व्यय की योजना है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जून, १९६१ तक २६.९१ लाख रुपया व्यय हो चुका है तथा २.०३ लाख रुपया और व्यय होने की संभावना है।

*१६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वरूप रानी अस्पताल की इमारत फटने से पानी टपकता है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पानी नहीं टपकता।

मेडिकल कालेज, लखनऊ में तीसरी व चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की कथित हड़ताल

*१७—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल कालेज, लखनऊ के तीसरे और चौथे श्रेणियों के कर्मचारियों ने जून के दूसरे सप्ताह में एक दिन को सांकेतिक भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो किन कारणों वश ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

*१८—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनकी मांगें क्या थीं और सरकार उनके संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का कोई भी मांग इस तथा कथित सांकेतिक भूख हड़ताल के संबंध में नहीं प्राप्त हुई है।

भूमि विक्रय सम्बन्धी धारा को कुमायूं में न लागू करना

*१९--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--दिनांक १८ मई, १९६१ के प्रश्नकर्त्ता के तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर में जो न्याय मंत्री ने बताया था कि १४ मई, १९५९ से पूर्व ही सरकार ने यह निश्चय कर लिया था कि U. P. Regulation of Agricultural Credit Act, 1940 को धारा २४ के अन्तर्गत कुमाऊं में कार्यवाही स्थगित रहेगी, उसके संदर्भ में यह देखते हुये कि अब यह स्थगन समाप्त कर दिया गया है, क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह स्थगन रद्द करने की आज्ञा कब दी गई, क्यों दी गई तथा इसे जिले में भेजने में जिसने देरी की उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--स्थगन रद्द करने का आदेश सरकार ने राजस्व परिषद् को १७-२-६१ को भेजा था जो राजस्व परिषद् द्वारा कमिश्नर, कुमाऊं वृत्त को ७-४-६१ को भेजा गया। कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० के फलस्वरूप उक्त कार्यवाही के स्थगित रखने की आवश्यकता नहीं रही अतएव उक्त स्थगन समाप्त कर दिया गया। जिले तक आज्ञा पहुंचने में जो देरी हुई उसकी जांच करायी जा रही है और जो उसके जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी।

सहायक केन कमिश्नर का डेपुटेशन पर होना तथा 'स्टोर परचेज विभाग का क्रोड़ पत्र'

*२०--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने सहायक केन कमिश्नर दिनांक ३१ मार्च, १९६१ ई० को डेपुटेशन पर प्रदेश की किन-किन चीनी मिलों में कब से थे और क्या यह सत्य है कि इनमें से कुछ सहायक केन कमिश्नर उक्त तिथि से पहले कई बार एक ही मिल में डेपुटेशन पर रह चुके हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--दिनांक ३१ मार्च, १९६१ ई० को केवल एक सहायक केन कमिश्नर, श्री सी० बी० अग्निहोत्री कोआपरेटिव शुगर मिल्स, बागपत में डेपुटेशन पर थे। वे ६ नवम्बर, १९६० से उक्त मिल में डेपुटेशन पर हैं।

२--यह सत्य नहीं है कि उक्त सहायक केन कमिश्नर उक्त तिथि से पहले भी कई बार उसी मिल में डेपुटेशन पर थे।

*२१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १४ मई, १९६० के सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 'स्टोर परचेज विभाग का क्रोड़ पत्र' शीर्षक के अन्तर्गत संशोधित कीमतों की जो फेहरिस्त प्रकाशित हुई है उसमें कितने आइटम्स हैं जिनकी कीमत संशोधित करना पड़ी और मूल कीमतों का प्रकाशन इसके पूर्व किस तारीख के गजट में हुआ था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मूल कीमतों का प्रकाशन नोटी फिकेशन नम्बर १५७, दिनांक ११ जनवरी, १९६० स्टोर्स परचेज विभाग के क्रोड़ पत्र, उत्तर प्रदेशीय सरकारी गजट दिनांक ३० जनवरी, १९६० के अन्तर्गत हुआ है। केवल ६० रेटों में संशोधन करना पड़ा जो स्टोर्स परचेज विभाग के क्रोड़-पत्र संख्या १७ दिनांक ३ मई, १९६०--उत्तर प्रदेशीय सरकारी गजट दिनांक १४ मई, १९६०--में प्रकाशित हुआ।

श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतन-क्रम में विषमता

*२२--श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वर्तमान वेतन-क्रम ७५-५-१२०-द० रो०-८-२०० रु० है, जब कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक सौ शैक्षिक योग्यता के चिकित्सा विभाग के आयुर्वेदिक

चिकित्सकों का वेतन-क्रम राज्यादेश संख्या १७०७-बी-आई-बी-१७१९-१९५४, दिनांक २० मार्च, १९५६ के अनुसार १२०-४-१६० -द० रो०८-२०० रु० है और कुछ चिकित्सकों का वेतन-क्रम २००-१०-३१० द० रो० १५-४०० रु० है ? यदि हां, तो इस विषमता का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां, इस विषमता (disparity) को दूर करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*२३--**श्री उमाशंकर शुक्ल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की राजकीय औषधि निर्माणशाला से औषधि उपलब्ध न होने के कारण बाहरी फर्मों से खरीदने के कारण अधिक मूल्य देना पड़ता है ? यदि हां, तो इस सैकड़ों रुपये के अपव्यय को रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां, राजकीय औषधि निर्माणशाला से इसके लिये लिखा-पढ़ी की गई और वे अब श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को औषधियां देने को तैयार हो गये हैं ।

श्रमायुक्त के विचाराधीन चीनी मिलों के सम्बन्धित मुकदमे

*२४--**श्री अमरनाथ**--क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य के श्रमायुक्त के पास १९५७-५८ से १९६०-६१ तक चीनी मिलों के मालिकों और मजदूरों के कुल कितने मुकदमे निपटाने के लिये आये ? उनमें अलग-अलग चीनी मिलों के कितने थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--निम्नलिखित मुकदमे चीनी मिलों के मालिकों और मजदूरों के संराधन समितियों में आये :--

१९५७-५८	..	४६६
१९५८-५९	..	४५५
१९५९-६०	..	४७६
१९६०-६१	..	३७१

उपर्युक्त मुकदमों का † विवरण तालिका के रूप में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

*२५--**श्री अमरनाथ**--क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त मुकदमों में से कितनों को श्रम आयुक्त ने अलग-अलग चीनी मिलों के दाखिल दफ्तर किये और कितने संराधन अधिकारियों को निर्णय के लिये भेजे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--इसका † विवरण तालिका के रूप में सदन की मेज पर रख दिया गया है । औद्योगिक विवाद निर्णय के लिये श्रम न्यायालयों अथवा औद्योगिक न्याय-धिकरणों को भेजे जाते हैं न कि संराधन अधिकारियों को ।

*२६--**श्री अमरनाथ**--क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त मुकदमों में से कितने अब तक फैसल हुये और कितने बाकी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--इसका विवरण तालिका के रूप में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

ग्राम रसड़ी से सिंचाई कुओं के निर्माण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*२७--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम रसड़ी, पोस्ट सरपा गणेश, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों का प्रार्थना-पत्र ३ फरवरी, १९६१ का लिखा हुआ मुख्य मंत्री के नाम आया है जिसमें कहा गया है कि सन्

---

† विवरण छापा नहीं गया ।

१६५५ एवं १६५६ में सिंचाई के कुएँ के निर्माण के लिये मुफ्त सहायता के प्रार्थना-पत्र दिये गये थे किन्तु उसे तकावी के रूप में मान कर अधिकारियों द्वारा वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा परिणाम क्या निकला ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

हाथरस पोलीटेक्निक तथा मटरूमल धन्नालाल टी० बी० अस्पताल में कर्मचारियों की आवास व्यवस्था

*२८---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**(जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह एम० जी० टी० आई० पोलिटेक्निक, हाथरस में इस वर्ष से कुछ नये औद्योगिक प्रशिक्षण के वर्ग खोलने पर विचार कर रही है ? कब से आरम्भ होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*२६---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस इंस्टीट्युट में एलेक्ट्रोनिक इंजीनियर्यारिंग, माईनिंग इंजीनियर्यारिंग तथा एटोमिक इंजीनियर्यारिंग के वर्ग कब तक खोलने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस प्रकार के वर्ग खोलने का कोई विचार नहीं है ।

*३०---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे श्री मटरूमल धन्ना लाल टी० बी० अस्पताल, हाथरस के डाक्टर, कम्पाउन्डर, नर्सों तथा अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के निवास कब तक तैयार हो जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---आशा है कि इस अस्पताल के एक पी० एम० एस० (प्रथम) तथा दो कम्पाउन्डरों के निवासगृह फरवरी, सन् १६६२ तक तैयार हो जायेंगे । शेष श्रेणियों के कर्मचारियों के निमित्त भी निवास गृह बनवाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

मझोला सहकारी चीनी मिल के लिये लाइसेंस तथा इन्दारा में सहकारी चीनी मिल न खुलना

*३१---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली किन-किन सहकारी चीनी मिलों को चलाने के लिये भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त हो गये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---केवल मझोला सहकारी चीनी मिल के लिये लाइसेंस प्राप्त हो चुका है ।

*३२---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़, बलिया एवं गाजीपुर के जिलों के बीच में स्थित इंदारा स्थान पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में ही सहकारी चीनी मिल लगाने का आयोजन उनके विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---केन्द्रीय सरकार ने कथित इन्दारा नामक स्थान पर सहकारी चीनी मिल लगाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है ।

चक्की भूसाडोही सीमा विवाद का निर्णय

*३३---**श्री उग्रसेन**---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया-आजमगढ़ सीमा पर भसाडोही चक्की के सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त सीमा विवाद के संबंध में यह निश्चय किया गया है कि चक्की भूसाडोही के पास दोनों जिलों की सीमा नदी की धार नहीं बल्कि मेड़ें हैं। मेड़ों का निर्णय पैमाइश द्वारा हो गया है। अतः अब इन जिलों के बीच सीमा का विवाद नहीं है। नदी के प्रभाव से काश्तकारी की भूमि में जो भी हेर-फेर हो उसका निर्णय संबंधित एस० डी० ओ० प्रचलित नियमों के अनुसार करते रहेंगे हैं।

*३४---**श्री उग्रसेन**---क्या यह सही है कि भूतपूर्व जिलाधीश, आजमगढ़ एवं देवरिया ने गत वर्ष माल विभाग, उत्तर प्रदेश को एक सम्मिलित रिपोर्ट दी है कि भूसाडोही चक्की देवरिया जिले में है और 'धूरिधारा' के आधार पर ही ऐसा निर्णय किया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं।

*३५---**श्री उग्रसेन**---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि कब पुनः २४ अप्रैल, १९६१ को सलेमपुर (देवरिया) तथा घोसी (आजमगढ़) के एस० डी० एम० की बैठक किस लिये हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सलेमपुर (देवरिया) तथा घोसी (आजमगढ़) के एस० डी० एम० की बैठक २४ और २५ अप्रैल, सन १९६१ को बंदोबस्त अभिलेख तथा अन्य आवश्यक कागजातों के आधार पर चक्की भूसाडोही की सीमा संबंधी वास्तविक स्थिति जानने के हेतु हुई थी?

सिंघोरा बाजार तथा ताड़ी बाजार के निकट अस्पताल न होना

*३६---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंघोरा बाजार, परगना कोल, असला तहसील व जिला वाराणसी में जिसके आस-पास १० मील के करीब में कोई अस्पताल नहीं है क्या सरकार तीसरी योजना में अस्पताल खोलने पर विचार करने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं।

*३७---**श्री ऊदल**---क्या सरकार ताड़ी बाजार, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी में जिसके आस-पास कोई सरकारी अस्पताल नहीं है तीसरी योजना में उसे खोलने पर विचार करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं।

लेडीज हास्पिटल, इटावा में श्रीमतीगीता देवी की आपरेशन टेबिल पर मृत्यु

*३८---**श्री भजनलाल**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के लेडीज हास्पिटल में दिनांक ११ जुलाई, १९६० ई० को ११ बजे दिन में हाकिम परगना औरैया की धर्मपत्नी की मृत्यु हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां।

*३९---**श्री भजनलाल**---यदि हां, तो मृत्यु के कारण क्या थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मरीज की मृत्यु ट्राइलीन (Trilene) नाम के Anaesthesia देने के समय हुई। सिविल सर्जन, इटावा के विचार नीचे उदधृत हैं:---

Srimati Geeta Devi may have had Idiocyncrasy towards Trilene that caused her death on the operation table.

*४०--श्री भजनलाल--क्या यह सही है कि उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में वहां के सिविल सर्जन और जिलाधीश ने सरकार को लिखित सूचना भेजी है ? यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा कर सरकार बतायेगी कि उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, सिविल सर्जन तथा जिलाधीश की सूचना की एक एक †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खी जाती है ।

जनाना अस्पताल, इटावा की लेडी डाक्टर श्रीमती बी० डी० शर्मा जो P. M. S.(W) I में काम कर रही थीं उन्हें P. M. S. (W) II में उतार कर लेडी लायल और डफरिन अस्पताल, आगरा को भेज दिया गया है और उनके कैरेक्टर रोल में एडवर्स इन्टरी कर दी गई है ।

टूरिस्ट विभाग पर व्यय

*४१--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपया करेगी कि उसके टूरिस्ट विभाग के लखनऊ हेड आफिस के अलावा प्रदेश में किस-किस शहर में उसका कितना-कितना स्टाफ ६०-६१ में रहा है और उसके वेतन तथा दफ्तरों आदि का उक्त वर्ष में कितना व्यय हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०६३-१०६४ पर)

*४२--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वित्तीय वर्षों में उक्त किन-किन स्थानों में देशी व विदेशी कितने सम्मानीय व्यक्ति आये थे जिनकी कि उक्त विभाग को व्यवस्था करनी पड़ती थी और किस-किस वर्ष में उन पर कितना-कितना व्यय हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०६५-६६ पर)

भ्रष्टाचार के आरोप में चकबन्दी विभाग से निकाले गये कर्मचारी

*४३--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी योजना के अन्तर्गत काम करने वाले कितने-कितने कर्मचारी प्रारम्भ से अभी तक किस-किस जिले में भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले जा चुके हैं व कितने लोगों के विरुद्ध मामले विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रारम्भ के दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ तक चकबन्दी योजना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के आरोप में कुल ३७ कर्मचारी निकाले जा चुके हैं । इन कर्मचारियों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । १९३ मामले अभी विचाराधीन हैं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०६६ पर)

*४४--कुंवर श्रीपालसिंह--[३० अगस्त, १९६१ को प्रश्न ४८ के अंतर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

आई० टी० आई० विद्यालयों को मान्यता

*४५--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि आई० टी० आई० विद्यालयों की संख्या इस समय प्रदेश में क्या है तथा उनमें शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले व्यक्तियों को नौकरियों में सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है या नहीं ? यदि नहीं तो मान्यता न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--इस समय प्रदेश में १५ आई० टी० आई० हैं और उनमें शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले व्यक्तियों को नौकरियों में सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है ।

संचालक स्वास्थ्य विभाग के कुछ क्लर्कों पर घूसखोरी का आरोप तथा मलेरिया उन्मूलन योजना में हरिजन व पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*४६--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें संचालक स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के कुछ क्लर्कों के विरुद्ध रिश्वत आदि लेने के शिकायती-पत्र अप्रैल या मई, १९६१ में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनके विषय में क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त दफ्तर के कुछ लोगों के विरुद्ध जो उक्त पत्रों में वर्णित सी० आई० डी० की जांच बैठायी गई थी उससे क्या तथ्य प्राप्त हुए और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। इस सम्बन्ध में बहुत प्रयत्न करने पर भी आरोप लगाने वाले व्यक्तियों का पता न चल सका। फलस्वरूप उन शिकायती-पत्रों पर कोई कार्यवाही न की जा सकी।

पिछली शिकायतों के आधार पर कुछ कर्मचारियों के खिलाफ सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई गई जिसके फलस्वरूप एक क्लर्क को चेतावनी दे दी गई, एक को समय से पहिले रिटायर कर दिया गया और एक का मामला विचाराधीन है। बाकी क्लर्कों के खिलाफ लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए अतएव उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं की गई।

*४७--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बनारस जिले में मलेरिया उन्मूलन योजना के अन्तर्गत १९६१ में अब तक कितने लोग इंस्पेक्टर, हाउस विजिटर व छिड़काव करने के लिये नियुक्त किये गये और उनमें कितने हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना इस प्रकार है:--

	कुल नियुक्ति १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९६१ तक		हरिजन	पिछड़े वर्ग
१	सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टर	..	३	१	..
२	हाउस विजिटर	.. ..	३५	५	१६
३	सुपीरियर फील्डवर्कर	..	६४	९	२८
४	फील्डवर्कर	.. ..	३४०	८२	१५७

इलेक्ट्रिक कम्पनी, अलीगढ़ की नई शर्तों का विरोध

*४८--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ एलेक्ट्रिक कम्पनी, अलीगढ़ जिसके पास कोयल जिला अलीगढ़ में बिजली बेचने का लाइसेंस है, उसने मार्च, अप्रैल, १९६१ से बिजली लेने वालों पर कुछ नई शर्तें लगा रखी हैं ? यदि हां, तो उन शर्तों के लगाने का क्या आधार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने मई, १९६१ में बिजली उपभोक्ताओं को मार्च व अप्रैल, १९६१ के बिलों की धनराशि के योग के आधार पर जमानत बढ़ा देने के लिये नोटिस दी थी क्योंकि जमानत की रकम पर्याप्त न होने के कारण कम्पनी को अपनी रकमों की वसूली करने में दिक्कत होती रही है और कम्पनी का काफी धन वसूल नहीं हो पाता था।

*४९--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सिलसिले में उन्हें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर ने शिकायत करने वालों को सूचित कर दिया है कि वे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० के शेड्यूल के क्लाज ६ (३) के अनुसार जमानत के प्रश्न पर विवाद उठावें ताकि वह प्रत्येक केस की जांच करके अपना फैसला उक्त प्राविधान के अन्तर्गत दे सकें।

साहूपुरी की आर० सी० सी० टनेल में ग्रेनाइट स्टोन ब्लास्ट का प्रयोग

*५०--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिहन सब स्टेशन, साहूपुरी, जिला बनारस में केवल ट्रेंच में बजाय गया ग्रिट के खरंजा ग्रिट इस्तेमाल में लाने का क्या कारण है जबकि टेन्डर गया ग्रिट के लिये स्वीकार किये गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--साहूपुरी में आर० सी० सी० टनेल बनाने के लिये ग्रेनाईट स्टोन ब्लास्ट के लिये ही टेन्डर मांगे गये थे और यही इस्तेमाल में भी लाया गया।

*५१--श्री ऊदल--[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

बुलन्दशहर जिले में चेचक से मृत्यें

*५२--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले में माह मई व जून, सन् १९६१ में चेचक फैलने के कारण कितने बच्चों की मृत्यु हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बुलन्दशहर जिले में माह मई व जून, सन् १९६१ में चेचक से १७ मृत्यें हुई हैं। इनके विषय में यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि वह बच्चे ही हैं।

*५३--श्री रामचन्द्र विकल--क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले में चेचक की रोक-थाम के लिये माह मई व जून, सन् १९६१ में क्या-क्या उपाय किये गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बुलन्दशहर जिले में चेचक की रोक-थाम के लिये माह मई व जून, १९६१ में ११,२१४ प्राथमिक एवं पुनर्भेद टीके लगाये गये।

गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट्स के अध्यापकों के वेतन-क्रम पर विचार

*५४--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार Government Technical Institutes में पढ़ाने वाले अध्यापकों की Service Conditions और Pay-Scale में इस आशय का परिवर्तन करने जा रही है जिससे यह अध्यापक इस कार्य में आकर्षण पायें?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, इन अध्यापकों के केवल वेतन-क्रम बढ़ाने का मसला सरकार के विचाराधीन है

खलीलाबाद पावर लूम यूनिट का उत्पादन

*५५—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Handloom Scheme के अन्तर्गत जो Preparatory Factory खलीलाबाद में कायम हुई है उसकी Powerloom Factory में जो कपड़ा तैयार होता है उसकी निकासी का क्या इन्तजाम हुआ है? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जब से यह कारखाना चालू हुआ है, कितना गज कपड़ा तैयार हुआ है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—खलीलाबाद क्षेत्र में विभिन्न Powerloom units द्वारा जो कपड़ा तैयार होता है उसकी बिक्री का प्रबन्ध वहां की केन्द्रीय समिति करती है। समिति यह कपड़ा स्थानीय बाजार में बेचती है। व्यापारियों के हाथ कपड़ा बेचने की बात भी यह समिति चला रही है। कुछ कपड़ा यू० पी० इन्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव ऐशोसियेशन ने भी खरीदा है।

लगभग ४०,००० गज।

प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारियों के कार्य

*५६—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पी० आर० डी० के कितने डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर हैं और कितने ब्लाक आर्गनाइजर हैं और उनके वेतन-क्रम क्या हैं और उन पर सरकार कितना धन खर्च करती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—५४ डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर और ७५४ ब्लाक आर्गनाइजर हैं। उन का वेतन-क्रम क्रमशः १५०-८-२३०-द० रो०-१२-३५० रु० और ६०-४-८०-द० रो०-४-१०० ० है।

द्वितीय वर्ष १९६०-६१ में इन पर कुल १३,९५,९२७ रुपये खर्च हुए।

*५७—श्री अनन्तराम वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पी० आर० डी के कर्मचारियों से पहिले क्या काम लिया जाता था और अब क्या काम लिया जाता है? क्या सरकार इस का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जब रक्षक दल की स्थापना १९४८ में हुई तब उसका कार्य शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना, लोगों को हथियारों का इस्तेमाल करना, स्वालम्बन और अनुशासन की शिक्षा देने का था। १९५१ में और उसके बाद रक्षक दल को विकास का कार्य, शारीरिक विकास, युवक कल्याण, भूमि-संरक्षण और श्रमदान इत्यादि के काम सौंपे गये। डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर और ब्लाक आर्गनाइजर अब जो काम करते हैं उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०६७ पर)

कुमायूं डिवीजन में पटवारियों की सुविधायें बढ़ाने की प्रार्थना

*५८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुमायूं डिवीजन के पटवारियों को जिनके पद स्थायी तथा पेंशनयुक्त हैं अपने पद से संलग्न समुचित सुविधायें नियमानुसार नहीं दी जा रही हैं? यदि नहीं दी जा रही हैं तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

तराई भाबर में किसानों को बेदखली का नोटिस

*५९—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९६१ से (१-८-६१) तक तराई भाबर के कितने काश्तकारों को बेदखली की नोटिस दी गयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मार्च, १९६१ से १ अगस्त, १९६१ तक तराई-भाबर के ८४० कृषकों को बेदखली की नोटिस दी गई।

*६०—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त काश्तकारों में कितने काश्तकार ऐसे हैं जो ५ साल से भी अधिक समय से बसे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपर्युक्त, कृषकों में से ४९४ ऐसे कृषक हैं जिनका कब्जा ५ वर्ष से अधिक से है।

टेक्निकल इन्स्टीट्यूट्स में निःशुल्क शिक्षा

*६१—**श्री इस्तफा हुसैन**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या सरकारी Technical Institutes में इस वर्ष से विद्यार्थियों से शुल्क लिया जाने लगा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

नदी गांव में कृषि भूमि की दर

*६२—**श्री चित्तरसिंह निरंजन** (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील कोंच के अन्तर्गत विलीनीकरण क्षेत्र (इलाका) नदी गांव, उत्तर प्रदेश में कब शामिल हुआ और उसकी कृषि योग्य भूमि का सर्किल रेट क्या है और शेष कोंच तहसील का सर्किल रेट क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षेत्र नदी गांव का विलीनीकरण उत्तर प्रदेश की तहसील कोंच में २६ जनवरी, १९५० में हुआ था। इस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि तथा शेष तहसील कोंच की कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट का † विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

*६३—**श्री चित्तरसिंह निरंजन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नदी गांव के इलाके का बन्दोबस्त हाल में कब हुआ और उसके पहले बन्दोबस्त में उक्त इलाके की कृषि योग्य भूमि का सर्किल रेट क्या था?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नदी गांव के इलाके का बन्दोबस्त हाल में सन् १९४३-४४ में हुआ था। इसके पूर्व का बन्दोबस्त सन् १९२२-२३ में हुआ था। उस समय के सम्पूर्ण नदी गांव क्षेत्र के बन्दोबस्त के पत्रादि उपलब्ध नहीं हैं। केवल चार गांव के सर्किल रेट का †विवरण जो प्राप्त हो सका है सदन की मेज पर रख दिया गया है।

उद्योग निदेशालय के मुअत्तल कर्मचारी

*६४—**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय (२-८-६१ को) उद्योग निदेशालय (Office of Director of Industries) में कितने कर्मचारी मुअत्तिल हैं और उनको मुअत्तिल हुये कितना समय बीत चुका है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—२-८-६१ को तीन कर्मचारी मुअत्तिल थे। एक २७ नवम्बर, १९५८ को, दूसरा १० नवम्बर, १९६० को तथा तीसरा २२ जुलाई, १९६१ को मुअत्तिल हुआ।

बाराबंकी जिले में अतिसार की रोक थाम के काम

*६५—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत मई, जून, जुलाई, सन् १९६१ ई० में किन-किन ग्रामों में हैजे की बीमारी फैली और उन ग्रामों में कितने लोग बीमार हुए तथा कितनों की मृत्यु हुई और उसकी रोक-थाम के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई?

---

†विवरण छापा नहीं गया।

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)--जिला बाराबंकी के अन्तर्गत माह मई, जून और जुलाई, सन् १९६१ में किसी गांव में भी कालरे से कोई व्यक्ति नहीं मरा है। परन्तु इसी समय में ५४ ग्रामों में अतिसार से २३८ व्यक्ति ग्रस्त हुए तथा ८३ मरे। बीमारी की रोकथाम के लिये घरों तथा पीने के पानी को निःसंक्रामीकरण किया गया। काफी संख्या में हैजे के टीके लगाये गये।

शाहाबाद में अतिसार व हैजे का प्रकोप

*६६--**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा शाहाबाद, जिला हरदोई में इस वर्ष जुलाई के अन्तिम सप्ताह से अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कितने व्यक्ति हैजे के रोग से ग्रस्त हुए तथा कितनों की मृत्यु हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश--कस्बा शाहाबाद, जिला हरदोई में इस वर्ष में जुलाई के अन्तिम सप्ताह (२९-७-६१) में अतिसार द्वारा ७३ व्यक्ति ग्रस्त हुए तथा १५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और अगस्त के प्रथम सप्ताह (५-८-६१) में अतिसार से ४७ व्यक्ति ग्रस्त हुए जिनमें ५ की मृत्यु हुई तथा कालरा से ३८ व्यक्ति ग्रस्त हुए जिनमें ११ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

बाढ़ तथा वर्षा से धन जन की क्षति

*६७--**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल प्रदेश में बाढ़ें कहां-कहां आयीं, आर्थिक नुकसान हर एक जगह कितना हुआ, हर एक जगह कितने लोग मरे, हर जगह कितने लोग बेघर हुए तथा हर जगह सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को क्या सहायता दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आपेक्षित सूचना सदन की मेज पर दिनांक १३-११-१९६१ को प्रस्तुत की जा चुकी है।

*६८--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)--[हटा दिया गया।]

दिनेशपुर कालोनी के ओला पीड़ितों की सहायता

*६९--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार को ज्ञात है कि विगत शरद काल में जिला नैनीताल में बसाये गये बंगाली शरणार्थी परिवारों को दिनेशपुर कालोनी में ओला वृष्टि से भारी क्षति हुई थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त शरणार्थी परिवारों को क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, क्षति हुई। क्षतिग्रस्त ग्रामों के जिन खातों में रबी की फसल को रुपये में आठ आने या इससे अधिक की हानि हुई है, उनमें लगान में नियमानुकूल छूट दी जा रही है।

कानपुर में जे० के० जूट मिल्स की कथित ताला बन्दी

*७०--**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर के जे० के० जूट मिल में ताला बन्दी कर दी गई है ? यदि हां, तो उससे कितने मजदूरों को बेकार होना पड़ रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*७१--**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या सरकार उन बेकार होने वाले मजदूरों के हित में उक्त मिल को अथवा अन्य जूट मिलों को जो बन्द होने के अन्देशों में हैं, चालू रखने के बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---इस समय प्रदेश की कोई जूट मिल बन्द नहीं है, और न किसी के बन्द होने का अन्देशा ही है।

सहकारी संस्थाओं का कार्य

*७२---**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में कितनी सहकारी संस्थायें अब तक (१-७-६१) सहकारी औद्योगिक आस्थानों के निर्माण हेतु निबन्धित हुई हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ग्यारह ।

*७३---**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---क्या सरकार इन संस्थाओं के अब तक के कार्य और प्रगति पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०६८-१०६९ पर)

इलाहाबाद के सिनेमा कर्मचारियों की मांगें

*७४---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इलाहाबाद के सिनेमा कर्मचारियों ने जिलाधीश के बंगले पर जुलाई १९६१ में प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो उनकी कौन-कौन सी मांगे थीं तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---(क) जी हां,

(ख) उनकी मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है,

(ग) प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त, इलाहाबाद, ने श्रमिक संघ को राय दी है कि वे अपनी विशिष्ट मांगों को संराधन समिति को भेजें ताकि उन पर विचार किया जा सके ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १०७० पर)

*७५-७६---**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)---[४ थे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

उन्नाव जिले में लोक सभा के उप चुनाव में कार्य करने वाले अध्यापकों को भत्ता न मिलना

*७७---**श्री भोलालाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष अप्रैल में उन्नाव से पार्लियामेन्ट के उप चुनाव में काम करने वाले प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को यात्रिक भत्ता दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उन्नाव जिले में कार्य करने वाले ऐसे अध्यापकों को अभी यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता नहीं दिया जा सका है परन्तु लखनऊ जिले के अध्यापकों को दिया जा चुका है ।

उन्नाव जिले के अध्यापकों को भत्ता इत्यादि न दिये जा सकने का कारण यह है कि गत अगस्त मास तक अधिकांश अध्यापकों के बिल निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए थे । जो थोड़े से बिल प्राप्त हुए थे वे सहीतौर पर नहीं बनाये गये थे तथा उनके साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र भी नहीं थे । इसलिये उनको दुबारा बनाने के लिये लौटाना पड़ा था ।

अब अधिकांश बिल प्राप्त हो गये हैं जिनमें से आधे से अधिक बिलों को महालेखापाल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्री-आडिट के लिये भेज दिया गया है । शेष बिलों की जांच हो रही है और वह शीघ्र ही प्री आडिट के लिये भेज दिये जावेंगे ।

कुछ बिलों की एथारिटी हाल ही म प्राप्त हो गई है जिनके भुगतान की व्यवस्था की जा रही है । अन्य बिलों का भुगतान प्री-आडिट के पश्चात् ही किया जा सकेगा ।

*७८--श्री भीखालाल--[१३ नवम्बर, १९६१ को प्रश्न २७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*७९--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--[हटा दिया गया ।]

दियोरिया कलां तथा माधोटांडा अस्पतालों में डाक्टर न होना

*८०--श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत जिले के दियोरिया कलां तथा माधोटांडा अस्पतालों में डाक्टर कितने समय से नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पीलीभीत जिले के दियोरिया कलां तथा माधोटांडा अस्पतालों में डाक्टर लगभग दो वर्ष से नहीं है ।

*८१--श्री मुनीन्द्रपालसिंह--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त अस्पतालों में अलग-अलग प्रति दिन आने वाले रोगियों की औसत संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--दियोरिया कला तथा माधोटांडा अस्पतालों में प्रति दिन आने वाले रोगियों की औसत संख्या क्रमशः ७० तथा ५५ है।

विधायक निवास में स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी सुविधायें

*८२--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या विधान सभा के सत्र चलने के दिनों में विधायकों के स्वास्थ्य की रक्षा, दवा आदि की सहूलियत के लिये विधायक निवासों में डाक्टर और दवा की व्यवस्था है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

*८३--श्री रामदुलारे मिश्र--यदि हां, तो डाक्टरों की जिम्मेदारी और ड्यूटी क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--डाक्टरों की जिम्मेदारी और ड्यूटी वैसी ही है जो और डाक्टरों की होती है और ऐसी जैसी मेडिकल मैनुअल के द्वितीय संस्करण में पैरा ४०३ से ४४० में लिखी गई है ।

देवकली को संरक्षित इमारत घोषित करने की सूचना

*८४--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके आदेशानुसार जिला खीरी के देवकली तीर्थ की मरम्मत के लिये जिलाधीश द्वारा नापजोख पैमाइश होकर सरकार को प्राप्त हो गई है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिलाधीश खीरी से देवकली तीर्थ की मरम्मत के लिये नहीं बल्कि इसे संरक्षित स्मारक (protected monument) घोषित करने के लिये कुछ सूचना मांगी गई थी, जो प्राप्त हो गई है ।

हरैया विकास खंड के मुख्यालय को स्थानान्तरित न करने की प्रार्थना

*८५--श्री इन्दुभूषण गुप्त--विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें तथा जिला अधिकारियों को संबंधित ग्रामवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक २० अप्रैल, १९६१ का मिला है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि जिला आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम हरैया में जो एन० ई० एस० ब्लाक खुला है उसका स्थानान्तरण न किया जाय ? यदि हां, तो क्या उस पर हुई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा की जायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--उक्त विषय का कोई ऐसा पत्र, जो २०--४--६१ का हो, प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। फिर भी हरैया खन्ड के मुख्यालय की स्थापना हरैया खास में ही हो या रौनापार में--यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन अवश्य है। मामला संबंधित क्षेत्रीय विकास समिति के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था जहां इस प्रसंग पर मतदान की व्यवस्था कर ली गई। अधिकतर मत हरैया खास के पक्ष में पड़े; मगर अभी इस मामले में अन्तिम आदेश जारी नहीं हुआ है।

जिला अस्पताल इटावा में हाइड्रोफोबिया से हुई मृत्युओं की जांच

*८६--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९६० में कुत्ते के काटने के बाद सदर अस्पताल इटावा में इन्जेक्शन लगाये जाने पर भी जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई उनके बारे में शिकायतें सिविल सर्जन, इटावा तथा सरकार के पास आने पर सरकार ने जो जांच कराई थी उसका क्या नतीजा हुआ तथा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार के पास ऐसी एक शिकायत आयी थी जिसमें शिकायत करने वाले ने अपने ७ वर्षीय पुत्र तथा और भी ८, १० व्यक्तियों की, कुत्ते के काटने पर जिला अस्पताल, इटावा के अधिकारियों द्वारा मियाद समाप्ति वाले इन्जेक्शन लगाये जाने के फलस्वरूप मृत्यु हो जाने की बात कही थी। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता के बच्चे को मियाद समाप्ति वाले इन्जेक्शन कुछ भूल से अवश्य लगाये गये लेकिन यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि बच्चे की मृत्यु हाइड्रोफोबिया से ही हुई। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को आदेश दे दिये गये हैं कि अस्पताल के उन अधिकारियों को, जिनकी लापरवाही से मियाद समाप्ति वाले इन्जेक्शन लगाये गये, कड़ा दंड दिया जाय। स्टेट वैक्सीन इन्स्टीट्यूट, पटवाडांगर के अधिकारियों को भी, जिनकी भूल के कारण इटावा के जिला अस्पताल में मियाद समाप्ति वाली वैक्सीन भेजी गई, चेतावनी देने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

उद्योग निदेशालय, कानपुर के कर्मचारी

*८७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्योग निदेशक कार्यालय, कानपुर के अन्तर्गत स्टोर परचेज सेक्शन में कितने अधिकारी व कर्मचारी किस-किस पद पर चार, पांच छः सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह वर्षों से लगातार हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये परिशिष्ट 'ट' आगे पृष्ठ १०७१ पर)

*८८-८९--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

राजकीय जूनियर टेक्निकल स्कूल, गाजीपुर

*९०--श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय जूनियर टेक्निकल स्कूल, गाजीपुर में १९६०-६१ के सेशन में कितने अध्यापक थे और कितने विद्यार्थी थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--२५ अध्यापक थे और ५० विद्यार्थी थे।

*९१--श्री पब्बरराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्कूल का परीक्षा फल १९६१-१९६२ में कितने प्रतिशत था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--६८ प्रतिशत था।

*९२--श्री पब्बरराम--सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस स्कूल के नवीं कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा-पत्र अंग्रेजी भाषा में होते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इंग्लिश, इंजीनियरिंग थियरी तथा ट्रेड थियरी के परीक्षा-पत्र अंग्रेजी भाषा में होते ह ।

*९३--**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)--[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बेवर व करहल के विद्युतीकरण पर विचार

*९४--**श्री रामदीन**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी में टाउन एरिया बेवर और टाउन एरिया करहटा में तीसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में ही बिजली लगेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैनपुरी जिले में करहटा नाम का कोई नगर नहीं है । करहल नाम का नगर है । बवर और करहल नगरों के विद्युतीकरण का तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में विचार है ।

*९५--**श्री रामदीन**--यदि हां, तो उक्त कस्बों में कब तक बिजली लगना शुरू होगा और कब तक लग जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त कस्बों के विद्युतीकरण पर १९६२-६३ में विचार किया जायगा, और यदि यह विद्युतीकरण प्राविधिक रूप से संभव तथा लाभप्रद हुआ तो १९६२-६३ के अन्त तक कार्यपूर्ण हो जायेगा ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये आवेदन-पत्र भेजने के नियम

*९६--**श्री राजनारायण**--क्या विभागाध्यक्षों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के दूसरी जगहों पर नौकरी के लिये भेजे जाने वाले प्रार्थना पत्रों को भेजने से इन्कार कर दे ? यदि हां, तो क्या इस नियम के बदलने का प्रश्न सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--विभागाध्यक्षों को सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र यू० पी० प्राविन्श्यल स्पेशलिस्ट सुबार्डीनेट सर्विस रूल्स, १९३४, के अनुसार ये अधिकार है कि स्थायी कर्मचारियों के आवेदन पत्र आगे न भेजें जब तक कि उनको संतोष न हो कि यह जनहित के विरुद्ध नहीं होगा । अस्थायी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को नियमतः भावी नियुक्ति अधिकारियों के पास भेज देने के आदेश हैं जब कि यह न हो कि अस्थायी कर्मचारी का छोड़ना जनहित के विरुद्ध हो । इन नियमों के बदलने का सरकार का इस समय कोई विचार नहीं है ।

*९७-९९--**आचार्य दीपंकर** [१४ नवम्बर, १९६१ को प्रश्न ९२-९४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*१००-१०२--**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)--[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०३-१०५--**श्री रामेश्वरप्रसाद** (जिला रायबरेली)--[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सरकारी छुट्टियों में कमी

*१०६--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसके द्वारा सन् १९६१ में गत वर्ष सन् १९६० की अपेक्षा कौन-कौन सी छुट्टी कम कर दी गयी है और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९६१ में गत वर्ष सन् १९६० की अपेक्षा छुट्टियों में निम्नलिखित कमी की गई है :

(१) नव-वर्ष दिवस की छुट्टी समाप्त कर दी गई ।

(२) ईद-उल-फितर की सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या को कम करके २ से १ कर दिया गया ।

(३) रक्षा बन्धन की सार्वजनिक छुट्टी को समाप्त कर उसे निबन्धित छुट्टियों (restricted holidays) की सूची में रख दिया गया ।

(४) दशहरा की सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या को ३ से २ करके एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी को निबन्धित छुट्टियों की सूची में रख दिया गया ।

(५) दिवाली पर ६ दिन की सामूहिक छुट्टी के स्थान पर ३ दिन की छुट्टी कर दी गई ।

२--यह परिवर्तन शासन की छुट्टियों की संख्या को यथासंभव कम करने की नीति के आधार पर किया गया है ताकि सार्वजनिक कार्यों में तथा विकास संबंधी कार्यों की प्रगति में बाधा न पड़े ।

बहादुरगंज में हैजा की रोक थाम के काम

*१०७--**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर, थाना कासिमाबाद, कस्बा बहादुरगंज में जुलाई, अगस्त, १९६१ में सरकार की तरफ से हैजा की रोक थाम के लिये क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--कस्बा बहादुर गंज, थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर में ८ अगस्त, १९६१ से कालरा के रोक थाम के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रोगियों की चिकित्सा की गई तथा उनसे संलग्न व्यक्तियों को सलफा गोनाडीन या कालरा मिक्सचर संक्रामक स्वरक्षा हेतु दिया गया ।

उक्त कस्बे में २,४३३ हैजा निवारक टीके लगाये गए तथा लगभग १०० कुओं में लाल दवाई, द्वारा बराबर निःसंक्रामीकरण किया गया, तथा जब तक उस क्षेत्र में बीमारी रही तब तक स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी डाक्टर (मेडिकल आफिसर) या संक्रामक रोग सहायक (इपिडेमिक असिस्टेन्ट) या स्वच्छता निरीक्षक (सेनीटरी इन्सपेक्टर) रोग को काबू करने के लिये वहां पर मौजूद रहे ।

गोंडा जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*१०८---**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में किन-किन नदियों में अतिवृष्टि से ३१ अगस्त, १९६१ तक बाढ़ आयी और सरकार ने क्या-क्या सहायता दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला गोंडा में घाघरा, सरजू, राप्ती, कुबानों तथा सुवान नदियों में अतिवृष्टि से ३१-८-६१ तक बाढ़ आई है। बाढ़ पीड़ितों को निम्नांकित सहायता पहुंचाई गई---

(अ) करीबन ५०,००० रुपये मूल्य का गल्ला, गुड़, नमक व दिलासलाई आदि बांटे गये ।

(ब) २,००० रुपये की धनराशि बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के पुर्ननिर्माण के लिये बांटी गई ।

(स) १,५०,००० रुपये की धनराशि तकावी के रूप में बैल खरीदने व बीज इत्यादि के लिये बांटी जा रही है ।

(द) २०,००० रुपये की धनराशि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के इन्टरमीडिएट कक्षा तक पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों को वर्जीफा देने के लिये स्वीकृत कर दी गई है।

*१०९--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कौन-कौन तहसील इस बाढ़ से प्रभावित हुई, उनमें कितने एकड़ फसल बरबाद हुई, कितने गांव प्रभावित हुए और कितने घर गिरे तथा कितने जन, धन, पशु की हानि हुई और कितना उपरोक्त क्षेत्र का लगान बाकी है? कितने पुलिया व सड़क तथा बन्ध टूटे या काटे गये और कितने सरकारी नाव हैं और कौन से अधिकारी का दौरा हुआ, पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त बाढ़ से जिला गोंडा की तीन तहसीलों--तरबगंज, बलरामपुर और उतरौला प्रभावित हुई हैं। इन तीनों में कुल १,६६,९०० एकड़ भूमि में फसल को हानि पहुंची है, ४६४ ग्राम प्रभावित हुये हैं, ३,४९५ मकान गिरे, १ मनुष्य तथा ४ पशुओं की मृत्यु हुई, और अनुमानित १,८५,५९,६०० रुपये की मकान गिरने व फसल को क्षति पहुंचने से हानि हुई है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ४,७६,२९९ रुपये लगान की वसूली अभी बाकी है। पसका, परसपुर, सहेट, तुलसीपुर, उतरौला, बलरामपुर, तुलसीपुर घिपरा घाट सड़कें तथा गिरगिटी, बिलौहा व बलरामपुर प्रोटेक्शन बांध टूटे। पुलियों के टूटने की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। उक्त क्षेत्रों में पीड़ितों के सहायतार्थ ३९ सरकारी नावें तथा एक मोटर बोट हैं। जिलाधीश हाकिम तहसील, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों ने बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।

गांव सभा सिकन्दरपुर कलां की भूमि

*११०--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम सिकन्दर-पुर कलां, जिला शाहजहांपुर तहसील सदर में गांव सभा के नाम कितनी भूमि है और जुलाई सन् १९६१ में उस पर कौन काबिज है और वह गांव सभा के किस पद पर है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्र की जा रही है।

*१११--श्री टीकाराम--क्या यह सही है कि उस भूमि को गांव समाज की भूमि-व्यवस्था कमेटी ने उसके देने का किसी को कोई और कभी प्रस्ताव नहीं किया था ? यदि हां, तो क्या इस भूमि को सरकार उनसे बेदखल करायेगी और उसका हरजाना आज तक का लेकर गांव सभा में विकास के काम में लगायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्र की जा रही है।

केन डेवलपमेंट सोसाइटी शामली द्वारा किसानों से अधिक दण्ड वसूल करना

*११२--आचार्य दीपंकर--क्या यह सही है कि केन डेवलपमेंट सोसाइटी शामली (मुजफ्फरनगर) उन किसानों से चार आना प्रति मन पैनेल्टी लेती है जिन्होंने अपने बान्ड का पूरा गन्ना नहीं दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*११३--आचार्य दीपंकर--क्या यह भी सही है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने एक आना रुपया पैनेल्टी लेने का फैसला लिया है और मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर) आदि सोसाइटियों में भी एक आना ही काटा जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*११४--आचार्य दीपंकर--यदि हां, तो क्या सरकार शामली (मुजफ्फरनगर) सोसाइटी को भी यह आदेश देने की कृपा करेगी कि वह एक आना रुपये से अधिक पैनेल्टी न काटे और चार आना रुपये क हिसाब से काटी गई अधिक रकम को वापस कर दे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

मुजफ्फरनगर जिले की चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

*११५—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—२४ अगस्त, १९६१ के श्री उग्रसेन जी के तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विशेष कारण हैं जिनकी वजह से मुजफ्फरनगर जिले की चार गन्ना मिलों पर १ जुलाई, १९६१ को करीब ८८ लाख रुपया गन्ना किसानों का शेष था जब कि प्रदेश की समस्त मिलों पर लगभग ५ करोड़ ७० लाख रुपया ही शेष था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुजफ्फरनगर जिले की चार गन्ना मिलों पर १९६०-६१ सीजन के गन्ने के मूल्य का कथित धन बकाया रहने के कारण यह थे कि सभी मिलें गत दो तीन वर्षों से पिराई क्षमता में वृद्धि करने में लगी होने से आर्थिक संकट से ग्रस्त थीं और इसके साथ-साथ चीनी की निकासी के अवरुद्ध होने से इनके ऊपर आर्थिक भार और भी बढ़ गया।

*११६-११७—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में लकड़बग्घों के विनाश के लिये कार्य

*११८—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम गोरा चिरइया, परगना व जिला जालौन में जुलाई मास में एक व्यक्ति पर लकड़बग्घे ने घातक आक्रमण किया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*११९—श्री गरीबदास—यदि हां, तो उक्त घटना का विवरण किस प्रकार है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

*१२०—श्री गरीबदास—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में सरकार ने लकड़बग्घों के विनाश के अब तक क्या-क्या उपाय किये तथा पूर्ण सफलता क्यों प्राप्त नहीं हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिले में लकड़बग्घों के विनाश के लिये शिकारी पार्टियां १० जुलाई, १९६१ से तैनात हैं। इन पार्टियों ने जिले के विभिन्न भागों में अब तक ३१७ लकड़बग्घे मारे हैं। अब इन जानवरों द्वारा आक्रमण की कोई शिकायत नहीं है।

*१२१—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

लोकेन्द्र अस्पताल, जगम्मनपुर में स्टाफ क्वार्टर्स बनवाने की योजना

*१२२—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला जालौन के लोकेन्द्र अस्पताल, जगम्मनपुर में डाक्टर व कम्पाउन्डर के क्वार्टर बनवाना तय हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस कार्य में कहां तक प्रगति हुई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। इस कार्यहेतु १५,००० रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है किन्तु नक्शे तथा तखमीनों में कुछ कमियों के कारण अभी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। उक्त नक्शे तथा तखमीनों के पूर्ण होने पर प्रशासकीय स्वीकृति दी जावेगी और साथ ही साथ निर्माण कार्य आरम्भ करने के आदेश भी दिये जायंगे।

*१२३—राजा वीरेन्द्रशाह—[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२४–१२५—श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)—[चौथ गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

जिलेवार गन्ने की पेराई

*१२६—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीजन १९६०–६१ में जिलेवार प्रदेश में कितने मन गन्ने की क्रशिंग हुई है तथा कितने मन गन्ना पेरने से बाकी रह गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९६०–६१ सीजन में प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा पेरे गये गन्ने का जिलेवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त कोई गन्ना पेरने के लिये उपलब्ध न था।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १०७२ पर।)

*१२७–१२९—श्री बाबूराम तथा श्री नत्थूसिंह—[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१३०–१३१—श्री भोखालाल—[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

कुन्डा तहसील में भूमि हीन

*१३२—श्री गयाप्रसा (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय १० अगस्त, १९६१ को जिला प्रतापगढ़ की कुन्डा तहसील के हर ग्राम समाज में अलग-अलग कितने भूमिहीन किसान हैं?

*१३३—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५८ से दिसम्बर, १९६० तक जिला प्रतापगढ़ की कुन्डा तहसील के हर ग्राम समाज में अलग-अलग कितनी-कितनी भूमि के पट्टे किये गये? उनमें से क्रमशः कितने भूमिहीनों को और कितने अन्य किसानों को किये गये?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन प्रश्नों में मांगी गई सूचना एकत्र करने में काफी धन तथा समय लगेगा, जो उससे प्राप्त फल के समतुल्य न होगा।

*१३४–१३५—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

केन डेवलपमेंट यूनियन लिमिटेड, हरदोई के सदस्यों पर यूनियन का बकाया

*१३६—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन डेवलपमेंट यूनियन लिमिटेड, हरदोई में कितने व्यक्तियों पर सोसाइटी का कर्जा बकाया पड़ा है और इस प्रकार का कुल कितना रुपया है तथा उक्त सोसाइटी ने उसकी वसूलयाबी के सम्बन्ध में कौन सा सक्रिय कदम उठाया है? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर आज (११ अगस्त, १९६१) से चार वर्ष पहले तक का रुपया पड़ा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन डेवलपमेंट यूनियन लिमिटेड, हरदोई के ३,३७६ सदस्यों पर १–७–६१ को रुपये १,८०,६५६.९३ न० पै० यूनियन का कर्जा बाकी था। उपर्युक्त सदस्यों में से जिनके विरुद्ध कर्जा तीन साल या उससे अधिक का है उन पर यूनियन द्वारा सालसी दावा (Arbitration) की कार्यवाही की जा रही है।

ऐसे ४९१ व्यक्ति हैं जिन पर ११–८–६१ को चार वर्ष पहले तक का रुपया पड़ा है। उन सभी के खिलाफ सालसी दावा दायर किया गया है।

पश्चिमी जिलों में बिजली के लिये प्राथमिकता दिये गये कार्य

*१३७---श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)---सरकार ने पश्चिमी जिलों में बिजली उपभोक्ताओं को किन-किन कार्यों के लिये प्राथमिकता देने का विचार किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बिजली देने के लिये निम्न लिखित प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं:---

(१) प्रशिक्षण योजनायें,
(२) राज्य उद्योग,
(३) नलकूप आदि,
(४) राज्य सहायता प्राप्त उद्योग,
(५) राज्य के लिये विशेष महत्व के उद्योग, जैसे सीठी, आदि से कागज बनाना।
(६) अभियांत्रिक उद्योग,
(७) विद्युत उद्योग,
(८) रसायनिक उद्योग,
(९) अन्य बड़े उद्योग,
(१०) शीतसंग्रहण तथा प्रशीतन सम्बन्धी संयंत्र,
(११) अन्य छोटे-मोटे उद्योग।

*१३८---श्री राजेन्द्रदत्त---जिन-जिन उद्योगों को प्राथमिकता दी है क्या सरकार उनकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वांछित सूची प्रश्न संख्या १३७ के सामने दी हुई है।

सेवरही, सरदारनगर तथा आनन्द नगर चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता

*१३९---श्री गेंदासिंह---मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सेवरही, सरदार-नगर तथा आनन्दनगर चीनी मिलों की उत्पादन की क्षमता प्रथम तथा द्वितीय योजना काल में बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो पहले कितनी थी और कितनी बढ़ाई गई तथा उस पर कितना-कितना व्यय हुआ ? क्या उपर्युक्त मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का तृतीय योजना काल में भी आयोजन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रथम तथा द्वितीय योजना काल के आरम्भ तथा द्वितीय योजना काल के अन्त में निर्दिष्ट चीनी मिलों की क्षमता (Installed capacity) के आंकड़े संलग्न तालिका में दिये हैं। क्षमता बढ़ाने के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। आनन्दनगर तथा सेवरही मिलों को अपनी-अपनी क्षमता क्रमशः १,२१९ तथा १,५२४ मीट्रिक टनों तक तृतीय योजना काल में बढ़ाने की अनुमति मिल चुकी है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ १०७३ पर)

*१४०---श्री हिम्मतसिंह---[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

पीलीभीत जिले में चकबन्दी लेखपालों का वेतन रुकना

*१४१---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला पीलीभीत के चकबन्दी लेखपालों का वेतन चार माह से न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पीलीभीत जिले के केवल दो चकबन्दी लेखपालों को गत चार माह से वेतन नहीं मिल पाया है क्योंकि वह मुरादाबाद जिले से स्थानान्तरित होकर आये हैं जहां से अभी तक उनकी वेतन पर्ची (Last Pay Certificate) नहीं आई है।

*१४२-१४३--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१४४--श्री मोतीलाल अवस्थी--[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१४५-१४६--श्री शिवराम (जिला बिजनौर)--[चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव विधान सभा--अध्यक्ष महोदय, मैं घोषित करता हूं कि क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ९ अगस्त, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३१ अगस्त, १९६१ की बैठक में, पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ३१ अक्तूबर, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का ३१वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति का तृतीय कार्य लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन*

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं विधान सभा की लोक लेखा समिति का तृतीय कार्य-लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन जो सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ से सम्बन्धित है, सदन की मेज पर प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, जैसा कि आपको विदित है, कार्य-लेखा संपरीक्षा के लिये यह तीसरा कार्यक्रम लोक लेखा समिति ने महालेखापाल महोदय की सलाह से स्वीकृत किया था और सेंट्रल डरी फार्म अलीगढ़ का या राज्य की अन्य डेरियों का संचालन किस प्रकार होना चाहिये इस बारे में विस्तृत टिप्पणी लोक लेखा समिति ने की है। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार पहले की तरह इस वर्क आडिट रिपोर्ट पर शीघ्रातिशीघ्र जांच कर के सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करेगी और सब संस्तुतियों को स्वीकार करेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--यह है कहां?

श्री अध्यक्ष--यह अभी छपी नहीं है। टाइप करके टेबिल पर रख दी गयी है और छपवा कर बंटवा दी जायगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--घर पर चली जायगी।

श्री अध्यक्ष--जी हां, अभी तीन, चार महीने तो सभी मेम्बर रहेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने दिया है।

"राज्य सरकार ने तीसरी कक्षा से पुनः अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार के उपर्युक्त निर्णय से प्रदेश की आम जनता में विक्षोभ का वातावरण व्याप्त है। अतः राज्य सरकार की भाषा सम्बन्धी उपर्युक्त नीति पर विचार करने के लिये यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

---

*छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]

अब आप यह बतायें कि जब आपके सामने आज अनुपूरक अनुदान मौजूद है और शिक्षा का भी विषय उसमें है तो आप इसको किस तरह से कहते हैं कि इतने महत्व का है कि उस बहस में नहीं आ सकता और यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय बन सकता है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय में मुझे अवसर दिया कि मैं यह बता सकूं कि यह किस प्रकार कार्य-स्थगन का विषय है। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि अनुपूरक अनुदानों में सरकार मूलभूत में कोई नई नीति का समावेश नहीं कर सकती। अनुपूरक अनुदानों का सिर्फ मतलब यह होता है कि जो विषय मूल बजट में आ चुके हों और उसे पूरा करने में कमी पड़ रही हो किसी तरह से, उनको ही लिया जा सकता है। चूंकि यह बिलकुल नया विषय है, यह कहीं भी, किसी प्रकार सरकार ने अपने मूल बजट में नहीं लिया इसीलिये यह एक प्रकार की नई नीति का विषय हुआ और जब कोई सरकार नई नीति चलाये और तमाम प्रदेश की जनता प्रभावित हो .....

श्री अध्यक्ष---आप को वह पढ़ना चाहिए ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैं उसी को पढ़ने जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय उपनेता सदन कृपा करके इस बात को सुनें क्योंकि उनको कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---नीति का निर्धारण मूल बजट में होता है और मैं अगर कह सकूं तो मूल बजट में अनुदान के बाद अगर खर्च की कमी पड़े तभी पूरक बजट पेश किया जाता है। अनुपूरक अनुदानों सम्बन्धी स्मृति पत्र के पृष्ठ २४ पर यह दिया हुआ है---

"स्कूलों में कक्षा ३ से ५ तक अंग्रेजी में पढ़ाने का प्रबन्ध---

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कक्षाओं के पाठक्रम से अंग्रेजी विषय को हटाने का विचार अब वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है क्योंकि राज्य के लिये विद्यार्थियों को अंग्रेजी का अध्ययन करने से रोकना हितकर नहीं होगा, जिसका कारण यह है कि देश में प्रयुक्त समस्त भाषाओं में अंग्रेजी का अब भी प्रमुख स्थान है और अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिये भी अंग्रेजी भाषा का कम से कम ८ वर्ष तक पूर्व-कालीन अध्ययन आवश्यक है। इसलिये यह प्रस्ताव है कि अंग्रेजी का अध्ययन कक्षा ३ से प्रारम्भ कर दिया जाय जिससे हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट की परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी का यथोचित ज्ञान हो।"

तो हमारा नम्र निवेदन यह है कि यह नीति सम्बन्धी बात हुई। इसी के साथ पृष्ठ २३ पर आप देखें। अभी तक जो पाठ्यक्रम था उसको भी बदलने की बात उसमें कही गई है। उसमें है---

"उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था", तो इसमें मात्र भाषा के बाद दूसरे नम्बर पर अंग्रेजी या एक आधुनिक योरोपीय भाषा का भी जिक्र है। श्रीमन् स्पष्ट है कि योरोपीय भाषाओं में अंग्रेजी लाजमी होगी क्योंकि हमारे देश में रशियन या फ्रेंच वगैरा भाषाओं के जानने वाले काफी तादाद में मिलते नहीं हैं इसलिये ये भाषायें नहीं हो सकती हैं अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई है और बच्चों के ऊपर तीन भाषाओं का बोझ पड़ेगा। श्रीमन्, यह नीति का प्रश्न है और इसमें प्रथम वर्ष के लिये साढ़े उन्नीस लाख रुपया मांगा जा रहा है और राज्य सरकार का विचार इस योजना को जुलाई से लागू करने का है और इस समय १०० रुपये का अनुपरक अनुदान प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि इसमें राज्य सरकार....

श्री अध्यक्ष---यह तो ठीक है। यह विषय तो इसमें आयेगा ही। आप यह बताइये कि काम रोको प्रस्ताव का यह विषय कैसे बन जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, राज्य सरकार का विचार इस योजना को जुलाई से लागू करने का है किन्तु इस योजना को लागू करने के पूर्व प्रारम्भिक सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा तथा विद्यालय अधिकारियों को अध्यापकों आदि की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी करने होंगे। अतएव उपर्युक्त प्रकार से कार्यवाही करने के लिये विधान मन्डल की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से १०० रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जाती है तो यह स्कीम जुलाई में लागू होगी और मार्च में अगला बजट आयेगा, उस समय यह आनी चाहिये थी और इस समय यह अनावश्यक है, दूसरे इसमें नीति का सवाल है। अगर यह लागू हो जाती है और हम स्वीकृति दे देते हैं तो जो नई असेम्बली आयेगी उसको दिक्कत होगी। इसलिये सरकार इसको वापस ले और चुनाव प्रचार में यह कहे कि हम तीन भाषायें बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य होगी, नई असेम्बली के सामने बजट में इस प्रश्न को रखा जा सकता है। हमारा पहला कथन तो यह है कि इस समय इसे पास कर देने पर हम लोग नैतिक रूप से बंध जायेंगे। इसलिये इसको आप न आने दें।

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र ने जो मोशन दिया है उसके जरिये वे चाहते हैं कि आज का सदन स्थगित कर दिया जाय और उनका एतराज अंग्रेजी को कम्पलसरी करने पर है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने संकेत किया था, मैं भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह हमारे सप्लीमेंटरी बजट में है और टीचर्स के बारे में भी है। अगर हमारे मित्र इससे एग्री नहीं करते हैं तो वे इसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन यह ऐडजर्नमेंट मोशन का सवाल नहीं बन सकता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन, मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि जब सरकार के द्वारा कुछ कानून बने हुये हैं, जैसे कि इन्टरमीडियेट बोर्ड है, यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनको उनके अन्तर्गत विषयों के पढ़ाने का अधिकार है। इण्टरमीडियेट बोर्ड को भी, कौन-कौन से विषय पढ़ाये जांय, इसका अधिकार है। इस अनुपूरक बजट के द्वारा यह सरकार, आप

जरा पृष्ठ २३ पर देखें....

श्री अध्यक्ष---अनुपूरक बजट जब आये तो उस समय आप बहस कर सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव का विषय कैसे बन सकता है।

श्री राजनारायण---इसलिये श्रीमन्, यह काम रोको प्रस्ताव का विषय बन सकता है कि कानून में यह लिखा हुआ है। अब यह कहते हैं कि "सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन ने सन् १९५६ में अपनी २३वीं बैठक में तीन भाषाओं के सत्र पर विचार किया और दो सूत्र प्रस्तावित किये जिनमें माध्यमिक स्तर तक क्षेत्रीय भाषाओं को उचित मान्यता दी गई थी। अधिकांश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने तीन भाषाओं के सूत्र की नीति को स्वीकार कर लिया है और अपने क्षेत्र के माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसे लागू करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी है। भारत सरकार इस योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार पर जोर दे रही है। अतएव देश भर में एकरूपता बनाये रखने और देश की अखंडता के हित में राज्य सरकार...

श्री अध्यक्ष---यह सब आप उस वक्त कह सकते हैं।

श्री राजनारायण---यह उसमें नहीं आता है। मेरा निवेदन यह है कि आज तक माध्यमिक बोर्ड दो भाषायें पढ़ा रहा है तो अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री अध्यक्ष---आप मेरिट्स में क्यों जा रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस तरह से कामरोको प्रस्ताव का विषय बन सकता है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपको सुनना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष---व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था नहीं होती।

श्री राजनारायण---हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो सरकार को करना जरूरी है ही नहीं, उसके लिये सरकार हम से अनुदान क्यों मांग रही है और इस अनुदान द्वारा सरकार भाषा सम्बन्धी नीति को क्यों उठा रही है।

श्री अध्यक्ष---यह आप कह चुके, बैठिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आप कृपया एक व्यवस्था दें कि मूल बजट में अगर कोई आइटम है तो उसके सम्बन्ध में काम रोको प्रस्ताव हो सकता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष---असली चीज यह है कि काम रोको प्रस्ताव किसी विषय पर, जो कि प्रस्तुत किया गया हो, सामने आ रहा हो, उसके सम्बन्ध में भी यदि बहुत से इकट्ठे विषय विचारार्थ हों और उसमें अगर शामिल होता है कोई विषय, तो वह इतने महत्व का होना चाहिये कि जब तक उस पर अलग से बहस न की जाय तो उस विषय पर फिर पूरे तौर से बहस न हो सके, ऐसे मौके पर काम रोको प्रस्ताव आ जाता है, लेकिन जब कि बजट उपस्थित किया गया है, बजट में सबसे ज्यादा मौका मिलता है। उसमें आप अगर चाहें तो सवेरे से शाम तक एक ही महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं। जनरल बहस होने वाली है। ऐसी अवस्था में यह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता। इसलिये मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। जिस समय शिक्षा के सम्बन्ध में बजट के ऊपर विचार होने लगे उस समय आप यह भी कह सकते हैं कि यह आइटम इसमें से निकाल दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---कामरोको प्रस्ताव मैटर आफ रीसेंट आकरेंस पर आता है। अगर कोई घटना घटित नहीं हुई है तब भी कोई कामरोको प्रस्ताव आ सकता है?

श्री अध्यक्ष---नहीं आ सकता है।

श्री राजनारायण---माननीय नारायणदत्त तिवारी की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि आकरेंस हो गया है, सरकार ने निर्णय ले लिया है। अंग्रेजी की गुलामी करने से काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष---इस सदन का निर्णय ही सर्वोपरि है। अगर आप इसको खत्म कर देते हैं तो यह खत्म हो जायगा। इसलिये यह नहीं कह सकते कि वह चीज आखिरी हो गई। सरकार ने आपके विचारार्थ रखा है। अगर आप समझते हैं कि यह अनुचित हुआ है तो सम्बन्धित अनुदान खत्म कर दें। यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहता हूं। स्पष्ट कर दें कि क्वेश्चन निश्चित होना चाहिये या मैटर निश्चित होना चाहिये। अगर आप डेफिनिट क्वेश्चन पर भी पूर्ण रूप से विवाद करने का अवसर दे दें तो यह हमारे लिय सौभाग्य की बात होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि मैटर डेफिनिट होना चाहिये या क्वेश्चन डेफिनिट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आप मुझ से हर चीज पर रूलिंग नहीं ले सकते। उसमें समय जायगा। जो कामरोको प्रस्ताव आया है उस पर मैंने रूलिंग दे दी कि मैं उसको इजाजत नहीं दे सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा---इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था दें कि क्या यह किसी समय में ठीक है कि मूल बजट में जो नीति न आई हो अनुपूरक बजट में उस नई नीति के सम्बन्ध में भी मांग वह रख सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---आप जिस वक्त अनुदानों पर बहस हो उस वक्त यह बात रख सकते हैं। जिस वक्त बजट पेश हो जाय और उस पर बहस हो तो उस वक्त उसके विरोध में बोलते हुये आप यह कह सकते हैं कि यह नहीं ला सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---तो श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि अंग्रेजी को पुनःलागू करने की यह दूषित नीति जो इस समय लादी जा रही है और राष्ट्रभाषा हिन्दी की तरफ जो एक कदम हमारा उठा था उससे भी पीछे हटकर सरकार यह दूषित कार्य जो फिर से करने जा रही है, उसके विरोध में हम एक घंटे के लिये सदन का परित्याग करते हैं।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के हिसाब से मैंने निम्न विषय आज के लिये स्वीकार किया है---

"प्रदेशीय सरकार के निर्माण विभाग बोर्डर डिवीजन टनकपुर, झूलाघाट व जौलजीवी स्थानों से सीमेंट, लोहा व कपड़ा तथा अन्य सामान प्रचुर मात्रा में तालाकोट में चीन को गैर-सरकारी तरीके से भेजा जा रहा है और प्रदेशीय सरकार की ओर से अब तक रोकथाम का कोई भी उपाय नहीं किया गया है, इससे उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

यह माननीय प्रताप सिंह जी का है। तो इसके ऊपर मन्त्री जी कब वक्तव्य देंगे?

चिकित्सा उप मन्त्री (श्री धर्मसिंह)---कल ही तक तो टाइम है, कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष---जितनी आपको मिल सके सूचना वह आप दे दें। टेलीफोन से आप मंगा सकते हैं। अब इस वक्त अधूरी व पूरी का कोई सवाल नहीं है। जितनी भी आपको सूचना मिल जाय वह आप कृपा करके दे दें। यह उत्तर नहीं होना चाहिये कि पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिये वक्तव्य नहीं दे सकते।

दूसरा है माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट जी का, जिसे मैंने कल के लिये रखा है। आज इसलिये ले लिया है कि माननीय मन्त्री जी को इसकी सूचना हो जाय। वैसे मैं उसे कल ही पढ़ूंगा। मैं समझता हूं कि वह मन्त्री जी के पास पहुंच गया है। वह जेल फार्म के गन्ने के विषय में है जो कि दस आने मन बेचा जा रहा है जब कि उसका रेट १ रुपया १२ आना मन है। तो इस सम्बन्ध में भी कल वक्तव्य हो जाना चाहिये। जितनी जानकारी उसमें हो वह आप कल देदें। वह कल का विषय है।

आबकारी राज्य मन्त्री (डाक्टर सीताराम)---यह जो नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न आया है, माननीय सदस्य ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में भी उसे दिया है। तो या तो कल वक्तव्य हो इसके ऊपर या अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---कल के लिये वह उन्होंने आपके पास नोटिस भेज दिया है कि कल आपको उत्तर देना है उसका?

डाक्टर सीताराम---मुझे तो नोटिस मिला है, लेकिन यह नहीं तय हुआ कि इसका उत्तर देना है या नहीं। अब यह तय करना है कि जब इसी चीज को लेकर के कल अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी है....

श्री अध्यक्ष---आप ऐसा करें कि वक्तव्य दे दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं अल्पसूचित प्रश्न हटा दूंगा। अल्पसूचित में भी प्रश्न ही पूछने को मिलेगा और इसमें भी प्रश्न पूछने को मिलेगा। लेकिन वक्तव्य में जरा डीटेल में सारी बात आ जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, एक नरभक्षी शेर के सम्बन्ध में था, वह अब तक कई जानें ले चुका है ....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप थोड़ी सी बहादुरी लोगों को सिखा दें तो ज्यादा अच्छा है।

जमींदारी विनाश के सम्बन्ध में पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तिथि के बारे में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, यह मामला कुछ ऐसा है कि इसमें कानूनी पेच है। कुछ दफात का समझना यही इसमें खास बात है।

श्री अध्यक्ष---आपका यह तो इशारा नहीं है कि माननीय सदस्य की समझ में नहीं आयेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नहीं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। इस पर मैं जोर नहीं दे रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार १० लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट पाने के मुस्तहक हैं। उसमें से ६ नवम्बर, १९६१ तक यह अनुमान किया जाता है कि सवा ९ लाख आदमियों ने दरख्वास्त देदी है। अब बाकी रहे ७५ हजार, उसमें से कसवार राज्य, रामपुर, गवर्नमेंट इस्टेट्स और मिर्जापुर का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर अभी २१-६-१९६२ तक मियाद है। ज्यादातर वही लोग हैं। इसके अतिरिक्त ५,७०० के लिये विज्ञप्ति की थी जिसमें से ४,५८८ लोगों ने दरख्वास्त की है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो कसवार राज्य या उन एरियाज के होंगे जहां पर मियाद बाकी है। ऐसी सूरत में यह कहना कि लोगों ने इस बात की दरख्वास्त नहीं दी है, सही नहीं है। कुछ थोड़े आदमी बाकी रहे होंगे। जिनको खबर नहीं मिली उन्होंने ऐसा किया। तो हमारे लिये दिक्कत यह है कि हम क्या करें, क्योंकि जो जमीन्दारी अबालिशन अमेंडिंग ऐक्ट पास हुआ था वह शायद सन् १९५८ में हुआ था और उसके जरिये से यह मियाद मुकर्रर की गई थी। उस मियाद को हम एक्जीक्यूटिव आर्डर से बढ़ा नहीं सकते। अगर हम कोई अमेंडिंग बिल लायें तभी वह मियाद बढ़ सकती है। अब इस सदन की अवधि कल समाप्त हो रही है। यह आखिरी सेशन है इस वजह से भी हमारी मजबूरी है।

दूसरी बात यह है कि इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट की दफा ५ की रूह से अगर किसी माकूल वजह से देर हो गई है तो उसकी दरख्वास्त को मियाद के बाहर भी लिया जा सकता है। यह चीज गजट में प्रकाशित हुई है और असेम्बली में उस पर बहस हुई और बहुत ज्यादा लोगों को मालूम हुआ जिससे सवा ९ लाख लोगों ने दरख्वास्त दी और उनको मियाद मालूम हो गई। अगर कुछ लोग बाकी रह गये हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है ? कोई खास तरीका बतलायें तो उनको हम हेल्प करने के लिये तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि वे महरूम रहें। जो हमारी दिक्कत है उसको हमने सदन के सामने अर्ज कर दिया।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जमीन्दार जो पुनर्वास के अधिकारी थे, उनकी संख्या २२ लाख ५ हजार से घटकर लगभग २१ लाख ९५ हजार होती है, तो आज किस आधार पर उन्होंने यह कहा कि ऐसे लोगों की संख्या केवल १० लाख है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---डिपार्टमेंट से जो इत्तिला दी गई उसके आधार पर हम कहते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी को डिपार्टमेंट से जो सूचना मिली है उस सूचना की पुनः जांच करायेंगे कि २२ लाख का जो आंकड़ा मैंने बतलाया वह सही है या १० लाख जो उनको डिपार्टमेंट से सूचना मिली है, वह सही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जरूर जांच करा लेंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या राजस्व मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनका जमीन्दारी कम्पेन्सेशन भूमिधरी में काट लिया गया है उनको पुनर्वास अनुदान न देने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे यह स्वीकार नहीं है कि वह काट लिया गया है। कुछ नहीं काटा गया है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---जो परिपत्र पुनर्वास देने के तैयार किये गये हैं और तैयार किये जा रहे हैं उनमें भूमिधरी के सम्बन्ध में कटौती करके शुद्ध रूप में कोई चीज पाने को शेष रह ही नहीं गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो बात क़यास करके कही जाय उसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या सरकार फौज के उन कर्मचारियों के लिये, जिनको इसकी सूचना नहीं हो पायी और जो समय से पुर्नवास के अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दे पाये उनको फिर से दरख्वास्त देने के लिये इजाजत देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सरकार तो सब कुछ करना चाहती है मगर उसका तरीका बता दिया जाय। अब सदन बैठेगा नहीं, बिल आ नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष---एक तरीका वे जानते हैं आर्डिनेन्स का। (हंसी)

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने तो माननीय सदस्य से पूछा था, अध्यक्ष महोदय से नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब उसे किसी काम की जल्दी होती है तो वह कोई न कोई आर्डिनेन्स ले आती है, तो इस कार्य के लिये भी, जिससे कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान सरकार को होने वाला नहीं है, इस के लिये भी कोई आर्डिनेन्स लाने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी हम कुछ कह नहीं सकते। विचार करेंगे। प्रजातंत्र में तो हर चीज पर विचार करना होता है पहले।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये वह धारा बताने की कृपा करेंगे जिसके द्वारा पुनर्वास वालों के साथ वह लिमिटेशन लगायी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष---वह उस धारा को जानना चाहते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा यह तारीख मुकर्रर की गयी है। वह धारा आप बता दें जिसके द्वारा आपने यह ६ तारीख मुकर्रर की।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह किताब में होगी, उसे पढ़ लें।

श्री प्रतापसिंह---वह धारा नहीं है, आपका आर्डर है उसके लिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---धारा है, मैं मंगा कर बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष---आप उसके लिये अभी किसी को आर्डर दे दें ताकि वह धारा आ जाय।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं और जिनके उत्तराधिकार का प्रश्न अभी तक तय नहीं हो पाया है उनके पुनर्वासन के संबंध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लिमिटेशन ऐक्ट की धारा ५ देख लें, उसमें होगा। किसी वकील से मशविरा भी ले लें, चाहें तो ।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या यह सही है कि जिस तरह से जमींदारी बान्ड्स की दो-दो, तीन-तीन रुपये वाली जो रकमें थीं उनको सरकार ने मार लिया, उसी तरह से वह इसकी रकम मारने का भी विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--रकम मारने की बात तो जमींदारों के साथ चली गयी ।

जिला जालौन में डाकुओं के आतंक से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--अब जो दूसरा जिला जालौन में डाकुओं के आतंक के संबंध में राजा वीरेन्द्र शाह वाला नियम ५२ का प्रस्ताव है, उस पर माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--श्रीमन्, जो प्रस्ताव है उसको पढ़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--इसमें यह कहा गया है कि "जिला जालौन का उत्तर-पच्छिमी भाग जो मध्य प्रदेश तथा इटावा-जिले की सीमा से लगा हुआ है आज फिर से डाकुओं के आंतक से पीड़ित है, यही हालत माह मार्च, १९६१ में थी जब हम ने सरकार का ध्यान दिलाया था और पुलिस विभाग ने उचित प्रबन्ध पी० ए० सी० को लगा कर प्रसंशनीय कार्य किया, पर जब से बरसात में यह पी० ए० सी० हटा ली गई है, तब से फिर से डाकुओं का आंतक बढ़ गया है और जनता बहुत भयभीत है..." इसी में आगे उन्होंने कुछ केसेज भी बताये हैं जिसमें डकैतियां हुई हैं । तो उनका कहना यही है कि चूंकि ऐसी परिस्थिति फिर से पैदा हो गयी है वहां पी० ए० सी० फिर से लगा दी जाय ।

***गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)**--मान्यवर, जिला जालौन का उत्तर पच्छिमी भाग मध्य प्रदेश के जिला भिंड व उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की सीमा पर स्थित है । यह प्रदेश लगभग ४५ मील लम्बा बीहड़ क्षेत्र है । मध्य प्रदेश में, प्रायः डाकुओं के दल सक्रिय रहे हैं और इस प्रदेश में दस्यु लाखन सिंह व मान सिंह के सक्रिय होने के कारण जालौन जिले के उपरोक्त क्षेत्र डाकू ग्रस्त क्षेत्र घोषित किये गये थे ।

२--यह सही है कि दिनांक २१-१०-६१ को ग्राम मिझौना, थाना रेंडर में २०-२१ डाकुओं ने २१ घर लूटे और ४०,००० रु० की सम्पत्ति लूट ले गये । डाकू ग्राम में लगभग साढ़े ६ बजे शाम को आये थे और वहां डेढ़ घंटे रहे । इस घटना की सूचना ग्राम के चौकीदार ने थाने पर रात में सवा दस बजे दी । इसी बीच ग्राम बोगरा में थाने के थानेदार को इस घटना की सूचना मिल गई थी और वह वहां से तुरन्त ही अपने साथ एक कांस्टेबुल व कुछ बन्दूक के लाइसेंसदारों को लेकर तुरन्त ही घटनास्थल पर गये, परन्तु उनके पहुंचने के कुछ देर पहले ही डाकू जा चुके थे । जनता का आंतक दूर करने के लिये वहां पर एक ए० पी० गार्ड लगा दिया गया है और उच्च अधिकारी भी वहां हो आये हैं । जनता में असुरक्षा की भावना बहुत कम हो गई है । यह डकैती श्रीपाल गड़रिया के गिरोह ने लगभग ७ महीने बाद डाली ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

३—जहां तक ग्राम अंतियन का पुरा में श्रीपाल के गिरोह द्वारा ७ व्यक्तियों की हत्या का संबंध है, सूचना मिली है कि यह घटना सही है । किन्तु यह ग्राम जिला भिंड, मध्य प्रदेश में है । फिर भी सूचना मिलने पर ग्राम महोई, थाना रेंडर में तैनात पी० ए० सी० की टुकड़ी तुरन्त घटनास्थल पर गई किन्तु डाकू भाग चुके थे ।

४—ग्राम व्यवहारा हिंगुटा, थाना रामपुरा में दिनांक ७ नवम्बर, १९६१ को डकैती पड़ने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । यह भी ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष अभी तक इस ग्राम में कोई डकैती नहीं पड़ी । दिनांक ९ व १० नवम्बर को स्वयं एस० पी० उस क्षेत्र में गये थे जहां पर थाना रामपुरा और चौकी माधवगढ़ पर लगभग ५०–६० व्यक्ति उनसे मिले परन्तु किसी ने भी इस ग्राम में ऐसी डकैती पड़ने का कोई जिक्र नहीं किया । यह ग्राम माधवगढ़ से केवल २–३ मील के फासले पर है ।

५—इस क्षेत्र में डाकू उन्मूलन अभियान के सिलसिले में मई-जून में पी० ए० सी० के ४ प्लैटून तैनात थे । इसके अलावा आर्म्ड पुलिस की भी कई चौकियां थीं । इसके फलस्वरूप सिकन्दरा नट का गिरोह नष्ट किया गया । इसके उपरान्त वर्षा ऋतु में पी० ए० सी० के ३ प्लैटून इस कारण हटा दिये गये थे कि इस मौसम में डाकुओं का आवागमन इस क्षेत्र में कम हो गया था । परन्तु इन पी० ए० सी० प्लैटून हटाने के बाद भी इस क्षेत्र में पी० ए० सी० और आर्म्ड पुलिस १४ जगहों पर तैनात थी जो आवश्यकता पड़ने पर डाकुओं से मुकाबला करने में असमर्थ थी । बाद में दशहरे के सिलसिले में पी० ए० सी० का एक प्लैटून भी इस क्षेत्र से १५ दिन के लिये हटा लिया गया था जो वहां पर पुनः २२–१०–६१ को वापस कर दिया गया । वर्षा ऋतु में डाकुओं के गिरोह द्वारा डकैती की कोई घटना नहीं हुई और इनकी कार्यवाही बन्द थी । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पी० ए० सी० फोर्स हटाने के बाद डाकू के दल फिर कुछ सक्रिय हो गये । अतः इस समय इस क्षेत्र में सीमा पर पुनः पी० ए० सी० के दो प्लैटून तैनात कर दिये गये हैं और ए० पी० गार्ड की भी चौकियां स्थापित कर दी गई हैं । पुलिस सर्किल रामपुरा में पी० ए० सी० के ५ सेक्शन, रेंडर में ३ सेक्शन तैनात हैं । इसके अतिरिक्त रामपुरा में ५ ए० पी० गार्ड, रेंडर में ६ ए० पी० गार्ड व थाना कैलिया में ३ ए० पी० गार्ड तैनात हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यह फोर्स इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिये यथेष्ठ है और इस समय जो गैंग सक्रिय हैं जिनमें श्री पाल गड़रिया व फिरंगी सिंह के गिरोह मुख्य हैं—के नष्ट हो जाने पर स्थिति में सुधार हो जाने की संभावना है । इस समय इस क्षेत्र में आतक नहीं है और लोगों में असुरक्षा की भावना नहीं है ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—इस बात दो देखते हुये कि इस क्षेत्र में दो बार डाकुओं का आतंक हो चुका है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जिस तरह से बुलन्दशहर में ग्रामीणों को बन्दूकें देकर रक्षा दल बनाये गये हैं उसी तरह से जालौन में भी रक्षा दल बनाये जायं ?

श्री नवलकिशोर—सरकार इस पर जरूर विचार करेगी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय गृह मंत्री जी को यह ज्ञात है कि उस क्षेत्र में जो पुलिस के उच्चाधिकारी गये उनसे वहां के निवासियों ने यह शिकायत की कि सात व्यक्तियों को डाकुओं ने मार डाला ?

श्री अध्यक्ष—यह बात तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में मंजूर ही की है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो व्यक्ति मारे गये उनके मारे जाने का क्या कारण था ? डाकुओं द्वारा लूट-पाट करने का उद्देश्य नहीं था ?

श्री नवलकिशोर—मैंने यह अर्ज किया था कि जहां यह वाकया हुआ वह थाना भिंड के अन्दर है, जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसके बावजूद भी दो मील पर जो पी० ए० सी० पड़ी

[श्री नवलकिशोर]

हुई थी वह वहां पर गई, लेकिन डाकू भाग चुके थे । मगर छान-बीन जो होगी वह मध्य प्रदेश की पुलिस करेगी, हमसे कोई वास्ता नहीं है ।

राजा वीरेन्द्रशाह--मध्य प्रदेश, जिला इटावा और जालौन का जो यह एरिया है इसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिये क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि स्टेट्स के पुलिस संगठन में कोआर्डिनेशन लाया जाय ताकि अच्छी कार्यवाही करके डाकुओं को पकड़ा जा सके ?

श्री नवलकिशोर--इस समय भी हमारा यही तरीका है । भिंड के एस० पी०, जालौन के एस० पी० और आस पास के जो दूसरे हैं उनमें आपस मे वक्तन फवक्तन भेंट होती है और इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि आपस में कोआर्डिनेशन और कोलैबोरेशन हो ।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार को पता है कि जो सात आदमी मारे गये उनको चार बन्दूकों के लाइसेन्स दो दिन पहले ही मिले थे और उनको इसी वजह से मार दिया गया ताकि जनता में भय पैदा हो और इससे जनता में भय पैदा हुआ है कि जिसको लाइसेंस मिलता है वह मार दिया जाता है ?

श्री नवलकिशोर--यह बात सही है कि इस गांव के अन्दर ८-९ बन्दूकों के लाइसेंस दिये गये लेकिन दो दिन पेश्तर दिये गये थे इसकी सूचना नहीं है । ये सात आदमी जब खेत पर काम कर रहे थे तब उन पर हमला हुआ । . . .

श्री अध्यक्ष--क्या वह डाकू बन्दूक भी ले गये ?

श्री नवलकिशोर--इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--यह दो इन्सीडेन्ट्स जो डकैती के हुये वहां पुलिस तब पहुंची जब कि डाकू चले गये थे, तो पुलिस के देर में पहुंचने का कारण डाकुओं का डर था या पुलिस को डाकुओं से विशेष प्रेम था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--क्या सरकार को पता है कि डाकुओं का एक दल ऐसा है जो खद्दर पहनता है और कारों में बैठ कर दिन में डकैती करता है ? इसकी जांच सरकार करायेगी ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, कुछ नियम ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें कठिनाई होती है । यदि आप आज्ञा दें . . .

श्री अध्यक्ष--वह अपना मथुरा का अनुभव बता रहे हैं ।

श्री नवलकिशोर--अगर ऐसा अनुभव बतायेंगे तो जरूर उस पर ध्यान दिया जायगा ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी उस बार्डर की विशेष भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए और इस बात को भी देखते हुए कि आजादी को मिले १५ साल हो गये हैं और अभी तक वह इलाका अरक्षित अवस्था में है, क्या सरकार उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये कोई ग्राम रक्षा दल आदि को बनाने की योजना बनायेगी ताकि वहां के गांवों में रक्षक दल तैयार हो सकें जो अपनी रक्षा स्वयं कर सकें ?

श्री अध्यक्ष --यह तो एक बहुत व्यापक प्रश्न है ।

श्री गौरीशंकर राय––क्या सरकार को मालूम है कि जिला जालौन की एक विशिष्ट बात यह रही है कि वहां पुलिस और डाकुओं में आज तक कोई भिड़न्त नहीं हुई, जब कि डाकू वहां बहुत बड़ी तादाद में घूमते रहते हैं ? इसलिये क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी और उस इलाके के लिये कोई विशेष प्रभावकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो इन डाकुओं का मुकाबला करके वहां से उनको समाप्त कर सके ?

श्री नवलकिशोर––मान्यवर, जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, यह बिलकुल नहीं है क्योंकि इसी क्षेत्र के सिकंदर नट नाम के नामी डाकू के गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें वह मारा गया । जहां तक विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति का संबंध है, सरकार समझती है कि वहां एन्टी डकैइटी आपरेशन्स में जो आफिसर वहां मौजूद हैं वह उन डाकुओं का मुकाबला करने के लिये काफी हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)––क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस क्षेत्र में डाकुओं की क्या तादाद है तथा सरकार की पी० ए० सी० और पुलिस की क्या तादाद है ?

श्री अध्यक्ष––वहां लड़ाई थोड़े ही हो रही है ?

कुंवर श्रीपालसिंह––श्रीमन्, वहां पर ५–७ डाकू हैं और ५ हजार पुलिस वाले हैं ।

१९६१–६२ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद तथा मतदान

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)––श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद साढ़े चार बजे तक चले और उसके बाद शेष जो समय रह जाय उसमें समस्त अनुदानों पर बिना बहस के राय ले ली जाय ।

श्री अध्यक्ष––उसमें यह मान कर राय ली जायगी कि हर एक अनुदान पर एक कटौती है, यानी कटौती पर भी राय ली जाय और अनुदान पर भी राय ली जाय । नहीं तो यह होगा कि आप किसी पर कटौती कर ही नहीं रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह––जी हां । समय के संबंध में मेरा सुझाव है कि डिबेट ओपेन करने वाले को १५ मिनट, नेताओं को १० मिनट और सदस्यों को ७–७ मिनट सामान्य विवाद पर बोलने के लिये दिया जाय ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट––(जिला अल्मोड़ा)––प्रस्तावक और नेताओं को बराबर ही समय मिलना चाहिये क्योंकि जिन लोगों ने कटौती का प्रस्ताव दिया है उन्होंने काफी मेहनत की है । अब कुछ लोग किसी कारण से वाक आउट कर गये और वे कहें कि शिक्षा में या फलां विभाग में कटौती करने से रह गयी है क्योंकि हम नहीं थे, तो उन्होंने तो कोई मेहनत किया नहीं, तो इसका भी खयाल किया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष––थोड़ा लैटिच्यूड मैं दे दूंगा ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)––श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल गन्ने के ऊपर बहस शुरू की गयी थी जो अधूरी ही रह गयी । आज की कार्यसूची में हमने कहीं उसको नहीं देखा। तो मैं पूछता चाहता हूं कि क्या वह अधूरी बहस ही रहेगी ?

श्री अध्यक्ष---आज तो उसके ऊपर बहस होगी ही नहीं, कल की कार्य सूची में वह प्रश्न आ जायगा ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, एक विशेष दल २० मिनट पहले ही ले चुका है, तो उसका भी खयाल रखेंगे । मेरा मतलब है कि समाजवादी दल के सदस्य पहले ही २० मिनट बोल चुके हैं, क्योंकि आपने राज नारायण जी को उस समय अधिक लैटिच्यूट दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि वह तरीका ढूंढ़ कर ले आते हैं बोलने का ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---मेरा निवेदन है कि आगरा की तहसील में जहां चकबन्दी चल रही है वहां किसानों के सामने बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो गयी है और आज दो दिनों से मैं नियम ५२ के अन्तर्गत उस पर बहस के लिये प्रश्न दे रहा हूं । तो इस संबंध में श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि सरकार मौके पर एक जांच कमेटी भेजे जिससे किसानों में कुछ शांति हो ।

श्री अध्यक्ष---आपको मौका दिया जायगा, आप सामान्य विवाद में इस पर अपने सुझाव दे देंगे ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि कल जो टी पार्टी हुई थी जिसमें आप, हम सभी शामिल थे, हम लोग तो वहां कुर्सियों पर बैठे थे लेकिन मुख्य मंत्री के साथ सभी मंत्री व नेता लोग जमीन पर बैठे थे । श्रीमन्, कल से जमाना बदल गया है, इसलिये १० मिनट हमको और ७ मिनट इनको मिलने चाहिये ।

***श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक बजट माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है, मैंने उसका अवलोकन किया । इस अनुपूरक बजट के प्रस्तुत करने का मूल सिद्धान्त यह है कि जब किसी मद में किसी व्यय की कल्पना मूल बजट में न की जा सकी हो और उसके बाद उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है तो उन मदों के संबंध में व्यय अनुपूरक बजट के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है । किन्तु मान्यवर, यदि आप इस बजट को देखें तो उसके देखने से यह मालूम होगा कि इसमें अधिकांश मदों के अधिकांश व्यय आयोजनागत हैं और जब प्लानिंग संबंधी कोई आयोजनागत कार्य हो रहा है तो इस बात की पूर्ण संभावना थी कि उन मदों को मूल बजट में सम्मिलित किया जायगा । किन्तु खेद है कि सरकार उन मदों को मूल बजट में उपस्थित न करके उन्हें इस मौके पर प्रस्तुत कर रही है ।

मान्यवर, इस बजट में बहुत सी वैधानिक आपत्तियां हैं और वह यह कि यदि इस बजट को देखा जाय तो ग्रांट नं० १३---सामान्य प्रशासन में इस बात का संकेत किया गया है कि २४९ रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में जो कि नानगजटेड हैं, ५ रुपये की वृद्धि की जायगी । उसमें यह भी बतलाया गया है कि केवल पुलिस के कर्मचारियों को छोड़ कर जिनके वेतन क्रम में परिवर्तन हो रहा है, बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों पर इस ५ रुपये की बढ़ोत्तरी का प्रभाव पड़ेगा । मान्यवर, सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत कमिश्नर, कलक्टर, लोक सेवा आयोग तथा बोर्ड आफ रेवेन्यू के आफिस में काम करने वाले कर्मचारी ही आते हैं । यदि इस तरह से सामान्य प्रशासन में इस मद को अवश्य लिया जायगा तो कैसे दूसरे कर्मचारियों को जो शिक्षा, स्वास्थ्य या सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि के हैं उनको लाभ पहुंच सकेगा इस ५ रुपये की बढ़ोत्तरी से ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई । इस सप्ली-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेंटरी बजट को प्रस्तुत करते हुये और इस मद को प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि हम अभी तृतीय अनुपूरक बजट भी लायेंगे और अधिक धन की मांग करेंगे । मेरा विचार है कि कल के बाद फिर शायद इस बात की संभावना न होगी कि हम यहां एकत्र हो सकें, तो फिर वह तीसरा अनुपूरक बजट कब आयेगा यह मेरी समझ में नहीं आता । यह बात इसलिये कही गई है कि आज भी सरकार के सामने ठीक-ठीक आंकड़े नहीं हैं कि किस विभाग के कितने कर्मचारियों को इस का लाभ होगा । उन्होंने बताया है कि ३८.६ लाख रुपया इन कर्मचारियों की वेतनवृद्धि से व्यय अधिक होगा लेकिन उनके पास ठीक आंकड़े नहीं हैं और न उनको अन्दाजा है कि किस विभाग में कितने रुपये का अतिरिक्त व्यय इस से बढ़ेगा । इस कारण उन्होंने अन्य मदों में इस रुपये को बांट कर उसका अनुदान लेने का प्रयत्न नहीं किया है ।

यह कहा गया कि यह सरकार चुनाव के अवसरों पर सहायता लेने और सहायता देने की बड़ी आदी है और कायल भी है । कर्मचारियों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुये सरकार ने कहा है कि हम उनको सहायता के रूप में ५ रुपया प्रदान करते हैं । चुनाव का अवसर है, स्वाभाविक है कि इस समय सरकार कर्मचारियों की हमदर्दी प्राप्त करने के लिये उनके साथ कुछ हमदर्दी दिखाये, लेकिन यह ५ रुपये की सहायता उनके लिये कोई वास्तविक सहायता नहीं है । आप जानते हैं कि सन् ४७ में पे कमीशन ने कर्मचारियों के पे-स्ट्रक्चर को रिवाइज किया था और तब से इस समय काफी महंगाई बढ़ गई है । उस समय का लिविंग इन्डेक्स लगभग ३०० था और वह बढ़कर आज ५०० हो गया है । इसलिये नितांत आवश्यक है कि अब सरकारी कर्मचारियों के पे-स्ट्रक्चर को रिवाइज किया जाय और उनके बढ़े हुये वेतन में महंगाई भत्ता शामिल किया जाय । इस इन्डेक्स के अनुसार उनके वेतनों में ६० प्रतिशत का इजाफा होना चाहिये । यह जो ५ रुपये की सहायता दी गई है वह बहुत कम है । कमसे कम हर आदमी को उसके रहने के लायक वेतन अवश्य मिलना चाहिये, इस बात की गारंटी हमारे संविधान में भी है ।

एक बात और भी अधिक आश्चर्य की है कि यू० पी० के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बहुत बड़ा अन्तर है । हम नहीं जान पाये कि क्या यू० पी० के सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से बाजार में सस्ती चीजें मिलती हैं ? आश्चर्य है कि सरकार ने आज तक इस अन्तर पर क्यों ध्यान नहीं दिया । जरूरत है इस बात की कि केन्द्र के बराबर यहां के कर्मचारियों को भी वेतन तथा महंगाई भत्ता मिले जब कि केन्द्रीय सरकार इसके लिये तैयार है कि यू० पी० के सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में जितना पैसा व्यय होगा उस का आधा व्यय वह देगी, ऐसी दशा में इस ५ रुपये की बढ़ोत्तरी का कोई मूल्य नहीं है । सरकार एक बड़ी एम्पलायर है, उसको तो दूसरों के सामने आदर्श रखना चाहिये । उस से छोटे एम्पलायर्स पर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा । यहां के लोगों का जीवन स्तर उठेगा और उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी । सरकार चाहती है कि कमोडिटीज के दाम न गिरने पायें, उसकी तरकीब यही है कि जो हमारा प्रोडक्शन हो उसका कन्जम्शन भी होता रहे और यह कंजम्पशन तभी हो सकता है जब कि यहां के लोगों की माली हालत सुधरे । लेकिन किसानों की माली हालत नहीं सुधर रही है, मध्यम श्रेणी के लोग दिन प्रति दिन विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं । अगर सरकार अपने कर्मचारियों की हालत सुधारे तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसके कंजम्पशन के लिये भी मार्केट तैयार होगा । अभी कल ही इस बात की बहस हो रही थी कि शुगर का प्रोडक्शन १० परसेन्ट कम किया जाय। तो इसीलिये प्रोडक्शन कम करने की जरूरत आ पड़ी कि कंजम्पशन नहीं हो रहा है । अपने प्रदेश के उत्थान के लिये यह आवश्यक है कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाय । इस संबंध में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के लिये यह तभी संभव हो सकता है जब कि उसकी कार्य करने वाली एजन्सी संतुष्ट हो । मैं यह कहने के लिये निश्चित रूप से तैयार हूं कि यहां के जो छोटी श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी हालत बहुत बदतर है । उनकी हालत

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

सुधारने के लिये पे स्ट्रक्चर या पे कमीशन जैसी कोई चीज का निर्माण होना चाहिये और उनके वेतनों में अच्छे ढंग से इजाफा होना चाहिये ।

पुलिस कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए यह बात कही गई है कि उनके वेतन में इजाफा किया जाएगा । अच्छी बात है । मैं भी चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारियों के वेतन में अच्छी तरह इजाफा किया जाय, लेकिन जिस तरह से उनके वेतन में इजाफा किया गया उसी तरह से यह भी आवश्यक था कि शिक्षा के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की जाती । एक कांस्टेबिल, जो घूस लेता है, उसको तो यह एवार्ड है कि उसके पूरे वेतन क्रम में परिवर्तन कर दिया गया, जहां आखिरी था वहां से शुरूआत कर दी गई , लेकिन एक अध्यापक के वेतन में केवल ५ रुपये की बढ़ोत्तरी इस हिसाब से की गई है कि उसके शुरू के वेतन में ५ रुपये का इजाफा हुआ है, मिनीमम में इजाफा किया गया है, मैक्जिमम में नहीं । तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस बात का निश्चय कर कि वह छोटे-छोटे कर्मचारी, जो म्युनिसिपल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, स्थानीय निकायों के अध्यापक हैं, उनके वेतन में ठीक ढंग से इजाफा किया जाय, न केवल मिनीमम में ही बल्कि मैक्जिमम म भी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अध्यापक बंधुओं के वेतन में वृद्धि की गई है उसी तरह से स्थानीय निकाय के दूसरे कर्मचारियों, जैसे पौन्ड मोहर्रिर हैं या चपरासी हैं, उनके वेतन में भी इजाफा करने की आवश्यकता है ।

शिक्षा की मद को प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया कि अब कक्षा ३ से अंग्रेजी की शुरुआत फिर से करेंगे । अंग्रेजों ने भी इस बात की कोशिश नहीं की थी कि हिन्दुस्तान में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में कक्षा ३ में, प्रारम्भिक पाठशालाओं में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की जाय, लेकिन जैसे-जैसे प्रदेश में अंग्रेजी हटाने की भावना बढ़ती जा रही है और प्रयत्न हो रहे हैं वैसे-वैसे सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि उन प्रयत्नों को पीछे हटाया जाय और आज इसका परिणाम है कि जहां कक्षा ६ से पहले अंग्रेजी प्रारम्भ होती थी अब उसको कक्षा ३ से प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जा रहा है । अंग्रेजी पढ़ाने के संबंध में, जो अभिभावक चाहें उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकें, लेकिन यह ऐच्छिक विषय होना चाहिए, कम्पलसरी नहीं । अगर कोई अभिभावक चाहता है तो वह कक्षा ३ से या प्रारम्भ से या मांटेसरी से, अंग्रेजी में शिक्षा दिला सकता है, लेकिन सब के लिये कक्षा ३ से अंग्रेजी पढ़ना कम्पलसरी कर देना हमारे संविधान की भावना के भी प्रतिकूल ह और प्रदेश की कोटि कोटि जनता की भावना के भी प्रतिकूल है जिन्होंने यह फसला कर लिया ह कि हम अंग्रेजी के बोझ को और ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ।

अध्यापकों के संबंध में मिनीमम वेतन ५०रुपये तय किया गया और यह कहा गया कि सारे देश के अध्यापकों के वेतन-क्रम को समान करने के लिये ५० रुपये मिनीमम किया गया है । अच्छी बात है, वेतन में इजाफा होना चाहिए । लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोग चावल पर ही निर्वाह करते हैं और वहां के लोगों का रहन-सहन का दर्जा उन प्रदेशों से जहां गेहूं तथा अन्य अनाज खाये जाते हैं वहां से गिरा हुआ है। तो जो ५० रुपया मिनिमम तय किया गया वह इस बात पर तय किया गया था सारे देश को सामने रख कर । लेकिन इस प्रदेश की एक निराली शान है । खास तौर से सरकारी पक्ष के लोग कहते हैं कि यह प्रदेश ही सारे हिन्दुस्तान में शासन कर रहा है । तो जब यह शान है उसको आगे बढ़ाने के लिये यह स्वभाविक होना चाहिये, हम उसी तरफ अपना कदम उठावें और सारे देश से हमको पृथक प्रगतिशील ढंग से काम करना चाहिये । इसलिये जो अध्यापकों का वेतन ५० रु० किया गया है वह कम है। आवश्यकता है कि उनके वेतन-क्रम को अच्छे ढंग से सोच विचार कर, महंगाई और उनके वेतन के कुछ अंश को जोड़ कर नया वेतन क्रम स्थापित करें ।

मान्यवर, यह हमारे सौभाग्य की बात है और खास तौर से इस संत महापुरुष की कृपा थी जो हम आजाद हो गये । अगर ऐसा न होता तो मेरा निश्चित मत ह कि यह सरकार

गुलामी का भी शताब्दी समारोह मनाना शुरु कर दिये होती। लेकिन चूंकि स्वतंत्र हो गये हैं इसलिये उस जिल्लत से बच गये। मान्यवर, दो शताब्दी समारोहों का खर्चा इसमें शामिल है। पहला वन प्रशासन शताब्दी समारोह और दूसरा पुलिस शताब्दी समारोह। इन शताब्दी समारोहों को मनाने का क्या कारण है? देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा और उसमें यह सब सेवायें भी रहेंगी और अगर यही सिलसिला जारी रहा, हम शताब्दी समारोह मनाते रहे तो न मालूम कितने शताब्दी समारोह होते रहेंगे और उनके लिये यहां से स्वीकृति ली जायगी। अतः मैं सरकार से कहूंगा कि इस तरह की फिजूल खर्ची को रोकने का प्रयत्न करे।

एक और प्रयत्न किया गया है। जिस तरह से देश में और प्रदेशीय स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के लिखने के प्रयत्न हो रहे हैं, १४, १५ साल से इस बात की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन इतने साल हो जाने के बाद भी सरकार स्वतंत्रता संग्राम का न तो संकलन कर सकी है और न कोई लिपिबद्ध प्रकाशन करा पायी है। लेकिन गृह मंत्री जी की ओर से अब पुलिस का इतिहास लिखवाने के लिये एक मद को इसमें स्वीकार कराने की कोशिश की गई। मैं नहीं सोच पाया इस पुलिस के इतिहास को लिखाने का प्रयोजन क्या है? माननीय सदस्यों को पुलिस के इतिहास और उसके प्रशासन का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है और मेरा ख्याल है कि उनको ज्ञान ही नहीं होगा बल्कि पुलिस के इतिहास से बहुत अच्छा संबंध रहा होगा। तो एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम में पुलिस की ज्यादतियों का विवेचन होगा और दूसरी तरफ पुलिस विभाग की ओर से उसका इतिहास लिखवाया जा रहा है। अगर वह वही इतिहास है जिसने हमारे ऊपर जुल्म किया है, साम्राज्यवाद को कायम करने के लिये जिसका गठन किया गया था और जिस विभाग के अधिकांश लोगों ने अपने नैतिक साहस को खोकर साम्राज्यवाद की रक्षा करने की कोशिश की थी, अगर वही इतिहास लिखवाना है तो मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वे ऐसा इतिहास लिखवाने की कृपा न करें। इससे आगे आने वाली पीढ़ी पर अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है।

इन शब्दों के साथ जो सुझाव मैंने दिये हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार और संबंधित विभागों के मंत्रिगण इन बातों पर विचार करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि वह अपने बजट में से, जो उन्होंने एक बड़ा बुलन्द नारा लगाया था कि हम बचत कर रहे हैं उनको सामने रखते हुए और जिन वेतनों में इजाफा नहीं हुआ है तथा जो दूसरे महत्वपूर्ण कार्य रह गये हैं, उनको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी की तरफ से, जो बजट का पूरक अनुदान पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय विशारद जी ने कई बातों का उल्लेख किया है। यह परम्परा कोई नई नहीं है। जब बजट बनाया जाता है तो उसमें बहुत सी ऐसी मदें होती हैं जिनके बारे में यह कहना कि उनका सही अनुमान लगाया जायगा, मुश्किल होता है और खास तौर से योजनाओं के युग में जब योजनायें चल रही हों उस वक्त करेक्ट एस्टिमेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर बीच में नई मदें आती हैं तो भी जरूरत पड़ती है और इसीलिये सप्लीमेंटरी बजट पेश किया जाता है।

मुझको पूरा बजट पढ़ने के बाद कोई विशेष बात नहीं मालूम पड़ी जिसमें कि कोई खास दिक्कत की बात हो और उसको मंजूर करने के लिये क्यों सब को काट कर एक रुपया कर दिया जाय? माननीय भगवती सिंह जी ने मुख्य रूप से सामान्य प्रशासन की मद में ही कर्मचारियों की तरक्की का जिक्र किया है। जो लो–पेड एम्प्लाईज की तरक्की हुई है उसके बारे में माननीय भगवती सिंह जी और हम सब लगातार यह मांग करते आये हैं कि जो लो–पेड एम्पलाईज हैं उनको तरक्की मिलनी चाहिये। सरकार ने अगर तरक्की दे दी तो भगवती सिंह जी को यह शिकायत और शंका हो गयी कि वह चुनाव में इन कर्मचारियों का फेवर गेन करना चाहते हैं। उनकी यह मांग मुनासिब है कि उनकी और तरक्की की जाय। उनके एतराज के दसरे हिस्से

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

का मैं समर्थन करता हूं और इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को तनख्वाहें निहायत कम है और वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो ी चाहिये। पर एक बात जो बेसिक होती है अर्थ शास्त्र में इसकी चर्चा आई है कि वेजेज कैसे मुकर्रर की जाती हैं? उसका एक आधार यह है कि उसकी पेइंग केपेसिटी क्या है। मैं इस आर्ग्युमेंट में नहीं जाना चाहता कि प्रान्तीय सरकार की पइंग कपसिटी नहीं ह, बल्कि यह कहना चाहता हूं कि जो यह आर्ग्युमेंट उन्होंने दिया कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गेहूं मंहगा मिलता ह और प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों को सस्ता, तो ऐसी बात नहीं है। बाजार में भाव सब चीजों का एक ही होता है। इसमें माननीय भगवती सिंह जी की तरफ से सुझाव यह आना चाहिये था कि इन इन मदों को काट कर, इन-इन फालतू खर्चों को काट कर कर्मचारियों की तरक्की की जाय, लेकिन ऐसा कोई कांस्ट्रक्टिव सुझाव उन्होंने नहीं दिया है। उनकी इस बात का म समर्थन करता हूं कि सभी कर्मचारियों का वेतन, चाहे वे किसी भी विभाग से संबंधित हों, बढ़ना चाहिये। मैं जानता हूं कि उनको आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मुसीबतों में से अपने को गुजार रहे हैं, इसीलिये उनको बहुत दिक्कत पड़ती है लेकिन वह कहां से किया जाय। तरक्की करने के लिये या तो फालतू मदें बतलाई जायं जिनको काट दिया जाय या नये टैक्सेज लगाये जायं तो कौन से नये टैक्सेज लगाये जायं। कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव इस बारे में होना चाहिये था।

एक दो बातें इस सिलसिले में मैं और कहना चाहता हूं कि बजट के अनुदान जो हैं वे ठीक हैं। पर एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, बदकिस्मती से श्रम मंत्री जी यहां मौजूद थे, लेकिन अब चले गये, फिर भी मुझे उम्मीद है कि मेरा यह संदेश उन तक पहुंच जायगा। सरकार ने एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया था कि जो मुद्दत से कानपुर की मिलों के रेशनलाइजेशन का विवाद पेंडिंग था, उसे हल करें। इसके लिये सभी श्रम संगठनों ने यह माना था कि एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाय और माननीय डाक्टर संपूर्णानन्द जी को आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया और उसमें शर्त यह रखी गयी थी कि जब आर्बिट्रेटर मुकर्रर हो गया है तो उसके बाद से अब कोई मिल मालिक हालात में (status quo. should be maintained) परिवर्तन नहीं करेगा। उस कमेटी के रेफरेन्स मे दो ही मोटी बात थीं—रेशनलाइजेशन और एक बात खासतौर से जोड़ी गयी थी, इतवार को काम। मालिकों ने यह दोनों काम करने शुरू कर दिये हैं। उधर डाक्टर संपूर्णानन्द जी की कमेटी बनी कि इन बातों का फैसला करे और इधर एम्पलायर्स ने रेशनलाइजेशन भी करना शुरू कर दिया और सन्डे वर्किंग भी चालू कर दी। सरकार का पूरा श्रम विभाग मौजूद है, रोज हर कम्पलेन्ट की जाती है पर मालिक अपना काम करते चले जाते हैं, श्रम विभाग और सरकार का पता नहीं क्या व्यू है, दोनों तमाशा देख रहे हैं। नतीजा यह होगा कि जब कमेटी की रिपोर्ट आयेगी उसके पहले ही मालिक कहेंगे कि यह काम तो सब हो चुका है, कोई नयी बात हो तो बताइये। नतीजा यह होगा कि मालिक मुफ्त में मजदूरों से दूना तिगुना काम करायेगा और वेतन एक झंझी नहीं बढ़ायेगा और सन्डे वर्किंग तो चालू कर ही दी गई है। ऐसी हालत में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इस ओर खासतौर से तवज्जह करे और जैसा कि टर्म्स आफ रेफरेन्स में है कि जब तक वह कमेटी अपना फैसला नहीं देगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उसको फौरन रोकेगी।

इसके अलावा एक बात की ओर और मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है खास तौर से आज का बेकारी का जमाना जिसमें मैं भगवती सिंह जी की इस बात की ताईद करता हूं कि यह जो शताब्दी समारोह मनाये जाते है उनमें जो पैसा व्यय होता है वह मेरी समझ में एक अनुत्पादक व्यय है और ऐसे समय में जब कि देश के लोग एक-एक पैसे के लिये परेशान हों, भूखों मरने की नौबत हो, नौकरी के लिये दरवाजे दरवाजे की ठोकर खा रहे हों ये समारोह मनाना कोई बहुत मुनासिब नहीं है। हालांकि मेरी बात को ऐप्रीशियेट नहीं किया जायगा, मैं जानता हूं, फिर भी म यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी आगे सन्ताने आयेंगी तो वह कहेंगी

कि उस वक्त जब देश में भीषण बेकारी थी, लोगों को खाने के लिये अन्न नहीं मिलता था, तब हमारे पूर्वज शताब्दी समारोह मना रहे थे। ऐसी हालत में मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे खर्चों को वह रोके और जो बजट में अनुदान प्रस्तुत किये गये हैं उनका मैं आमतौर से समर्थन करता हूं क्योंकि वह जरुरी हैं, पर ऐसे व्यर्थ के अनुदान इसमें नहीं होने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--मान्यवर, मैं माननीय बिशारद जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है अब तो इतना बड़ा होने लगा जैसे बहुत से प्रान्तों के पहले ओरिजिनल बजट हुआ करते थे। अंग्रेजों के जमाने में जब हम कहते थे कि बहुत टैक्स लगा दिये, कमर तोड़ दी, उस वक्त इस प्रदेश का साढ़े १२ करोड़ का बजट होता था। उसके बाद २६ करोड़ तक का हो गया। आज ओरिजिनल बजट हमने १४७ करोड़ का पास किया। उसके बाद दोनों अनुपूरक अनुदान मिला कर करीब ९ करोड़ के हो गये। यानी १ अरब ५६ करोड़ रुपये के करीब हमारे सामने बैठने वाले महानुभावों के आगे से गुजरता है और वह धन कुबेर उसके ऊपर बठे हैं और जिस तरह से चाहें उस तरह से खर्च कर सकते हैं।

अब देखना यह है कि क्या उसका ठीक-ठीक उपयोग हो रहा है? क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि नियोजन के लिये पैसे की कमी है, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिये। अभी कानपुर के हमारे माननीय मित्र भी कह चुके हैं। श्रीमन्, कई चीजें जरूरी हो सकती हैं लेकिन वह पोस्पोन हो सकती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें जल्दी करने की जरुरत होती है। जैसे आपकी मट्रिक प्रणाली है इसको सरकार को लागू धीरे धीरे करना चाहिये था, क्योंकि इसका असर बहुत बड़े पमाने पर पड़ेगा और बहुत से बाट वगैरा बेकार हो जायंगे और पैमाने बेकार हो जायंगे। इन मामलों में उसको जल्दी नहीं करनी चाहिये थी। जिनमें जल्दी होनी चाहिये उनमें सरकार देरी करती है और कोताही करतीहै। जैसे शिक्षा का विषय है। आज भी अंग्रेजों के जमाने का पुराना ढर्रा चला आ रहा है और वैसी ही शिक्षा चल रही है। कुछ थोड़ा सा पैच वर्क कर दिया जाता है। इधर तवज्जह नहीं की जाती है।

उधर के मित्रों ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन में इजाफा हुआ है। मैं उन शख्सों में से नहीं हूं जो सरकार को अच्छे काम के लिये भी बधाई नहीं देते हैं। मैं सरकार को जरूर अच्छे काम के लिये बधाई दूंगा। अच्छा काम चाहे किसी नीयत से किया जाय लेकिन अच्छा है। लेकिन आज सरकार ने क्यों किया? क्या ऐसी आवश्यकता आ गई? पहले जब हम कहा करते थे तो सरकार कहती थी कि एक पैसा भी नहीं बचता है। लेकिन आज पैसा कहां से बच गया श्रीमन्? बात यह है कि पेंशन के मामले में यह था कि अस्थाई सेवाकाल का आधा पेंशन के लिये कंसीडर किया जाता था लेकिन अब पूरा सेवा काल किया जायगा। इसमें सवाल यह है कि सरकार समझती है कि कांग्रेस की सरकार रहेगी नहीं और जन संघ की सरकार होगी, वह भुगतेगी। इस समय तो यह वाह-वाही लूट लें। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं।

दसरी चीज यह है कि वेतन के बारे में बड़ा शोर सुन रहे थे। लेकिन जो आपने ४-५ रुपये कर दिये उससे क्या होता है। हम सोचते थे कि न जाने वेतनों में कितना इजाफा होगा। मैंने अन्दाजा लगाया है, क्योंकि पूरे फिगर्स मुझे नहीं मिल सके, तो पंच वर्षीय योजना में ३ करोड़ से लेकर ५ करोड़ रुपया खर्च होगा। हां बाद में बढ़ जायगा। इतना होने पर भी मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सरकार को इसके लिये मुबारकबाद न दूं। हम जानते हैं कि इसलिये सरकार को यह मौका मिला है कि सन् १९६२ नजदीक आ रहा है, ये वाह वाही लूट लें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर विरोधी दल न कहता तो यह सरकार फिक्र न करती। अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

विरोधी दल न होगा तो सरकार को फ्रिक होने वाली नहीं है । जनता की भावनाओं के प्रतीक हम लोग यहां बैठे हैं। कुर्सी पर बैठने से तो जनता से टच दूर हो जाता है । हमारी मांग है कि किसी का वेतन १०० रुपये से कम नहीं होना चाहिये । पुलिस वालों का बढ़ाया है हमें गुरेज नहीं है लेकिन फारेस्ट गार्ड और जेल वार्डर का क्यों नहीं बढ़ाया ? पता नहीं कौंसिल हाउस के कार्डो को इसमें शामिल किया गया है या नहीं ? उनको भी शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि वह भी डिजर्व करते हैं और कड़ी ड्यटी उनकी है ।

जब से सरकार आई है तब से हमारे प्रदेश में अराजकता की भावना बढ़ती चली जा रही है । बुन्देलखन्ड में तो एक श्राप लग गया है कि आये दिन बांदा, हमीरपुर और जहां तक कगार हैं उनमें दिन दहाड़े लोग मारे जाते हैं, कुत्ते की मौत मारे जाते हैं और बीच बाजार में मारे जाते हैं । वहां खून होना तो' 'It has become the order of the day." श्रीमन् देवरनियां, किछा, बहेड़ी और शेरगढ़ बरेली जिले में विख्यात हैं । अभी गिरधरपुर में चार पठान मारे गये । कातिल सेशन में गये लेकिन वे छूट गये । तहकीकात ठीक नहीं होती है । बड़े लोगों को अगर पुलिस पकड़ती है तो टेलीफोन काल से धमकी देकर उनको रिहा करा दिया जाता है । एक एस० पी० ने एक सरगना को पकड़ा और उसकी हिस्ट्री शीट खोल दी । वह श्री राधेश्याम हैं जो बड़े आनेस्ट आदमी हैं ।

बाद में यह पता लगा कि वह बड़े आनेस्ट आदमी थे और उनका तबादला इसलिये कर दिया गया कि उन्होंने हिस्टरी शीट खोलने की हिमाकत क्यों की थी। जब बड़ों की यह हालत हो तो छोटों का क्या कहना है ।

अभी कल परसों की बात है कि हलद्वानी में दिन दहाड़े एक आदमी मारा गया था । लोगों ने अपनी आखों देखा कि उसकी पेट से आतें निकाल ली गयी । डाक्टर का सर्टीफिकेट भी है कि तेज चीज की धार से वह मारा गया है । श्रीमन् पुलिस के द्वारा खींची हुई फोटों जिसमें सारी गर्दन और सारा धड़ एक-एक ओर अलग है वह मैंने गृह मंत्री जी को भी दी और आई० जी० साहब के घर पर जाकर खुद दिखाई और दी और वह कन्विन्स भी हो गये कि it is a clear case of murder लेकिन उसमे भी बड़े-बड़े प्रभावशाली आदमी पड़े हये हैं। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, टाइम के बारे में मैंने कुछ निवेदन किया था क्योंकि सारे कटौती के प्रस्ताव आप देखने की कृपा करें कि ए से लेकर जेड तक एकाध को छोड़कर हमारे ही हैं ।

श्रीमन् तो मैं जो दूसरी बात यह कह रहा हूं वह यह है कि पं० नेहरू जब रुद्रपुर आये थे उस समय जिन लोगों ने पंजाबी सूबे के बारे में मांग की थी वह लोग हैं। इसके बाद माननीय मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे कि उन्हीं के दल के अपर या लोअर हाउस के ही एक सदस्य जो इसको फाइनेन्स तक करते हैं। वह इन सारे मर्डर्स पर प्रभाव डालते हैं। झारखंडेराय जी ने भी जांच की थी एक बिदरामपुर फार्म है । उसमें क्या होता है कि चारों तरफ से नवयुवतियां लायी जाती हैं और भ्रष्टाचार और बलात्कार इन सब चीजों का वह फार्म केन्द्र बना हुआ है और उसमें बड़े-बड़े आफिसर्स मिले हुये हैं ।

अब जहांतक कमखर्ची की बात है, उसके लिये मैं क्या कहूं ? मोटर कारें ९ से १८ हो गयीं । मुख्य मंत्री जी ने कहा कुछ दिन पहले कि कोई मिनिस्टर बढ़ाने की जरूरत नहीं है काम ठीक चल रहा है लेकिन उसके थोड़े ही दिन बाद मिनिस्टरों की संख्या बढ़ाई जाती है । लेकिन चपरासियों पर क्या कोपदृष्टि होती है कि १,८०० सौ चपरासियों को कम कर दिया गया ।

जहांतक सीमावर्ती जिलों का सवाल है केन्द्रीय सरकार ने २८ करोड़ रुपये दिये लेकिन डेवलपमेन्ट वहां नाममात्र का हो रहा ह । यहां तक कि आफिसर लोग भी वहां ऐयाशी में लगे हुये हैं, शराब का काफी दौर चल रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है ।

सीमा निर्धारण के बारे में पहले तो यहां की सरकार ने यह कहा कि हम नहीं जानते यह केन्द्रीय सरकार का विषय है। जब बी० के० कृष्ण मेनन साहब से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि यह तो प्रान्तीय सरकार से पूछो।

बाढ़ या अन्य सहायतायें पोलीटिकल आधार पर बांटी जाती हैं, नौकरियां पोलिटिकल आधार पर बांटी जाती हैं।

इसके साथ ही १५ जीपें नई आ रही हैं। नवम्बर में टूरिस्ट के लिये पर्वतीय प्रदेशों पर जाने के लिये ? यह वास्तव में इलेक्शन लड़ने के लिये है। ४१ गाड़ियां भेजी जा रही हैं तो इस तरह से इसका दुरुपयोग होगा। अभी सुल्तानपुर इलेक्शन के वक्त बड़ी मुश्किल से एक काफी परिश्रम करने पर एक जीप आपोजीशन के आदमी को इलेक्शन लड़ने के लिये मिली थी। अब तो यह सुनते हैं कहा जाता है कि अब तो विरोधी दलों को किराये पर इलेक्शन लड़ने के लिये भी ये जीपें नहीं मिल सकेंगी।

श्रीमन्, जेल विभाग के बारे में एक बात कह दूं। मेरे पास फैसला मौजूद है। मैं पत्र भी लिख चुका हूं। यू० पी० जेल हेडक्वार्टर की बातें हैं। गबन का मामला नहीं चलना चाहिये।

कल वन मंत्री ने जवाब दिया था कि हम वहां लकड़ी नहीं दे सकते हैं। हमें इंडस्ट्री चलानी है। हमारे पास कोयले की कमी पड़ गयी है। हम बाहर से मंगा रहे हैं। जब स्टार पेपर मिल को लकड़ी दी गयी थी तो कहा गया था कि हमारे पास सरप्लस है और आज कहा जाता है कि कमी है। मंत्री जी इंडस्ट्री जरूर चलाएं। लेकिन लोगों के पास कपड़ा नहीं है उनके खाने का प्रबन्ध नहीं। क्या उनकी हड्डियों को जला कर इंडस्ट्री चलाएंगे ? मैं उनको इसके लिये मुबारकबाद देता हूं।

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुए।)

पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए दवा का प्रबन्ध होना चाहिये। उनके लिए मेडिकल कालेज में रिजर्वेशन होना चाहिये नहीं तो उसमें उनको जगह नहीं मिल सकती।

सूचना विभाग में कहा गया है कि पांच रंगमंच बनाये गये हैं। यह सूचना अधिकारी केवल कांग्रेस पार्टी का पालिटिकल प्रोपेगेंडा करने के सिवा कुछ नहीं करते। इससे पब्लिक फंडस का दुरुपयोग होता है। उदाहरण के लिये अल्मोड़ा में बिलकुल वहीं के रहने वाले सूचना अधिकारी हैं, पालिटिकल सफरर हैं, दस, पांच साल से उसी जिले में हैं। वहां उन्होंने खुल कर अन्तरिम जिला परिषद् के चुनाव में जीप का प्रयोग किया। उस जीप में कांग्रेस के नेता बराबर गये। बल्कि उधर के बैठने वाले एक दूसरे एम० एल० ए० जो सम्पूर्णानन्द ग्रुप के हैं उनके घर पर वह पहुंचे अपना प्रभाव डालने के लिए। इस तरह से जीपों का दुरुपयोग किया जाता है मुझे डर है कि जो ४१ पुरानी जीप हैं और जो नयी जीपें हैं ये सारी की सारी गुप्ता जी के चुनाव में काम करगी। और इनका दुरुयोग होगा। इसका मुझे बहुत डर है। इस लिये मैं आदरणीय सदन के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस का विरोध करता हूं :

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। गो इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन हमारे साथी गोविन्द सिंह बिष्ट जी ने मुझे मजबूर किया कि मैं कुछ इस सप्लीमेन्टरी बजट की हिमायत में कहूं। आप का फरमाना है कि सरकार ने एक अरब ५६ करोड़ का यह बजट पेश किया है जो कि बहुत बड़ा बजट है। मुझे हैरत होती है यह सुन कर। जब कि इस देश में आबादी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त

बढ़ती जा रही है, मार्डन टाइम्स, हैं जिन्दगी के सामान तरक्की पर हैं, नये-नये बनते हैं इंसान की जरूरियात बढ़ रही हैं। हर शोबे में हर जिन्दगी के महाज पर सब चीजें इस तरह से हो रही हैं कि इंसान की जरूरतें बढ़ रही हैं। इस वास्ते अखराजात भी बढ़ रहे हैं। जिन का खर्च १०० रुपये माहवार था आज उनकी गुजर ३०० रुपये माहवार में नहीं होती इस वास्ते कि जमाना बढ़ता जा रहा है, इंसान की जरूरियात बढ़ती जा रही हैं, अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिये सरकार के भी खर्च बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को खर्च करना है अपने मुल्क की बेहतरी के लिये। तो यह ऐतराज करना कि बजट बढ़ रहा है मैं समझता हूं कि यह एक नाफहमी की दलील है। ऐतराज करना हो, कर दीजिये लेकिन मुझे यह भी अफसोस है कि हमारे मद्देमुकाबिल को कम से कम ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिये कि कांग्रेस सरकार लूटने के लिये बैठी है और इस वास्ते यह बजट पेश है कि कांग्रेस सरकार लूट ले क्योंकि अगले बार सन् ६२ में जनसंघ आ रहा है।

इनको इलहाम हो गया कि जनसंघ आ रहा है। कुछ परमात्मा से ऐसा रिश्ता इन्होंने बना लिया है जनसंघ वालों ने कि इनको पहले ही मालूम हो गया कि वह आ रहे हैं। पता नहीं इनकी नैया डूबेगी या पार भी होगी या नहीं लेकिन वह अभी से यह समझ बैठे हैं कि जनसंघ आ रहा है। अभी तो जनता की यह राय है कि कांग्रेस अभी मारे नहीं मरती और कांग्रेस कसरत में आयेगी। लेकिन इनको इलहाम हो गया। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जब एक प्वाइन्ट के ऊपर आप बोलें तो किसी कांस्ट्रक्टिव चीज को लेकर बोलें लेकिन मैंने देखा कि अभी तो आप टांग से पकड़कर बात करने लगे फिर कान से पकड़ा फिर दिल की तरफ चले गए और फिर कहीं और छूटकर चले गए। कहीं आपकी तकरीर में कोई कांस्ट्रक्टिव चीज नहीं आयी जिससे कि इस सूबे को कुछ फायदा हो।

हमको तो यह कहा कि भाई हम लोग जो हैं, वह कामिल नहीं है। कोई सरकार कामिल नहीं है। अगर कोई है माई का पूत तो वह आकर कह दे कि हम कामिल हैं? खामियां सबमें हैं। कमजोरियां सब में हैं। लेकिन जिस दयानतदारी और ईमानदारी के साथ और जिस नैशनल फीलिंग के साथ कांग्रेस सरकार ने काम किया है वह चीज आप नहीं बताते। आप यह नहीं बताते कि हमने कितना काम किया है। महज अगर आपको एतराज करना है तो एतराज करते रहिये, इलेक्शन प्रोपेगेंडा करते रहिए। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जहां तक कांग्रेस सरकार ने कांस्ट्रक्टिव काम किये हैं वह भी आपको बयान करना चाहिये जैसे इंडस्ट्रीज में है। आपको कई-कई बार हम ले गए और दिखाया कि ये ये कारखाने खुले और ये चल रहे हैं, इतने ट्रेनिंग स्कूल हमने खोले हैं जिससे कि टेकनिशियंस हमारे इस मुल्क में हों। अभी हमारे यहां इतने टेकनिशियंस नहीं थे। लेकिन आज हमारे बच्चे इंजीनियर बनकर निकल रहे हैं, टेकनिशियंस बनकर निकल रहे हैं। एजूकेशन में आलातालीम हुई है और काफी स्कूल खुले है। जो भी हमारे रिहायश की और जिन्दगी की जरूरियात हैं उनके मुतालिक कंट्री की तरक्की, जो हमें करनी थी, वह कांग्रेस सरकार ने की है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है आपसे कि आज कुछ ऐसी पोलिटिकल जमातें खड़ी हो गई हैं जो इस तरक्की को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। वह यह समझते हैं कि वह बड़ी बेहतरी का काम कर रहे हैं लेकिन वह इस तरह के फिरकेदारी के ख्यालात लोगों के दिलों में पैदा करके एक किस्म का डिवीजन कंट्री में करना चाहते हैं। इस तरह से डिवीजन की तरफ देश को ले जाना और सही ख्यालात की तरफ उसे न जाने देना यह सबसे बड़ा जुल्म है और सबसे बड़ा कंट्री को नुकसान पहुंचाना है। मुझे दो तीन मिनट और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—आपके दो मिनट हैं।

श्री एस० जी० दत्त—दो तीन मिनट और दे दीजिए।

अभी कत्लों का जिक्र वह कर रहे थे कि फलां जगह कत्ल हुए फलां जगह हुए। मैं मानता हूं। लेकिन एक डेमोक्रेसी में जो कि अभी नवजात बच्चा है जिसमें कि अभी हम पूरा इन्तजाम नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी हमारी पुलिस हो या और इन्तजाम हों तो बड़ा मुश्किल होता है इतनी पापुलेशन को कंटोल करना और एक तरह से डिसिप्लिन में लाना और उसको समझाना कि यह काम ऐसा नहीं होना चाहिये। इसमें कुछ देर लगेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि एक कत्ल तो वहां होता है और सरकार के सिर पर उसे थोपा जाता है, मगर मैं जनसंघियों से पूछता हूं कि आप जो यह जहरीले खयालात पब्लिक में पैदा कर रहे हैं उससे कितने हजारों का कत्ल कर देते हैं? उन खयालात को फैलाकर आप कितने हजारों का कत्लेआम कर रहे हैं? यह आप नहीं सोचते जिससे कि कंट्री की तरक्की और बहबूदी खतरे में पड़ सकती है।

एक चीज मुझे यह और कहनी है कि दूसरी और पार्टियां भी हैं। एक यह हमारे सोशलिस्ट भाई हैं। यह एक प्रस्ताव कल ले आये थे नो-कान्फिडेंस का। और कुछ उन्हें नजर नहीं आता। अगर हम बुरे दिखाई देते हैं तो भाई हम आपको कामिल मान लेते हैं। लेकिन अपनी कामिलियत का कुछ तो आधार, कुछ तो सबूत दो। और वह बड़ी बुरी तरह से फेल हो गया परन्तु उसके पीछे मोटिव यह होता है कि प्रस्ताव चाहे पास हो या नहीं लेकिन उनका प्रोपैगन्डा हो जाय और सन् १९६२ में जो एलेक्शन आ रहे हैं उसके लिये लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह की तब्दीली हो जाय जिससे उनको वोट मिलने में आसानी हो। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आज कांग्रेस जिन्दा नहीं रहेगी तो आप भी जिन्दा नहीं रहेंगे क्योंकि यही एक ऐसी वाहिद जमात है जो इस वक्त सारी कन्ट्री की बागडोर हाथ में लिये हुये हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि अभी इलेक्शन आ रहा है, वह आजमा लें कि ये बेन्च भरती हैं या नहीं। जब ये भर जायंगी तो वे कहेंगे कि साहब हम तो हार गये।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मेरा एक प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत की आजादी की लड़ाई में क्या ये वक्ता महोदय एक बार भी जेल गये हैं?

श्री एस० जी० दत्त---मैं बतलाऊं कि मेरी सर्फरिंग आपसे ज्यादा है और.....

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट पर बोलते समय सब से पहले सरकार की उस बात की निन्दा करता हूं जो इस बजट के जरिये उन्होंने इस भाषा नीति में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है। हमारी सरकार की भाषा नीति अभी तक यह रही है कि कुछ दिनों के बाद १०–१५ वर्ष के बाद ही सही अंग्रेजी गायब हो जायगी और उसके स्थान पर हिन्दी राष्ट्रभाषा का स्वरूप लेलेगी। सरकार ने अब तक की घोषणाओं के जरिये से भी यह कहा था कि हिन्दी को वह स्थान प्राप्त होगा। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत देर हो जाय मगर अंग्रेजी उस स्थान पर नहीं रह जायगी लेकिन इस बजट के द्वारा वह नीति सम्पूर्णतः बदल दी गई है। जो कारण इसमें दिये गये हैं वह भी गलत है। उसमें से मैं एक-एक कारण को लेता हूं।

अंग्रेजी दर्जा ३ से क्यों पढ़ाई जायगी इसके इसमें दो ही कारण दिये गये हैं। पहला कारण तो यह है कि नौकरी में कुछ कभी होती चली जाती ह। उनका अभिप्राय शायद यह रहा है कि केन्द्रीय सरकार में जितनी नौकरी हैं वह सब अंग्रजी के आधार पर मिलती है। इसलिये दर्जा ३ से अगर हम अंग्रेजी पढ़ाना आरम्भ नहीं करेंगे तो केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में हमारा अनुपात कम हो जायगा लेकिन सम्भवतः हमारी सरकार ने यह नहीं सोचा कि दर्जा ३ से जिस लड़के को आज हम अंग्रेजी पढ़ाना आरम्भ करेंगे वह १६ वर्षमें जाकर केन्द्री सरकार की परीक्षा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दवीप्रसाद मिश्र]

में बैठने के योग्य होगा। वह १६ वर्ष की अवधि के बाद इस योग्य होगा कि केन्द्रीय सरकार की परीक्षा में बैठ सके। तो क्या सरकार इस बात को मान लेती हैं कि केन्द्रीय परीक्षाओं में अंग्रेजी चलेगी और कम से कम १५,१६ वर्ष के बाद भी चलती रहेगी। अगर १५–१६ वर्ष तक की कोई बात नहीं है तो फिर दर्जा ३ से अंग्रेजी पढ़ाने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजी का पढ़ा हुआ लड़का जो दर्जा ३ से आज दाखिल हुआ है वह १४ वर्ष से पहले केन्द्रीय सरकार की परीक्षा में नहीं बैठ सकता। इसलिये इस अनुपूरक बजट को देखने से मुझे शंका पैदा होती है। क्या आज सरकार ने यह तय कर लिया है कि अंग्रेजी को जो आज स्थान प्राप्त है उसको वही स्थान प्राप्त रहेगा और इसमें तब्दीली नहीं होगी। इसलिये जो सन् १९६५ की घोषणा है वह आज निरर्थक सिद्ध होती है इस अनुपूरक बजट के देखने से। अगर यह बात है तो सरकार को स्पष्टतः इसको कह देना चाहिये कि अब हम अंग्रेजी की नीति को बदल रहे है और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं और हिन्दी के लिये वह स्थान देने की जो हमने घोषणा की है उस घोषणा के अनुसार हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।

दूसरी जो एक सब से बड़ी गलत बात इसमें जोड़ दी गई है वह यह कि भारत की अखंडता को कायम रखने के लिये अंग्रेजी का पढाना दर्जा ३ से आवश्यक है तो जो ३०-४० लाख आदमी अंग्रेजी पढते हैं उनसे तो भारत की अखंडता कायम रह सकती है किन्तु ४४ करोड़ से वह कायम नहीं रह सकती। अगर यह ४४ करोड़ अंग्रेजी न पढ़ें तो भारत की अखंडता नष्ट हो जायेगी। मैं समझता हूं कि इसमें बुद्धि का भेद जरूर है हम समझते हैं कि एकता हमको ४४ करोड़ आदमियों में लानी हैं और वह इन लोगों के कारण ही रह सकेगी। किन्तु यह लोग समझते हैं कि यह एकता केवल ३०–४० लाख आदमियों द्वारा ही स्थापित की जा सकती है और इसलिये अंग्रेजी की तरफ फिर से जोर दिया जा रहा है और भ्रम यह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि दो-तीन क्षेत्रीय भाषाओं का प्रबन्ध करने की कोशिश कर रहे हैं क्षेत्रीय भाषा की सुविधा दे रहे हैं। अगर यह गलत है। यह सुविधा तो हमें आज भी प्राप्त है। हमारे यहां माध्यमिक शिक्षा के लिये यह है कि यहां एक भाषा तो हिन्दी पढ़ाई जायेगी और दूसरी भाषा कोई भी क्षेत्रीय भाषा होगी वह तामिल उर्दू अंग्रेजी बंगाली कोई भी हो सकती है। तो उसके लिये तो आपने प्राविजन कर रखा है। यहां कहते हैं कि हम इस सप्लीमेन्टरी बजट द्वारा क्षेत्रीय भाषा का प्रबन्ध कर रहे हैं।

हां, एक बात सही है। अब क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेजी को जोड़ दिया गया है और उसका पढ़ना जरूरी कर दिया गया। अभी तक तो हम क्षेत्रीय भाषाओं में अगर चाहते तो उर्दू ले सकते थे, संस्कृत ले सकते थे, तामिल ले सकते थे। बोर्ड की परीक्षा फल देखने से पता चलेगा कि करीब १० प्रतिशत लोगों ने अंग्रेजी को छोड़ दिया है और यह अनुपात धीरे धीरे-और भी बढ़ता जाता है। एक समय आयेगा जब कि ८० फीसदी लड़के स्वयं अंग्रेजी छोड़ देंगे। इसलिये जहां तक एकता का प्रश्न है वह इन्टरमीडिएट बोर्ड ऐक्ट में साफ दिया हुआ है क्षेत्रीय भाषाये पढाई जा सकती हैं। इस में लाकर आप क्या कर रहे हैं? इसमें आप यह कह रहे हैं कि हिन्दी के साथ एक दूसरी भाषा पढ़ाई जायेगी जो अंग्रेजी हो या कोई योरोपीय भाषा हो। तो आप कोई नयी भाषा तो पढ़ायेंगे नहीं। माध्यमिक स्कूलों में आप रूसी या चीनी भाषा तो पढ़ायेंगे नहीं? अंग्रेजी ही रह जाती है जिसे आप पढ़ायेंगे। यहां की सरकार शिक्षा पर कम से कम खर्च करती है और सबसे कम खर्च करती है फिर रूसी या चीनी भाषा को बढ़ाने का प्रबन्ध कैसे करेगी? इसका सीधा अर्थ यही होगी कि अंग्रेजी अनिवार्य हो जायेगी। फिर आप सब जगह अंग्रेजी का प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं। जहां आप चाहेंगे वहां उसका प्रबन्ध करेंगे अपनी इच्छानुसार खास खास स्कूलों को अनुदान देंगे। जहां आपकी मर्जी नहीं होगी वहां उसका प्रबन्ध नहीं होगा। इस तरह से आप स्वयं समाज में एक क्लासीफिकेशन पैदा करते जा रहे हैं जिसका असर यह होगा कि एक आदमी, जिसको अंग्रेजी पढ़ने के साधन प्राप्त होंगे, वह अच्छा निकलेगा और दूसरा जिसे वह साधन प्राप्त नहीं होंगे वह उससे नीचा समझा जायेगा।

इसी विषय में मैं एक बात और जोर देकर कहना चाहता हूं और उसे मैंने पहले भी उठाया था। कुछ आपने कानून बना रख हैं। सरकार ने स्वयं कानून बना रखे हैं। यूनीवर्सिटी की स्टेटयूटरी बाडी बना कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक स्टेट्यूटरी बाडी बना कर आपने उनको कुछ अधिकार सौंप रखे हैं और वह इसी सदन में ऐक्ट पास करके आपने दिये है कि विश्वविद्यालय कौन-कौन से विषय पढ़ायेंगे और यह अधिकार आपने उन्हीं को दे रखा है। अनुपूरक बजट द्वारा अगर आप इस बात की व्यवस्था करे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या पढ़ायेगा, लखनऊ विश्वविद्यालय क्या पढ़ायेगा तो यह इसी सदन का बड़ा भारी अपमान है। आप बनाये हुये कानून को तोड़ने जा रहे हैं।

शिक्षा उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)––तीसरे से पांचवें दर्जे तक शिक्षा देने का किसका अधिकार है?

श्री देवीप्रसाद मिश्र––मैं नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं की बात कर रहा हूं जहां तीन भाषाओं का प्रश्न आता है। जो बजट में लिखा है उसको भी अगर मन्त्री जी नहीं समझते हैं तो मैं क्या कहूं। इस सम्बन्ध में तो बोर्ड को अधिकार दिये गये हैं कि वह तय करे कि कौन से विषय पढ़ाये जायं। यह एक आटोनामस बाडी है। लेकिन इस बजट के द्वारा आप उस अधिकार को छीन रहे हैं। यह मुनासिब होता कि आप सेंट्रल इडवाइजरी बोर्ड के पास इसको भेज देते और अपनी राय भी दे देते कि हम तीन भाषाओं को पढ़ाना चाहते हैं जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य होगी। अगर वह बोर्ड पास कर देता तब आप इस चीज को लाते तो मैं समझता कि आप आटोनामस बाडी की इज्जत करते हैं लेकिन इस प्रकार से तो आपने उस बाडी की हत्या कर दी है। आप जबर्दस्ती एक रूल भेजेंगे कि तुमको तीन भाषायें पढ़ानी हैं। मैं यह भी जानता हूं कि बोर्ड निश्चय ही आपके इस फर्मान को नामन्जूर करेगा, इस तीन भाषाओं के फार्मूले को जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य होगी। इसके आगे मैं यह भी जानता हूं कि किस कानून के अन्तर्गत आप इस चीज को उस पर लादेंगे। शिक्षा बोर्ड में यदि बदइन्तजामी या गड़बड़ी हो तब आप दखल दे सकते हैं, इस प्रकार का कानून बना हुआ है। उसी कानून का आप प्रयोग करेंगे। आपकी यह बात उचित नहीं होगी। आपको इसपर फिर से गौर करना चाहिये, देश की एकता और अखंडता का बहाना लेकर इसको नहीं लाना चाहिये। आपका यह कर्त्तव्य होना चाहिये था कि आप केन्द्रीय सरकार से इस बात की मांग करते कि वह हिन्दी के आधार पर नौकरियां दे, अंग्रेजी का आधार ही गलत है। जहांतक अंग्रेजी का प्रश्न है आप वैसे ही अब १४ वर्ष पीछे चले गये हैं। इसकमी को पूरा करने के लिये यदि आप फिर से वापस लौटना चाहते हैं तो यह असम्भव होगा। इसी बात को सोचकर आप अंग्रेजी का लोभ छोड़ दीजिये।

अब मैं बजट के अनुपूरक हिस्से पर कुछ कहना चाहूंगा जहां पर कि शिक्षकों को ठुकराया गया है। बराबर माध्यमिक शिक्षकों की यह मांग रही है कि उनको मंहगाई भत्ता दिया जाय लेकिन उस पर शिक्षा मन्त्री ने कभी गौर नहीं किया। केन्द्रीय सरकार रुपया देने के लिये तैयार थी लेकिन आपने मांगना तक स्वीकार नहीं किया। पुलिस जिसके पास डंडा है उसकी कम से कम तनख्वाह तो आपने ७० रुपये करदी लेकिन प्राइमरी शिक्षकों की अधिकतम वेतन सीमा ६० रुपये रखी गई है। जो राष्ट्र के निर्माण करने वाले हैं वह तो ६० से अधिक नहीं पायेंगे लेकिन हमको डंडा मारने वाली आपकी पुलिस ७० रुपया पायेगी, यह है आपकी नीति एक ग्रैजुएट या एम० ए० पास जिसकी एक-दो साल की ट्रेनिंग हो वह तो १२० रु० से नौकरी आरम्भ करेगा लेकिन एक इन्टरमीडिएट पास जिसके पास पुलिस का डंडा होगा वह १५० से नौकरी आरम्भ करेगा, इस बात को मैं समझता हूं कि ज्यों-ज्यों पुलिस राज्य की तरक्की होगी जनतन्त्र दूर जायगा, डेमोक्रेसी का हनन होगा, त्यों-त्यों पुलिस राज्य की स्थापना होगी, उसकी तनख्वाहें बढ़ेगी। इसके लिये मुझे एतराज नहीं है बल्कि कम से कम मैं आपके धन्यवाद भी देता हूं।

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

एक बात जरूर कहूंगा कि माध्यमिक शिक्षकों के महंगाई भत्ते से एकदम इन्कार करके जो आपने कदम उठाया है वह आपने सोच समझ कर ही उठाया होगा लेकिन वह उचित नहीं है। वे इतने निर्बल नहीं हैं इतने अशक्त नहीं है, जितना आप उनको समझते हैं। वे अपनी ताकतको नहीं दिखा सके हैं क्योंकि अध्यापक होते हुये उन्होंने अपना कर्त्तव्य अभी तक इतना ही समझा है कि वह शिक्षा दें और उनके पेट भरने की व्यवस्था सरकार करे। लेकिन आज आपने उनके पेट भरने की व्यवस्था नहीं की और आप चाहते हैं कि अध्यापक अपने पेट भरने की व्यवस्था भी करें। इसके लिये उसको शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। उसको वही ताकत दिखानी होगी जो पुलिस के डंडे में होती है, वह आपसे निपटने के लिये अपने को तैयार कर लेगा। मैं इस चुनौती को पुनः दुहराता हूं कि अध्यापक आपकी इस चुनौती को स्वीकार करता है, प्रदेश का ३०–४० हजार अध्यापक उसको स्वीकार करता है और आपको अध्यापक को उसका हक देना पड़ेगा। अगर यह सरकार नहीं देगी तो इसके स्थान पर जो सरकार आयेगी वह देगी, आप उसको रोक नहीं सकते।

लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज अवश्य कहूंगा कि इस संघर्ष के जरिये शिक्षा में जो अव्यवस्था उत्पन्न होगी, दो तीन महीने के लिये जो वह छिन्न-भिन्न हो जायगी और उससे जनतन्त्र को जो धक्का लगेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होगी। ४–५ महीने से हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमको डी०ए० मिलना चाहिये। उनको डी० ए० बगैर दिये आप सरकार नहीं चला सकते। दो तीन बार शिक्षक संघ द्वारा लिखे जाने पर भी सरकार को उसकी स्वीकृति तक भेजने का अवसर नहीं मिला है। यह भी नहीं लिखा गया कि आपका पत्र मिला उस पर विचार हो रहा है। लेकिन अब इसको लिखने का वक्त निकल गया है। आपकी ऐसी उदासीनता की नीति को पढ़ा लिखा समाज बरदाश्त नहीं कर सकता। अब मन्त्री जी हमें ऐसा आश्वासन न दें कि हमारी मांगों पर गौर हो रहा है क्योंकि वह समय समाप्त हो गया क्योंकि उसका कोई महत्व अब रहा नहीं है। हो सकता है आपकी सरकार ही आये, हो सकता है दूसरी सरकार आये लेकिन आप होंगे या न होंगे इसमें शक है लेकिन आप आज, जो चीज विचाराधीन रखेंगे, वह विचाराधीन ही रहेगी। जो निर्णय आप ले लेंगे वह निर्णय अवश्य रहेगा। इसलिये विचाराधीन होने से कोई परिणाम निकलता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैंने दो-तीन स्पीचेज सुनीं और इस परिणाम पर पहुंचा कि चूंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिये बहुत-सी चुनौतियां दी जा रही हैं लेकिन उन चुनौतियों के बारे में केवल यह कह कर समाप्त कर दूंगा कि—

"सूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहिं आपु,
विद्यमान रिपु पाय नर कायर करहिं प्रलापु।।"

वे कायर होते हैं जो थोथे शब्दों में प्रलाप करते हैं। इसलिये आप जो चाहें रुकावटें पैदा करें क्योंकि कार्य करने की क्षमता तो आप में है नहीं, ताकत नहीं, केवल थोथी बातें कहकर स्वर्ग का सपना ही आप किसी को दिखा सकते हैं जो मेरे खयाल से पूरा होने वाला नहीं है। शब्दों में आप भले ही तेजी ले आयें लेकिन कार्य में तेजी लाने की जरूरत आप समझते नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह सरकार बधाई की पात्र है जिसने गरीब तबके के लोगों को जिनकी तनख्वाहें कम थीं उनको कुछ देकर प्रोत्साहन दिया है। जिनको कुछ करना नहीं है, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वे तो सोने के महल बना कर उनमें सोयें, लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वह खर्च को ओर आमदनी को देखता है और उसे पूरा करने के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो तरकीबें कर सकता है वह करता है। मैं समझता हूं कि अपने यहां सरकारी नौकरी की तनख्वाहें बहुत कम हैं जिससे उनकी गुजर नहीं होती लेकिन मैं समझता हूं कि जितना किया जा सकता है उतना किया जा रहा है और हमें आशा करनी चाहिये कि आइन्दा चल कर और ज्यादा कर सकेंगे। जितनी आमदनी बढ़ती जायेगी, उतनी ही आगे सब की तरक्की होती जायेगी।

सरकार बधाई की पात्र है कि उसने उन नौकरों का भी खयाल किया है जो कि रिटायर हो चुके हैं यानी पेंशन रूल्स को लिबरलाइज किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब उन पेंशन रूल को पढ़ा जाता है तो उससे एक चीज साफ हो जाती है और वह यह है कि डिस्क्रिमिनेशन भी इसके अन्दर मौजूद है और वह डिस्क्रिमिनेशन का स्वरूप मैं आपके सामने अभी दिखलाऊंगा। यह डिस्क्रिमिनेशन इस सरकार द्वारा बनाये हुयें पेंशन रूल्स में ही नहीं बल्कि इसके पहले वाले पेंशन रूल्स में भी होता रहा है। जिस वक्त हायर जुडिश्यिल सर्विस की तनख्वाह बढ़ी, उस वक्त जो रूल्स बने हुये थे उन रूल्स के अन्दर वे त्रुटियां रह गईं जिनके कारण जो आदमी जूनियर थे, एक ही बेंच के थे और जिनकी नियुक्ति भी एक ही रूल के अन्दर हुई थी, उनमें जो सीनियर थे और जिनके लिये वादा किया गया था कि उनको तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, उनको कम तनख्वाह मिली। और जब सरकार के पास रेप्रेजेंटेशन किया गया तो उसका नतीजा यह निकला कि जो रूल्स बने हुये थे उनको बदला गया और उसका नतीजा फिर यह हुआ कि जूनियर के मुकाबले जो डेढ़-डेढ़ दो-दो वर्ष सीनियर थे और जो डिस्ट्रिक्ट जज के स्थान पर कार्य कर रहे थे, फिर भी उनको तनख्वाह कम मिली और उनमें से जो आफिसर रिटायर हो गये वे १५-१५ और २०-२० हजार रुपये के घाटे में रहे।

जहां तक मैं इन पेंशन रूल्स को पढ़ कर समझ सका हूं वह यही है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। कहा जा सकता है कि जो आदमी रिटायर हो चुके हैं उन्होंने इस बात का रिप्रेजेंटेशन किया है कि उन लोगों की पेंशन कम है और जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि जो आदमी रिटायर हो चुके हैं उनके रिप्रेजेंटेशन पर गवर्नमेंट ने इस बात को कंसिडर किया कि जो पेंशन उनको मिलेगी वह कम है। लेकिन नतीजा उसका क्या हुआ ? नतीजा उसका यह हुआ कि जिन लोगों ने रेप्रेजेंटेशन किया, जिन लोगों ने अपनी तनख्वाह व पेंशनों को कम बताया कि इतने में हमारी गुजर नहीं होती, उनके लिये ये रूल्स अप्लाई नहीं किये जायेंगे बल्कि यह रूल्स सन ६१ के बाद आने वाले आफिसरों पर अप्लाई होंगे। मेरा इण्टरप्रिटेशन तो यही है। नतीजा क्या हुआ ? जो रोये, जिनको तनख्वाह पहले कम मिली, जिनको पेंशन कम मिली, जिनके ग्रेड्स चार-पांच वर्ष तक वही रहे, जो सेशन जज होने पर भी सिविल सेशन जज की तनख्वाह पाते रहे उनके लिये ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। जो रोये, चिल्लाये, गाये, उनके लिये ये अप्लाई नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि सरकार की इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी पालिसी नहीं होनी चाहिये। एक ही ग्रेड के आफिसर्स में, जो एक ही रूल्स के अन्दर रेक्रूट हुये हों, उनमें दो किस्म की तनख्वाह हैं, दो किस्म की पेंशन होना उस सरकार के लिये, जो कि अपने आप को डेमोक्रेडिक गवर्नमेंट कहती है, शर्म की बात है। यही नहीं बल्कि यह भी है कि सीनियर अपने जूनियर से कम तनख्वाह और कम पेंशन पाता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और उचित कार्यवाही करेगी।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत ग्रान्ट्स का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार अभी तक इन्तजामिया मामले में नाकामयाब रही है। इस सरकार का ऐसा रवैया रहा है जिससे साम्प्रदायिक दंगे बराबर बढ़ते चले गये। सरकार की नीति हमेशा साम्प्रदायिक दंगों को कराने की रही हुकूमत कायम रखने के लिये साम्प्रदायिक दंगे करने की नीति अपनाई जाती है। जब-जब इलेक्शन आये, सरकार ने हिन्दू-मुसलमान के दंगे कराये जिससे देश के मुसलमान डर जायें और कांग्रेस को वोट दें। इस कांग्रेस का हमेशा यही रवैया रहा है कि देश के लिये कोई कार्य न करके अपने इलेक्शन जीतने

[श्री भूपकिशोर]

के लिये प्रचार कार्य करती रही। इसी तरह से यह जो दंगा अलीगढ़ में हुआ उसका सारा का सारा दारोमदार सरकार पर है। सरकार के मन्त्री लोग बाज-बाज मौके पर मौजूद थे और मुसलमानों के बराबर कत्ल आम होते रहे, उसको रोका नहीं गया। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि ऐसी वारदातें कराई जायें जिससे देश का अल्प-संख्यक तबका दब जाय और कांग्रेस को वोट दे दें।

इसी तरह से सरकार ने इस देश ने बैकवर्ड और दलितवर्ग की उपेक्षा की। आज १५ साल के बाद भी इन तबकों को आगे बढ़ाने के लिये कोई कार्य नहीं किया गया। बैकवर्ड और दलित वर्ग वालों की हालत बराबर गिरती जा रही है। सरकारी नौकरियों में बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। सरकार ने सवर्णों को ऊंची सरकारी नौकरियां दिलाने के लिये काम किया है मानों वह उन्हीं के प्रतिनिधि चुनकर आये हों, और उन्हीं के लिये यह सरकार बनाई हो। यह बड़े शर्मकी बात है। जिस देश में ७८ प्रतिशत बैकवर्ड लोग रहते हैं वहां सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व २-३ प्रतिशत भी न हो? सवर्णों के पास महल हैं, ऊंची-ऊंची अट्टालिकायें हैं, मिल हैं, पूंजी हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लास का आदमी आज तकलीफ में है। न उसके खाने को अन्न मिल रहा है और न पहनने के लिये कपड़ा। यह चीज कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि सन् ६२ के इलैक्शन में बैकवर्ड और डिप्रेस्ड क्लास के लोग बतला देंगे कि किस तरह से कांग्रेस उनका वोट प्राप्त करती है। सरकार ने हमेशा यह रवैया अख्तियार किया कि जो समाजवादी पार्टियां थीं उनको कुचलने के लिये कदम उठाया और जो ऐसी पार्टियां हैं जो झगड़ा फसाद कराती हैं, उनकी हमेशा सरपरस्ती की।

(इस समय २ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाओ। मगर यह नहीं देखते कि किसान और मजदूर पिसा चला जाता है। कभी इनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। किसान दिन प्रति दिन गरीब होता जा रहा है। मजदूर को रोटी नहीं मिलती। उसके बच्चे पढ़-लिख नहीं सकते हैं। उनके लिये सरकार क्या करती है। रोज नया बिल आता है, वेतन बढ़ा दिया, बेरोजगारी है, क्यों नहीं बेकार लोगों को नौकरी दी जाती है? आज रोज डकैतियां, लूट, रहजनी होती हैं और पुलिस के द्वारा होती हैं जो सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं करते, बड़े शर्म की बात है कि उन्हीं का वेतन बढ़ाया जाता है। सरकार अपनी इस नीति को छोड़े और जरा पुलिस के कारनामों को देखे। अभी आप ने देखा और सुना कि बुन्देलखंड में कैसा डाकुओं का आतंक है, कैसी अराजकता वहां फैली है। इसी तरह से फर्रुखाबाद में रुदायन स्टेशन है वहां पर स्टेशन पर दिन दहाड़े यात्रियों को और स्टेशन को लूटा गया जब कि स्टेशन मास्टर ने पहले से इत्तिला दे दी थी कि यहां पर एक गिरोह ऐसे आदमियों का घूम रहा है और वारदात हो सकती है। जो आदमी रेल से उतरे उनको बराबर ४० आदमियों का गिरोह दिन दहाड़े लूटता रहा। इस तरह से पुलिस इन्तजाम नहीं कर पाती और बजट में उसका वेतन बढ़ाया जाता है। यह किस लिये? क्या इस लिये नहीं कि भय की वजह से चुनाव में कांग्रेस का वह साथ दें और अधिक वोट कांग्रेस को मिलें। आप इस तरह से हुकूमत न चलायें और इन्साफ करें। जिस थानेदार की आय रिश्वत से ३ हजार रुपया माहवार है और २०० रुपये १०० रुपये और ५० रु० रोज जो पैदा करता है उसका वेतन बढ़ाया जाता है। वह थानेदार एस० पीज० को रिश्वत में हिस्सा देता है, रिश्वत में एस० पी० को हिस्सा देने की वजह से थानेदार मनमानी करते हैं। बराबर शिकायतें उन की होती हैं लेकिन चूंकि एस० पी० हिस्सा पाते हैं इसलिये कोई सुनवाई नहीं होती।

इसी तरह से माल विभाग का हाल है एक लेखपाल रिश्वत के द्वारा चार-पांच सौ रुपये माहवार पैदा करता है। वह एक बेनामें पर दस प्रतिशत लेता है और वह मजबूर है लेने

के लिये क्योंकि हर लेखपाल से तहसीलदार का माहाना बंधा है, अगर न दे तो वह उसका बराबर तबादला करते रहते हैं, इस कारण वह खुद रिश्वत लेता है और मजबूर होकर तहसीलदार को भी देता है। इसी तरह से आप बिजली विभाग ले लीजिये, इस विभाग में भी बिजली उसी को दी जाती है जो रिश्वत देता है, किसान रिश्वत नहीं देता उस को बिजली नहीं मिलती, मगर जो सुपरवाइजर का हिस्सा कबूल कर ले तो उसको बिजली मिल जाती है, अगर आमदनी का आधा हिस्सा सुपरवाइजर को बांटे तो उसको बिजली मिल जाती है।

इसी तरह से अछूत और पिछड़ी जातियों का हाल है। ढोल पीटा गया अछूत उद्धार का लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता कि क्या उद्धार हुआ है। सुअर पालो, मुर्गी पालो, मछली पालो, यह पेशे इन लोगों को ही क्यों दिये जाते हैं। ब्राह्मणों को क्यों यह काम नहीं दिये जाते हैं उनको भी मछली और मुर्गी पालने का काम दिया जा सकता है, सब वर्गों को हर तरह के काम दीजिये। क्या वजह है कि बैकवर्ड लोगों को आज भी वही पिछड़े हुये काम दिये जाते हैं और कहते हैं कि हम उनकी तरक्की कर रहे हैं? इसमें आप की चालाकी है, आप उनकी कतई तरक्की नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं कि सरकार अपने इस रवैये को छोड़े। अब वह दिन नजदीक है कि जब यह सरकार गढ़े में चली जायगी और इन कुर्सियों पर दिखाई नहीं देगी। बैकवर्ड क्लास और अछूतोद्धार का जो आपका नारा है वही गलत है..

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त।

***श्री रामेश्वरप्रसाद** (जिला रायबरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह इस सदन का आखिरी बजट है जो आज हम पास कर रहे हैं। हमने देखा कि इसमें काफी क्रांतिकारी बातों का समावेश है। बड़े सन्तोष की बात है कि पुलिस क गठन को सुधारने के लिये एक कमीशन बनाया गया था और प्रसन्नता है कि इतनी शीघ्र उसकी रिपोर्ट आई और सरकार ने उसको कार्यान्वित किया, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। और मुझे तो विशेष रूप से इस बात का आभार प्रकट करना चाहिये क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कमीशन के सामने जो-जो सुझाव मैंने दिये थे उनको सरकार द्वारा माना जा रहा है। इसलिये मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। जो माननीय सदस्य इस राय के हैं कि प्राइमरी अध्यापकों की और छोटे कर्मचारियों की जो ५ रुपया तनख्वाह बढ़ायी गई है उसकी आलोचना की जाय, यह जस्टीफाइड नहीं है। अगर कोई अच्छा काम सरकार करती है तो उसको स्वीकार करना चाहिये, उसका स्वागत होना चाहिये मैं माननीय भगवतीसिंह विशारद जी का आभारी हूं कि उन्होंने भले ही अपनी आलोचना रखी हो लेकिन सरकार ने जिन बातों का समावेश इस बजट में किया उनके प्रति उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति दी है।

इसके अलावा २, १ साथियों ने और कांग्रेस के शुक्ल जी ने कहा कि पुलिस शताब्दी समारोह और वन शताब्दी समारोह के लिये जो पैसा रखा गया है वह एक तरह से दुरुपयोग है, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि १०० साल बाद अगर किसी विभाग को, जो सेवायें उसने जनता के प्रति की है, अपने कामों का पुनरीक्षण करने का मौका मिलता है, वह उचित ही है ताकि जनता जान सके कि उसने क्या सेवा की है। एक बात खास है कि यह प्रस्ताव इस सरकार की तरफ से नहीं आया है, अगर सदस्यगण बजट को देखते तो पता चलेगा कि इन दोनों समारोहों को देश के स्तर पर मनाये जाने के लिये भारत सरकार ने कहा है राय दी है। इस प्रकार जो राष्ट्रीय फेक्शन्स या त्यौहार होते हैं उसी तरह पर यह आयोजन भारतीय स्तर पर हुए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

माननीय विष्ट जी ने एक शक पैदा किया । उन्होंने कहा कि जो कुछ जीपें मंगाये जाने का इसमें प्राविजन है उन जीपों का इस्तेमाल गुप्ता जी के चुनाव में किया जायगा । अभी यह भी तय नहीं हुआ कि गुप्ता जी कहां से खड़े होंगे लेकिन उनको बिना बात शक हो गया । जो जीपें सरकारी काम के लिये आ रही हैं उनका मिसयूज कैसे होगा, यह मेरी समझ में नहीं आया । और अगर उनको शक है तो वह भी दूर किया जा सकता है । वह अपने जिले के सभी लीडरों को बुलाकर तय कर लें कि गुप्ता जी अनअपोज्ड चुन लिये जायं । इसके बाद उनके शक की भी गुंजायश नहीं रहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले यह शायद मेरी आखिरी स्पीच होगी । एक बात की तरफ मैं माननीय माल मंत्री का ध्यान ले जाना चाहता हूं । मैंने अभी तक उनसे शिकायत नहीं की, लेकिन मेरे यहां चकबन्दी हो रही है, उसमें जो गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार है उससे जनता परेशान है । यदि वह स्वयं वहां चल कर उन गड़बड़ियों को देख लें तो मैं उनका आभारी होऊंगा और जनता को मैं समझता हूं कि उनसे एक बल मिलेगा । वहां जो कार्य हो रहा है उनके सहयोग से सुधार हो जाता है तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता बड़ी कृतज्ञ होगी ।

इसके साथ ही साथ मैं यह नहीं कहना चाहता जैसा कि माननीय भूपकिशोर जी ने कहा कि बैकवार्ड क्लास या हरिजनों का कोई काम इस सरकार द्वारा या इस सदन द्वारा नहीं हुआ । अगर मैं यह कहूं तो यह मेरी नितान्त भ्रमात्मक बात समाज के सामने होगी । मैं समझता हूं कि दो प्लान हमने बिताये । इनमें हरिजन और बैकवर्ड क्लास के उत्थान के लिये काफी कार्य सरकार द्वारा हुए हैं और थर्ड प्लान में अगर देखा जाय तो उसमें १२ करोड़ रुपये का प्राविजन सरकार द्वारा इस वर्ग के उठाने के लिये है । मैं यह नहीं कहता कि यह काफी है । मांग और अधिक के लिये होनी चाहिये । उनकी परिस्थिति को देखते हुए हम संतुष्ट नहीं हैं लेकिन जो किया गया है उसको भी हमको अपने सामने रखना होगा । अगर हम इस प्रकार एक स्वीपिंग रिमार्क पास करें तो यह न्यायसंगत बात नहीं होगी ।

माननीय भूपकिशोर जी की बात मैं क्या कहूं ? भूपकिशोर जी की एक दृष्टि बन गयी है । कभी सदन के सामने रामायण फाड़ देते हैं, कभी कोई काम कर देते हैं । उनका एक प्रिजुडिस्ड माइंड बन गया है । मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि समाज में सभी कौमें हैं । अगर उन्होंने पिछड़े वर्ग के सदस्य होने के नाते अपने माइंड को प्रिजुडिस्ड बना कर काम करना शुरू किया तो हम सबसे अलग हो जायेंगे, सारे समाज के लोग हमारे विरोधी हो जायेंगे, हमारा अहित होगा । अगर हमको आगे बढ़ना है, अपना प्रतिशत पूरा करना है तो हमको एक बैलेंस्ड दृष्टि से और समाज के दूसरे लोगों का सहयोग ले कर इन वर्गों का भला करना होगा । अगर किसी स्टेज पर हमने कोई ऐसी भावना प्रकट कर दी जो न्यायसंगत नहीं है तो इससे हमारा ही अहित होगा ।

मैं निवेदन कर दूं कि वह दिन दूर नहीं है अगर कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ रही तो अछूत और हरिजन का नाम इस समाज से खत्म हो जायगा । लोग चमार को छूना मेहतर को छूना पसन्द नहीं करते थे । उपाध्यक्ष महोदय, आपके यहां फैजाबाद में भी यही था, लोग छू जाते थे तो नहाते थे । लेकिन आज यहां बैठ कर कन्हैयालाल वाल्मीकि जी अगर दावत की जाती है तो दाल भात परसते हैं ।

मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इससे प्रदेश का निर्माण होगा ।

श्री रघुरन तेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पूरक अनुदान आज प्रस्तुत हैं मैं उनके संबंध में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं और खास तौर से उन बातों की तरफ जो देहात से ताल्लुक रखती हैं और जिनकी तरफ

सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया और जिनके लिये बार बार इस सदन में प्रयास किया गया ।

श्रीमन्, जंगल विभाग है, उसमें जो खराबियां हैं वे सब पर विदित हैं । जिन जंगलों में कबूलियत हो गयी है सरकार की वहां के गांव वालों को लकड़ी आदि मिलने की सुविधा है, पशु आदि चराने की सुविधा है । लेकिन जो जंगल भूतपूर्व जमींदारों के थे और अन्ततः सरकार में निहित हो गये हैं, उनके समीपवर्ती जो गांव हैं वहां कोई कबूलियत न होने के कारण वहां की जनता को किसी प्रकार की कोई सुविधा लकड़ी मिलने तथा पशुओं के चराने की नहीं मिलती । अगर किसी घर में आग लग जाती है तो मरम्मत के लिये या कोई मैयत हो गयी तो लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो उस गांव की जनता कहां से लकड़ी लावे जब कि उनको किसी प्रकार के सरकारी आदेश लकड़ी पाने के नहीं हैं । जिस बूढ़ापार सादुल्ला नगर क्षेत्र में मैं रहता हूं वहां एक बड़ा जंगल का एरिया है, आसपास के गांवों को ये सहूलियतें वहां प्राप्त नहीं हैं । मैं आपके द्वारा वन मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वहां पर जो ऐसी आवश्यकतायें हों या कोई आपत्तिकाल हो तो वहां की जनता को लकड़ी मुफ्त दी जाय । आज अगर कोई कहीं बाहर से लकड़ी ले आता है तो फारेस्ट गार्ड वगैरह उसके ऊपर तरह-तरह के मुकदमे चला देते हैं । इसलिये इसकी भी जांच करने की जरूरत है कि गलत मुकदमे चला कर लोगों को परेशान न किया जाय । खेती के काम में भी लकड़ी की आवश्यकता होती है । तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में अगर लकड़ी न दी जाय तो जनता को बड़ी परेशानी हो जाती है । वैसे ऐसी सुविधायें जंगल के किनारे रहने वाली जनता को मिलती हैं लेकिन जिनकी कबूलियत नहीं है उनको सुविधायें नहीं मिलती हैं । इसलिये इस तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिये और सरकार तुरन्त आदेश दे कि वन क्षेत्र में जनता को उनकी लकड़ी आदि बिना कीमत दी जावे, और पशुओं को चराने से न रोका जावे ।

इसके अलावा इसमें अध्यापकों की तनख्वाह में ५ रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है । ५ रुपये बढ़ाने से कुछ होता नहीं है । तनख्वाह तो किसी भी कर्मचारी की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ायी जानी चाहिये । आज अध्यापक को ६० रुपये मिलते हैं लेकिन उसी का पढ़ाया हुआ अगर कोई सेन्ट्रल गवर्नमेंट में चपरासी हो जाता है तो उसको ९०, ९५ रुपये मिलते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि अध्यापकों की तनख्वाह में और बढ़ोत्तरी हो और उनको डी० ए० भी दिया जाय ।

जब शिक्षा का इस तरह प्रचार और प्रसार हो रहा है तो प्राइमरी स्कूलों के भवनों के बनाने के लिये भी कुछ प्राविधान होना चाहिये । आज प्राइमरी स्कूलों की इमारतों की यह दशा है कि बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं और बहुत सी इमारतों में तो छप्पर तथा दीवाल तक नहीं हैं, इसलिये पूरक अनुदान में इन भवनों के निर्माण के लिये भी कुछ ध्यान रखा जाना चाहिये था । इसलिये मेरी मांग है कि पाठशालाओं के भवनों का निर्माण शीघ्र हो ।

इसके अतिरिक्त मैंने बार-बार इस सदन में कहा कि जब विकास के ऊपर इतना खर्च किया जा रहा है तो कम से कम हर ब्लाक के अन्दर सरकार द्वारा संचालित एक हाई स्कूल होना चाहिये । परन्तु इस पूरक अनुदान में भी जहां शिक्षा में अंग्रेजी आदि लाने के लिये कुछ रुपये की व्यवस्था की गयी है वहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था मुझे देखने को नहीं मिली । इसलिये मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि हर ब्लाक में एक हाई स्कूल खोला जाय जिसका भार स्वयं सरकार वहन करे ।

अब मैं ब्लाक के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । आज विकेन्द्रीकरण की बड़ी बात कही जाती है परन्तु यह देखने में अक्सर आता है कि जो ब्लाक डेवलपमेंट कमीटेज हैं उनमें जो रेजोल्यूशन्स पास होते हैं या जो मांगें की जाती हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता । तो फिर ऐसी कमेटी रखने की क्या जरूरत है ? या तो सरकार उस कमेटी को समाप्त कर दे वरना उस कमेटी की मांग का कुछ तो आदर होना चाहिये । साथ ही साथ आज जो यहां से ग्रांट्स दी जाती हैं, मसलन जो बकवर्ड क्लास के लोगों के मकान बनाने के लिये या हरिजनों

[श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह]

के लिये इसमें रुपया रखा गया है' मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि जो हरिजन एम० एल० ए० होते हैं वही जिला हरिजन कमेटी के सदस्य होते हैं, उसके और सदस्य मेम्बर नहीं होते हैं। इसलिये जब अनुदान देने का सवाल आता है तो वह वहीं तक केन्द्रित रह जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि हर ब्लाक में ब्लाकवाइज यह रुपया बांटा जाय। जब हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लोग हर जगह मौजूद हैं तो क्या वजह है कि किसी खास हिस्से की तो तरक्की हो और किसी की तरक्की न हो ? इसलिये मैं चाहता हूं कि जिले भर की हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के लिये जो धन उपलब्ध हों, ब्लाक के माध्यम से उनको मदद दी जाय जिससे कोई व्यक्ति विशेष अपने क्षेत्र के लिये पैसा न ले सके।

इसके अलावा इसमें पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ाई गई, ठीक है, यह एक खुशी की बात है। परन्तु क्या इससे अपराधों में या रिश्वत वगैरह में कमी हो जायगी ? हरगिज नहीं होगी। मैंने बार-बार इस बात की मांग की है कि एक थाने में दो थानेदारों का रखना जरूरी है ताकि एक मुकदमों की पैरवी करे और दूसरा ला ऐंड आर्डर को देखे। आज देखने में यह आता है कि अगर कहीं कत्ल या डकैती का मुकदमा लग गया तो एक स्टेशन आफिसर को १५-१५ दिन तक लगातार अपने थाने से गायब रहना पड़ता है और १५ दिन में दूसरी घटनायें घट जाती हैं जिनसे जनता की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा हो जाता है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि हर थाने पर दो थानेदार रखे जायं और जो बड़े थाने हैं उनमें चौकियां कायम की जायं ताकि जो अपराधों में वृद्धि हो रही है उसमें रोक थाम हो सके। महज तनख्वाह बढ़ा देने से अपराधों की रोकथाम नहीं हो सकती है।

इसी प्रकार से जो गन्ने के लिये सिंचाई योजना रखी गई है इसमें गन्ने की पैदावार के लिये विशेष अनुदान रखा गया है। श्रीमन्, केन यनियन खोले गये कि गन्ने की पैदावार प्रदेश में बढ़ाई जाय, और जब गन्ने की फसल तैयार है तो सरकार के गन्ना विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की है कि इस साल किसानों का गन्ना कम लिया जायगा। श्रीमन्, यह क्या मजाक है ? एक तरफ तो लोगों को गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिये उकसाया गया और दूसरी तरफ जब फसल तैयार हुई तो उसके लेने में आनाकानी की जा रही है। यह सरासर अन्याय नहीं तो क्या है ? आज आप देखिये कि प्रदेश में गन्ने की ही फसल एक कैश क्राप है और इससे किसानों का फायदा होता है और उसको उस समय पर पैसा मिल जाता है जब और कोई फसल तैयार नहीं होती, लेकिन सरकार इसमें बाधक हो रही है। वह चीनी मिल मालिकों की रक्षा कर रही है। क्या किसानों की रक्षा करने की सरकार की जिम्मेदारी नहीं ? अगर यही करना था तो एक वर्ष पहले घोषणा कर देनी चाहिये थी कि गन्ना न बोया जाय। लेकिन अब यह कहना कि गन्ना नहीं लिया जायगा, उचित नहीं है। इसलिये जितना गन्ना किसानों के पास है उसको शीघ्र लिया जाय और जहां गन्ना अधिक है वहां पर इम्प्रव्ड कोल्हू दिये जायं और अनुदान दिया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था ब्लाकवाइज होनी चाहिये जिससे किसानों की हानि न हो और गुड़ तथा खांडसारी बनाकर पूरा गन्ना पेरा जा सके। इन शब्दों के साथ मैं विवाद को समाप्त करता हूं।

श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में बोलने का मेरा इरादा नहीं था। जिस तरह विरोधी दल की ओर से व्याख्यान हुये और कुछ वक्ताओं ने अजीब भाषण उससे और ऐसा मालूम पड़ता है कि सारे वातावरण के ऊपर चुनाव हावी है क्योंकि हर चीज पर मोटिव एट्रीब्यूट करना कहां तक जायज है, यह बात वही देखें। मुझे ताजुब हुआ जब हमारे जनसंघ के उपनेता जो अल्मोड़ा से ही आते हैं, उन्होंने फैक्ट्स के खिलाफ़ कुछ बातें कहीं। यह सही है कि फैक्ट्स को कुछ तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन यहां मैंने अजीब बात देखी, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जितनी स्वाधीनता बोलने की माननीय सदस्यों को दी गयी है कि वे जो चाहें कहें, तो उस स्वाधीनता का यह दुरुपयोग ही है।

श्री उपाध्यक्ष––आप कृपया बैठ जायं । सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री हरिदत्त काण्डपाल––उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखकर हैरान हो गया । उन्होंने अनुदान संख्या ३० की आलोचना करते हुये मोटिव इम्प्यूट किया सो तो किया ही । लेकिन यह भी कहा कि जो जीप्स खरीदी जायेगी वे इलेक्शन के काम आयेगी, वगैरह वगैरह । हालांकि यह बात कहने की नहीं है, किन्तु सभी विरोधी दल के लोग इस बात पर एकमत हैं कि रोडवेज का आयोजना से एक भिन्न मद है और वह विभाग ४५ से चला आ रहा है जिसके बाद से अब यह तीसरा आम चुनाव होगा । ४६ का हुआ, नये संविधान के मुताबिक ५२ का और फिर ५७ का हुआ और अब ६२ का होने वाला है । इनमें आज तक कभी भी किसी जगह पर रोडवेज पर आरोप नहीं आता है कि सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया गया है । फिर कैसे यह मोटिव इम्प्यूट किया जाता है ? मैं उल्टे उनके ऊपर ही यह इल्जाम लगाता हूं कि उन्होंने फैक्ट्स के खिलाफ यह बातें कहीं हैं । उन्होंने यह भी कहा कि जिला अन्तरिम परिषद के चुनाव में इन्फार्मेशन आफिसर की गाड़ियां इस्तेमाल की गयीं । मैं इसे चैलेंज करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप के पास कोई अधिकार हो तो इस बात की जांच हो जानी चाहिये क्योंकि उन्होंने इस आदरणीय सदन में एक बात जिम्मेदारी के साथ कही है, और मैं भी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको चैलेंज देकर उनकी बात का खंडन कर रहा हूं कि जिला अन्तरिम परिषद की जीपों का उपयोग नहीं हुआ, न ही इन्फार्मेशन विभाग की गाड़ी का । उन्होंने गुप्ता जी के चुनाव का भी जिक्र किया है कि वहां गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ लेकिन एक भी दृष्टान्त ऐसा नहीं है जहां गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ हो । यह फैक्ट्स को ट्विस्ट करना ही नहीं है बल्कि यदि यह असंसदीय न होता तो मैं कुछ और कहता परन्तु मुझे आप रोक देंगे इसलिए मैं यह कहूंगा कि उन्होंने गलतबयानी की है ।

एक बात उन्होंने टूरिज्म के सम्बन्ध में कही । टूरिज्म तो पर्वतीय प्रदेशों की उन्नति के लिये एक बहुत ही जरूरी योजना है । लेकिन उन्होंने जोश में आकर उसका भी विरोध कर डाला कि वहां जाने आने में तकलीफ होती है । उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी आंखों देखी हुई बात है कि जब वहां गर्मियों में टूरिस्ट चलते हैं अल्मोड़ा वगैरह में तो वहां काफी परेशानी होती थी कारों के अभाव में, इसलिये मैं इसके लिये काफी रेप्रिजेंट कर चुका हूं कि यह कमी पूरी हो जानी चाहिये । आप और हम सब यह जानते हैं कि यह रोडवेज का विभाग कामर्शल बेसिस पर चलता है । तो आलोचना करना और इसमें मोटिव इम्प्यूट करना कोई अच्छी बात नहीं है । फैट्स को ट्विस्ट इस प्रकार से करना उचित नहीं है । मैं नहीं समझा कि उन्होंने इस प्रकार से इसको ट्विस्ट करके अपना क्या लाभ सिद्ध करना चाहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री गोविन्द सिंह जी बिष्ट की इन बातों का विरोध करने के लिये और इल्जाम लगाने के लिये ही कि वह गलत बयानी कर रहे हैं, यह भाषण किया है । इन शब्दों के साथ मैं इस पूरक अनुदान का समर्थन करना चाहता हूं ।

***श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)––उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस पूरक अनुदान पर आप ने मुझे बोलने का मौका दिया । जब यह प्रस्तुत किया गया था तो ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सरकार अब की बार कुछ बड़ा काम करने जा रही है जिससे प्रदेश का हित होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ । इसे यदि चुनाव के पूर्व का स्टंट कहा जाय तो अनुचित न होगा । इतने दिनों से हमारी मांग थी कि अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जाय, सभी विरोधी दल बराबर यह मांग करते रहे । अब इस समय ५ रुपये इन अध्यापकों के लिये जब कि आज कल कोई भी गरीब से गरीब परिवार हो या छोटे से छोटा परिवार हो उसका भी दो ढाई रुपये रोज से कम में गुजर नहीं हो सकता,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

प्राइमरी स्कूल का अध्यापक किस प्रकार से अपनी जीविका चलाता है और उसके ऊपर अपने प्रदेश के बच्चे का कितना बड़ा भार है। यहां हम चाहे मिनिस्टर हो जायं, चाहे किसी ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जायं लेकिन सर्वप्रथम जो हमें पढ़ाता है वह प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है और उसकी जो दुर्दशा है वह स्वतन्त्रता से पूर्व जो थी उससे बदतर होती चली जा रही है।

करीब पांच साल हो गये, अब समय बीत रहा है। सरकार ने कोई इस प्रकार का सर्वे नहीं कराया कि कहां किस उद्योग की आवश्यकता है। सच बात तो यह है कि जहां मंत्री जी के परिचित व्यक्ति हैं, जहां हमारे माननीय मंत्री जी को या उनके पार्टी को बड़ी-बड़ी थैलियां मिलती हैं, वहीं पर, उन्हीं गांवों या शहरों में कुछ काम हुआ करता है। पूंजीपति और गरीब का आज बड़ा नारा लगाया जाता है लेकिन मैं देखता हूं कि पूंजीपति को बढ़ावा देना और गरीब को पद दलित करना यही दो काम कांग्रेस सरकार के हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने आपके कई काम किये हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—मैं आभारी हूं, जहां तक मंत्री जी की व्यक्तिगत बात है। लेकिन जो सरकार की नीति है उस नीति के बारे में मेरा कहना है। यदि उस नीति के अनुसार मंत्री जी ने इन गरीबों को ऊंचा उठा दिया होता तो मैं बड़ा आभारी होता। लेकिन आज तक भी मंत्री जी अपनी सरकार के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर पाये। आज भी प्रदेश में बड़े-बड़े गांव हैं, मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। इटावा जिले में एक पार पट्टी क्षेत्र है। उसमें एक गांव है कसौंवा। वहां के निवासियों ने आज तक यह नहीं जाना कि कुएं का पानी कैसा होता है। आज तक वे बरसात में उसी नदी के गंदे पानी को पीते हैं।

जो चरागाहों की व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी, वह भी सरकार ने छीन ली। लेकिन यह नहीं देखा कि पशुधन बरबाद होता जा रहा है। कहां से हमारी गइयां बढ़ेंगी, कहां से हमारे बछड़े होंगे, इसका सरकार ने कोई खयाल नहीं किया। सभी के सभी चरागाहों के गांव सभाओं में पट्टे हो गये।

हमारी कांस्टीटुएंसी में चम्बल और यमुना के बीच में बहुत लम्बा चौड़ा क्षेत्र है दस-बारह मील का। उसमें केवल जूनियर हाई स्कूल पुराना चला आ रहा है। क्योंकि वहां अधिकतर सैनिक हैं, इसलिए सैनिकों की ओर से एक हाई स्कूल खोला गया है। सरकार की ओर से अभी तक कोई हाई स्कूल तक नहीं है।

जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध है, जिन इंजेक्शनों की डेट एक्सपायर हो गयी, वह इंजेक्शन इटावा में कुत्ते काटे हुए लोगों को लगते रहे। परिणाम यह हुआ कि दस, बारह आदमियों की मृत्यु हो गयी। जब डाक्टरों से कहा गया तो उन्होंने कहा कि कुत्ता काटने के कारण मृत्यु हो गयी। सिविल सर्जन से बहुत कहा गया तो उन्होंने इनक्वायरी की। वह ऐसी वैक्सीन निकली जिसकी डेट एक्सपायर हो गयी थी। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास लिख कर भेजा, कई बार प्रश्न उठाया। आज जब वह प्रश्न आया तो इतनी दूर था कि उसका नम्बर नहीं आया। इसमें माननीय मंत्री जी ने माना है कि कुत्ता काटने के इंजेक्शन डेट एक्सपायर होने के बाद भी लगते रहे और लोगों की मृत्यु हुई। इसका पता नहीं लगा कि वह इंजेक्शन लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई या और किसी कारण से हुई लेकिन यह उन्होंने मान लिया है कि डेट एक्सपायर हो जाने के बाद भी वह इंजेक्शन लगते रहे। जहां से यह वैक्सीन चलती है वहीं से मान्यवर, कुछ ऐसी गलत डेट्स पड़ गई है और यहां के लोगों ने उसे देखा नहीं। हमने जब यह कहा कि इस पर कार्यवाही हो तो यह कहा गया कि जिन्होंने यह इंजेक्शन लगाये हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जायगी। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई।

मान्यवर, आज पुलिस मुहकमे का बड़ा ढोल पीटा जाता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इटावे जिले के जो अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष थे वह रेल में काट डाले गए।

आज तक कातिल का पता नहीं और इटावा जिले में तो दिन दहाड़े डाके पड़ते रहते हैं। हमारे यहां अजीतमल थाने में बरवटपुर एक गांव है, उसमें डाकुओं ने आठ दस घर लूट लिये। करीब ६०–७० हजार रुपया चला गया और उसका कोई पता नहीं चल पाया है। आज जनता का कोई भी व्यक्ति वहां अपने को सुरक्षित नहीं पाता है। फर्स्ट क्लास में चलने वाले लोग डर के मारे अब थर्ड क्लास में चलने लगे हैं।

सिंचाई में मान्यवर, उधर ३ आने छूट मिली हुई थी। लेकिन न मालूम कौन सी ऐसी बात आ गई कि सरकार ने उधर एक तरफ तो किसान तबाह होता जा रहा है और इधर इस तीन आने की छूट को भी उसने खत्म कर दिया। एक और बात मान्यवर, यह सरकार आंख से तो देखती ही नहीं थी, अब शायद कान से भी वह नहीं सुनती। उड़द पर भी आबपाशी लगी है। जितने किसान हैं वह सब इस बात को जानते हैं कि उड़द जो है वह कपास वगैरह के खेत में बरसात हो जाने के बाद बोयी जाती है और उसके बाद वह काट ली जाती है। उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी सरकार ऐसी है कि उड़द पर आबपाशी अलग ले रही है और कपास या और दूसरी चीज जिसके साथ कि वह बोयी गई थी उस पर आबपाशी अलग ले रही है। मैं आशा करता हूं कि सिंचाई मंत्री जी इसके ऊपर ध्यान अवश्य देंगे और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसका बड़ा भीषण आन्दोलन वहां खड़ा होगा।

इसी तरह कुटीर उद्योग का बड़ा ढोल पीटा जाता है। मिल मालिकों और बड़े-बड़े कारखाने वालों के ऊपर लाखों-करोड़ों रुपया सरकार का बिजली वगैरह का बकाया पड़ा रहता है, उसके लिए सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती, लेकिन दस रुपया या ५० रुपया तकावी अगर किसी कुटीर उद्योग वाले के ऊपर बाकी है और उसके जमा करने में टाइम बेटाइम हुआ तो उसको बन्द कर देते हैं और वह तब छूटता है जब रुपया वसूल हो जाता है। तो मिल मालिकों के ऊपर लाखों-करोड़ों रुपया बाकी रहने पर भी कोई कार्यवाही न हो और छोटे-छोटे कुटीर उद्योग करने वालों के साथ सरकार इस तरह का व्यवहार करे? हम कहते हैं कि मिलों को बन्द करो, छोटे-छोटे उद्योग चलाओ, जिससे कि देहात की बेकारी दूर हो, देहात का व्यक्ति पनपे, वहां की शिक्षा-दीक्षा के साधन कुछ बढ़ें।

शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कभी तो हिन्दी की नयी लिपि बदल देते हैं, फिर देखते हैं कि उससे काम नहीं चला तो फिर उसको बदल देते हैं। कभी हिन्दी की तरफ बढ़ते हैं तो कभी अंग्रेजी की तरफ चलने लगते हैं। कहते हैं कि बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलेगा और अब तीसरे दर्जे से फिर अंग्रेजी चलेगी। तो हम यह नहीं समझ पाते कि हमारी सरकार क्या करती है और कौन इसके सलाहकार हैं? कुछ सेट नहीं है इस हमारी सरकार का। मनचाहे जैसे काम करते चले जाते हैं। मैं तो मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जरा अपने मस्तिष्क से काम ले यद्यपि अब टाइम तो रह नहीं गया, दो महीने का टाइम है, पता नहीं उसके बाद आयेंगे या नहीं, इसीलिए शायद कुछ अपसेट से हो गए हैं।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)––उपाध्यक्ष महोदय, लेजिस्लेचर का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह गवर्नमेंट को सुझाव दे और जो गलतियां हों उनको बताये। इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैं दो एक शब्द यहां कहना चाहता हूं। जब लगभग एक वर्ष पूर्व यह मंत्रिमंडल बना था उस वक्त हमारे सूबे की हालत, उसकी आर्थिक अवस्था काफी खराब थी, उससे पहले उस अवस्था में सुधार करने में हम समर्थ नहीं हुए थे। और यह आशा थी कि अब नया मंत्रिमंडल उस अवस्था को सुधारेगा और यह जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई है उसका पूरा फायदा उठा कर इस प्रदेश की हालत को सुधारने में सफल होगा। जो-जो अभी तक काम हुये हैं और जो मुझे अन्दाजा है उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये जितनी कोशिश होनी चाहिये थी, जिस मजबूती के साथ काम करना चाहिये था उसमें कमी रह गई है।

[श्री मोहनलाल गौतम]

किसी भी योजना को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि मंत्रिमंडल का दिमाग साफ हो और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में हिम्मत के साथ काम लें। जहां तक मंत्रिमंडल के दिमाग का सम्बन्ध है, शुरू में हमको बहुत-सी आशायें थीं, बहुत वादे किये गये थे और बहुत जोर की आवाज उठाई गई कि यह होगा, वह होगा लेकिन हम देखते हैं कि बहुत-सी चीजें जो उस वक्त कही गई थीं वह एक-एक करके उलटी जा रही हैं और जिस इकोनामी से, जिस तरह से काम करने की उस वक्त हमको उम्मीद दिलाई गई थी वह पूरी नहीं हो रही है। समय कम है इसलिये मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन मुझे यह विश्वास है कि जितना मजबूत कर्मचारियों का संगठन और कर्मचारियों को जिस मजबूती से काम करने की हिम्मत होनी चाहिये वह आज नहीं रह गई है। इसमें पैरालाइसिस आ गई है क्योंकि मामूली-सी शिकायत पर, बेबुनियाद शिकायत पर ट्रान्सफर करना, लोगों की अपनी तबियत के मुताबिक अफसरों का तबादला करना वगैरह बहुत होता रहता है। आज जब भी हम अफसरों से बात करते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वे सही काम कर सकें ..

वित्त मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---आप उनसे गलत काम चाहते होंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---जिस वित्त मंत्री जी ने अभी कहा---वह यह चाहते थे कि उनके जिले में वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भेजा जाय जो उनकी मर्जी के मुताबिक चले। इस तरह २, ३ आदमियों से पूछा गया।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि व्यक्तिगत आक्षेप न किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम---उन्होंने व्यक्तिगत बात कही। मैंने उसका जवाब दिया कि मंत्री महोदय ने अपने जिले में उसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजने के लिये २, ३ आदमियों से पूछा जो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करे। इसलिये आज उसके लिये मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से जवाब चाहूंगा कि जब वह मेरी बात का जवाब दें तो वह बतायें कि इस दौरान में जब से नई पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है पहली अप्रैल से, उस वक्त कितना बजट इसके लिये मंजूर किया था और उसमें कितना यूटिलाइजेशन हुआ। मेरा खयाल है कि यूटिलाइजेशन बहुत कम हुआ है, किन्तु दूसरा सवाल मैं यह करना चाहता हूं कि पिछली गवर्नमेंट ने यह हुक्म दिया था कि तमाम सैंक्शन्स फाइनेन्शियल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव, अप्रैल के पहले सप्ताह में चली जाय। मुझे यह मालूम है कि पिछले साल सन् १९६० के अप्रैल में ९०, ९५ फीसदी सैंक्शन्स फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, पहले सप्ताह में अप्रैल के चली गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस साल किस किस डिपार्टमेंट की कितनी फाइनेन्शियल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन्स अप्रैल के पहले सप्ताह में चली गई? मैं समझता हूं कि ज्यादा नहीं गई है, बहुत कम गई और अब तक नहीं गई।

क्योंकि मुझे टोक दिया गया तो मैं मिसाल देता हूं। ज्यादा डिटेल्स जानता नहीं किन्तु कोआपरेटिव मूवमेंट ३, ४ साल पहले बहुत लचर हालत में था। हमारी गिनती बहुत पीछे थी लेकिन पिछले ३-४ साल के कामों में हमारा कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ८-९ बातों में नम्बर १ हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रधान मंत्री, हमारे सूबे में दो मर्तबा आये और उन्होंने यही कहा कि अगर किसी मोहकमे में अच्छा काम हुआ है तो वह है कोआपरेटिव डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जितना अच्छा काम मैं समझता था उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम यहां हुआ है और मुझे बहुत खुशी हुई है। पिछली दफा २४ तारीख को जब वे आये तो फिर उन्होंने उसकी तारीफ की। लेकिन अब जो उनकी स्पीच हुई मिनिस्ट्रान कांफ्रेन्स में तो उन्होंने यू० पी० को तीसरी कैटेगरी में रखा। पहली कैटेगरी में ४ स्टेट्स, दूसरी में २ स्टेट्स और तीसरी में ४ थीं और उसमें, उन चारों में, यू० पी० का कौन-सा नम्बर था? शायद दसवां या ग्यारहवां जाकर बैठता है। मैं उसकी डिटेल्स तो जानता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी डिटेल्स दी जायं।

मैं एक चीज मिसाल के लिये कहता हूं। पहले हमारे यहां १८ परसेंट ओवर ड्यूज हुआ करते थे। पिछली सरकार ने मेहनत करके उसको २–३ साल के अन्दर, किसी तरह वसूल करके कम किया और उसको ५.८ तक ले आये। पिछले साल जून तक वह ५.८ परसेंट था, लेकिन दिसम्बर में जब इस नयी सरकार ने चार्ज लिया तो वही अब फिर ८.९ परसेंट हो गया ६ महीने के अन्दर। तो ५.८ से ८.९, ६ महीने के अन्दर हो गया। तो क्या है? वही बात है जो मैंने पहले कही थी। वह है ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमजोरी, पैरेलीसेज। मिनिस्टरों के दिमाग में, कहां हमको जाना है यह साफ नहीं है। उनके दिमाग में उथल-पुथल मची रहती है। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के डाइरेक्टर्स को टर्म्स से पहले ही हटा दिया गया। एक डाइरेक्टर मैनेजिंग डाइरेक्टर हो गये। दो दिन बाद जनरल मीटिंग होती है और उसके पहले उनको हटा दिया जाता है। उस मीटिंग को कन्डक्ट करने वाला कोई नहीं, वह लावारिश मीटिंग बन गयी। यह नहीं देखा गया कि कौन उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, कौन उसमें रिपोर्ट पेश करेगा, कौन क्या करेगा? (व्यवधान होने पर) अगर मुझको छेड़ा गया तो मैं बहुत सारी बातें खोल दूंगा।

वन राज्य मन्त्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—बन विभाग के बारे में क्या कहना है?

श्री मोहनलाल गौतम—वन के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मुझे जंगली आदमियों के बारे में कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—छेड़ने से तो लोग मिलते हैं और आप नाराज होते हैं। (हंसी)

श्री मोहनलाल गौतम—दूसरी तरफ आप देखिये। हमारे अलीगढ़ जिले के लिये पैकेज स्कीम मंजूर हुई। वह अलीगढ़ में ही शुरू हुई। मेरा अन्दाजा था कि हम दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में आगे हैं और हमारे यहां कुछ दिक्कतें भी हैं। एक छोटी-सी मिसाल दूं। कहा गया कि जितनी पैदावार के लिये कर्ज की जरूरत होगी वह सब मिलेगा। लेकिन बाद को यह कहा गया कि वह उन्हीं को मिलेगा जो मार्केटिंग सोसाइटीज चीजों का मार्केटिंग करेंगी। वह सब्जियों का मार्केटिंग नहीं करती हैं और सब्जी एक ऐसी चीज है जिसके बिना फूड प्राब्लम्स साल्व हो नहीं सकतीं। जहां और चीजों की जरूरत है वहां पर सब्जियों के बुवाने की भी बहुत जरूरत है। तो क्या आप सब्जी के लिये क्राप लोन नहीं देंगे? नहीं देंगे। मैं कहता हूं कि फूड प्राब्लम को साल्व करने के लिये आलू की जरूरत है। आलू एक एकड़ में ५–६ सौ मन तक पैदा होता है जबकि गेहूं १०–१५ मन ही पैदा होता है। आलू से एक एकड़ में तीन हजार रुपये तक आमदनी हो सकती है। अब आलू की जरूरत है जो कि फूड प्राब्लम को भी साल्व करता है, उसमें आमदनी भी ज्यादा है लेकिन चूंकि मार्केटिंग सोसायटी उसको मार्केट नहीं करती है इसलिये उसको क्राप लोन नहीं मिलेगा। आप गन्ने को भी क्राप लोन नहीं देंगे चूंकि गुड़ और चीनी की मार्केटिंग नहीं होती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो स्कीम आई है वह चौपट हो जायगी और अगर यू० पी० में यह स्कीम फेल हुई तो हमारा जो एग्रीकल्चर का भविष्य का प्रोग्राम है वह बहुत पिछड़ जायगा। इन्डस्ट्रीज बढ़ेंगी या नहीं यह तो मालूम नहीं लेकिन अगर एग्रीकल्चर भी नहीं बढ़ पाया तो फिर हमारा क्या हाल होगा?

(लाल बत्ती होने पर)

दो–तीन मिनट और दे दिये जायें....

श्री उपाध्यक्ष—आप बोलिये अभी दो मिनट हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—इस गवर्नमेंट ने लोकल बाडीज को बहुत ही परेशान कर रखा है, पैरेलाइज कर रखा है। रामपुर का म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड हुआ, हाईकोर्ट में रिट हुई और हाईकोर्ट ने कह दिया कि चार्जशीट बेकार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसके सुपरसीड करने में क्या आपकी नीयत साफ थी और क्या आपने लीगल ओपीनियन ली थी? और अगर

[श्री मोहनलाल गौतम]

लीगल ओपीनियन इस पक्ष में थी कि बोर्ड सुपरसीड किया जाय, उसके बाद हाईकोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया तो क्या वह ला डिपार्टमेंट सजा देने के लायक नहीं है ? आखिर पहले दूसरे मिनिस्टर्स भी थे जब शायद ही गवर्नमेंट का कोई ऐक्शन हाईकोर्ट ने क्वैश किया हो । तो गवर्नमेंट को नपा-तुला ऐक्शन लेना चाहिये । मैं अब भी कहता हूं और जब मैं लोकल सेल्फ मिनिस्टर था तब भी कहा करता था कि लोकल बाडीज को गलती करने का अधिकार है । जब कांग्रेस गवर्नमेंट है तब रामपुर का कांग्रेस म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड किया जाय और बोर्ड हाईकोर्ट में जाकर यह कहे कि पार्टीबाजी की वजह से हुआ चूंकि चीफ मिनिस्टर हमारे खिलाफ हैं । अलीगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड का जो चेयरमैन सस्पेंड हुआ उसने हाईकोर्ट में यही एफीडैविट दाखिल की कि चूंकि कांग्रेस में गुप्ताजी और सम्पूर्णानन्द जी के दो ग्रुप्स हैं, और गुप्ता जी खिलाफ हैं इसलिये यह सजायें मिल रही हैं और हाईकोर्ट ने यह बातें सही मान लीं और सस्पेंसन को खत्म कर दिया । जब इस तरह से गवर्नमेंट का ऐक्शन हाईकोर्ट में क्वैश किया जाय तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह क्या चीज चल रही है ? क्या इस तरह से डेमोक्रेसी चल सकेगी ? मैंने हाई कमान्ड से पूछा कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस म्युनिसिपल बोर्ड को सस्पेंड करे और बोर्ड हाईकोर्ट में जाकर यह बयान सुनाये कि चीफ मिनिस्टर हमारे खिलाफ हैं इसलिये बोर्ड सस्पेंड नहीं होना चाहिये और हाईकोर्ट उसकी बात मान ले और सस्पेंशन को क्वैश कर दे तो क्या इस तरह से डेमोक्रेसी चल सकेगी ? मैं कहना चाहता हूं कि उसी जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को पिछले चेयरमैन के खिलाफ बहुत-सी शिकायतें आईं लेकिन किसी के कान में आज तक जूं नहीं रेंगी, कोई कार्यवाही नहीं की ।

इस तरह के पक्षपात से गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, इस प्रकार की ढील-ढाल से प्लान पूरा नहीं हो सकता, इस तरह के ऐडमिनिस्ट्रेशन से प्रदेश की गरीबी और बेकारी दूर नहीं हो सकती । इसलिये मैं चाहता हूं कि इन बातों का ध्यान रखा जाय और आगे गवर्नमेंट संभल कर काम करे ।

श्री पन्नबरराम (जिला गाजीपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान बजट के सम्बन्ध में मुझे कुछ बातें अर्ज करनी हैं । एक ओर तो नान-गजटेड कर्मचारियों के वेतन में जो वृद्धि हुई है उसको देखकर कुछ खुशी हुई लेकिन साथ ही साथ यह देखकर दुःख हुआ कि उन किसानों के सम्बन्ध में जो कि छोटी-छोटी जोतों से जीवन निर्वाह करते हैं, कुछ भी नहीं कहा गया । अलाभकर जोत हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा है और लाखों किसान उनके ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन उनको राहत देने की कतई कोशिश नहीं की गयी । साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों में भी भेदभाव है । उसमें एक ही योग्यता के, एक ही स्थान पर काम करने वाले तथा एक ही स्थिति में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में, केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया के नाम पर तथा पूर्व पश्चिम के नाम पर भेदभाव बरता जाता है ।

मुझे सख्त अफसोस है कि आज भी पी० डब्ल्यू० डी० का कर्मचारी जो रात दिन सड़कों पर काम करता है उसका रेट पूर्वी जिलों में ३० रुपया है तो पश्चिमी जिलों में उनकी तनख्वाह ४५ रुपया है । एक ही काम को करने वाले भंगियों की तनख्वाहें टाउन एरिया में, फर्स्ट क्लास म्युनिसिपैलिटी में तथा सेन्ट्रल गवर्नमेंट में अलग-अलग हैं । इस तरह के भेदभाव समाजवाद का नारा लगाने वाली इस सरकार के लिये कलंक की चीज है । उसका यह नारा केवल जनता को धोखा देने के लिये है तथा चुनाव को जीतने के लिये है । उसकी तरफ कदम बढ़ाना तो दूर उसके बारे में सोचना भी इस सरकार को गवारा नहीं है । फिर समाजवाद की स्थापना कैसे होगी । ८ घंटे काम करने वाले भंगी को जो उस समय काम करता है जिस समय सब लोग पूजा में बैठे होते हैं, वह उस समय लोगों के मलमूत्र को साफ करता है, उसको तो २० रुपया तनख्वाह मिलती है लेकिन इसके विरुद्ध दूसरे लोगों को १,४००, १,५०० रुपया माहवार तनख्वाह दी जाती है । समाजवाद के नाम पर इतना भेदभाव होने का मतलब यही है कि ये लोग समाजवाद

का क, ख भी नहीं जानते या जानबूझकर समाजवाद का नाम लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

मैं चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में इस भेदभाव को दूर करने के लिये एक पे कमीशन बैठाया जाय और उसका दायरा काफी रखा जाय। उसमें हर पहलू पर विचार करके रिपोर्ट पेश हो जिस पर सरकार अमल करे। इसी प्रकार से साधारण कर्मचारियों की स्थिति अच्छी हो सकती है और काम करने वाले व्यक्ति इत्मीनान के साथ रह सकते हैं। जहां तक नौकरियों के स्थायित्व का सवाल है लोग ५०-५० वर्ष से काम कर रहे हैं लेकिन उनकी सर्विस अस्थायी है।

आखिर में जिले की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दो पंचवर्षीय योजनायें बीत गयीं और तीसरी पंचवर्षीय योजना का भी कुछ समय बीत गया, लेकिन इन १४ वर्षों के बीच में गाजीपुर जिले में एक भी कारखाना ऐसा नहीं बन पाया जिसमें १००-२०० आदमी काम कर सकें। कुल मिला कर मुश्किल से १२-१३ मील पक्की सड़कें बनीं। एक भी पुल गाजीपुर जिले में नहीं तैयार हो सका और जो पुराने पुल टूट गये थे वे भी आज तक ठीक नहीं हो सके। बरसात के दिनों में हमारा जिला तीन तरफ से बिलकुल कट जाता है और आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। गाजीपुर में गंगा पर पुल बनाने की बहुत ही पुरानी मांग और आकांक्षा गाजीपुर वालों की रही है लेकिन उसकी तरफ सरकार ने बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी लेकिन प्रांतीय सरकार ने इस बात को महसूस नहीं किया कि गंगा पर पुल बनाना आवश्यक है। अगर प्रांतीय सरकार उसके ऊपर ध्यान दिये होती और वह महसूस करके सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखे होती तो मेरा विश्वास है कि जरूर गाजीपुर में गंगा पर पुल बन गया होता और अगर गाजीपुर में गंगा पर पुल बन गया होता तो आज वहां की स्थिति ही बिलकुल दूसरी होती।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लाखों आदमी वहां बेकार हैं और दो-दो चार-चार आने की मजदूरी करने के लिये तरसते रहते हैं लेकिन उनके सामने कोई काम नहीं है। इस पंचवर्षीय योजना में भी मुश्किल से वहां की ३ मील सड़क ही ली गयी है। इस तरह आज जो उपेक्षा गाजीपुर जिले के साथ की जा रही है उसके लिये मैं सरकार को कह देना चाहता हूं कि वह मुगालते में न रहें क्योंकि उसकी इस उपेक्षा की नीति से गाजीपुर जिले की जनता काफी सजग हो रही है और इसको आने वाला भविष्य ही बतलायेगा।

आज सरकार आपसी झगड़े में फंसी हुई है और इनका सारा समय उसी में बीत रहा है। शासन कहां जाता है, कर्मचारी कहां जाते हैं, किसान और मजदूर कहां जाते हैं, इसकी चिंता उसे कतई नहीं रह गई है और आज सबसे बड़ी कोशिश इस बात की की जाती है कि जहां तक हो सके टिकट किसको दिया जाय, किस तरह के लोगों को दिया जाय, और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपने पोटिकल स्वार्थ पूरा करने के लिये किया जाता है। उसका नतीजा यह है कि आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अभी मेरे यहां अन्तरिम जिला परिषद् का चुनाव हुआ था। वहां एक बहुत ही माननीय सदस्य जो कि गवर्नमेंट में हैं, गये थे और जब तक चुनाव रहा तब तक वहां अड्डा डाले रहे। गाजीपुर का बच्चा-बच्चा इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उन्होंने चुनाव में खुल कर हिस्सा लिया। सरकारी काम के नाम पर वे वहां गये थे और सरकारी भत्ते पर गये थे लेकिन सरकारी काम के बजाय उन्होंने चुनावबाजी के अखाड़े को मजबूत किया और उस अखाड़े में उतरे। हम लोगों को भी सरकारी काम के नाम पर निमन्त्रण मिला था लेकिन कोई सरकारी काम हुआ नहीं।

आखिर में सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि केवल समाजवाद का तथा कोआपरेटिव सोसाइटीज का नारा लगाने से काम नहीं चलने वाला है। श्रीमन्, गोरखपुर के कोआपरेटिव फेडरेशन में गबन का मामला प्रत्यक्ष है। वहां सन् ४९ से लेकर ५८ के बीच में साढ़े ३ लाख रुपये का गबन हुआ है और सन् ५८ के बाद भी जो पदाधिकारी वहां आये, उनके समय में भी काफी गबन हुआ है। एक तरफ तो समाजवाद और कोआपरेटिव सोसाइटियों का नारा लगाया जाता है और दूसरी तरफ ऐसे आदमियों को सहलाया जाता है, उनको शह दिया

[श्री पब्बर राम]

जाता है, इसका नतीजा यह होता है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट आज इतना अपवित्र और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है कि कोआपरेटिव का नाम लेने पर ही किसान व साधारण जनता घबड़ा जाती है और वह सोचती है कि यदि हमारा सम्बन्ध कोआपरेटिव सोसाइटी से हो गया तो इसका नतीजा यह होगा कि हमारी गर्दन कट जायगी ।

*गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों के संबंध में जो भाषण यहां हुए उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना और यह जानते हुए कि आम चुनावों के मुश्किल से ३ मास बाकी हैं इसलिये तमाम तकरीरें उसकी पृष्ठभूमि में यदि हुईं या चुनाव को दृष्टिकोण में रखकर अनुपूरक अनुदानों को देखा गया तो मुझे उससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ । जितने भाषण आज या पिछले २ दिनों में यहां हुए, मुझको ऐसा लगा कि विरोधी दल के दिमाग में एक ही चीज है, क्योंकि आखिरी सेशन है इसलिये जो कुछ भी अपनी अपनी पार्टी प्रोपेगेन्डा के लिये कह सकेंगे वह कह दो क्योंकि पता नहीं फिर यह मौका मिले या न मिले ।

कहा गया कि सरकार ने जो यह छोटे वेतन के लोगों के वेतन में बढ़ोत्तरी की है वह उचित है । मैं उनका आभारी भी हूं कि जिन्होंने सरकार को इसके लिये बधाई दी । लेकिन दूसरे लोगों को केवल एक ही चीज दिखाई दी, चूंकि आम चुनाव नजदीक हैं इसलिये सरकार ने यह बढ़ोत्तरी की है । एक सोशलिस्ट पार्टी के मित्र तो इस कदर आगे बढ़े माननीय विशारद जी, यहां तक कह गये और फारमूला पेश किया कि डी० ए० को जोड़ कर उस में ६० प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जाय । मेरा विचार है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां विरोधीदल गैर जिम्मेदार है, यहां प्रदेश में भी और केंद्र में भी, क्योंकि उनकी बात जो होती है वह निहायत गैर जिम्मेदारी की होती है । उन्होंने स्वयं इस बात को माना है कि ५ रुपये के बढ़ने से ३८ लाख रुपए का व्यय बढ़ेगा और अगर डी० ए० को वेतन में जोड़ कर ६० प्रतिशत उस पर बढ़ाया जाय तो कितने करोड़ रुपया चाहिये वह उन्होंने न सोचा और न बताया कि कहां से वह रुपया आयेगा और कहां से नहीं आयेगा ।

गृह विभाग के बारे में जब कोई प्वाइन्ट नहीं मिला तो वह कह गये कि सेनटिनरी क्यों मनाई जाती है और पैसा क्यों खर्च करते हैं । हमारे साथी भी जानते है और आप भी साक्षी हैं और मैं स्वयं इस मत का हूं कि हमको अधिक से अधिक बचत करनी चाहिये । शायद आपने इस अनुदान को देखा होगा, उसमें सेनटिनरी के संबंध में, जहां ६४ हजार से ज्यादा का प्रदेश में पुलिस फोर्स है वहां उसके लिये केवल २५ हजार रुपया स्वीकार किया गया है जिसमें स्पोर्ट्स और टेटूज वगैरह के प्राइटम्स और १०० साल के इतिहास लिखने आदि का व्यय होगा । कहा गया कि इतिहास क्या लिखा जायगा जब कि आज तक फाइटर्स आफ फ्रिडम का ही इतिहास नहीं लिखा गया । इस तरह से वाकयात पर धूल नहीं डालना चाहिये, इस ओर सतत प्रयास केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों का हुआ है, उसके लिये प्रादेशिक और हाई लेविल कमेटी बनी है जो प्रदेश में और केन्द्र में हर जगह तमाम सामग्री इकट्ठा कर रही है और जिसके द्वारा एक मुकम्मल इतिहास फ्रीडम फाइटर्स का तैयार किया जा रहा है । पुलिस फोर्स को बने हुए सौ साल हो गये, यद्यपि उसका बहुत सा भाग विदेशी राज्य के जमाने में बीता है लेकिन फिर भी इतिहास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि जो भी हो वह इतिहास बनाया जाय कि किस सन् में पुलिस फोर्स शुरु में बना, उस वक्त कितने आदमी थे, उनका उस वक्त क्या दृष्टिकोण था और किस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता उसमें सुधार हुआ । इसलिये इस पर इस तरह की आपत्ति करना कुछ मुनासिब बात नहीं थी ।

मेरे दोस्त उपनेता जनसंघ ने कहा कि कान्सटेबिल्स का वेतन बढ़ाया जा रहा है । बहुत दिनों से मांग थीं, उसके लिये पुलिस कमीशन बना, उसकी सिफारिशें आई थीं, कुछ को सरकार ने माना है, कुछ पर अभी विचार हो रहा है और उनमें से कुछ ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनको सरकार न माने । कुछ कम वेतन के लोगों के संबंध में सिफारिश को मानकर सरकार ने कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सहूलियत उनको दी है और उसके अनुसार कुछ ग्रेड्स बढ़ाये हैं। मिसाल के तौर पर, यह जो हमारे सब-इंसपेक्टर्स थे उनका ग्रेड १२०-६-१८०-१०-२०० से बढ़ाकर १५०-५-२००-१०-२५० किया गया है, हेड कांस्टेबिल के ५०-१-६५ से बढ़ाकर ६५-२-८५-२ १/२-९० किया गया है, कांस्टेबिल का ३०-१-४५ से बढ़ाकर ४५-१ १ २-६०-२-७० कर दिया गया है। उसके ऊपर यह कहा गया कि आपने उनकी तनख्वाह तो बढ़ा दी, फारेस्ट गार्ड की क्यों नहीं बढ़ाई। मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात को चाहते हैं कि जहां तक संभव हो सबकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाय। अपनी जगह यह भी सही है कि जो डयूटीज कांस्टेबिल और हैड कांस्टेबिल की हैं वह फारेस्ट गार्ड की डयूटीज से बिलकुल भिन्न हैं। फिर भी, आम तौर से जो तनख्वाह बढ़ाई जाती है उससे सभी को फायदा पहुंचता है।

इसी प्रकार से अध्यापकों की भी बात कही गई। मैं मानता हूं कि अपनी जगह यह बात ठीक है कि तनख्वाह कम है, और यह भी सही ह कि अध्यापकों के बारे में, जब कभी बजट आता है, सरकार इस बात की कोशिश करती है कि उनकी तनख्वाह में चार रुपये की, पांच रुपये की, जो कुछ भी हो सके, बढ़ोतरी की जाय। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट अभी जून में आई थी। अगस्त में सेशन खत्म हुआ। उसके बाद जो पहला मौका ह उसे सरकार ने हासिल किया। फिर भी कहा जाता है कि इलेक्शन की वजह से सब कर रहे हैं।

यह कहा गया कि ट्रांसपोर्ट का जो अनुदान है उसके अन्दर जो टैक्सी और कार्स खरीदी जाएंगी वह इसीलिये खरीदी जाएंगी कि चुनाव होने वाला है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि आज रुपया सैंक्शन करेंगे तब कहीं टैक्सी मार्च के महीने में प्राप्त होंगी, ताकि अप्रैल के बाद जो पहाड़ का सीजन शुरू होता है उसमें वे काम में आ सकें। दूसरी बात यह कि सरकार ने नैनीताल के लिये एयर सर्विस खोली है। तो उसमें इस हैसियत के लोग जाते हैं कि जिन्हें ए क्लास टैक्सी चाहिए। अभी तक अपनी स्टेट में बी क्लास टैक्सी थीं, ए क्लास नहीं थीं, इसलिये यह किया गया। उसके लिये भी चुनाव का इल्जाम लगाया जाता है!

एक भाई ने कहा कि हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लिये क्या किया। जितनी सड़कें नहरें, कुएं बने, इसमें भी क्या कोई इस बात का विभाजन होगा कि यह बैकवर्ड के लिये है और यह फारवर्ड के लिये है? मेरे कहने का मंशा यह है कि अब तक जितनी बातें कही गईं उनके पीछे एक ही बात थी कि चुनाव के लिये एक प्रोपेगंडा की बात कही जाय।

एक साहब ने कहा कि इस कदर अशान्ति है। उन्होंने शायद बुन्देलखन्ड का नाम लिया। मेरे दोस्त विष्ट जी ने कहा कि बिलकुल ला ऐन्ड आर्डर वहां नहीं है और उसके बावजूद भी पुलिस पर इतना खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, पुलिस के संबंध में इस हाउस में बहुत दफा वाद-विवाद हो चुका है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि इधर आजादी के बाद कुछ डाकुओं की सरगर्मी बढ़ गई। इसमें हो सकता है कि सामाजिक उथल-पुथल की बात भी हो। लेकिन एक नहीं, कई गैंगों को, मानसिंह के गैन्ग को, रूपा के गैन्ग को, लाखन सिंह के गैन्ग को, डाकुओं के इन तमाम गैन्गों को लिक्वीडेट किया गया और उसका श्रेय हमारी पुलिस और पी० ए० सी० को है। बुन्देलखन्ड के मामले में एक दिक्कत और है। उसकी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। जो डाकुओं का गैन्ग है वह मध्य प्रदेश से आता है और वापस चला जाता है। लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिला सकता हूं कि पूरी कोशिश की जा रही है कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष---माननीय टम्बरेश्वरप्रसाद जी, आप बैठिए इस तरह से बोलना ठीक नहीं है।

श्री नवलकिशोर---तो कोशिश की जा रही है कि उनको समाप्त किया जाय।

माननीय गौतम जी, जो हमारे सम्मानित साथी हैं, उन्होंने भी अपना भाषण दिया और उन्होंने अपने उस फर्ज को अदा किया जिसको कि वह समझते हैं कि सरकार को नुक्ताचीनी करके उसको सुझाव देना चाहिये। मान्यवर, मुझको थोड़ा सा संकोच भी है; उन्होंने कुछ बातें कहीं ह विभागों के बारे में। मुनासिब यह होगा कि उसका उत्तर वित्त मंत्रीजी दें या संबंधित

[श्री नवलकिशोर]

विभागों के मंत्री दें। एक बात जरूर ऐसी लगी, जिसे मैं कहना चाहता हूं कि कुछ पार्लियामेंटरी डीसेन्सीज या डेकोरम होता है कि जब सरकारें बदलती हैं, जो इत्तफाक से इस प्रदेश के अन्दर नहीं हुआ, केवल एक ही पार्टी के कुछ सदस्य बदले, लेकिन जहां भी सरकार बदलती हैं वहां भी कुछ इस तरह की, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में ऐसा डेकोरम है कि कुछ ऐसी चीजों को जिसको कहते हैं "हिटिंग बिल दी बैल्ट" इस तरह की बातें नहीं होतीं। यह जरूर है कि उन्होंने इस तरह का प्रोवोकेशन अपने सक्सेसर को दिया हो कि वह कुछ बातें बतायें कि उनके जमाने में क्या हुआ। मेरी अपनी राय है कि इस तरह की बातें होना मुनासिब नहीं है . . . .

श्री मोहनलाल गौतम---मंत्री जी का किस तरफ इशारा है, जरा बता दें, तो मैं अपने को दुरुस्त कर लूं।

श्री नवलकिशोर---गौतम जी ने कहा, उनको बड़ी परेशानी हुई, हाई कमान्ड से पूछना पड़ा कि इन बातों से कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत होगी। मान्यवर, मैं इसका फैसला उन पर ही छोड़ता हूं जिन बातों की चर्चा कांग्रेस सरकार के सिलसिले में किया है उससे कांग्रेस गवर्नमेंट लोगों की निगाह में कितनी मजबूत होगी, यह फैसला वह खुद करें।

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने जिक्र नहीं किया, हाई कोर्ट के फैसले में जो जिक्र है वही दोहराया।

श्री उपाध्यक्ष---कोटेशन दिया है।

श्री नवल किशोर---बहरहाल, मैं यह बात समझता हूं कि सरकार की जो भी कमियां हों, खराबियां हों, जहां तक विरोधी पक्ष की बात है वह कुछ भी कहे, मगर गौतम जी एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते कांग्रेस की तमाम खामियों से, जो इसकी हों, अपने को अलग नहीं रख सके हैं।

मान्यवर, विष्ट जी ने संकेत किया कि एस० पी० का बरेली से ट्रांसफर क्यों हुआ और कहा कि उसने किसी की हिस्ट्री शीट खोल दी थी, इसलिये ट्रांसफर हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी यह बात बिलकुल निराधार है और यह एक ऐसा आरोप है जो उनको सदन के अन्दर नहीं कहना चाहिये था। जहां तक ट्रांसफर का सम्बन्ध है, ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, डीटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बता दूं कि चूंकि वह जूनियर अफसर थे और बरेली फर्स्ट क्लास सिटी है, लिहाजा उनको दूसरी जगह भेज दिया गया। यही कारण था।

उन्होंने कुछ और बातें मंत्रियों के सम्बन्ध में कहीं। मैं समझता हूं जो बातें उन्होंने कहीं वह बहुत ज्यादा जिम्मेदारी की नहीं थीं।

इसके अलावा जहां तक अनुदानें पेश हुई हैं उनके सम्बन्ध में यही कहूंगा, कुछ भाइयों ने कहा कि जो बुनियादी नीतियां हैं उनके आधार पर जो हमारे अनुदान हैं वे सप्लीमेंटरी बजट में नहीं आने चाहिये थीं, मगर भगवती सिंह विशारद जी ने यह नहीं बताया कि वह कौन से बुनियादी अनुदान हैं। मैं सब के बारे में तो नहीं कहूंगा, केवल गृह विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इसके अन्दर जितने भी अनुदान सिर्फ एक आध को छोड़कर जैसे फायर फाइटिंग एक्विपमेंट की बात है, इसके अन्दर ६,४९,२०० रु० जो मांगा गया है, यह वह रुपया है जो हमको दो सालों के अन्दर केन्द्रीय सरकार से मिल चुका था और सरेंडर कर चुके थे, उसके लिये ही अनुमति मांगी है क्योंकि केन्द्रीय सरकार से वह रुपया फिर मिल गया है। बाकी ग्रान्ट्स वे हैं जो पुलिस कमीशन की सिफारिश के आधार पर सरकार ने मानी हैं और जिनके अन्तर्गत तनख्वाहें आदि बढ़ानी हैं जिनमें कुछ हेरफेर हुआ है।

कुछ शिक्षा के सम्बन्ध में भी टीका टिप्पणी की गई। बहरहाल, वित्त मंत्री जी डीटेल के साथ जवाब देंगे, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जहां तक अंग्रेजी भाषा का सम्बन्ध है, मान्यवर,

इस बात को महसूस किया गया कि अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल भाषा है, कोई सवाल कम्पलशन का नहीं है। लिहाज था उसके स्टैन्डर्ड का जो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। उसका वह स्टैन्डर्ड नहीं है जो एक इंटरनेशनल भाषा का होना चाहिये था। इसलिये महसूस किया गया जो दसवीं का इम्तहान दें उनके लिये ८ साल तक अंग्रेजी में कोचिंग की आवश्यकता है। इसलिये जैसा पहले था उसको स्टार्ट किया जाय। अतः उस पर बहुत ज्यादा आवेश की बात नहीं थी। इन शब्दों के साथ मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि ये जो गरीब साढ़े ६ करोड़ के अनुपूरक अनुदान हैं उन्हें सदन स्वीकार करने की कृपा करेगा।

*श्री प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि अनुपूरक अनुदानों पर मैं कुछ कहूं, मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय नवल किशोर जी जैसे जिम्मेदार आदमी ने आज इस हाउस में यह कहा कि इस प्रदेश में विरोधी दल निहायत गैर-जिम्मेदार है, मैं समझता हूं कि यह चार्ज उनका निहायत अन्यायपूर्ण है, तथ्यहीन है। विरोधी दल ही ऐसा दल है जिसने जनतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। अगर विरोधी दल भी, उसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस दल आपस में लड़ रहा है, लड़ता होता तो यहां गवर्नर का रूल होता। जिस तरह का गृह युद्ध कांग्रेस के अन्दर छिड़ गया है उसे देखते हुये प्रदेश की जनता यह महसूस करे कि प्रदेश की भुखमरी और गरीबी यह कांग्रेस राज्य दूर कर सकता है, इस गलतफहमी में वह आने वाली नहीं है। गौतम जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हकीकत बयान की। जब कांग्रेसी मिनिस्टर कांग्रेसी नेता के खिलाफ ऐसे कारनामे कर सकता है तो विरोधी दल के साथ उनका क्या सलूक हो सकता है? इस ओर ध्यान दिया जाय कि एक ओर तो कोड आफ कंडक्ट पर स्पीचेज दी जाती हैं माननीय अध्यक्ष के तत्वावधान में और उसी पार्टी के लोग ऐसा व्यवहार करें तो इस तरह के हथकंडों से जनता बच नहीं सकेगी। आज जो खतरा हमारी उत्तरी सरहद पर चीन द्वारा हो रहा है उससे कांग्रेस सरकार हमको बचा नहीं सकती क्योंकि आपस में ही वह लड़ रहे हैं।

अनुपूरक बजट जब पेश होता है तो अनफोरसीन चीजें आती हैं। मैं उस अनुदान की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कुम्भ मेले के सम्बन्ध में रखा गया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहता हूं कि क्या कुम्भ मेला भी अनफोरसीन है।

सदन में बतलाया गया कि ५ रुपया बढ़ाया गया। चपरासियों का एक बड़ा उपहास किया गया। एक ऐसे व्यक्ति के साथ उपहास किया गया जो २४ घंटे इस देश का काम करता है। और समय पर बजट आता है तो बचत का खयाल होता है लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम साल में यह बजट आया है। इसमें अनफोरसीन चीजें आनी चाहिये थीं। लेकिन यह ५ रुपया बढ़ाया गया है मानो बड़ा तीर मारा है। ४६ में पे कमीशन बैठा था। उसने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा था कि १० साल के बाद दूसरा पे कमीशन बैठना चाहिये। जो ५ रुपया बढ़ाया है इसका क्या आधार है? क्या कोई फायनेन्स कमेटी है? क्या किसी भिखारी को दो रुपये बढ़ा दिये? आपने कहा आधार क्या होना चाहिये? पिछले सालों में जो कास्ट आफ लिविंग है वह ६० परसेंट बढ़ी है। बेसिक तनख्वाह चपरासी की २० रुपये थी और २० रुपये डी०ए० था। ६० प्रतिशत कास्ट आफ लिविंग में बढ़ोत्तरी होने से २५ रुपये बढ़ाने चाहिये थे और हुआ क्या? दो रुपये, ढाई रुपये या ५ रुपये। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश का रहने वाला कर्मचारी क्या भिखारी है, स्वतंत्र देश का नागरिक नहीं है क्या आज उसे भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो वित्त मंत्री को प्राप्त हैं? तृतीय पंचवर्षीय योजना को हम तब तक कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकते जब तक हम अपने तीन लाख कर्मचारियों को खुश नहीं करते। उन्हीं से हमें यह तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित करानी है। इन तीन लाख कर्मचारियों की आज मांग है, हमारी भी वही मांग है, कि द्वितीय पे कमीशन की शीघ्र स्थापना की जाय और वेतन आयोग यह निर्धारित करे। माननीय मंत्री कहते हैं कि माडेल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

एम्प्लाई होना चाहिये। तो क्या सरकार को माडल एम्प्लायर नहीं होना चाहिये? पे कमीशन यह निर्धारित करे कि हमारे कर्मचारियों का वेतन कास्ट आफ लिविंग के मुताबिक क्या होना चाहिये और उनकी सुरक्षा के लिये क्या-क्या होना चाहिये।

जो सब-डिप्टी इंस्पेक्टर थे उनसे चपरासी वापस ले लिया गया, लेकिन बड़े-बड़े अफसरों के चपरासियों को नहीं हटाया गया और बड़ा ढोल पीटा जाता है कि हम तो बचत कर रहे हैं। कौन ऐसी राय देता है? जो आला दर्जे के अफसर हैं वह राय देते हैं या आप खुद ऐसा कर देते हैं? यह बात सही है कि आज जो हमारा सामान्य प्रशासन है उसका डिमारलाइजेशन हो रहा है और जब अफसरों में डिमारलाइजेशन होगा तो प्रभावशाली अफसर भी काम नहीं कर सकेगा। अगर आज देश में जिसको हम ब्यूरोक्रेसी के नाम से गालियां देते हैं इस तरह के आपने डिवाइड किया और कहा कि तुम हमारे ग्रुप के नहीं हो लिहाजा तुम को बदल दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल नहीं है और इसका सारा कलंक कांग्रेस सरकार पर है। मैं गौतम जी की सरकार में और वित्त मंत्री जी की सरकार में कोई फर्क नहीं देखता। हमारे लिये वह कांग्रेस की ही सरकार है। आज मेरी बात मंत्री जी स्वीकार करें या न करें, लेकिन मेरी बात सही है। जो पार्टी आपस में लड़ रही है वह देश की बागडोर को सम्हाल नहीं सकती।

पचीस हजार हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों को ८० रुपये तनख्वाह और ५ रुपये डियरनेस एलाउन्स दिया जाता है और उसके बाद कोई डियरनेस एलाउन्स नहीं दिया जाता है। इस तरह आपने २५ हजार लोगों की उपेक्षा की है। इस समय जो कुल खर्चा ३८ लाख रुपये का है मगर उसमें हम इन हायर सेकेन्डरी स्कूलों के मास्टरों को भी शामिल कर लें, अन्तरिम जिला परिषदों के लोगों को भी शामिल कर लें और स्थानीय निकाय के लोगों को भी शामिल कर लें तो केवल ३० लाख रुपये का खर्चा और बढ़ता है। उन्होंने कहा कि रुपया कहां से लायें। तो मैं बताता हूं कि जो आपका वेस्टफुल एक्सपेंडीचर होता है योजनाओं पर, उन योजनाओं को ठीक ढंग से चलायें तो रुपया बच सकता है। हम रोटी मांगते हैं तो कांग्रेस सरकार हमें बिजली के बल्ब देती है। प्राथमिकता क्या होनी चाहिये, इसको अभी आप तय नहीं कर पाये हैं। आज बार्डर की जनता कहती है कि हमको खाना और कपड़ा दो, लेकिन वहां धड़ाधड़ सड़कें बन रही हैं। पहले वहां रोजी और रोटी का इंतजाम कीजिये। अंग्रेजों ने जिस समय राज्य दिया था तो १२ लाख लोग बेकार थे और जब तक माननीय सम्पूर्णानन्द जी की सरकार रही तो १९ लाख लोग बेकार रहे और जब से माननीय गुप्ता जी की मिनिस्ट्री आयी है तो १९,०३,०८० लोग बेकार हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि बेकारी बढ़ती चली जा रही है।

इस आखिरी वक्त में मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि आज हमारे बार्डर में जो चीन के एजेन्ट हैं उनको खूराक यह सरकार दे रही है। आज वहां कैम्पों में भी उनके एजेन्ट्स काम कर रहे हैं। पंचमांगियों से देश की रक्षा करना तो अलग रहा, आज वहां के अफसर उनको मदद दे रहे हैं। आज सीमेंट, लोहा और ऐसी ही चीजें ताकलाकोट को भेजी जा रही हैं, लेकिन उसकी कोई रोक नहीं हो रही है। आज यह सरकार अंग्रेजी जमाने के उसी पैमानों को रखती है कि दैट आफिसर इज लायल टु दि गवर्नमेन्ट बट नाट लायल टु दि कंट्री। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि वह लायल टु दि कंट्री हो न कि लायल टु दि मिनिस्टर।

आज मैंने इसी सदन में एक सवाल पूछा था कि कितनी बेदखलियां यह सरकार करेगी। उसके जवाब में कहा गया कि मार्च, ६१ से अगस्त, ६१ तक ८४० कृषकों को बेदखल किया गया, जिनमें से ४९४ काश्तकार ऐसे थे जो पांच वर्ष से अधिक से नैनीताल की तराई में बसे हैं। यहां एक बिल राय सिखों को समाप्त करने के लिये लाया गया, लेकिन आज वह बिल माननीय नवल किशोर के भाई को भी ऐसे ही बेदखल कर रहा है जैसे कि मास्टर तारासिंह के भाई को। आज वहां के थारू, बोक्सा आदि लोगों को बेदखल किया जा रहा है जिस बिल के बारे में कहा गया था कि किसी कौम को बेदखल करने के लिये नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर कहूंगा कि अगर कांग्रेस सरकार का यही रवैया रहा तो हमारे देश की रक्षा नहीं हो सकती, यहां की बेकारी और भुखमरी खत्म नहीं हो सकती। मेरा यह भी कहना है कि हर आदमी की तनख्वाह १०० रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, आज के वाद-विवाद में वन के सम्बन्ध में भी कुछ आक्षेप हुए। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ कठिनाइयों का जिक्र किया। दो मित्रों ने तो यह बताया कि शताब्दी समारोहों में पैसा खर्च करना बेकार है। मेरे मित्र माननीय गोविंदसिंह बिष्ट ने यह बताया कि लकड़ी की कमी है। इंडस्ट्री चलाने के लिए लकड़ी है, जनता चाहे अपनी हड्डी जलाये, लेकिन वन मंत्री लकड़ी देने के लिये तैयार नहीं हैं और उन्होंने यह भी बताया, मैं उनके इन शब्दों को भूल गया था, कि बची खुची लकड़ी स्टार पेपर मिल को दी जाती है। आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि लकड़ी की कमी है और इंडस्ट्री को चलाने के लिये लकड़ी की जरूरत है और वह लकड़ी चूल्हे में नहीं डाली जा सकती है। उन्होंने बड़े महत्व की बात कही, क्योंकि इससे मुझे अपनी नीति को स्पष्ट करने का अवसर मिल गया है।

स्टार पेपर मिल को जो लकड़ी दी जाती थी तो उसकी कीमत पर और उसके स्वरूप पर लोगों को संदेह था और बची खुची लकड़ी का मतलब यह था कि जो ठेकेदार पेड़ ले जाते थे तो जो उनके बच्चे (slash) होते थे वे उनको दिये जाते थे। यह कैटेगेरिकली स्टेटमेंट मैंने हाउस में दिया था। अब ज्यों-ज्यों वैधानिक खोजें होती चली जा रही हैं वन की उपज की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है। जो लकड़ी जलाई जाती थी अब उसका पल्प बनाया जाता है, रेयन बनाया जाता है और कागज बनाया जाता है। हमारे देश में औद्योगीकरण की बड़ी आवश्यकता है। हमारे यहां आबादी बढ़ जाने से नगरों में लकड़ी की खपत पचगुनी, दसगुनी बढ़ गई है और वनों का आरोपण उस अनुपात में नहीं हो रहा है जितनी कि लकड़ी की मांग है। अब बताइये गरीब आदमी क्या जलाये? इसलिये लकड़ी के बजाय साफ्ट कोक देने की बात आती है। कोई सरकार इतनी निठुर नहीं हो सकती है जिसके लिये प्रजा प्यारी न हो। तुलसीदास जी ने कहा कि "सोचिये नृपति नीति नहिं जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना"। फिर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जनता कष्ट उठाये और उसकी समस्या का समाधान न हो? लेकिन लकड़ी की जगह साफ्ट कोक का इंतजाम किया जाय तो यह ऐसी बात नहीं है जिसे अनुचित समझा जाय।

श्रीमन्, हमारे यहां जनता इतने विवेकहीनता से काम लेती चली आई है कि गोबर को जला डालती है जो हमारे खाद के काम आ सकता है और गांव में लकड़ी नहीं उगाती है। इसी दृष्टि से हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से "कृषि वन योजना" चलाई थी और हम इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि गांव-गांव में लोग अपने जलाने के लिये लकड़ी पैदा करें। हमारा इधर ध्यान है।

हमारे एक मित्र, माननीय रघुरनतेजबहादुर सिंह, ने बताया कि जंगल के आस-पास के रहने वालों को जो सुविधायें जंग से मिलती थीं वह अब नहीं मिल रही हैं। १९५८ में फारेस्ट मैनुअल की धारा १८५ को कार्यान्वित कर दिया गया था और जो लोगों की पैटी डिमांड्स थीं उनको रोक दिया गया था। लेकिन जब मेरे सामने यह समस्या आई तो मैंने इसको एक मोडी-फाइड फार्म में फिर से चालू कर दिया है। यह सही है कि आबादी बढ़ जाने के कारण मनमानी तौर पर जनता को सुविधायें नहीं दी जा सकती हैं। लेकिन अगर जनता की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जायगी तो यह सब बंधन व्यर्थ हो जायगा। इसको सामने रखकर यह किया गया कि इस धारा को फिर से चालू किया गया और इसके सम्बन्ध में जी०ओ० भी निकल चुका है और हो सकता है कि कहीं-कहीं अभी उस पर अमल न हो पाया हो और अगर कोई शिकायत है तो वह मेरे सामने आने पर निश्चित रूप से दूर की जायगी।

मैं माननीय गोविंद सिंह जी बिष्ट की बात पर फिर आ जाता हूं कि लकड़ी की कमी है विशेषकर भुवाली, नैनीताल और अल्मोड़ा के क्षेत्र में। अगर कोई कठिनाई विशेष पैदा हो गयी है तो मैं इस जाड़े के मौसम में स्वयं जाकर देखना चाहूंगा और अपने मित्र बिष्ट जी

[श्री अलगूराय शास्त्री]

को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो नई व्यवस्था है अगर उसके कारण कोई उलझन है तो उसको सुलझाने के लिये जो कुछ किया जा सकता है, वह शीघ्र से शीघ्र करने का इरादा मैं रखता हूं।

एक बात माननीय गौतम जी ने कही है। वे मेरे बड़े पुराने साथी हैं। हम लोगों का यह साथ लोक सेवक मंडल के जो आजीवन सदस्य रहे हैं उसके कारण उस संस्था से हम लोगों ने अपना सम्बन्ध साथ-साथ रखा है। सन् १९२४ में मैं लाजपतराय जी की उस संस्था में भर्ती हुआ था। तब से लेकर आज तक उनमें और मुझमें सहज सहोदर का स्नेह रहा है, और है। उन्होंने स्वयं आवेश में आकर एक उलझन पैदा की और जिस दल के वह स्वयं सदस्य हैं उसी के सामने और इस सरकार के सामने उलझन को पैदा करके विरोध करने लगे। किसी अविश्वास के प्रस्ताव से वह नहीं गये, किसी ने उनको निकाला नहीं। उन्होंने स्वयं ही एक समस्या पैदा कर दी अपने दूसरे भाइयों के लिये और जो दर्द आपने पैदा किया है उस दर्द की दवा देने की चेष्टा न करके उस दर्द में एक नया दर्द पैदा करने की भी आप ही चेष्टा कर रहे हैं। यही नहीं, मुझे जो बिलकुल बगल में बैठा हुआ था उसको भी नहीं छोड़ा और वन मंत्री का अनुवाद उन्होंने जंगली मंत्री कर दिया और जंगली मंत्री अगर मैं हूं.....

श्री मोहनलाल गौतम—मैं उसे वापस लेता हूं।

श्री अलगूराय शास्त्री—मैं एक बड़ी मजेदार बात कहने वाला था, लेकिन मेरे मित्र ने अब मुझे रोक दिया है।

बहुत सारी बातें कही गयीं, भाषा के सम्बन्ध में क्या नीति है और कुछ और चीजों के बारे उनका उत्तर तो हमारे वित्त मंत्री जी आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी मांग सर्वथा उचित है। वनों का जो महत्व है और उसका जो प्रयोग है, उसका जो उपयोग है उसको हमें बहुत पापुलराइज करना चाहिये। वनों को काटना अनुचित है और ४ इंच मिट्टी को जिसका मूल्य सारी मिट्टी के मूल्य के बराबर है उसको बरबाद हो जाने देना यह लोगों के सामने आना चाहिये कि कितना अनुचित है। सौ सालों में वन विभाग ने क्या काम किये हैं और आगे क्या काम करने हैं उनके लिये यह बहुत छोटी रकम है और इसमें इमारतों और अन्य मदों का भी है, उसके लिये कौन ऐसा जनता का प्रतिनिधि होगा जो उसे अनुचित बतावेगा? मैं समझता हूं कि इसे एक मत से स्वीकार किया जायगा।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह शुक्र है और बहुत तोबा-तोबा करके आज एक कुफ्र तो टूटा। पिछले ५ वर्षों से लागातार इस सदन में यह बात कही जाती रही है कि कम वेतन वालों को जीवित रहने लायक वेतन होना चाहिये और उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिये, लेकिन अनुपूरक अनुदान भी आते रहे और मुख्य बजट भी आते रहे, हर अवसर पर इस सवाल के ऊपर "न" में जवाब दिया गया था। पहली बार कम से कम इस तरह से सरकार ने आम चुनाव के मौके पर जिस समय अभी अभी एक मंत्री महोदय भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि चुनावों की वजह से नहीं, बल्कि यहां की गम्भीरता और जरूरत को महसूस करते हुये कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का निर्णय किया है। हुआ बिलकुल इसी वजह से है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन फिर भी अगर जनता के दबाव से, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों और पार्टियों की जो लगातार पांच साल से मांग रही है, उस आवाज को सुनने से सरकार इनकार नहीं कर सकी, उस बात को सुना और नाममात्र के लिये ही सही, वेतन वृद्धि का ऐलान किया। लेकिन इसके साथ ही साथ लाखों सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं, पी०डब्लू०डी० के, बिजली विभाग के, और कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई विभाग के जो सरकारी खजाने से वेतन पाते हैं, लेकिन जिनको सरकार अपना कर्मचारी नहीं मानती और जो वृद्धि वेतन और महंगाई में होती है वह उनको नहीं प्राप्त हो पाती ।

(इस समय ३ बजकर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

सरकार की आम नीति की आलोचना करने से पहले मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माल मंत्री जी इसके बारे में ध्यान से सुनने की कृपा करेंगे । जिन-जिन जिलों में चकबंदी हो रही है, चकबंदी के अवसरों पर आम तौर पर जो पुराने रास्ते हैं, या जिन रास्तों से एक बार या एक साल लगातार पानी गुंजर चुका है, सिंचाई हो चुकी है वह जमीनें या उन रास्तों पर इस्तेमाल होने वाली जो जमीनेंहैं, उनको हस्तगत करने का अधिकार चकबंदी विभाग को होना चाहिये । यह अधिकार न होने की वजह से इतनी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं कि मैं उनका बयान नहीं कर सकता । चकबंदी होने से, बजाय इसके कि किसी किसान को लाभ हो, हजार किस्म की तकलीफें हो जाती हैं । चकबंदी बजाय सुख के अभिशाप बन रही है । मैं आशा करता हूं कि माननीय माल मंत्री जी इस ओर कदम उठाने की कृपा करेंगे ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । पुलिस के सम्बन्ध में एक डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बहुत-सी बातें कहीं । मैं इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता । आज हमारे इस पूरे उत्तर प्रदेश में जब से इन लोगों ने यह विभाग अपने हाथ में लिया है--उन्होंने कहा था कि इनके हाथ में विभाग के आने की वजह से पुलिस बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है--मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आज पुलिस के अन्दर जितनी निरंकुशता है, जनता को दबाने की भावना है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, उतना कभी नहीं था, विभाग की आलोचना को व्यक्तिगत आलोचना नहीं मानना चाहिये। अगर किसी मामले में आलोचना की जाय और जो मंत्री हैं वह उसे अपनी व्यक्तिगत आलोचना मानता है तो वह कभी सुधार नहीं करता और आलोचना का मूल्यांकन नहीं कर सकता । जब चकबंदी का मुहकमा उनके हाथ में था तो इतना अत्याचार, जुल्म हमारे प्रदेश के किसानों पर हुआ कि उसका प्रदर्शन सैकड़ों किसानों ने मंत्री जी के मकान पर ४०० मील से आकर किया और भूख हड़ताल की । तब भी यह बात कही गयी थी कि चकबंदी गलत तरीके से चलती है । उसे उन्होंने अपनी व्यक्तिगत निन्दा समझी । आज फिर जिस तरह से वह पुलिस वालों की हर हरकत की पैरवी करते हैं उसका परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में पुलिस की ज्यादतियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं ।

अभी-अभी माननीय गौतम जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया । आज आम चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं । हर एक जिले में यह प्रभावशाली मनुष्य या उनके लगुवे भगुवे, उनके प्रभाव में रहने वाले लोग-जो हैं इस प्रकार के अधिकारियों को वह नियुक्त करना चाहते हैं उन जिलों के अन्दर ताकि आम तौर पर जो कांग्रेस के अन्दर भी एक अल्पसंख्यक हैं, या कांग्रेस में भी जिनकी आवाज नहीं चलती है उनको वह दबावें और विरोध पक्ष की जो पार्टियां हैं उनको भी दबाने का काम करें । आज सरकारी मशीनरी को कलेक्टर से लेकर साधारण पुलिस के सिपाही तक को चुनाव की मशीनरी बनाने की कोशिश की जा रही है । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैं भुक्त-भोगी हूं । अभी-अभी जब बाई-एलेक्शन हुआ था और मुझे दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा तो उसमें मैं इसका भुक्तभोगी हुआ हूं । यह बात मैं आपके द्वारा इसलिये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि वहां एक ए० एस० पी०, ऐडीशनल एस० पी० महोदय थे जिनकी देखरेख में वोटरों को, संकड़ों वोटरों को पीटा गया । पुलिस वाले कमजोर पार्टियों की कुछ भी मदद नहीं कर पाये । आज हम यह महसूस करते हैं कि तमाम राज्यकर्मचारियों की नियुक्तियां इस दृष्टि से की जा रही हैं कि आइन्दा आने वाले चुनाव में वह उनकी सहायता करें और विरोध पक्ष की पार्टियों को दबावें ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आज इस अनुपूरक बजट के द्वारा अपने प्रदेश में पुनः अंग्रेजी भाषा को जीवित करने का जो दुष्प्रयास हो रहा है वह इस विधान-सभा के इतिहास में एक कलंकपूर्ण विषय है । आज मैं ऐसा समझता हूं कि विश्व के इतिहास में एक किसी युग-

[श्री राजनारायण]

निर्माता से उसके अनुयायी कितनी दूर चले गये हों, उसकी पराकाष्ठा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा की जा रही है। युग-निर्माता महात्मा गान्धी थे और उनके अनुयायी आज अपने को इस सरकार के कर्णधार लोग कहते हैं। इसलिये मेरा कर्त्तव्य होता है, और मेरा गला कुछ रुद्ध हो जाता है। मैं गांधी जी की कुछ कल्पनायें भाषा और शिक्षा के माध्यम के संबंध में आपके द्वारा इस सदन की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। गान्धी जी ने लिखा है कि—"मेरी पक्की राय है कि भारतीय पाठ्यक्रम में हिन्दी और संस्कृत को तो स्थान मिलना ही चाहिये। गुजराती, हिन्दी और मराठी में मैं बहुत बड़ा अन्तर नहीं मानता। मारवाड़ियों से मेरा हिन्दी प्रचार के द्वारा सम्पर्क हुआ। अमृतसर कांग्रेस में प्रवासी भारतवासियों का दुखड़ा मैंने खुले अधिवेशन को हिन्दी में सफलतापूर्वक सुनाकर अपना विश्वास दृढ़ कर लिया था कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है।"

ये गान्धी जी के शब्द हैं। श्रीमन्, एक गान्धी जी का अरमान है उसको भी आपकी आज्ञा से मैं पढ़ देना चाहता हूं—"भारत भाषा के संबंध में गुलाम तो ज्यों का त्यों रहा। अतएव मैं उसको पूर्ण स्वाधीन नहीं कहता हूं, मेरा मत है कि जब तक भारत राष्ट्र की भाषा अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक भारत गुलाम है।"

श्रीमन्, हमने संविधान की कसम नहीं खायी है। सार में जानता हूं कि इस सदन में आज जो लोग बैठे हुये हैं उन्होंने संविधान की कसम खाई है। और उस संविधान की कसम जो इन्होंने खायी है उसके लिये मैं आपकी आज्ञा से कुछ संविधान के अनुच्छेद इस सदन में पढ़ना आवश्यक समझता हूं। क्या संविधान की कसम खाने वाले जब तक कि इस संविधान की धारा को परिवर्तित न करें तब तक उत्तर प्रदेश में एक अनुपूरक बजट के द्वारा पुरानी भाषा-नीति को परिवर्तित करके गुलामी के चिन्ह अंग्रेजी को कायम करने का दुष्प्रयास कर सकते हैं? यह इतना बड़ा प्रश्न है और मैं सोच रहा हूं, श्रीमन्, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि क्या इस सदन के सदस्य जो आज हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराना चाहते हैं, जो आज बापू के सपनों को साकार करना चाहते हैं उनके इस सदन में रहते-रहते, यह अपवित्र कार्य किस प्रकार वह होने देंगे। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर हमें दृढ़ता के साथ लगना है और कार्य करना है।

"हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात् करते हुये तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुये उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा।"

यहां जो लोग बैठे हुये हैं वह कसम खा चुके हैं कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करना है। इस कसम को खाकर जो इस प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं वह इस सदन में बैठने का हक नहीं रखते हैं। वह इस सदन में बैठने के लायक नहीं हैं। आज जो सरकार भाषा नीति को बदलकर अंग्रेजी को प्रतिष्ठित करना चाहती है वह निश्चितरूप से इस प्रदेश की जनता के हित की रक्षा नहीं कर सकती।

श्रीमन्, देखा जाय, बजट-साहित्य के पेज २४ पर यह दिया है कि स्कूलों में कक्षा ३ से ५ तक में अंग्रेजी पढ़ाने का प्रबन्ध। हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट कक्षाओं के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी विषय को हटाने का विचार अब वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि राज्य के लिये विद्यार्थियों को अंग्रेजी का अध्ययन करने से रोकना हितकर नहीं होगा जिसका कारण यह है कि देश में प्रयुक्त समस्त भाषाओं में अंग्रेजी का अब भी प्रमुख स्थान है और अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिये भी अंग्रेजी का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। यह

अनुभव हुआ है कि हाई स्कूल के स्तर की अंग्रेजी भाषा का यथोचित ज्ञान होने के लिये अंग्रेजी भाषा का कम से कम ८ वर्ष तक पूर्व कालीन अध्ययन आवश्यक है। इसलिये यह प्रस्ताव है कि अंग्रेजी का अध्ययन कक्षा ३ से प्रारम्भ कर दिया जाय जिससे हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट की परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी का यथोचित ज्ञान हो।

आज, श्रीमन्, सरकार ने जो तरीका अंग्रेजी को इस प्रदेश के विद्यार्थियों पर लादने का अपनाया है उसका भंडाफोड़ अवश्य होना चाहिये। इसमें जो विषय दिया गया है उसमें यह साफ नहीं कहा जा रहा है कि जो अपने उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी को मान्यता यहां दी गई थी उसको क्यों हटाया जा रहा है। हमारे प्रदेश में हिन्दी तीसरी, चौथी से ही पढ़ायी जाती थी। अभी तक उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी एक ऐच्छिक विषय था। अंग्रेजी अनिवार्य नहीं थी किन्तु उसको अब पुनः अनिवार्य किया जा रहा है। आज अंग्रेजी को इस प्रदेश में अनिवार्य किया जा रहा है। अब हमारे प्रदेश में तीन भाषाओं का ज्ञान करना अनिवार्य हो जायगा चाहे विषय की जानकारी हो या न हो, मगर तीन भाषाओं को पढ़ाना होगा। दुनिया के किसी मुल्क का हवाला दिया जाय, कोई नजीर दी जाय जहां शासक अपने विद्यार्थियों को मजबूर करते हों कि उनको तीन भाषाओं का ज्ञान करना आवश्यक है और अनिवार्य है। हिन्दुस्तान आज एक ऐसा जाल बनता जा रहा है और एक ऐसा अजायबखाना बनता जा रहा है जहां पर आज कांग्रेस के शासक लोग यहां की जनता को अपने इशारे पर नचा रहे हैं बन्दर की तरह से। रूस ने विज्ञान की तालीम दी है रूसी भाषा में। चीन ने तालीम दी है अपनी चीनी भाषा में। चन्द्रमा तक पहुंचने का विज्ञान रूस ने अपनी तालीम में दिया है लेकिन हिन्दुस्तान के शासक हिन्दस्तान के विद्यार्थियों को तालीम देते हैं अंग्रेजी भाषा में मगर आज हिन्दुस्तान की स्थिति वह है कि सूरज की रोशनी के चूल्हे से जो रोटी बन सकती है उसका चूल्हा भी वह नहीं बना पाये हैं।

अंग्रेजी के विषय में गान्धी जी ने कहा था कि "वास्तविक शिक्षा विदेशी भाषा के माध्यम से हो ही नहीं सकती, क्योंकि शिक्षा वही है जो आपके अन्दर निहित शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। यह काम विदेशी भाषा के द्वारा होना असम्भव है। मेरे मत से वर्तमान शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है। यह दोष, तीन प्रकार के हैं। वह इस प्रकार हैं। यह विदेशी संस्कृति पर आधारित है। यह हृदयगत और हस्तगत संस्कारों की उपेक्षा करती है और यह विदेशी भाषा के माध्यम से दी जाती है। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा हो भी तो वह अस्वाभाविक है। वह यहां के विद्यार्थियों के अन्तर्तम को नहीं छू पाती। विदेशी भाषा के विद्यार्थी होना बुरा नहीं है परन्तु भाषा सर्वोपरि है" यह गांधी जी का मत है। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार की किसी भी कार्यवाही से उसको यह हक है कि यहां के विद्यार्थियों पर अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से लादने के बाद वह गान्धी जी के नाम को ले सकें। राष्ट्रपिता पूज्य बापू का जो चित्र आज हमारे सामने टंगा है, मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा हो अगर इसे सदन से बाहर कर दिया जाय, इसको कलंकित न किया जाय। आज राष्ट्र का अपमान हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम रहती है तो क्या वे हरिजन और पिछड़ी जाति वाले सरकारी नौकरी पा सकेंगे। वे ही बड़े-बड़े आदमियों के बच्चे नौकरी पा सकेंगे जो पैदा होते ही अंग्रेजी जबान में पलते हैं और मां को मम्मी और बाप को डैडी कह कर पुकारते हैं। सरकारी नौकरियों में हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग नहीं आ पायेंगे। अगर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना है, प्रदेश की सोई हुई आत्मा को जगाना है, तो मैं कहता हूं कि इसमें से इस काले अंश को निकाल दो।

हमने हिन्दी के प्रति एक कदम उठाया था। बिहार हमारी नकल कर रहा था, मध्य प्रदेश हमारी नकल कर रहा था, राजस्थान हमारी नकल कर रहा था, गुजरात हमारी नकल कर रहा था, दिल्ली हमारी नकल कर रहा था, मगर आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हाथों अपने मुंह पर शर्म की कालिख पोत रहे हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि अगर आपने

[श्री राजनारायण]

इस काले अंश को नहीं निकाला तो इस सदन में रहते-रहते हम इसे पास नहीं होने देंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से, इस सरकार से, सारे सदन से, विनम्र निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, कि इस काले अंश को निकाल दो। हमने इसके लिये वित्त मंत्री जी को लिखा। मैं यहां मुख्य मंत्री जी के कमरे में गया और मैंने कोशिश की कि मैं दिल्ली से संबंध स्थापित करूं, मगर वह नहीं हो सका। मैंने मंगला प्रसाद जी से बात की। उन्होंने कहा कि हां भाई, कहते तो ठीक हो। वह हमारे तर्क से सहमत थे। हमने अलगूराय शास्त्री जी से भी बात की। वे भी हमारी भावना से सहमत हुये। मगर वे इतने कायर हैं कि हिम्मत नहीं कर सकते कि यहां बैठकर उसका विरोध करें। अगर आप में कुछ हिम्मत हो तो इस काले अंश को निकाल दो, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में हमारी मदद करो। मैं पुनः इसके लिये विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकार इस काले अंश को निकाल दे।

श्री हरगोविन्द सिंह--अध्यक्ष महोदय, दिन भर जो इस अनुदान के संबंध में वाद-विवाद चलता रहा वह विषय से बिलकुल अलग और असंबंधी था और मैं नहीं समझ पाता कि किस बात का उत्तर दूं। अनुदान भवन के सामने प्रस्तुत थे। मैं समझता था कि चूंकि इस भवन के माननीय सदस्यों को समय-समय पर सरकार की नीति की आलोचना करने का पर्याप्त समय मिलता रहता है इसलिये वे अपने विवाद को इन अनुदानों के संबंध तक ही सीमित रखेंगे, लेकिन मैंने देखा कि उससे किसी ने भी अपने को सीमित न रखा। श्रीमन्, पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी की कुछ मान्यतायें होती हैं और उन मान्यताओं पर चलकर ही डेमोक्रेसी का विशाल भवन बन सकता है। हम अपने देश की राजनीति में एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब हमको उन मान्यताओं का निर्माण करना चाहिये, जब इस बात की कोशिश करनी चाहिये, चाहे हम इस तरफ बैठे हों या उस तरफ बैठे हों, कि हम एक ऐसी परिपाटी की नींव डालें जो भविष्य में लोगों के लिये अनुकरणीय हो। श्रीमन्, यह तो विश्व में सभी लोग जानते हैं कि बहुत दिनों तक निरन्तर प्रयास करने के फलस्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के कन्वेन्शन्स बने थे और यह दुनिया के इतिहास में एक अद्वितीय बात है कि ब्रिटिश कांस्टीट्यूशन कागज पर कभी नहीं लिखा गया। तो मैं यह समझता था कि चूंकि हमारे लिये और भवन के उन माननीय सदस्यों के लिये जो उधर बैठे हैं यह बड़े सौभाग्य की बात है कि यह समय हमको उन मान्यताओं को मजबूत करने का जो मिला है, उन मान्यताओं को प्रौढ़ करने का जो मिला है, उसमें हम उसी तरह से व्यवहार करें जिससे हमारी भावी सन्तान जो आगे आने वाली है, शिक्षा ले सके। लेकिन, श्रीमन्, आप मुझे क्षमा करेंगे और माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे, यदि मैं यह कहूं कि मेरा यह एक्सपेक्टेशन सफल नहीं हुआ।

सर्वप्रथम तो यह कहा गया कि जो धनराशि इसमें नौकरों की तनख्वाहों में वृद्धि के लिये रखी गयी है वह आवश्यकता तो थी, हमेशा आवश्यक थी और हम हमेशा उनके लिये लड़ते आये, लेकिन यदि आज हमने उसको करने का प्रयत्न किया तो कहा गया कि हमने यह इसलिये किया कि जनरल इलेक्शन्स ३ महीने बाद आ रहे हैं। अगर मैं इसका यह अर्थ लगाऊं तो गलत न होगा कि यह सरकार अगर यहां आने का प्रयास कर रही है तो केवल सरकारी कर्मचारियों के बल पर।

मैं आपको बतलाऊं कि यह लाना इस समय क्यों आवश्यक हो गया। जब मूल बजट पेश हुआ था तब भी यह आ सकता था। लेकिन उस समय हमारी आर्थिक दशा ऐसी नहीं थी। हम यह नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे पास इतनी पर्याप्त धनराशि होगी, यों समय-समय पर हम कर्मचारियों के लिये जो करते रहे हैं, उसका ब्योरा सदन के सामने रख सकता हूं लेकिन इस समय काफी समय लग जाने के डर से उसको नहीं रखूंगा। सरकार से जितना संभव हो सका है उतना अपने नौकरों को दिया है। लेकिन इस समय एक विशेष स्थिति पैदा हो गयी जिसके कारण यह हमें सप्लीमेंटरी बजट के समय लाना पड़ा।

श्रीमन्, आपको और माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा कि कांस्टीट्यूशन के अनुसार एक फाइनेंस कमीशन हर पांचवीं साल बैठता है। वह अभी हाल ही में यू० पी० में आया था। उससे दो तीन रोज बातें करन का अवसर मिला। मंत्रिमंडल ने उसके सामने यह रखा कि और प्रान्तों के मुकाबले में हमारे प्रान्त में नौकरों की तनख्वाहें कम हैं इसलिये उनको अधिक पैसा देने के लिये फाइनेंस कमीशन से हमें इतना रुपया मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि जब तक आपकी ओर से कोई फर्म कमिटमेंट नहीं होगा हम कुछ देने को तैयार नहीं हैं। अक्टूबर में हमने उनके सामने यह फर्म कमिटमेंट रखा और कहा कि हमें इतना धन अलाट होना चाहिये। इसलिये हमें यह आवश्यक हुआ कि उसके लिये हम एक सप्लीमेंटरी बजट द्वारा सदन के सामने आयें। इसमें इलेक्शन की कोई बात नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि यह ५ रु० भी अधिक नहीं है लेकिन उससे अधिक बढ़ाने की स्थिति में इस समय हम नहीं हैं। उससे एलेक्शन में हमें बड़ी भारी सहायता मिल जायगी या उनका सहयोग मिल जायगा, यह तो, श्रीमन्, वही लोग कह सकते हैं जिनके ऊपर कांग्रेस का भूत सवार है। वे समझते हैं कि उनके पास कोई और ऐसी चीज नहीं है और इस तरह से उसको बदनाम करने के लिये ऐसी बातें करते हैं। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की यह परिपाटी बनी हुई है कि विपक्ष में बैठे हुये प्रत्येक सदस्य को यह समझना चाहिये कि एक दिन यह हो सकता है जब वे इन कुर्सियों पर आकर बैठें। और चाहे हमारे साथी भी मुझसे सहमत न हों लेकिन मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मुख यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेगी अगर एक ही दल को सदैव इन कुर्सियों पर बैठने का सौभाग्य मिलता रहे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—तो फिर छोड़ दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—लेकिन यह छोड़ने की बात नहीं होती है। भिक्षा से यह मिलने की बात नहीं होती। आपको तो उधर ही बैठना होगा, इधर बैठने की आप आशा न रखें। इस तरह से यह आशा कभी पूरी नहीं होगी। हम और आप दोनों चुनाव में जनता के सामने चलें और वहां हमको तथा आपको दोनों को जनता का विश्वास पाना होगा। वहां अगर हमको या आपको जनता का विश्वास न मिले तो इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। पार्लियामटरी डैमोक्रेसी में चुनाव में जीत या हार इस बात का द्योतक नहीं होता कि हम अच्छे हैं या आप अच्छे हैं। वह तो इस बात का प्रतीक होता है कि जो चीज आप उनके सामने रखें .....

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—जिनको जनता का विश्वास नहीं मिला और वे भी मिनिस्टर बन गये, उनके लिये भी तो अपनी राय दे दें।

श्री हरगोविन्द सिंह—तो मैं कह रहा था कि वह इस बात का प्रतीक है कि जो चीज आपने उनके सामने रखी वे उसे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का तरीका जो अन्य देशों में है वही यहां भी रखा गया है, लेकिन उस तरीके को हम और आप दोनों मिल कर ही बरतें तभी वह सफल हो सकता है और आप डेमोक्रेसी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी अवहेलना आपकी तरफ से या हमारी तरफ से होती रही कि प्रत्येक बजट के संबंध में और प्रत्येक बिल के संबंध में आप अपना यह आवश्यक फर्ज समझ लें कि खड़े होकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो गाली के तौर पर हों, तो मैं समझता हूं कि इसकी मर्यादा के प्रति आपका स्वयं विश्वास नहीं है।

मैंने, श्रीमन्, देखा कि उधर से तो कुछ बातें नहीं आयीं, लेकिन गौतम जी ने एक प्रश्न मुझसे पूछा और वह प्रश्न यह कि क्या वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि इस साल में तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में जो रुपया रखा गया है वह यूटिलाइज होगा या नहीं।

श्री मोहनलाल गौतम—अब तक कितना हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उसका हिसाब लगाना तो बड़ा मुश्किल है। महीने महीने प्लान का हिसाब नहीं लगता।

श्री मोहनलाल गौतम---श्रीमन्, मेरे सवाल को गलत करके उसका गलत जवाब न दिया जाय। मैंने पूछा है कि अब तक यूटिलाइजेशन कितना हुआ है। इसका जवाब दिया जाय।

श्री हरगोविन्दसिंह---जहां तक यूटिलाइजेशन का संबंध है, मैं इस वक्त नहीं बतला सकता क्योंकि, जैसा मैंने कहा, एक एक महीने के प्लान के यूटिलाइजेशन का हिसाब नहीं आता।

दूसरी बात यह है कि उसके यूटिलाइजेशन का तरीका क्या रखा गया है। वह यह रखा गया है कि प्रत्येक महीने में जितने डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं सब बैठकर अगर देखा करें कि वित्त विभाग से कहीं बजट कहीं रुकता तो नहीं है लेकिन मजीद इसके कि प्लान के पहले साल में जो रुपया दिया गया था वह बिना खर्च हुये न रह जाय, शार्टफाल न हो, हम उसे यूटिलाइज न कर सकें, इसलिये उस के वास्ते अनुदान लाया गया है।

श्री मोहन लाल गौतम---इतने महीनों में सेक्रेटरीज ने क्या देखा?

श्री अध्यक्ष---दो सदस्य एक साथ खड़े न हों, एक बैठ जाय तब दूसरे को बोलना चाहिये।

श्री हरगोविन्दसिंह---तो कोई स्कीम रुक न जाय, उसका इम्पलीमेन्टेशन इस कारण कि फाइनेन्स में सेंक्शन नहीं मिली, रुक न जाय यह वह देखते हैं। इस प्लान में आप देखेंगे कि यह सप्लीमेन्टरी डिमान्ड है, ४६९ लाख रुपया इसमें प्लान का है और यह जो ७१ करोड़ रुपया आपके प्लान में पहले साल के लिये रखा गया है जो इस समय चल रही है वह उससे कोई अलग रकम नहीं है। यह इसी सीलिंग के अन्दर रकम है, केवल आवश्यकता इसलिये पड़ी कि बहुत सी दिक्कतें थीं। बहुत सी स्कीमों को पूरा करने में अमुक दिक्कतें आ जाती हैं कोयले की, फारेन एक्सचेन्ज की, बैगन्स की शार्टेज की, इमारती सामान की, तमाम किस्म की दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिये कहीं रुपया आखिर में बच न जाय, यह सोचा गया कि अगर प्लान की ही दूसरी स्कीम जो इम्पलीमेंट हो सकती हैं उन पर अगर यह रुपया डाइवर्ट कर दिया जाय तो हम प्लान के अन्दर ही कुछ चीजें जिन में दिक्कत नहीं है उनको पूरा कर सकेंगे। इसलिये यह ४६९ लाख रुपया की कोई नई रकम नहीं है, यह प्लान के अन्दर ही सीलिंग के अन्दर की ही रकम है। यह कोई नया खर्च भी नहीं है, केवल इसलिये कि शार्टफाल न हो, रुपया न बच सके, यह एक डाइवर्जन है मंजूरशुदा स्कीम की तरफ जिन में कोई दिक्कत नहीं है। इस वास्ते यह ४६९ लाख रुपया की रकम मांगी गई है। आप देखें कि इसमें यह प्रयत्न केवल इसलिये किया गया है कि हम प्लान की वह स्कीम जिनको हम पूरा कर सकते हैं उतना रुपया उसके लिये हम ले सकें और हम उस पूरे रुपये को साल भर की अवधि के अन्दर यूटिलाइज कर सकें, यह अभिप्राय है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---भाषा में अंग्रेजी के शब्द ज्यादा आ रहे हैं, भाषा यहां की हिन्दी है उसी में उनको बोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---जहां तक सम्भव हो हिन्दी में ही बोलें .....

श्री नन्दराम---सम्भवतः की क्या बात है? हिन्दी ही यहां की भाषा .. ...

श्री अध्यक्ष---जिसको जितनी हिन्दी आती है उतनी ही बोलेगा।

श्री हरगोविन्दसिंह---इसके अलावा चूंकि प्लान पर बहुत कम बहस की गई है और दूसरी बातों पर ही ज्यादा बहस की गई है और उसका जो लिट्रेचर है वह तो सब के पास है ही, उसमें जो बाढ़ के कारण या और जो बढ़ोत्तरी वेतनों में की जा रही है उसके कारण जो रुपए की आवश्यकता है वह नान-प्लान आइटम्स में है और आगे क्या व्यवस्था और आवश्यकता होगी, यह तो जब तीसरी डिमान्ड आयेगी उसी समय यह मालूम हो सकेगा कि कितना हमने यूटिलाइज किया और कितना यूटिलाइज नहीं किया, कितना बच गया और क्या उस वक्त.....

श्री उग्रसेन---जरा बता दिया जाय कि तीसरा सप्लीमेंटरी कब आयेगा।

श्री अध्यक्ष--वह इस सदन के सामने नहीं आयेगा।

श्री हरगोविन्दसिंह--यदि भाग्यवान होंगे तो आपके सामने आयेगा, नहीं होंगे तो आपके सामने नहीं आयेगा। उसकी तो आप परवाह न कीजिये।

भाषा के सम्बन्ध में बड़ा वाद-विवाद चल गया है। इस भवन में बहुत से दल हैं लेकिन केवल एक ही दल उससे अपने को संबंधित समझता है। मैं नहीं जानता कि हिन्दी का कब से बैनामा या ठेका उनका हो गया है और भवन के दूसरे सदस्य उससे वंचित हो गये हैं, लेकिन प्रश्न क्या है? क्या सचमुच इस अनुदान के जरिये हिन्दी भारत से निकाली जा रही है?

एक सदस्य--और क्या?

श्री हरगोविन्दसिंह--जब आप की बुद्धि यही है तो मैं उसको बलिहारी ही दे सकता हूं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--आप लोग जरा खामोश रहें।

श्री हरगोविन्दसिंह--मैंने तो हिन्दी में ही पढ़ा था कि आवेश में बुद्धि काम नहीं करती। यह हिन्दी में ही पढ़ा था, अंग्रेजी में नहीं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल रहा है। इंटिग्रेशन कान्फ्रेंस जो दिल्ली में अगस्त में हुई थी....

श्री राजनारायण--आप भूल गये, वह डिसइंटिग्रेशन था।

श्री हरगोविन्दसिंह--आप सुन लीजिये। तो उसमें यह कहा गया कि तीन भाषाएं हर प्रान्त में लड़कों को जाननी चाहिएं और उन तीनों भाषाओं में उन्होंने यह भी कहा कि इंटिग्रेशन के लिये, चूंकि अंग्रेजी अभी तक यहां बड़ी व्यापक रही है और इस समय भी है, एक उसको रखें.....

श्री राजनारायण--रही है, इसलिये आगे भी रहे?

श्री हरगोविन्दसिंह--शायद माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि मैं भी उतनी ही जोर से बोल सकता हूं जितनी जोर से वह....

श्री राजनारायण--आप जोर से बोल सकते हैं, लेकिन आप देश को नहीं मिटा सकते हैं। आप जरा अपनी अक्ल से बोलिये....

श्री अध्यक्ष--इस तरह से बात नहीं होगी। आपने भाषण दिया, उनको भी बुरा लगा होगा कहीं, लेकिन उन्होंने आपको टोका नहीं।

श्री राजनारायण--मैंने ऐसी क्या बात कही कि जो बुरी लगे?

श्री अध्यक्ष--लग सकती है .....

श्री राजनारायण--तो इंग्लैंड भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष--आपने उनसे कहा कि इस सदन में आप बैठने लायक नहीं हैं। इसमें किसी को भी बुरा लग सकता है। लेकिन अगर वह यह चीज सुन चुके तो वह जो उत्तर दे रहे हैं उसको आप खामोशी से सुन लीजिये। उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है।

श्री राजनारायण--वह ग़लत कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--वह जो कुछ कह रहे हैं वह सुन लीजिए।

श्री राजनारायण--अब उनका समय भी तो समाप्त हो चुका है।

श्री अध्यक्ष---पांच मिनट अभी बाकी हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह---तो मैं कह रहा था कि यदि सवाल यह होता कि हिन्दी को निकाल कर उसके स्थान पर अंग्रेजी कर दी जाय तो माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूं कि शायद भवन का प्रत्येक सदस्य उनसे आगे होता उन सब क्रियाओं के लिये जो वह आज करना चाहते हैं । लेकिन यह बात नहीं है । मैं आज भी समझता हूं कि संकीर्णता चाहे वह किसी बात की संकीर्णता हो, हमारे देश को कमजोर करने वाली चीज है । यह कौन नहीं मानेगा कि दुनिया का बहुत सा ज्ञान फारेन लैंग्वेजेज में कन्सील्ड है, छिपा है ? यह कौन नहीं मानेगा ?

श्री उग्रसेन---संस्कृत में नहीं है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---होगा । आप संस्कृत बोलियेगा, आपने तो कभी पढ़ा नहीं । संस्कृत अगर पढ़ कर के इतना ही असर पड़ा हो जो प्रदर्शित हो रहा है तब तो ऐसा पढ़ने से न पढ़ना ही अच्छा है । मैं तो समझता था वह एक ऐसी देव भाषा है जिसको पढ़ने के बाद आदमी में संतोष, सहने की शक्ति स्वतः पैदा हो जाती है । लेकिन शायद उग्रसेन जी ने पढ़ी नहीं है इसलिये ऐसा कर रहे हैं ।

श्री राजनारायण---फूट और तिकड़म करने की शक्ति नहीं आती ।

श्री हरगोविन्दसिंह---तो मैं यह कह रहा था कि किसी भाषा के लिये किसी देश के लिये अगर यह कह दिया जाय कि तुम अपने दिमाग के दरवाजे को बन्द कर लो, तुम यह भाषा न पढ़ो चाहे इसमें कितना ही ज्ञान क्यों न हो, तो उसको देश प्रेमी की सजा देना अन्याय होगा ।

श्री राजनारायण---जरा इतना स्पष्ट कर दीजिये कि भाषा और विषय दोनों को कनफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग है ।

श्री अध्यक्ष---आप उनको बोलने दीजिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह---इंटीग्रेशन कमेटी ने ११, १२ अगस्त, १९६१ को यह सिफारिश की और सम्पूर्ण देश की कुल स्टेट्स को कहा कि आप तीन भाषायें पढ़ाइये एकता के लिये, और उसी के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जा रही है । यदि किसी भाषा में भंडार ज्ञान का छिपा है और हम अपने बच्चों से कह दें तुम यह भाषा न पढ़ो तो हम उनका बड़ा अनर्थ कर रहे हैं । इसलिये देश के भविष्य के लिये आवश्यक है कि जहां भी भंडार हो हम उन सब भाषाओं को, यदि सम्भव हो, तो अपने बच्चों को पढ़ावें ।

श्री राजनारायण---जरा निवेदन कर दूं । जो हमारा निवेदन था इस सरकार से कि वह अंग्रेजी को पुनः चलाने के अंश को वापस लेने की कृपा करे, वह वापस ले रही है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष---अगर वापस लेनी होती तो वह कह देती । उन्होंने पढ़ाने के लिये कहा है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, शिक्षा के अनुदान पर हमें १ मिनट का समय मिलना चाहिये क्योंकि सरकार सारी पालिसी रिवर्स कर रही है ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा । आप अगर चाहें तो उस मद को वोट डाउन कीजिये ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---संविधान में दिया था कि १५ साल के अन्दर हिन्दी हो जायगी । लेकिन हो उसका उल्टा रहा है । यह संविधान के खिलाफ सरकार जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---सवेरे जो आपने निश्चय किया था उसके हिसाब से मैं ले रहा हूं । मैं एक एक अनुदान का नाम लूंगा, मंत्री अपने स्थान पर खड़े हो जायंगे....

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--सवेरे बहुत से निर्णय हुए थे, एक भी नहीं माने गये। माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने कहा था कि मंत्री नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत से मंत्री बोले ।

श्री अध्यक्ष--यह बात है कि जिन मंत्रियों के नाम लूंगा वे अपनी जगह पर खड़े हो जायेंगे या उनके एवज में जिनको अधिकार होगा वे खड़े हो जायंगे तो मैं समझूंगा कि उसका मोशन हो गया और मैं उस पर राय ले लूंगा।

अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी

[प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक का रूप
श्री भुवनेशभूषण शर्मा, कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री गोविन्द सिंह, श्री मुकुटबिहारीलाल तथा श्री टम्बरेश्वर प्रसाद ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक पया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है--- विभागीय भ्रष्टाचार व गलत नीति का विरोध ।]

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी के अन्तर्गत ४०,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ, अतः मांग के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ माना गया ।)

अनुदान संख्या ५--वन

[प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री हिम्मत सिंह, श्री गोविन्दसिंह विष्ट,तथा श्री शिवराम ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है-- गलत वन नीति का विरोध ।]

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मेरा कट मोशन इसमें रखा जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--जब मांग स्वीकृत हुई तो जिसका कटमोशन है उस मांग पर वह अब यह समझा जायगा कि वह अस्वीकृत हुआ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--पढ़ा जायगा यह तो समझा जायगा ?

श्री अध्यक्ष--जी हां।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--नियम तो यह है कि कटौती का प्रस्ताव पेश होकर वोट डाउन हो जाय तब मांग पेश होती।

श्री अध्यक्ष--आप दोहरी बात करते हैं। सवेरे आपने कहा कि कोई कटमोशन मूव नहीं होगा और मैंने यह कहा था कि यह माना जायगा कि कटमोशन मूव हो गया और खत्म हो गया। अब अगर दो दफा मैं वोट लूंगा तो फिर १ घंटा चाहिये था और मुझे आपने आधे घंटे का समय दिया है।

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये ।

श्री राजनारायण---इस सब का दोष क्या हमारे ऊपर है ? सरकार कहे कि आप दो घंटे में पास ही कर दें। मैंने कल निवेदन किया था कटौती के ऊपर बोलने के लिये....

श्री अध्यक्ष---आपका तो कोई झगड़ा ही नहीं है। आप तो चले गये थे।

श्री राजनारायण---हम राजी हुए थे ?

श्री अध्यक्ष---आप तो चले गये थे। रजामन्दी तो इन लोगों ने दी थी। आप चले गये थे तब तै हुआ था।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५---वन के अन्तर्गत ४७,२०० रुपया की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ, अतः मांग के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ माना गया।)

अनुदान संख्या १०---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

[क्रम सं० प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१. श्री टम्बरेश्वर प्रसाद, कुंवर श्रीपालसिंह, श्री गोविन्दसिंह विष्ट, तथा श्री यमुना प्रसाद।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है--- गलत सिंचाई नीति, फिजूलखर्ची, अष्टाचार का विरोध।
२. श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री अमर नाथ मिश्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है--- नलकूपों तथा नहरों का अव्यावहारिक सिद्ध होना व किसानों की परेशानी पर विवाद करना व नैपाल बांध तथा डूबने वाले मझार क्षेत्रों को बचाने पर।]

श्री अध्यक्ष ---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (अधिष्ठान व्यय सम्मिलित नहीं है) के अन्तर्गत १०,३१,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ, अतः मांग के अन्तर्गत कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुये माने गये।)

अनुदान संख्या १२---अभियन्त्रण संस्थायें

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२---अभियंत्रण संस्थायें के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये।

अनुदान संख्या १३--सामान्य प्रशासन

[क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री गोविन्द सिंह विष्ट, कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री टम्बरेश्वर प्रसाद तथा श्री शिवराम।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है-- प्रशासन का ढिलाव, भ्रष्टाचार, वेतनों की असमानता तथा गलत नीति की चर्चा।
२	श्री राजनारायण	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि में ५० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विशेष विषय जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है-- प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों में सरकार की असफल नीति।]

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ, अतः मांग के अन्तर्गत कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए माने गये।)

अनुदान संख्या १८--पुलिस

[क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री मोतीलाल अवस्थी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है-- पुलिस का अनैतिक व्यवहार।]

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--पुलिस के अन्तर्गत २५,८१,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ, अतः मांग के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ माना गया।)

अनुदान संख्या १९--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये।

अनुदान संख्या २०--शिक्षा

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री मन्नालाल, कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री गोविन्द सिंह विष्ट, श्री शिवराम, तथा श्री भुवनेश भूषण शर्मा।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है-- शिक्षा नीति की कमजोरियां व विभागीय भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना :
२	श्री देवीप्रसाद मिश्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है-- अध्यापकों को मंहगाई भत्ता प्रदान करने में असमर्थता।]

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण--जब इस प्रस्ताव को पेश करने की बात कही गयी थी तो आपने कहा था कि तुम बोल सकते हो इसके कट मोशन पर। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं।...

श्री अध्यक्ष--इसके विषय में तो आपको इजाजत दे दी गयी थी।

श्री राजनारायण--वह तो सामान्य बहस थी और सही माने में अभी हमारे भाव इस संबंध में ठीक से आ नहीं पाये हैं।

श्री अध्यक्ष--सदन की राय यही थी और सदन ने आपके जाने के बाद यह तय किया कि सामान्य विवाद के बाद कोई कट मोशन के ऊपर बहस नहीं होगी।

श्री राजनारायण--मगर उसके बाद मैंने आपसे निवेदन किया था और आज सुबह मैंने कहा था कि मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव इस पर ला रहा हूं, तो आपने कहा था कि आपके कट-मोशन पर मैं इजाजत दे सकता हूं। आज सुबह की बात मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--उसके पहले की बात है।

श्री राजनारायण--जब हम सदन त्याग कर चले गये थे?

श्री अध्यक्ष--जी हां।

श्री राजनारायण--तो क्या आप इस समय हमारे प्रस्ताव को रखने की आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष--इसीलिये तो मैंने आपको मौका दिया था, आप उसके बाद मुझसे मिले और आपने कहा कि हम आपके समय में ही बोलेंगे। मैंने कहा था कि मैं १५ मिनट पहले आ जाऊंगा और १५ मिनट पहले आकर आपको मौका दिया ताकि आप इस पर बोल सकें चूंकि कटमोशन जब आने वाले नहीं हैं तो आप बोल लें। इस तरह मैंने उसके लिये रास्ता निकाल दिया।

श्री राजनारायण--कितने गलत ढंग से इस विषय को सरकार द्वारा पेश किया गया है। आजतक यह नहीं बताया गया कि अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। आधे से ज्यादा विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं और फिर भी यह सरकार अंग्रेजी को लादने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में आप बतायें कि हम क्या करें?

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया माना गया।

श्री अध्यक्ष—इसके पास हो जाने के बाद....

श्री राजनारायण—यह हमारे रहते-रहते पास होगा ?

श्री अध्यक्ष—आप पहिले ही वाक आउट कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—आप हमें कोई सही और साधु मार्ग बतायें । मैंने अपने सारे विनम्र साधनों का प्रयोग किया है।

श्री अध्यक्ष—सवेरे नारायणदत्तजी तिवारी ने कहा था कि कोई चीज होने के पहले आप कामरोको प्रस्ताव नहीं ला सकते । अगर यह चीज पास होती है तो आप कल इस विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं या नियम ५३ में भी प्रश्न उठा सकते हैं, यही उनका सुझाव था । मैंने भी इस बात को स्वीकार किया था । अगर यह चीज हो जाती है और विवाद आप चाहते हैं तो कल आप पेश करें । उस वक्त अगर मैं समझूंगा कि इसका औचित्य है तो किसी दूसरे विषय में से समय काट कर आपको मौका दे सकता हूं ।

श्री राजनारायण—इस विषय में एक शंका यह है कि हमारा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव यह था कि सरकार ने यह निर्णय लिया है । हम इस पर नहीं ले आये थे कि आज बजट में यह इन्ट्रोडक्शन है । सरकार ने यह निर्णय लिया । हमने सुबह उठ कर माननीय शिक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन किया कि ऐसा निर्णय है या नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा मोशन आयेगा तो हम स्पष्टीकरण कर देंगे । मगर वह नहीं हो पाया । मगर निर्णय तो सरकार का हो चुका और सरकार ने उसको पूरक बजट में स्थान दे दिया । अगर इसके बाद भी हम कल सदन में बहस कर सकें तो वह बात दूसरी है ।

श्री अध्यक्ष—वह आप कर सकते हैं ।

श्री राजनारायण—कैसे ?

श्री अध्यक्ष—मुझसे क्या बहस करते हैं ? अगर मैं सबको इजाजत दे सकता हूं तो आपको भी इजाजत दे सकता हूं । अगर मैं यह फैसला करता हूं कि आपको इजाजत है तो आप इन्कार करेंगे ?

श्री राजनारायण—कल प्रश्न यह आयेगा कि यह विषय ऐसा है जिसको सदन ने पास किया है ।

श्री अध्यक्ष—सदन ने बजट पास किया है, कोई यह चीज नहीं पास की है कि अमुक नीति होगी । इसके ऊपर आप बराबर बहस कर सकते हैं ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय । आप राजनारायण जी को तरकीब बाद में बतायेंगे लेकिन यह हमारा अधिकार है, आप इसको रोक नहीं सकते । मेरा निवेदन यह है कि कटौती का प्रस्ताव हमने पेश किया । नीति संबंधी जब चर्चा करने का समय आया, जब हम यहां बोलने खड़े हुए, आपने वादा किया था, लेकिन आपने हमको समय नहीं दिया । आपने उस समय कहा था कि...

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह सदन किस के अधिकार में है ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—यह माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने कहा और माननीय अध्यक्ष ने कहा । मैं देखता हूं कि माननीय राजनारायण जी ने आध घंटे का समय खराब कर दिया और आपने छूट दे दी है लेकिन हमारे जो सीमित अधिकार हैं उनके अन्तर्गत आप हमें ५ मिनट का भी समय नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, आप कटौती का प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा देंगे तब हम बैठेंगे या आप राजनारायण जी से कक्ष में बात कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन आपने वायदा किया, शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने वायदा किया और हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है । राजनारायण जी खड़े हैं लेकिन आप कुछ नहीं कहते हैं । आपके आश्वासन पर हमने मान लिया था कि हम कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं करेंगे तो अब हमें समय क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि मैं यह समझता था कि आप बोल चुके होंगे, क्योंकि सुबह आपने कहा था और सुबह से लोग बोलते चले गये और जनसंघ वाले न बोले होंगे, यह संभव नहीं हो सकता है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार खड़ा होता रहा लेकिन मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया । राजनारायण जी ने कटौती का प्रस्ताव भी नहीं दिया और वह बोलना चाहते हैं । जब मैंने कटौती का प्रस्ताव दिया है तो मैं ही बोलूंगा । उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---इस समय कोई नहीं बोलेगा ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---श्रीमान्, राजनारायणजी ने प्रस्ताव भी पेश नहीं किया और वह बोलना चाहते हैं । मैंने प्रस्ताव पेश किया और मुझे समय नहीं दिया जाता है । राजनारायण जी ने सुबह भी समय लिया था और इस समय भी वह सदन का समय नष्ट करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, यह बात नहीं है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अगर मेरे छोटे से नादान आदमी से जनसंघ के सम्मानित सदस्य को कोई घबराहट हुई है और सही बात रखकर यदि हमने उनके किसी अधिकार का अपहरण किया है तो मैं उनको अधिकार देने के लिये तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप उनके कटमोशन को मान लें ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---श्रीमन्, मैं आप से, नेता सदन से और सब से कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---मैं राय लेता हूं, आप बैठें ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---यदि हमें बोलने का समय मिले तो नियम ५२ या ५३ के अन्तर्गत लिखकर दे दूं ।

श्री अध्यक्ष---आप ५२ पर दीजिये या ५३ पर दीजिये, मैं उस पर विचार कर लूंगा ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जो आज व्यवस्था हुई है.... ।

श्री अध्यक्ष---आप क्यों खड़े हैं ?

श्री राजनारायण---इसी व्यवस्था पर खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठें ।

श्री राजनारायण---अच्छा श्रीमन्, बैठ रहे हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि यह कलाबाजी क्यों हो रही है ? आपने उनको एलाऊ कर दिया है या नहीं ? यह क्या बात हो रही है ?

अनुदान संख्या २०--शिक्षा

श्री अध्यक्ष--मेरे लिये दो रास्ते हैं। यह व्यवस्था के विपरीत चीज है। मेरा कार्य सदन में शान्ति कायम रखना और आर्डर रखना है। दो रोज के अन्दर कोई ऐसी चीज न हो जाय जिसमें लोग समझें कि अभद्रता पैदा हो गई है इसलिये थोड़े से समय में, जिनको आवेश आगया है, उनसे बात करता हूं और कोई वजह नहीं है। यह स्पष्ट है कि उनमें इस समय क्रोध है और मैं उनको शान्त करूंगा और रास्ता बताऊंगा और शान्ति का रास्ता बताऊंगा। वही मैं बता रहा था और कोई अन्य बात नहीं है।

श्री राजनारायण--माननीय मित्र कह रहें हैं कि मैं परमानेन्टली क्रोध में रहता हूं। मेरे पास गलत बातों के लिये क्रोध है तो आंखों में आंसू भी रहते हैं दुखियों के लिये।

श्री अध्यक्ष--आप कल ले आइयेगा नियम ५३, नियम ५२ या जिस तरीके से चाहें, उसे मैं देख लूंगा। इस समय इन सब बातों को कहने से क्या लाभ है?

श्री राजनारायण--वह तो हमारा हो गया अब श्रीमन्...

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, वह कैसे आपका ही होगा। इससे मैं यह समझता हूं कि अब आप नाम चाहते हैं।

श्री राजनारायण--नाम नहीं, श्रीमन्, काम।

श्री अध्यक्ष--हां, तो फिर काम हो चाहे किसी के नाम से हो।

श्री राजनारायण--जी हां, लेकिन मैं यह जरूर नहीं चाहता हूं कि किसी के नाम से काम को गदरबूत कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, वह किसी के नाम में भी आ सकता है।

श्री राजनारायण--उसमें तो श्रीमन्, बहस के लिये समय मिलने का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन उसमें तो दूसरों का भी तो अधिकार है। हमारे सामने तो सबके अधिकार बराबर हैं। यह नहीं हो सकता। आपका पूरे सदन के ऊपर अधिकार नहीं है।

श्री राजनारायण--बिलकुल सही है, लेकिन कल मेरा प्रस्ताव ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आप पहले दीजिये तो, जैसा उचित होगा हो जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--श्रीमन्, हम तो हड्डियां तुड़ाकर तब यहां विरोध करते हैं और ये लोग तो ऐसे ही विरोध करते हैं और फिर कहते हैं....।

श्री अध्यक्ष--यह गलत बात है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय रामस्वरूप जी ने ही ठीक बात कही है। ये लोग तो बिना किसी प्रकार की कोशिश किये ही तीसमारखां बनने चले हैं।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप आपस में झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं, यह अनुचित है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--यह तो श्रीमन्, वैसी ही बात राजनारायण जी कर रहें हैं जैसे "खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे"। बाहर कोई सुनता नहीं यहां ऐसी बात कर रहें हैं।

श्री राजनारायण--सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ जो लोग ऐसी बात कहते हैं वह खुद खिसियाने हैं....

श्री अध्यक्ष--यह क्या पार्लियामेन्टरी पद्धति है जो आप चला रहें हैं?

श्री राजनारायण--जी नहीं, अगर कोई गलत बात करने की नापाक कोशिश करेगा तो हम उसका भंडाफोड़ जरूर करेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि इस प्रश्न पर लिखित वोटिंग हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, वह तो मैं जानता हूं कि इधर सब खिलाफ वोट करने वाले और उधर सब पक्ष में होंगे ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जब से नेशनल इंटिग्रेशन की बात हुई है उसमें कई पार्टियां शामिल हुई हैं..... ।

श्री गौरीशंकर राय--उसमें श्रीमन्, इनको और जनसंघ को भी ब्रैकेट कर दीजिये जैसे टिकट वाले मामले में हुआ ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इस पर मत लाबी में भेजकर कराया जाय ।

श्री उग्रसेन--मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक लाबी में जाकर मत प्राप्त होता रहे तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दीजिये, लेकिन लाबी में जाकर मतदान जरूर होना चाहिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जी हां, इसमें उधर के बहुत से हिन्दी प्रेमी भी हैं और लेखक भी हैं जो यहां मत नहीं दे पायेंगे । अगर लिखित होगा तो सही मत आ जायगा ।

श्री राजनारायण--मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दो जबानें नहीं होनी चाहिये । हम इन्सान हैं, सांप नहीं हैं, नेशनल इंटीग्रेशन सम्मेलन जिसको कहते हैं वह अंग्रेजी और पुराने जातिवाद को कायम रखने का एक षड़यन्त्र था । उसमें कई पार्टियों के दस्तखत हैं । उसी पार्टी के लोग यहां हिन्दी के पक्ष का ढोंग रचते हैं ।

श्री अध्यक्ष--आप लाबी में चाहते हैं या नहीं ?

श्री गौरीशंकर राय--हम चाहते हैं । (शोर होता रहा ।)

श्री अध्यक्ष--लीडर आफ अपोजीशन की तरफ से आप कह रहे हैं ?

श्री राजनारायण--"लीडर आफ कोआपरेशन" को लीडर आफ अपोजीशन न मानें ।

[.....]

श्री अध्यक्ष--आप क्या लाबी में जाना चाहते हैं ?

श्री प्रतापसिंह--मैं लाबी में चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--शिक्षा के अन्तर्गत १२,९०,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

जब तक बहस खत्म नहीं हो जायगी तब तक सदन बैठा रहेगा ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन का निम्नलिखित ढंग से विभाजन होने पर स्वीकृत हुआ---।]

पक्ष में (१३४)

अक्षयवरसिंह, श्री	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अतीकुलरहमान, श्री	अब्दुस्समी, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री

[.....] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया ।

आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोंईदी, कुमारी
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण , श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारादेवी, डाक्टर
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भीमसेन, श्री
मदनमोहन, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महेशसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मोहनलाल , श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
रामअभिलाख, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उलियाल, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री

विपक्ष में (३९)

अब्दुल रऊफ, लारी श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
उग्रसेन, श्री
उल्फतसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
छत्तरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
नन्दराम, श्री
प्रतापसिंह, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बालकराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मदन पांडेय, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
फूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
राजनारायण, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
रामकुमार वैद्य, श्री
रामबली, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रूपसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
शिवराम, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

[अतः मांग के अन्तर्गत कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुये माने गये।]

अनुदान संख्या २०--शिक्षा

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, हमें खेद है कि सदन का बहुमत उस तरफ गया और उन्होंने हठधर्मी के साथ जो प्रदेश की भाषा है-हिंदी, उस पर जबरदस्ती अंग्रेजी को लाद दिया और आज अंग्रेजी हमारे ऊपर बहुमत के बल पर लादी जा रही है जो देश के लिये घातक है। हम इसके विरोध में सदन से बाहर जाते हैं.....

श्री अध्यक्ष--आप कोई भाषण अब नहीं दे सकते।

श्री राजनारायण--बहुमत चाहे तो राज्य को बेच दे, तो हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते।

श्री अध्यक्ष--आप कृपया अब भाषण न दें।

(तदुपरान्त सोशलिस्ट पार्टी के सभी सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

अनुदान संख्या २१--चिकित्सा

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१-चिकित्सा के अन्तर्गत २,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्नउपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२--जन स्वास्थ्य

[प्रस्तावक का नाम — प्रस्ताव का रूप

कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री हिम्मत सिंह, तथा श्री गोविन्द सिंह बिष्ट — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है-- विभागीय भ्रष्टाचार व पक्षपात तथा चिकित्सा का अभाव।]

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत ९,८२,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ अतः मांग के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ माना गया।)

अनुदान संख्या २३--कृषि सम्बन्धी विकास

[प्रस्ताव का नाम — प्रस्ताव का रूप

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद, कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री हिम्मत सिंह, तथा श्री गोविन्द सिंह बिष्ट — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है-- गलत कृषि नीति व विभागीय भृष्टाचार का विरोध।]

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३, कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत २५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ, अतः मांग के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ माना गया।)

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये।

अनुदान संख्या २५--पशुपालन

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--पशुपालन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २७--सहकारिता

[क्रम संख्या प्रस्तावक का नाम — प्रस्ताव का रूप

१. कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री हिम्मत सिंह, श्री मलिखान सिंह, श्री शिवराम, तथा श्री गोविन्द सिंह बिष्ट । — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में घटाकर एक रुपया कर दिया जाय ।
कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है--
सहकारी खेती व गलत सहकारी नीति का विरोध ।

२. श्री अब्दुल रऊफ लारी, तथा श्री अमर नाथ मिश्र । — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।
कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है--
किसानों को बीज तथा खाद के वितरण में असमर्थता पर विवाद ।]

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७--सहकारिता के अन्तर्गत ६,५४,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ, अतः मांग के अन्तर्गत कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए माने जायें ।)

अनुदान संख्या २८--उद्योग

[प्रस्तावक का नाम — प्रस्ताव का रूप

कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री हिम्मत सिंह, श्री टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री शिवराम, श्री गोविन्द सिंह बिष्ट, श्री गया बख्श, तथा श्री मन्ना लाल । — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में घटा कर एक रुपया कर दिया जाय ।
कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है--
गलत उद्योग नीति व पक्षपात का विरोध ।]

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ, अतः मांग के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ माना गया ।)

अनुदान संख्या २९--श्रम और सेवायोजन

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९--श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये ।

अनुदान संख्या ३०--परिवहन

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०--परिवहन विभाग के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१--सूचना निदेशालय

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ११,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
[श्री भुवनेशभूषण शर्मा, कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री गोविन्दसिंह विष्ट, तथा श्री मुकुट बिहारी लाल।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। विभागीय भ्रष्टाचार व पक्षपात का विरोध।
श्री अब्दुल रऊफ लारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। अनियोजित ढंग से कार्यों पर व्यय।]

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ, अतः मांग के अन्तर्गत कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए माने गये।)

अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७--दुर्भिक्ष सहायता

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
[श्री अमरनाथ तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। पीड़ितों को अल्प सहायता देना, मालगुजारी तकावी में छूट न देना।]

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ४४,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ, अतः मांग के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ माना गया ।)

अनुदान संख्या ३९--अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें) के अन्तर्गत १५,८५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४१--प्रकीर्ण व्यय

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४२--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत १४,९९,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४४--योजना और एकीकरण

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--योजना और एकीकरण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६--सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४१,६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१—सड़क, परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सड़क, परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५४—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ४,६९,३३,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१

वित्त मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—श्रीमन्, मैं, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का द्वितीय परक) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ को मैं पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ ठहर कर)

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (१९६१–६२ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय ।

***श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, प्रस्तुत विधेयक के द्वारा हम राज्य सरकार को इस बात का अधिकार देने जा रहे हैं कि वह ६,५४,३२,३०० रुपये को, जो विभिन्न मदों में है, चाहे वह पूंजी व्यय हो, चाहे राजस्व व्यय से संबंधित हो, चाहे कर्ज से संबंधित हो, उसको खर्च करने का अधिकार प्राप्त करे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह अवसर विधान सभाओं को पार्लियामेंटरी कन्ट्रोल के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसका हम सभी को उपयोग करना चाहिये। पिछले वर्षों का हमारा जो अनुभव है, उसको देखते हुये हमें यह अनुभव होता है, यह प्रतीत होता है, बल्कि आडिट रिपोर्ट्स से यह स्पष्ट है, और लोक लेखा समिति की जो सर्वसम्मत रिपोर्ट निकली हैं और जिनको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, उनसे भी यह स्पष्ट होता है कि आज पूरक बजट के रूप में, एप्रोप्रिएशन बिल के जरिये जो खर्च करने का अधिकार हम सरकार को देने जा रहे हैं, वह पूरक बजट निरर्थक रहता है और बाद को यह पता चलता है कि जितना व्यय का प्राविधान इस विधेयक के द्वारा किया जाता है वह सब निरर्थक था, इसके करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैं यह जानना चाहूंगा सरकार से और माननीय वित्त मंत्री जी से कि उन्होंने कौन-सी मशीनरी इस बात के लिये अपनायी है जिससे यह सदन विश्वास कर सके कि रीजनल प्लानिंग वगैरह के लिये जो पैसा है वह समय से वर्ष भर के अन्दर ३१ मार्च के पहले खर्च हो जायगा। इसका क्या बन्दोबस्त आपने किया है और माननीय मंत्री जी के पास ऐसी कौन सी सबल, स्वस्थ तथा इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रशस्त मशीनरी है जो इस खर्च को कर सकेगी? यही मुख्य प्रश्न है जो मैं उनसे करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि अभी तक वही अन्तिम मार्च वाली प्रणाली ही चली आ रही है, यद्यपि अब उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की गयी है लेकिन डिपार्टमेंटल आर्डर जो निकलते हैं वे मार्च में निकलते हैं और पुनर्विनियोग का काम ३१ मार्च को होता है। ऐसी हालत में रुपया कैसे खर्च हो सकता है। अगर पहले पुनर्विनियोग कर दिया जायगा तो कौन सी गारंटी है जिससे हमारे अन्दर संशय न रह जाय कि आप समय के अन्दर इस रुपये को खर्च नहीं कर पायेंगे। श्रीमन्, वित्त सचिव ने मेमोरेंडम के अपने तीसरे पैराग्राफ में जिन शब्दों का प्रयोग किया उनको मैं आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में पहले पढ़ देता हूं, फिर उसको हिन्दी कर दूंगा।

"It is possible that under some of the grants under which the Supplementary Estimates are being proposed, there may be, during the remaining months of the year, some decrease in expenditure resulting in savings or some additional expenditure. It is difficult at this stage to forecast the precise requirements for the remaining part of the year. The position of the grants as a whole will, therefore, be reviewed later in the year when the revised estimates are prepared and further Supplementary Demands for additional requirements if any, will be placed before the Legislature later on."

यानी वित्त सचिव द्वारा कहा गया है कि यह हो सकता है कि कुछ ग्रांट्स के अन्दर बचत भी हो आने वाले महीनों में और कुछ ज्यादा भी खर्च हो जाय। अभी यह ठीक नहीं बतलाया जा सकता कि कितना खर्च होगा, इसलिये कि इसका फिर रिव्यू होगा और इसी वर्ष के अन्दर फिर तीसरा सप्लीमेंटरी बजट आयेगा जो एक नयी चीज होगी। क्योंकि अब तक दो ही सप्लीमेंटरी बजट आते रहे हैं, लेकिन अब इस साल तीसरा सप्लीमेंटरी बजट आयेगा। यह भी नहीं कि नयी मदों के बारे में सप्लीमेंटरी बजट आयेगा। अतः अगर ऐसा होता तो कोई बात भी थी। वह तीसरा सप्लीमेंटरी बजट उन्हीं ग्रान्टों के ऊपर आयेगा जिनके खर्च करने का अधिकार हमने पुनर्विनियोग विधेयक द्वारा दे दिया है और वह इसलिये कि एस्टीमेट ठीक नहीं बने। जब एस्टीमेट ही ठीक नहीं बनेंगे तो फिर उसको एक्जामिन किस तरह से किया जायगा? फाइनेंस कमेटी के सामने सही एस्टीमेट नहीं आया, डिपार्टमेंट्स के जरिये सही एस्टीमेट नहीं बना, विधान मंडल के सामने सही एस्टीमेट नहीं आया तो फिर हम किस चीज पर खर्च करने का अधिकार दें? हम सब का यह अधिकार है कि हम जान सकें कि कितना रुपया सही सही किस किस मद पर खर्च हुआ है और खर्च करने का इरादा है। बिना उसके जाने हुए जो खर्च करने का अच्छा उद्देश्य है वह भी पूरा नहीं हो सकता। श्रीमन्, आप देखें कि इसमें

पुलिस कमीशन की सिफारिशों को माना गया है। बड़ा अच्छा है कि उसकी सिफारिशें मानी गयी हैं और पुलिस वालों की कुछ तनख्वाह बढ़ायी गयी हैं। मुझे इसकी खुशी इसलिये भी है कि मैं ही उस पुलिस पे कमेटी का चेयरमैन था।

श्री अध्यक्ष--जितना संक्षेप कर सकें अच्छा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--लेकिन जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाये बिना नहीं रह सकता। उसमें लिखा है जहां पर उन्होंने सिफारिशें स्वीकार की हैं, पेज १५ पर लिखा है मेमोरेन्डम के, कि कुछ सिफारिशें पुलिस कमीशन ने की हैं जिनमें कुछ भत्ते बढ़ाये हैं, कुछ घटाये हैं और इस घटाने बढ़ाने के फलस्वरूप १०० रुपये की टोकेन ग्रान्ट मांगी गई है। हम ने उनसे कहा कि कौन से भत्ते घटेंगे और कौन से भत्ते बढ़ेंगे, जरा कुछ तो मालूम हो, आखिर किस चीज के लिये खर्च करने का अधिकार ले रहे हैं ? पुलिस कमीशन की रिपोर्ट भी सदन के सामने नहीं आई, वह मेम्बरों को नहीं मिली, मैं पे कमेटी का मेम्बर था मुझे मालूम है वह बात दूसरी है लेकिन मैं ने भी शपथ ली है मैं उसको यहां खोलूंगा नहीं, लेकिन कुछ भत्ते घटाने-बढ़ाने हैं इतना कह कर डिमान्ड मंजूर करा कर व्यय करने का अधिकार लेना गलत अवश्य है।

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)--वह तो केवल टोकेन डिमान्ड है।

श्री नारायण दत्ततिवारी--श्री नवल किशोर जी तो एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, गवर्नमेंट में जाकर उन की राय बदल जाय तो बात दूसरी है। उन्होंने इन्टरवीन किया है वह स्वयं जरा देखें, मैं उनका ध्यान हिन्दी के बजट के पेज १६ की ओर आकर्षित करूंगा, उसमें है कि "पुलिस आयोग ने पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाले कतिपय विशेष वेतनों तथा भत्तों के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। जिनके अनुसार विशेष वेतनों तथा भत्तों में से कुछ को या तो कम करना है या समाप्त करना है जब कि कुछ अन्य में वृद्धि करना है। उक्त सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं परन्तु इन सब के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। सब-इंस्पेक्टरों, हेड कांस्टेबुलों के वेतन-क्रमों की वृद्धि से संबंधित विशेष वेतनों तथा भत्तों में की जाने वाली कमी को, जिसके लिये अलग से अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गई है, वेतन क्रमों के पुनरीक्षण के साथ साथ ही लागू किया जायगा। अतः १०० रुपये की एक प्रतीक अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जाती है।" तो अब विषय विचाराधीन भी है, अभी निर्णय भी नहीं हुआ है, कुछ काम होंगे, क्या सिफारिशें मानी जायंगी, क्या नहीं, लेकिन १०० रुपये प्रतीक मांग दे दी जाय, अतिरिक्त व्यय भी नहीं होगा, तो फिर कंट्रोल व्यय का होगा किस तरह ? कल को पी० ए० सी० के सामने अकाउन्ट्स जायेंगे, आडिट रिपोर्ट जायगी तो हम इस मेमोरेन्डम को देखेंगे ? क्या देखेंगे ? सब कुछ ठीक है, प्रजातांत्रिक पद्धति ठीक है, लेकिन उस को ठीक से अपनावें तब ही वह ठीक है।

तीसरी बात यह है कि इस बिल के द्वारा हम ५ किस्म के वेतन बढ़ा रहे हैं बड़ी भारी मात्रा में और बहुत लोगों का बढ़ा रहे हैं। लेकिन खर्च हो रहा है कुल १,४३,४५,३०० रुपये का, रेवेन्यू अकाउन्ट पर केवल इतना प्रभाव होगा जब कि सारे प्रदेश के लोगों का वेतन बढ़ाया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि इतना कम खर्च करने से इतना बड़ा काम कैसे होगा ? इसमें केवल टोकेन डिमान्ड है और कहा जाता है कि वह हम सेविंग्ज से मीट करेंगे यानी सदन ने मूल बजट में जो व्यय करने के अधिकार दिये थे उसमें इन ६-७ मास में ही इतनी अधिक सेविंग हो चुकी कि करोड़ों आप कर्मचारियों की वेतनवृद्धि के लिये मूल बजट से दे देंगे। यह बजट पर कैसा नियंत्रण है ? यह कैसे प्राक्कलन और एस्टीमेट्स आप के शुरू में बने थे कि जिस से आप दूसरा करोड़ों रुपया सेविंग का निकाल लेंगे ?

एक बात की ओर मैं आप का ध्यान और दिलाऊंगा कि इस सरकार का रिसीट्स पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। पिछले २-३ सालों में हमेशा घाटे का बजट बाद में सरप्लस बजट हो गया है। आप देखें एक साल ११ करोड़, एक साल १३ करोड़ और एक साल ९ करोड़ का सर-

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्लस हुआ। जब सरप्लस हुआ तो आखिर में वह सरप्लस रेवेन्यू रिजर्व फंड में या कभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के नाम पर कर्जे की अदायगी में जमा कर देते हैं और इस वर्ष यह हो रहा है कि सिन्किंग फंड और रिजर्व फंड में न देकर जो वेतन वृद्धियां होंगी उनमें वह सरप्लस दिया जायगा। इस तरह की नीति गलत है, प्रापर एस्टीमेटिंग होना चाहिये, संतुलन होना चाहिये।

अन्त में मैं एक सुझाव और दूंगा कि हमारे और आप के अधिकारों का और सरकार के लिये भी एक संतुलन हो और अधिकारों का एक समन्वय हो और जिस तरह से खर्चे की मदों के लिये सप्लीमेंटरी बजट आते हैं उसी तरह से आय के भी सप्लीमेंटरी हमारे सामने पेश हों, रेवेन्यू रिसीट्स का हिसाब भी हमारे सामने पेश हो। माननीय सदस्य हंस रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--वह एप्रीशियेट कर रहें हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उनका डेप्रीसियेशन मेरे लिये एप्रीसियेशन हो जाता है, श्रीमन्।

तो मैं कह रहा था कि सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स की तरह आमदनी के भी एस्टीमेट्स होने चाहिये। सेल्सटैक्स से आमदनी अगर बढ़ गई तो वह हमें मालूम होनी चाहिये कि इतना रुपया और मिला, इन्कमटैक्स से बढ़े तो मालूम होना चाहिये कि इतना रुपया और बढ़ा।

पिछली दफा मैंने सुझाव दिया था कि एक कमेटी होनी चाहिये जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर के संबंध में जांच करे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि लिखकर दिया जाय तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। श्रीमन्, मैंने लिखकर भेजा और आपके लिये भी एक प्रतिलिपि भेजी, लेकिन अभी तक उस पर विचार हुआ? माननीय वित्त मंत्री जी के पास शायद वह कागज होगा लेकिन उस पर कोई निश्चय नहीं हुआ, छः महीने हो गये। सदन के वित्तीय नियंत्रण के संबंध में इस प्रकार की कमेटी अनिवार्य रूप से होनी चाहिये। और जितने वेतन स्तर वगैरह हैं इनका वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण होना चाहिये और सेकिन्ड पे कमीशन की स्थापना जरूर होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस संबंध में जो सुझाव हैं, माननीय नवल किशोर जी भी वहां पहुंच गये हैं, तो मै समझता हूं कि वह वित्त मंत्री जी को सुझाव देंगे कि इन सुझावों को कार्यान्वित किया जाय।

*श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने अपने रवैये के हिसाब से, जैसा कि उसका है, तीन-चार महीने में इतनी नीतियां बदली हैं, उसी हिसाब से भाषा नीति को भी बदल दिया। ३१ मार्च को दूसरा सदन बैठने वाला है। वह जनता के सामने आकर यह कह सकता है कि कौन नीति हम बदलना चाहते हैं। स्कूल खुलने वाले हैं जुलाई में। लेकिन भाषा नीति पहले ही बदलकर जाना चाहते हैं। जब अप्रैल तक बजट आ जायगा, दो महीने लड़कों को छुट्टियां मिलेंगी, आप ठंडे दिल से विचार कर सकते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मंत्री जी के पास यह समय नहीं है कि सदन में बैठकर बजट भाषण सुन सकें, लेकिन भाषा संबंधी नीति पर वह कैसे विचार कर सकते हैं, यह समझ में नहीं आता।

इस बजट में दो, चार चीजें बड़ी हंसी की हैं, श्रीमन्। पशुपालन की मद में लिखा है--पाठशाला जाने से पूर्व आयु के बच्चों से संबंधित तथा बच्चों का पालन करती हुई माताओं के पौष्टिक स्तर का सुधार। दूसरी जगह कृषि विभाग की मद में लिखा है-- लखनऊ के चिड़ियाघर में कुछ तरक्की। मैंने सोचा था कि ५१ लाख १३ हजार एकड़ भमि जलमग्न हो गई, जरूर कुछ न कुछ उसके संबंध में इसमें होगा। लेकिन एक में चिड़ियाघर निकला और दूसरे में माताओं के पौष्टिक स्तर का सुधार।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, अलादीन का चिराग मैंने सुना था कि रगड़ा और सड़क बन गई । २९ लाख की सड़कें हैं और अनुदान केवल २ हजार का मांगा गया है । उन पर कब गिट्टी पड़ेगी, कब क्या होगा ? श्रीमन्, एक कृषि फार्म का हमने जिक्र सुना था । इस सरकार ने एक कृषि फार्म बनवाया था । स्थान का नाम मुझे याद नहीं रहा । तो एक फार्म बना । उन लोगों ने ऐसा किया कि एक लाख की ग्रान्ट थी, जल्दी से डिमांस्ट्रेशन करना था । एक गांव तय कर लिया और लकड़ी के पट्टों पर लगवा दिया जैसे कि शुगर केन ४२१, गेंहूं फलां, धान फलां । और जब लोग इंस्पेक्शन करने गये तो सब लोग खड़े हो गये कि यही है और एक लाख की ग्रान्ट खत्म कर दी । तो, श्रीमन्, आज नवम्बर है, १८ फरवरी तक तो इनका सब तय हो जाना है और जनवरी में हमारे खयाल से अगर किसी मंत्री जी से बात करें तो कहेंगे इस समय बात न कीजिये और अगली बार जिसका भाग्य होगा आवेगा । अध्यक्ष महोदय, जिनके पास केवल १ महीने का समय है वह इतने करोड़ रुपये हमसे मांगें, और जब अभी शकर उत्पादन में १० फीसदी कटौती हो रही है । वही १ करोड़ रुपये के करीब सरकार को हानि होगी, उसकी तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है, तो कैसे हम इतना रुपया इस सरकार को खर्च करने को दे दें।

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उद्योग में प्रदेश बिलकुल पिछड़ा हुआ है । जो पिछली सरकार ने किया वह सब इस सरकार ने गोड़ दिया । इस प्रदेश का उद्योग ४ महीनों में और चौपट हो जायगा और वह उद्योग है गन्ना । उसकी काफी क्षति होने वाली है । यहां से फैक्टरीज हट कर दूसरी जगह जा रही हैं लेकिन सरकार का इतने पर भी ध्यान नहीं जाता । अतः इस सरकार को रुपया खर्च करने का अधिकार देना बेकार है ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—मान्यवर, देखा जाय ७ महीने के अन्दर यह दूसरा सप्लीमेंटरी बजट है जिनके जरिये से ९करोड़ रुपये के करीब सरकार हमसे मांग चुकी है जो कि अंग्रेजों के जमाने में पूरे बजट की रकम हुआ करती थी। सवाल यह है कि यह रकम क्यों दी जाय ? यह सरकार १० सालों से योजना के आधार पर खर्च कर रही है । लेकिन जब नतीजा देखता हूं, मैं रिसीट और ऐक्सपेंडीचर की विधि में नहीं जाता, तो कुछ नहीं । इस सरकार में इतनी योग्यता नहीं जो प्लानिंग पर खर्च होता है, जो केन्द्र में टैक्स का रुपया इकट्ठा होता है वह भी नहीं ले सकती है, जैसा कि हमको ५८ फीसदी प्लानिंग योजना के आधार पर मिलना चाहिये जब कि मिलता है ३७ फीसदी । इस प्रदेश की आदमनी पर कैपिटा २१० थी, वह १० वर्ष बाद २९० या २९१ हो गई। तो किस लिये सरकार को खर्च करने के लिये रुपया दिया जाय ?

आज दुनिया के बाजार में पूंजीपतियों का बाजार सिकुड़ रहा है । लेकिन हमारे यहां उनको सहायता देने के लिये हमसे रुपया लिया जाता है, यह अन्याय है । मैं जानता हूं जो इस समय सप्लीमेंटरी बजट है उसका केवल एक लक्ष्य है कि आम चुनाव में कुछ पैसा पिछड़ी जातियों के नाम पर खर्च करके, दुर्भिक्ष के नाम पर सहायता दे कर, कर्मचारियों की कुछ तनख्वाह बढ़ा कर चुनाव जीता जाय । इनको विश्वास है कि चाहे ५ साल कुछ न किया हो लेकिन इस समय जनता को प्रभावित करने के लिये, कर्मचारियों को खुश करने के लिये रुपया जरूरी है ताकि किसी न किसी प्रकार वह चुनाव में सहायता करें । इसलिये मैं चाहूंगा कोई भी सदस्य इस सरकार को पैसा खर्च करने के लिये न दे ।

श्री हरगोविन्दसिंह—मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि कमेटी बनाने का जो आश्वासन दिया था वह आश्वासन कमेटी के सामने नहीं जा सकता। आप जांच कर लेंगे और पूंछतांछ कर लें तो कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं तो यह समझता हूं कि जितना आपने कहा है उसका वह मनन कर रहे हैं। इसीलिये उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

खंड २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६१-६२ के लिये ६,५४,३२,३०० रु० का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिनका कुल योग ६,५४,३२,३०० रु० (छः करोड़, चौवन लाख, बत्तीस हजार तीन सौ) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृति	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३	राज्य आबकारी ..	४०,४००	..	४०,४००
५	वन	४७,२००	..	४७,२००
१०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	१०,३१,६००	..	१०,३१,६००
१२	अभियन्त्रण (इन्जीनियरिंग) संस्थायें ..	२००	..	२००
१३	सामान्य प्रशासन ..	१००	९५,४००	९५,५००
१८	पुलिस	२५,८१,०००	..	२५,८१,०००
१९	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप ..	१००	..	१००
२०	शिक्षा	१२,९०,८००	..	१२,९०,८००
२१	चिकित्सा ..	२,९००	६००	३,५००
२२	जन-स्वास्थ्य ..	९,८२,९००	..	९,८२,९००
२३	कृषि संबंधी विकास ..	२५,१००	२०,०००	४५,१००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२५	पशुपालन ..	२००	..	२००
२७	सहकारिता ..	६,५४,५००	..	६,५४,५००
२८	उद्योग	४००	..	४००
२९	श्रम और सेवायोजन ..	१००	..	१००
३०	परिवहन ..	१००	..	१००
३१	सूचना निदेशालय ..	११,५००	..	११,५००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	१००	..	१००
३४	संचार साधनों का सुधार..	१००	..	१००
३७	दुर्भिक्ष सहायता ..	४४,५०,०००	..	४४,५०,०००
३९	अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें) ..	१५,८५,०००	१५,०००	१६,००,०००
४१	प्रकीर्ण व्यय ..	१००	..	१००
४२	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	१४,९९,८००	..	१४,९९,८००
४४	योजना और एकीकरण (Planning and Co-ordination) ..	१००	..	१००
४६	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत ..	४००	..	४००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजी-गत लागत ...	४१,६०,०००	..	४१,६०,०००
४९	सार्वजनिक निर्माण कार्यों (Public Works) पर पूंजीगत लागत ..	३,०००	..	३,०००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	१००	..	१००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (Loans and Advances bearing Interest) ..	४,६९,३३,५००	..	४,६९,३३,५००
	योग ..	६,५३,०१,३००	१,३१,०००	६,५४,३२,३००

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१

३१ मार्च, १९६२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्वयस्था के लिये,

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम १---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का द्वितीय पूरक) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरगोविन्दसिंह--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का द्वितीय पूरक) विधयक, १९६१ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१६ नवम्बर, १९६१ ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५१ पर)

वर्ष	तहसील का नाम	ग्रेचुटी	आपत्तिकालीन तथा बीज के लिये तकावी	मकान के पुनर्निर्माण के लिये तकावी
१	२	३	४	५
१९६०	बहराइच	१२,०००	८४,०००	१५,०००
	नानपारा	६,०००	९३,०००	२०,०००
	कैसरगंज	९,४७५	९८,०००	१५,०००
१९६१	बहराइच ..	१०,१००	६०,०००	८,०००
	नानपारा ..	३,४०१	२५,०००	४,०००
	कैसरगंज ..	३२,४९८	१,३०,०००	८,०००

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५५ पर)

१ अक्तूबर, १९६१ को इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर १९६०-६१ सीजन के गन्ना के मूल्य की कुल देय धनराशि का दस प्रतिशत या उससे अधिक बकाया था और जितना प्रतिशत बाकी था, उसके विवरण की तालिका

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	१-१०-६१ को गन्ने के मूल्य का बकाया रुपया (लाख रुपयों में)	बकाया का प्रतिशत
१	२	३	४
१	इकबालपुर	१६.३०	१५ प्रतिशत
२	जरवल रोड	८.०३	२० प्रतिशत
३	नवाबगंज	७.७२	१४ प्रतिशत
४	तुलसीपुर	७.४४	११ प्रतिशत
५	मसोधा	७.९६	१० प्रतिशत
६	पिपराइच	९.९२	१६ प्रतिशत
७	देवरिया	६.५३	१२ प्रतिशत
८	भटनी	४.०९	१० प्रतिशत
९	छितौनी	८.८२	१८ प्रतिशत
१०	रामकोला (के) ..	१३.०२	२३ प्रतिशत
११	सेवराही	८.४६	१७ प्रतिशत
	योग ..	९८.२९	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६५ पर)

सूची

देहरादून जिले में चूने के पत्थर की खानें, उनके मालिकों के नाम, गांवों के नाम तथा श्रमिकों की संख्या सहित

क्रम-संख्या	मालिक का नाम	गांव का नाम	श्रमिकों की संख्या
१	श्री जै राम सिंह ओबराई	तिमलीमन–सिंह एवं बगढ़ारा	७१
२	एम-एस० पंजाब लाइम एन्ड लाइम स्टोन को०	खेरी पुश्तारी	७०
३	एम० एस० पंजाब लाइम एन्ड लाइम स्टोन को०	भीट्टरली	५०
४	एम० एस० दून वैली लाइम स्टोन को०	झरीपानी	४७
५	एम० एस० ए० डियन लक्ष्मी चन्द	भट्टा	३० से ५०
६	एम० एस० नार्दन इंडिया लाइम मार्केटिंग एसोसियेशन	धनौली एन्ड बन्दावली इत्यादि	१७५
७	श्री सरदारी लाल ओबराई	झरीपानी	७७
८	श्री सरदारी लाल ओबराई	ओकग्रोव	
९	श्री शिव नारायण सिंह	जूद	३०
१०	एम०एस० के०एल० सूरी एन्ड ब्रास०	जूद	४० से ८०
११	श्री राम औतार	कैरीबवान करनपुर	५०
१२	श्री लक्ष्मन दास गुजराल	कैरकुली	२५ से ३०
१३	अमोलक राम ओबराई	कैरवान चमसारी	५१
१४	श्री राधा कृष्ण सूरी	नगदवान	३०
१५	श्री राधा कृष्ण सूरी	चम्सारी	
१६	श्री वेद पाल सिंह	भित्तरली	२५

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६५ पर)

Copy of letter dated June 3, 1960 from Sri A. N. Anand Secretary, Lime and Limestone Labour Union, Dehra Dun on behalf of their members addressed to the Chief Minister, U P. Government, Lucknow through the District Magistrate, Dehra Dun

---

MEMORANDUM

We 2,000 workmen employed in the Lime Stone Industry of this district and organized under the banner of Lime and Limestone Labour Union, have come to you from our respective quarries to draw the attention of Government on the following facts and present you this Memorandum for favour of being forwarded to the Hon'ble Chief Minister of U. P.

1. That Limestone Industry has a vital role in our national economy. It is due to limestone that the quality of our sugar has been improved as to enable us to stand the world competition in the international market and earn foreign exchange for the success of our plans.

2. We 3,000 workmen at Dehra Dun are producing 2,00,000 tons of best quality limestone and area feeding the sugar and paper and other industries in this western zone in our State.

3. That it is most unfortunate for our country that such an important industry is being brought to ruin due to local politics of the congressmen of this place. Due to the cut through rivalry of the local congressmen the future of this industry is very dark and none of the quarry owners is definite as to when his lease may be terminated as a result where of no proper investment is being made for the scientific quarrying and no facilities are provided for the workmen who are employed in this dangerous process of excavation.

4. That the State Government has set up an advisory Committee for this industry. But we are constrained to note that no reference has been made to this committee to advise ways and means for the improvement of the working conditions and standard of living of the workmen in this industry. It is also very disappointing that no representative of the labour could find a place in this committee and such vital organ of production has been completely ignored.

We, therefore, request the Government that this industry should be allowed to continue and grow on scientific lines and for that purpose, the Mines Act be extended to this industry also and the same should be brought under the Mines Department of the Government of India.

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७० पर)

नत्थी (क)

श्री लक्ष्मण राव कदम द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ४१ की सूचना

स्थान, कार्यालयों के नाम	राजपत्रित १९६०–६१	अराजपत्रित १९६०–६१										
	प्रादेशिक पर्यटन अधिकारी	पर्यटन अधिकारी	सहायक पर्यटन अधिकारी	रिसेपशनिष्ट (स्वागत कर्ता)	असिस्टेंट रिसेपशनिष्ट	प्रधान लिपिक एवं एकाउन्टेन्ट	क्लर्क टाइपिस्ट	लिपिक	अर्दली	चपरासी	चौकीदार	ड्राइवर	कुल व्यय १९६०–६१
													रु०
१–लखनऊ रीजनल टूरिस्ट ब्यूरो	१	१	..	१	१	१	१	..	१	२	१	..	१८,६१८.३८
२–नैनीताल ,,	१	१	..	१+१*	१	१	१	..	१	२+१*	१	१	१५,५७८.८२
३–हरद्वार ,, (सहारनपुर)	१	१	..	१	१	१	१	..	१	२	१	..	१९,३९६.८०
४–आगरा ,,	१	१	..	१	१	१	१	..	१	२	१	..	१७,४७५.३८
५–वाराणसी ,,	१	१	..	१	१	१	१	..	१	२	१	..	२१,२०८.९०
६–गोरखपुर टूरिस्ट सब ब्यूरो	..	..	१	..	..	..	१	..	..	१	..	..	६,३८३.६५

*काठगोदाम में स्थित है जो नैनीताल के दफ्तर का एक अंग है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

स्थान, कार्यालयों के नाम	राजपत्रित १९६०–६१	अराजपत्रित १९६०–६१											
	प्रादेशिक पर्यटन अधिकारी	पर्यटन अधिकारी	सहायक पर्यटन अधिकारी	रिसेपशनिष्ट (स्वागतकर्त्ता)	असिस्टेन्ट रिसेप्शनिष्ट	प्रधान लिपिक एवं एकाउन्टेन्ट	क्लर्क टाइपिस्ट	लिपिक	अर्दली	चपरासी	चौकीदार	ड्राइवर	कुल व्यय १९६०–६१
													रु०
७–फैजाबाद रीजनल टूरिस्ट सब-ब्यूरो			१	..	..	..	१	..	..	१	..	..	६,८३९.३६
८–मथुरा ,, ...			१	..	..	..	१	..	..	१	..	..	६,८२०.६७
९–रानीखेत ,, ...			१	..	..	..	१	..	..	१	..	..	६,७४५.४७
१०–कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल),, ...			१	..	..	..	१	..	..	१	..	..	६,६४५.९४
११–देहरादून ,, ...			१	..	..	..	१	..	..	१	..	..	१०,३१२.९९
१२–श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल),, ...			१	..	..	..	१	..	..	१	..	..	५,५२३.०८
१३–बलरामपुर (गोंडा),, रिसेप्शनसेंटर			..	१	..	..	..	१	..	१	..	..	५,५९६.२४
१४–चित्रकूट (बांदा),, ...			..	१	..	..	..	१	..	१	..	..	५,९५१.१४
१५–ऋषिकेश,, ...			..	१	..	..	..	..	..	१	..	..	३,३६९.३४
१६–अल्मोड़ा ,, ...			..	१	..	..	..	..	..	१	..	..	३,४५०.९४
योग ..	५	५	७	१०	५	५	१२	२	५	२२	५	१	१,५९,९१७.१०

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७० पर)

नत्थी (ख)

प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर निम्न है :

जिले का नाम	१९५८–५९		१९५९–६०		१९६०–६१	
	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी
१—वाराणसी ..	..	१२१	१०	२४८	४२	१९१
२—लखनऊ	२०	१०२	६०	९९	११	३९
३—आगरा ..	७१	६३	१६५	२१५	६५	४९३
४—हरद्वार (सहारनपुर) ..	६७	६	८०	४	२३	२
५—ऋषिकेश (देहरादून) ..	..	..	..	..	..	..
६—मथुरा ..	२	..	५	..	२७	५१
७—फैजाबाद ..	..	..	..	..	..	..
८—कोटद्वार–(पौड़ीगढ़वाल)	३	४	६	२	२४	३
९—गोरखपुर ..	७	५००	१३	७८	१५	५३
१०—श्रीनगर–(पौड़ीगढ़वाल)	५	६	५	४	६	३
११—देहरादून ..	१९४	२०	२१२	२५	२३५	३२
१२—चित्रकूट (बांदा) ..	२	..	२	२	३	४५
१३—बलरामपुर (गोंडा) ..	२	६	५	३	३	४
१४—नैनीताल ..	६८	१६	१८	८	२१	८०
१५—रानीखेत ..	१०	८	१२	१	६	..
१६—अल्मोड़ा ..	..	..	३६	..	५०	२
योग ..	४५१	८५२	६२९	६८९	५३१	९९८

व्यय

स्थान	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
नैनीताल ..	१२६·४१	१७७·१९	७०·४२
रानीखेत ..	२८१·८१	..	..

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७० पर)

भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पदच्युत (dismissed) कर्मचारियों का विवरण-पत्र

जिलों के नाम	चकबंदी अधिकारी	सहायक चकबंदी अधिकारी	चकबंदी कर्ता	लेखपाल	लिपिक	निम्न कर्मचारीगण
१—इलाहाबाद	..	..	..	..	..	२
२—आजमगढ़	..	..	..	..	..	११
३—बाराबंकी	..	..	..	..	२	..
४—बरेली	..	..	१	४	१	..
५—बुलन्दशहर	..	..	..	..	१	..
६—फर्रुखाबाद	..	..	१	२	..	..
७—हरदोई	..	..	..	३	..	..
८—लखनऊ	..	१	..	..	..	..
९—मथुरा	..	..	..	५	..	..
१०—मेरठ	..	१	..	..	..	..
११—जौनपुर	..	..	..	..	१	..
१२—मुजफ्फरनगर	..	..	..	..	१	..
योग	..	२	२	१४	६	१३

पदच्युत किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या ३७ है ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७३ पर)

प्रश्न ५७ के उत्तर में उल्लिखित सूची

जिला संगठनकर्ता (डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर) के कर्तव्य

१—अपने जिले में दल के स्वयंसेवकों का संगठन करना और उनसे सम्पर्क साधना ।

२—ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद की व्यवस्था करना ।

३—युवकों के लिये "क्लब" की स्थापना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और उनके कार्यक्रम का आयोजन करना ।

४—खंड संगठनकर्ता (ब्लाक आर्गनाइजर) के कार्यों का निरीक्षण ।

५—भूमि संरक्षण (स्वायल कंजरवेशन) ।

६—स्वयंसेवकों के हित में कैम्प की व्यवस्था करना, और श्रमदान का कार्य ।

७—जिला नियोजन अधिकारी के आदेशों के अनुसार अन्य सामान्य कार्य करना ।

खंड संगठनकर्ता (ब्लाक आर्गनाइजर के) कर्तव्य

१—अपने खंड में युवक कार्यकर्ताओं का संगठन करना और उन्हें प्रशिक्षण देना ।

२—खंड में एक आर्थिक वर्ष में लगभग १०० एकड़ तक भूमि संरक्षण करना ।

३—खंड में खेल-कूद और शारीरिक विकास के कार्य करना ।

४—खंड विकास अधिकारी को रक्षक दल के स्वयंसेवकों के लिये पड़ाव (कैम्प) डालने में सहायता देना ।

५—जिला खंड विकास अधिकारी को विकास के कार्यों में, जैसे कि श्रमदान, गुलों का निर्माण आदि में सहायता देना ।

६—अन्य ऐसे विकास कार्य जो जेष्ठ अधिकारी उन्हें करने को दें ।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७६ पर)

१—कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोआपरेटिव इस्टेट लि०, कानपुर ।

यह आस्थान २ जून, १९६० को निर्बन्धित हुआ । इसके लिये कानपुर नगरमहापालिका से २५० एकड़ भूमि खरीद ली गई है । भूमि की उन्नति, जैसे सड़क बनाना, नाले, रोशनी, आदि का प्रबंध करना, हो रही है ।

२—सहारनपुर कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट लि०, सहारनपुर ।

यह आस्थान ७ दिसम्बर, १९६० को निर्बन्धित हुआ । इसके लिये भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

३—लखनऊ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव इस्टेट लि० ।

यह आस्थान १९ नवम्बर, १९६० को निर्बन्धित हुआ । इसके लिये ४५ एकड़ भूमि लेने के लिये प्रस्ताव था । अब यह भूमि राजकीय इंडस्ट्रियल इस्टेट के लिये एक्वायर की जा रही है । इस कोआपरेटिव इस्टेट ने अपनी योजना फिलहाल स्थगित कर दी है और यह इस बात की कोशिश में हैं कि राजकीय इस्टेट में इसे जमीन के प्लाट मिल जायं । यह कोआपरेटिव इस बात की भी कोशिश में है कि इसको अन्य भूमि मिल जाय ताकि जिन लोगों को राजकीय इस्टेट में जगह न मिले वह उसमें प्लाट पा सकें ।

४—शामली कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मुजफ्फरनगर ।

यह आस्थान १९ सितम्बर, १९६० को निर्बन्धित हुआ । इसके लिये भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

५—मुजफ्फरनगर इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव इस्टेट लि०, मुजफ्फरनगर ।

यह आस्थान ३१ मई, १९६१ को निर्बन्धित हुआ । उसके बाद कोई विशेष प्रगति इसमें नहीं हुई है ।

६—हाथरस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोआपरेटिव इस्टेट लि०, हाथरस, (अलीगढ़) ।

यह आस्थान ४ अप्रैल, १९६१ को निर्बन्धित हुआ । इसके लिये ३५ एकड़ भूमि चुन ली गई है और भूमि एक्वायर करने के लिये कागजात जिलाधीश को भेज दिये गये हैं । जगह की सर्वे प्लान तैयार हो चुकी है जो राज्य के टाउन एवं विलेज प्लानर को भेजी जायगी ।

७—देहरादून इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव इस्टेट लि०, लक्ष्मी चौक, देहरादून ।

यह आस्थान १४ सितम्बर, १९६० को निर्बन्धित हुआ । १४ सितम्बर, १९६१ की शेयर होल्डर्स की बैठक में यह निश्चय किया गया कि यह इस्टेट राजकीय इंडस्ट्रियल इस्टेट की अनुपूरक के रूप में कार्य करे । यह भी निश्चय किया गया कि राजकीय इस्टेट के लिये ली जाने वाली भूमि के बराबर यह कोआपरेटिव इस आस्थान के लिये १० एकड़ भूमि खरीदे । जमीन खरीदने के लिये आवश्यक रुपये का प्रबंध किया जा रहा है और प्रबंध होने के बाद जमीन खरीदी जायगी ।

८—मरठ सेंट्रल इंडस्ट्रियल कोग्रापरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, बाम्बे बाजार, मरठ कैंट ।

यह ग्रास्थान ७ दिसम्बर, १९६० को निर्बन्धित हुग्रा । वन विभाग से इसके लिये ज़मीन लेने के लिये खतोकिताबत की जा रही है ।

९—मुकुन्द सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल कोग्रापरेटिव सोसाइटी लि०, गाजियाबाद, मेरठ ।

यह ग्रास्थान २२ जनवरी, १९६० को निर्बन्धित हुग्रा । उसके बाद कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है ।

१०—सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल कोग्रापरेटिव इस्टेट लि०, नौचन्दी रोड, मेरठ ।

यह ग्रास्थान ७ नवम्बर, १९६० को निर्बन्धित हुग्रा । उसके बाद कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है ।

११—मथुरा इन्डस्ट्रियल कोग्रापरेटिव इस्टेट लि०, मेरठ ।

यह ग्रास्थान १६ मई, १९६१ को निर्बन्धित हुग्रा । उसके बाद कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७६ पर)

मांगों की सूची

(१) न्यूनतम वेतन भुगतान किया जाय ।

(२) सिनेमा इंडस्ट्री के लिये नेशनल वेज बोर्ड नियुक्त किया जाय ।

(३) प्रावीडेन्ट फंड तथा ग्रेचुटी की स्कीम लागू की जाय तथा स्टेट इंश्योरेंस अधिनियम तथा मेटरनिटी बेनीफिट अधिनियम लागू किये जायं ।

(४) वाणिज्य एवं कारखाना अधिनियम, १९४७ में ८ घंटे प्रति दिन, ४४ घंटे प्रति सप्ताह तथा डेढ़ दिन प्रति सप्ताह छुट्टी का नियम किया जाय ।

(५) नेशनल तथा पब्लिक अवकाश प्रदान किये जायं तथा वेतन सहित अवकाश दिया जाय ।

(६) ट्रेड यूनियन अधिकार स्वीकार किये जायं और उनको सुरक्षित किया जाय ।

(७) २५ प्रतिशत आमोद कर श्रमिकों के कल्याण के लिये निर्धारित किया जाय ।

(८) कर्मचारियों की नौकरियों को सुरक्षित किया जाय, कानूनी सुरक्षा दी जाय तथा रहन-सहन व कार्य कुशलता के लिये सहायता दी जाय ।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७८ पर)

स्टोर्स परचेज सेक्शन में अधिकारियों में एक संयुक्त संचालक हैं जो १० साल से काम कर रहे हैं और दो सहायक संचालक हैं जिनमें से एक चार साल से तथा एक छः साल से हैं।

उक्त सेक्शन में कर्मचारियों में चार एक्जामिनर हैं जिनमें से एक पांच साल से, एक आठ साल से तथा दो बारह साल से काम कर रहे हैं। बारह साल से काम करने वाले एग्जामिनरों में से एक फिलहाल प्लानिंग आफिसर के पद पर आफिशियेट कर रहे हैं। दो सहायक कार्यालय अधीक्षक हैं जिनमें से एक चार साल से तथा दूसरे पांच साल से हैं। पांच साल वाले सज्जन एग्जामिनर के पद पर आफिशियेट कर रहे हैं। छः नोटर एवं ड्राफ्टर हैं जिनमें से तीन चार साल से, दो पांच साल से तथा एक छः साल से हैं। चार साल वालों में से एक सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर आफिशियेट कर रहे हैं। दो रिकार्ड कीपर एवं एकाउन्टेन्ट हैं जो पांच साल से काम कर रहे हैं। एक टाइपिस्ट है जो चार साल से है।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८३ पर)

तालिका

जिसमें १९६०-६१ में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा पेरे गये गन्ने के आंकड़ों का विवरण दिया गया है ।

क्रम-संख्या	जिला	मात्रा गन्ना जो जिले की मिलों द्वारा पेरा गया । (लाख मीट्रिक टनों में)
१	देहरादून	१.१९
२	सहारनपुर	१२.६४
३	मुजफ्फरनगर	१५.९२
४	मेरठ	१६.७३
५	बुलन्दशहर	२.१३
६	नैनीताल	४.६०
७	एटा	१.६०
८	मुरादाबाद	५.८९
९	बरेली	४.००
१०	पीलीभीत	३.४६
११	बिजनौर	९.३५
१२	शाहजहांपुर	१.१५
१३	रामपुर	४.३४
१४	हरदोई	२.१९
१५	सीतापुर	८.७०
१६	लखीमपुर खीरी	८.९०
१७	बाराबंकी	२.२१
१८	फैजाबाद	१.८६
१९	जौनपुर	१.३४
२०	बस्ती	४.७८
२१	गोंडा	५.५०
२२	बहराइच	१.३४
२३	देवरिया	२०.०४
२४	गोरखपुर	९.८७
	योग ..	४१३.३७

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८४ पर)

द्वितीय योजना काल के आरम्भ तथा द्वितीय योजना काल के अन्त में सरदारनगर, आनन्दनगर, व सेवरही चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता (Installed capacity) के आंकड़ों की तालिका ।

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	प्रथम योजना के आरम्भ में उत्पादन क्षमता (Installed capacity) (मीट्रिक टनों में)	द्वितीय योजना काल के आरम्भ में उत्पादन क्षमता (मीट्रिक टनों में)	द्वितीय योजना काल के अन्त में उत्पादन क्षमता (मीट्रिक टनों में)
१	सरदारनगर ..	२,१६३	२,२८६	२,६४२
२	आनन्दनगर ..	७३५	७३५	१,०१६
३	सेवरही ..	९४०	९४०	१,२७०

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २६३ एल० ए०—१९६२—८४५ ।